राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] चौदहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का बयालीसवां दिवस [संख्या : 24

मंगलवार,

7 अप्रैल, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: राम-राम साहब। नमस्कार, नमस्कार। राम-राम साहब। जय नारायण पूनिया की जगह द्रोपती मेघवाल।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): हमारा दोनों का ही है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): हम दोनों का साझा ही है।

श्री अध्यक्ष: आप करेंगे या द्रोपती मेघवाल करेंगी? वह खड़ी हो गई हैं, दोनों में से एक ही कर लो।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): दोनों का ही है हमारा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अगर माननीय सदस्य ने इनको अधिकृत किया है और श्रीमान को सूचना दी है तब तो आप अनुमति दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: दे दी ना मैंने, इसीलिए तो कह रहा हूं द्रोपती मेघवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इतना उदार मन हो गया अध्यक्ष महोदय, एक साथ दो को। दे सकते हैं, आप सर्वोपरि हैं।

श्री अध्यक्ष: तीन मांगेंगे तो तीन को दे दूंगा।

तारानगर में पेयजल हेतु आपणी योजना

430. **श्रीमती द्रोपती** (पीलीबंगा) (श्री जयनारायण पूनिया (तारानगर) के स्थान पर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र तारानगर में आपणी योजना के प्रथम

(श्रीमती द्रोपती)

चरण द्वारा पेयजल की नियमित व पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है? यदि हां, तो प्रति व्यक्ति कितने समय में कितना पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना के सुदृढ़ीकरण हेतु अपग्रेडेशन और माइर्नाइजेशन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में आपणी योजना के चरण प्रथम में 15 वर्ष पूर्व लगे पम्प हाउसों में लगे पम्प सैट व कम क्षमताओं वाली मशीन को बदलकर नई तकनीक व उच्च क्षमताओं की मशीनों को लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार आपणी योजना के प्रथम चरण में तारानगर तहसील के छह बड़े गांव (धीरवास बड़ा, बुचावास, राजपुर, भालेरी, बांय और सात्यु) जिनकी आबादी 5000 से 10000 तक है, में पीने के पानी की आपूर्ति पी.एस.पी. के स्थान पर पाइप्ड योजना के माध्यम से घर-घर जल कनेक्शन देकर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) आपणी योजना के द्वितीय चरण (बुंगी राजगढ़ वृहत् पेयजल परियोजना) की स्वीकृत राशि, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्य पर अब तक हुए व्यय तथा कार्य की प्रगति रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण माहेश्वरी): (1) जी हां। आपणी योजना के प्रथम चरण में विधान सभा क्षेत्र तारानगर के जोड़े गए 140 ग्रामों में से 124 ग्रामों में प्रतिदिन औसतन 6 से 8 घंटे पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है। शेष 16 ग्रामों का जल राजस्व बकाया होने के कारण इन ग्रामों में उक्त योजना से माह दिसम्बर, 2014 से जलापूर्ति बंद है। ग्रामवार पेयजल आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। आपणी योजना प्रथम चरण के क्रमश: करमसाना से तारानगर सैक्शन एवं चूरू बिसाऊ परियोजना के अपग्रेडेशन, पुनरुद्धार एवं रिनोवेशन तथा उक्त कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत एकल बिन्दु दायित्व के आधार पर योजना के 10 वर्ष के संचालन एवं संधारण अवधि के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह अगस्त, 2012 में राशि रुपये 12.50 करोड़ की जारी की जा चुकी है। विभागीय तकनीकी समिति की 582वीं बैठक

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

दिनांक 18.6.2013 द्वारा उक्त कार्य को तीन पैकेजों में विभक्त करने का अनुमोदन किया गया।

पैकेज प्रथम के तहत गंधेली से ललानिया वाया करमसाना की लगभग 31.00 किलोमीटर विभागीय नहर की मरम्मत एवं नवीनीकरण के कार्य की दिनांक 25.03.2015 को तकनीकी स्वीकृति जारी करने के उपरांत आमंत्रित निविदा दिनांक 06.05.2015 को खोली जानी है। शेष अन्य दो पैकेजों (पम्प सैट बदलने, पाइप लाइन मरम्मत के कार्य सम्मिलित) हेतु भी निविदा आमंत्रित कर समस्त तीन पैकेजों का कार्य वित्तीय वर्ष 2015-16 में पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। उपरोक्तानुसार।

(4) तारानगर तहसील के 5000 से 10000 तक की आबादी के वर्णित 6 ग्रामों में वर्तमान आबादी अनुरूप पर्याप्त रूप से स्थापित पी.एस.पी. (पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट) द्वारा पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुनिश्चित की जा रही है।

आपणी योजना का मुख्य उद्देश्य जन समुदाय की भागीदारी के साथ जल के उपयोग के प्रति जागृति व जिम्मेदारी तथा जल के दुरुपयोग में कमी लाना था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस योजना के अभिकल्पन एवं स्वीकृति में आबादी अनुसार पी.एस.पी. के निर्माण का प्रावधान रखा गया था।

(5) आपणी योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत बुंगी राजगढ़ वृहत् पेयजल परियोजना (चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के 175 ग्राम एवं राजगढ़ शहर तथा झुन्झुनूं जिले की झुन्झुनूं तहसील के 13 ग्राम सम्मिलित) की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 24.8.2012 को राशि रुपये 415.64 करोड़ की जारी की गई।

इस परियोजना का कार्य स्वीकृत दो पैकेजों के अन्तर्गत वर्तमान में प्रगति पर है। पैकेज प्रथम (मुख्य ट्रंक मेन लाइन व आधारभूत संरचना के कार्य) एवं द्वितीय (ग्रामों में क्लस्टर वितरण प्रणाली का कार्य) पर माह मार्च, 2015 तक क्रमशः 109.36 करोड़ एवं 82.29 करोड़, इस प्रकार कुल 191.65 करोड़ की राशि व्यय हुई है तथा इन दोनों पैकेजों का कार्य क्रमशः माह नवम्बर, 2015 तथा जून, 2015 तक पूर्ण करना निर्धारित है। पैकेजवार प्रगति विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न संख्या एक। तारानगर से ही सम्बन्धित होना चाहिए आपका सवाल।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): इस आपणी योजना से सम्बन्धित है माननीय अध्यक्ष महोदय। यह दो-तीन क्षेत्र में जाती है एक मेरे रावतसर से है, धन्नासर में इसका हैड आफिस है वहां से होते हुए नोहर और फिर तारानगर ऐसे जाती है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, करो आप प्रश्न करो।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्रीजी से यह निवेदन है कि रावतसर में आपणी योजना के प्रथम चरण को अपग्रेड करके घर-घर जल कनेक्शन देने का सरकार इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों नहीं?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, आपणी योजना, वैसे तो पूरा विस्तृत में मैंने रिप्लाई दी है सारी योजना की। लेकिन जिस तरीके से माननीय सदस्या ने यहां पर पूछा है घर-घर कनेक्शन के संदर्भ में, अभी आपणी योजना 2004 के अन्दर फेज वन जिसका कम्प्लीट हुआ था, उसमें लगभग लागत थी 429 करोड़ और फेज टू जो है, 119 करोड़ की लागत का बना था जो चूरू बिसाऊ प्रोजेक्ट के नाम से कहा जाता था। तो ये दोनों फेज वन और टू हैं, ये चूंकि 2004 और उसके बाद 2005-06 में कम्पलीट हुए हैं। यह आपणी योजना अभी पूरी तरीके से कोलैप्स होने की स्थिति में आ गई है क्योंकि टंकियों तक ही पानी नहीं पहुंच पा रहा है। हालत यह है कि जो मेन लाइन है, जिस सोर्स से मेन लाइन जानी है टंकी तक, वही क्षतिग्रस्त हो गई है। जगह-जगह लोगों ने उसे पंचर करके पानी लेना शुरू कर दिया है और वीटीसी तक गांव के मुख्य द्वार तक जो पानी पहुंचना है वहां तक भी पानी बराबर नहीं पहुंच पा रहा है। तो पहला काम हमारा यह होगा कि उस पानी को वहां तक पहुंचाया जाए, टंकी भर जाए और टंकी से गांव के चौराहे तक पानी पहुंच जाए, उसके लिए स्ट्रेन्थनिंग करने के लिए हमें पैसा खर्च करना होगा। तो हमारा पहला चरण अब रहेगा रिपेयर का।

दूसरा, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि हम घर-घर पानी पहुंचा सकेंगे तो घर-घर पानी पहुंचाने की यह स्कीम थी भी नहीं। यह केवल

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

पीएसपी, 250 की आबादी तक के पीएसपी कनेक्शंस देने थे जो गांव के अन्दर बीच में रहता है। इसका जो थीम था वह बहुत अच्छा था लेकिन दुर्भाग्यवश हुआ यह कि जो पीएसपी है उस पीएसपी तक पानी आता नहीं, उससे पहले ही लोगों ने पंचर कर दिया। लोगों की भावना है कि घर-घर तक पानी जाए, उसके लिए सरकार अपनी तरफ से इसमें पूरा, मैंने तीन-चार मीटिंग्स की हैं इस संदर्भ में और इस निष्कर्ष पर आये कि अगर गांव के लोग यह आश्वस्त करते हों कि हम लोग 50 परसेंट पैसा गांव से कांट्रीब्यूशन करें सहभागी योजना के अन्दर तो हम यह कर सकते हैं कि वीटीसी तक पहुंचाकर के और उसके घर तक जो जाना है, वहां तक का जितना खर्चा आएगा उसका 50 परसेंट सहभागी योजना के अन्दर सरकार वहन करे और 50 परसेंट गांव का जो व्यक्ति अपने घर तक कनेक्शन ले जाना चाहे, वह करे। अगर इसके लिए तैयार हैं तो हम यह योजना ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। नहीं, मटोरियाजी।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जो अभी आपने यह योजना बताई। आपणी योजना जर्मन बेस्ड है और अन्य शहर और अन्य योजनाओं की तरह जहां आपको अभियान लगाकर पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, लोगों को छूट देनी पड़ती है। हमारी इस आपणी योजना में उलटा है, हम स्वयं पैसे एकत्रित करके बिल जमा करवाते हैं। आप तो मुझे यह बताएं मंत्री महोदय, कि इस योजना के संचालन और संधारण के लिए नोहर और रावतसर से लम्बे समय से मांग की जा रही है एक्सईएन का पद नहीं है। संचालन और संधारण के लिए आप नयी पोस्ट कब तक क्रिएट कर देंगे। प्रश्न नम्बर दो...

श्री अध्यक्ष: केवल एक प्रश्न, जवाब दीजिए माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, जैसा इन्होंने कहा कि हम घर-घर खुद ही कलैक्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आपणी योजना में भावना बहुत अच्छी है, वहां के लोग पूरा कलेक्शन करते हैं और सारा करते हैं। लेकिन अब इस आपणी योजना को थोड़ा स्ट्रेन्थनिंग करने के लिए हम लोग स्काडा सिस्टम भी इण्ट्रोड्यूज कर रहे हैं और साढ़े 12 करोड़ का जो हमने पैकेज बनाया है जिसके अब टेण्डर्स होने हैं, उसकी मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहती हूं कि जो पैकेज वन है

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

हमारा वह 31 किलोमीटर की नहर का माडर्नाइजेशन है। जिसमें सारी मेजर रिपयेरिंग होगी, लाइनिंग होगी कैनाल की और जो सैण्ड ड्यून हैं नहर के अन्दर वह सारी सफाई वगैरह कराकर के और सड़क भी जो टूटी फूटी है उसका भी नवीनीकरण करेंगे। इसके अलावा जितने पम्प सैट हैं इस आपणी योजना में लगे हुए, उन पम्प सैट की सबकी रिपेयर करवा रहे हैं और रिपेयर करवाकर के उसके वाल्व जो टूटे हुए हैं उन सबको ठीक कराना और यह पूरा हम लोग एस्को माडल के ऊपर जो एनर्जी सेविंग माडल है उस माडल के ऊपर देना चाह रहे हैं जिससे कि ये सारे पम्प सैट ठीक हो जाएंगे तो पानी की सप्लाई इम्प्रूव कर सकेंगे। तीसरा, इन्होंने कहा, जहां तक रेवेन्यू लेने की बात है, उसके लिए हम स्काडा सिस्टम लगाएंगे जो टोटली मैकेनाइज्ड सिस्टम है। जिसमें कितना पानी, किन-किन गांवों के अन्दर जा रहा है, गांव के चौराहे के ऊपर ही वह सिस्टम लग जाएगा। कितना पानी किस गांव में कंजम्पशन हुआ, उसके बारे में जानकारी दे देगा। आपने कहा कि इन सबके लिए एक्सईएन की पोस्ट क्रिएट करने के संदर्भ में है जो प्रोजैक्ट का है। क्योंकि जो हमारा रेगूलर डिवीजन है वहां तो आलरेडी एक्सईएन है लेकिन शायद इस पूरे प्रोजैक्ट के लिए एक्सई एन क्रिएशन की आपने जानकारी चाही है। माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हम लोग बहुत शीघ्र ही एक्सई एन की पोस्ट भी प्रोजैक्ट लेवल के ऊपर क्रिएट करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। दूसरा, पूरक प्रश्न श्री मनोज।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपणी योजना बुंगी राजगढ़ वृहत् पेयजल योजना जो द्वितीय चरण में चल रही है इसमें मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने जो जन सहभागिता से 50 परसेंट राशि जमा कराने की बात बताई है, उसकी आप गाइड-लाइन कब तक जारी कर देंगे और आप जनता के बीच में यह गाइड-लाइन कब तक पहुंचा देंगे कि आप 50 परसेंट राशि का भुगतान करके घर-घर कनेक्शन ले सकते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने जो बात पूछी है, मैं आपके माध्यम से कहना

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

चाहूंगी केवल आपणी योजना के लिए ही यह सहभागी योजना बनाई जा रही है चूंकि आपणी योजना एक बहुत अच्छे उद्देश्य से चालू की गई थी और इसमें पब्लिक कांट्रीब्यूशन ही था इसलिए पब्लिक कांट्रीब्यूटेड ही इसको रखते हुए हम लोग करेंगे तो बहुत शीघ्र ही इसकी गाइड लाइंस हम लोग इश्यू कर देंगे, जिसमें जो सिद्धांत था, क्योंकि आप सब वहां के जनप्रतिनिधि हैं इसलिए आप लोगों की सहमति है कि हम लोग इसको पचास परसेंट कर सकते हैं तो हमें इसमें गाइड लाइन इश्यू करने में कोई आपत्ति नहीं है। हम बहुत जल्दी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री खेमाराम। खेमारामजी को पुकारा है, भंवर लालजी आपका नाम खेमराज नहीं है। आपने बटन दबाया नहीं है, बटन दबाओ आप। श्री खेमाराम।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सुजानगढ़ और रतनगढ़ में आपणी योजना सैकिण्ड फेज में जो कार्य चल रहा है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है उसमें बजट का अभाव है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो 2015 में सुनाजगढ़ और रतनगढ़ को पानी मिलना था वो कब तक मिलेगा और इस योजना में जो पैंडिंग फाइल पड़ी है उनका भुगतान कब तक कर देंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आपणी योजना का पार्ट है, उसमें इनका सुजानगढ़ रतनगढ़ आपणी योजना का पार्ट नहीं है।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़): सैकिण्ड है।

श्री अध्यक्ष: इस सवाल से सम्बन्धित नहीं है क्या?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): ये फेज-2 और डीडीपी एक्सटेंशन का है, जो डेजर्ट डवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है उसके अन्दर वो काम चल रहा है और उसकी जो निर्धारित तिथि है उसके अनुसार उसको पूरा करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री भंवर लाल। तीसरा पूरक प्रश्न।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय मंत्रीजी को आपकी मार्फत यह सुझाव देना चाहता हूं कि ये आपणी

(श्री भंवरलाल)

योजना का पार्ट नहीं है इसमें संशोधन करिये। आपणी योजना का पार्ट सैकिण्ड है ये। नंबर-2, जब क्लोजर लगता है नहर की सफाई होती है, 15-15 दिन तक आपणी योजना का पानी नहीं आता उसके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? स्टोरेज की आपके पास क्या व्यवस्था है? समय पर जो पैसे जमा करा देते हैं उनको पानी नहीं मिलता है, उनके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? लोकल सोर्स...

श्री अध्यक्ष: विराजिये। बहुत सवाल पूछ लिये।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): एक और है साहब। लोकल सोर्स जो पहले से सैकिण्ड में चालू है खारे पानी के या जो लोग पानी पीते थे उन लोकल सोर्सेज के बारे में आपका क्या सोच है, चालू रखना है या बंद करना है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय, जवाब है आपके पास सबका?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, जो इन्होंने कहा, जब क्लोजर्स चलते हैं तो उस समय रिजरवायर्स जितने हमारे हैं उनका हम लोग पूरा पानी जितना सेव करना है वो उसमें सेव कर सकते हैं, बस उसकी कैपेसिटी जितनी है उस कैपेसिटी के अनुसार ही कर सकते हैं तो वो हम लोग करते हैं लेकिन उसके बाद में भी मैंने जैसे कहा कि उसकी स्ट्रेंथनिंग का काम अब पहले ले रहे हैं हाथ में। बारह साल के अन्दर स्ट्रेंथनिंग होनी थी इस आपणी योजना की लेकिन फिर मैं यह कहूंगी तो इन्हें लगेगा कि हम कह रहे हैं कि पिछली सरकार में इस काम को शुरू करना था इन्हें, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पाए। आने के पश्चात मुझे वहां के जितने भी हमारे एमएलएज हैं, उन्होंने सबने आपणी योजना के बारे में जब कहा तो हमने इसके अन्दर विशेष रुचि रखकर ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया है और सारा कम्पलीट करना चाहती हूं। राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा वो भी कहना चाहती हूं कि राजगढ़ शहर में जुलाई, 2015 उसकी निर्धारित तिथि है तब तक इस काम को कम्पलीट करना है, हमारा लक्ष्य है और मुझे लगता है कि पांच-सात, दस दिन ऊपर हो तो अलग बात है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): इसकी गति यह है, एक साल और नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अब हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं और मैं आपके साथ में बैठकर ...(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): कहीं भी निर्माण नहीं है कहीं भी कनेक्शन जुड़ा नहीं है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): तो उसको बैठकर रिव्यु...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): आप इनसे पूछिये ये सहमत हैं क्या?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): ऐसा है आप अपने लेवल पर कह सकते हो कि साल भर में नहीं होगा लेकिन मैं अपने लेवल पर जब ये कह रही हूं हाउस में तो उसका भी कोई वज़न है कि जुलाई, 2015 तक हम करेंगे, यानी तारीख हम दे रहे हैं आपको। ठीक है न।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): बहुत-बहुत धन्यवाद अगर आप जुलाई तक वहां पानी पिला देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): इसके अलावा शेष इसमें जो ये शहर की बात की है मैंने, राजगढ़ शहर में पहुंचायेंगे। ठीक है न और उसके अलावा 188 गांव जो हैं वहां के उसमें हम लोग नवम्बर, 2015 के एंड तक पानी पहुंचा देंगे, वो 188 गांव जो आपके बच जाएंगे उनको भी हम लोगों ने, तो हम जो कर रहे हैं वो टारगेटेडली कर रहे हैं इसके बारे में आपको विश्वास होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: बैठिये-बैठिये। आ गया जवाब।

प्रश्न संख्या-431

श्री राव राजेन्द्र सिंह। (स्थगित)

प्रश्न संख्या-432

श्री मनोज कुमार। (स्थगित)

प्रश्न 433 श्री कैलाश भंसाली।

जैसलमेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड की परिवहन निविदाएं

433. **श्री कैलाश भंसाली** (जोधपुर): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जैसलमेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड के महाप्रबंधक द्वारा वर्ष 2002-03 से वर्ष 2014-15 तक सरकार द्वारा निर्धारित राशन सामग्री के लिए परिवहन निविदाएं कब-कब प्रकाशित की गईं व कितनी निविदाएं प्राप्त हुईं, कितनी निरस्त की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कैलाश भंसाली)

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2002-03 से वर्ष 2014-15 के मध्य कैरोसीन परिवहन हेतु पृथक से निविदा की विज्ञप्ति निकाली गयी थी? यदि हां, तो अलग से निविदा निकालने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2014-15 में कैरोसीन हेतु सफल निविदा कितनी-कितनी प्राप्त हुई? उसमें कमेटी में कौन-कौन अधिकारी उपस्थित थे? क्या राजकीय प्रतिनिधि प्रशासक, उप रजिस्ट्रार प्रतिनिधि एवं मुख्य व्यवस्थापक द्वारा कोई विपरीत टिप्पणी की गई है? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि दिनांक 30 सितम्बर, 2011 को राशन सामग्री हेतु निविदा प्रकाशित की गयी थी? यदि हां, तो उसमें कितनी निविदाएं सफल पायी गयीं तथा उनमें से कौन-कौनसी निविदाएं स्वीकृत की गयीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या वर्ष 2014-15 में कैरोसीन परिवहन में अनियमितता की शिकायत मुख्यमंत्री महोदया को सुगम पोर्टल के माध्यम से की गयी थी, जिसकी जांच खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, जोधपुर द्वारा करवाई गई थी? यदि हां, तो उसमें दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री अजय सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) जैसलमेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड द्वारा वर्ष 2002-03 से वर्ष 2014-15 तक राशन सामग्री के लिए आमंत्रित परिवहन निविदाओं की सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 2002-03 से 2014-15 तक की अवधि में वर्ष 2008 -09 में कैरोसीन परिवहन कार्य बाबत् दिनांक 27.3.08 को पृथक से निविदा आमंत्रित की गयी थी, क्योंकि पूर्व में दिनांक 10.3.08 को प्रकाशित निविदाओं में राशन सामग्री की निविदा तो स्वीकृत हो गयी थी परन्तु कैरोसीन के मामले में प्रथम न्यूनतम दर की निविदा अपूर्ण होने पर द्वितीय न्यूनतम निविदादाता द्वारा आपत्ति दर्ज कराने से विवाद उत्पन्न होने व द्वितीय न्यूनतम निविदा की दर प्रथम निविदादाता की दर से बीस प्रतिशत अधिक होने से कमेटी द्वारा निविदा निरस्त कर पुन: नये सिरे से निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया था।

(श्री अजय सिंह)

(3) वर्ष 2014-15 के लिये कैरोसीन हेतु निविदा प्रक्रिया में कुल चार निविदाएं प्राप्त हुईं। निविदा कमेटी के सदस्य अधिकारियों की सूचना परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है। जी नहीं। राजकीय प्रतिनिधि प्रशासक व उप रजिस्ट्रार के प्रतिनिधि एवं मुख्य व्यवस्थापक द्वारा कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की गयी।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। जैसलमेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार की प्राप्त शिकायत में वर्ष 2014-15 में कैरोसीन परिवहन में अनियमितता का बिन्दु शामिल था। शिकायत की राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा-55 में जांच करायी गयी है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत जारी होने वाले जांच परिणाम एवं जांच निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर-1

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जो निविदाएं कैरोसीन के लिए अलग से की गयीं, वे मौजूदा व्यवस्था से हट कर की गयी हैं? और दूसरी बात उसमें जो महाप्रबंधक ने निविदाओं में जांच बैठायी है उसकी क्या आवश्यकता थी और वो कब तक पूरी होगी? क्योंकि आम आदमी में यह है कि कैरोसीन उपभोक्ता को न मिलकर कालाबाजारियों को मिलता है। इसमें मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय, थम्ब इम्प्रेशन से कैरोसीन दिया जाए तो इसमें भ्रष्टाचार कम होगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न हो गया आपका?

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): नहीं, साहब।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न कीजिये। निवेदन तो कर दिया आपने। पूरक प्रश्न करना है कि नहीं?

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): नहीं, करना है न साहब।

श्री अध्यक्ष: हां, कीजिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैंने कर दिया, साहब। एक बार पुन: यह जांच कब तक पूरी हो जाएगी और दोषी अधिकारी को क्या दंड दिया जाएगा?

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, मैंने खण्ड 2 में माननीय सदस्य को इसका विस्तृत उत्तर दे दिया है कि निविदा क्यों अलग से की गई। उसके बारे में मैंने बता दिया कि जो निविदा की एक दर आयी थी सबसे कम वो पैंतीस पैसे थी, लेकिन उनके द्वारा कुछ प्रमाण पत्र वहां पर प्रस्तुत नहीं किये गये थे और उसके बाद में जो सैकिण्ड न्यूनतम दर थी वो 42 पैसे थे और बीस प्रतिशत का उसमें अन्तर था इसीलिए उसको निरस्त करके अलग से निकाला गया। मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहूंगा कि शिकायतकर्ता के द्वारा समय-समय पर इसके सम्बन्ध में और माननीय मुख्य मंत्रीजी के पोर्टल पर भी हमें इसकी शिकायत प्राप्त हुई है। उसके बारे में मैंने खण्ड-5 के अन्दर स्पष्ट आपको बताया है कि शिकायत की राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा-55 के तहत जांच कर ली गई है और उसके जांच के परिणाम अब आना बाकी है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि डेढ़ महीने के अन्दर इसके परिणाम आने के बाद में अगर कोई अधिकारी इसके लिए दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न दूसरा। हो गया आपका? राजपुरोहितजी, जैसलमेर होलसेल भण्डार है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर): हां, जैसलमेर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये निवेदन करूंगा कि आपके जवाब में दो विसंगति हैं। राशन की सामग्री के लिए एक निविदा आई, उसको तो आपने निरस्त कर दिया और कैरोसीन सप्लाई में जब एक ही निविदा आई उसको आपने पास कर दिया। इसमें निश्चित रूप से जो प्रशासक है उनके सगे सम्बन्धियों का मामला है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और धारा-55 में आपने असिस्टेंट रजिस्ट्रार के माध्यम से जांच करायी, उसमें प्रशासक को दोषी पाया गया और अब इसकी जांच आप उसी प्रशासक को दे रहे हैं जिसमें वह प्रशासक दोषी है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस प्रशासक और इस जांच को आप एसीडी के माध्यम से करायें जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, जो माननीय सदस्य ने कहा कि वो प्रशासक उसकी जांच कर रहे हैं, तो मैं आपको

(श्री अजय सिंह)

बता दूं कि अतिरिक्त रजिस्ट्रार, जोधपुर के द्वारा जो सहकारी समिति है वहां पर उनके द्वारा धारा-55 के तहत जांच की गयी है और वे वहां पर सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं। मैं आपको बता दूं कि जांच के परिणाम अभी जारी नहीं हुए। इसको रजिस्ट्रार यहां पर देख रहे हैं। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान इसको देख रहे हैं और मैंने आपको बताया कि डेढ़ महीने के अन्दर इसके परिणाम आने के बाद में पता चल पाएगा कि कौन दोषी है और यदि कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: जोगाराम पटेल, जैसलमेर होलसेल भण्डार है...(व्यवधान) नहीं बैठिए जवाब आ गया।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): प्रशासक दोषी है, 55 की धारा में दोषी है आपने उस प्रशासक के हाथ में कैसे रखा, आप प्रशासक को हटा दीजिए। आप प्रशासक को हटा दीजिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने जांच की है, प्रशासक को दोषी माना है फिर भी उस प्रशासक को लगाये हुए हैं इसलिए वह जांच प्रभावित हुई है, हमारा कहना यह है।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, यह जांच अभी पूर्ण हुई नहीं है, अगर जांच पूर्ण हुई हो तो आप उसकी कापी दे दो मुझे, जांच हुई नहीं है, जांच प्रक्रियाधीन है। मैं आपको बता रहा हूं कि डेढ़ महीने में ज्यों ही जांच के परिणाम आ जायेंगे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जोगाराम पटेल, जैसलमेर होलसेल भण्डार है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट दे दी और वह मुकदमा दर्ज नहीं किया, क्यों नहीं किया यह जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए, मैंने आपको अलाउ नहीं किया है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि कल जब आपके विभाग ने इस प्रश्न संख्या 433 का जवाब पेश किया तब आपने इस बात की जांच की या नहीं की कि जो जांच आपने सुपुर्द की थी उस जांच की स्टेज क्या है, जांच पूरी हुई कि नहीं हुई और जांच पूरी हो गई तो जांच रिपोर्ट कहां अटकी है और जांच रिपोर्ट अटकी है तो उसके लिये आपने क्या इलाज किया।

श्री अध्यक्ष: आप वकील होते तो यह जवाब आ जाता।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्ष महोदय, एक ही सवाल, एक ही सवाल।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, जवाब आ गया, आप रिपीट कर रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): नहीं, जवाब तो अभी देंगे यह। दूसरा यह कि आपने परिवहन अनियमितता शब्द यूज किया है। यह परिवहन अनियमितता में क्या अनियमितता मानते हैं। पूरा का पूरा कैरोसीन का जो ट्रक है वह रास्ते में ब्लैक में बिकता है, इसको परिवहन अनियमितता मानते हैं या नहीं मानते और जिस प्रशासक के खिलाफ आरोप लगे हैं, जिसकी जांच हो गई है उसको दोषी नहीं मानते हुए भी आप इसको क्यों लटकाएं बैठे हैं?

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, मैंने आपको बताया कि सहकारी सोसाइटी एक्ट 2001 की धारा 55 के तहत जांच की गई है लेकिन उसका परिणाम आना बाकी है और वह अभी प्रक्रियाधीन है, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह जांच कितने समय से चल रही है, सवाल तो यह है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, माननीय प्रद्युम्न सिंहजी मेरी बिना इजाजत के नहीं, बैठिए।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, जुलाई, 2014 में सीएम साहब के सुगम पोर्टल पर शिकायत प्राप्त हुई, इसके अलावा भी एक, दो बार उसने शिकायत की है और मैं आपको यह बता दूं कि जो इसमें शिकायतकर्ता भी उसी विभाग में सेल्समैन थे और उनको वहां पर संचालक मण्डल ने टर्मिनेट किया था।

श्री अध्यक्ष: श्री जगदीश नारायण, जैसलमेर से सम्बन्धित है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जवाब तो आया ही नहीं, साहब।

श्री अध्यक्ष: नहीं अब नहीं, तीसरा पूरक प्रश्न।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष: उन्होंने दे दिया जवाब, आप बैठिए, मैं आपसे कह रहा हूं बैठिए। (व्यवधान) यह जरूरी नहीं है कि आपको संतोष करने के लिये जवाब

(श्री अध्यक्ष)

आये, जो जवाब दे दिया सरकार ने वह ठीक है। (व्यवधान) बैठिए, बैठिए।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि बहुत सारी सहकारी समितियां कई वर्षों से मृत पड़ी हैं। मैं जैसलमेर की ही बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): मैं जैसलमेर की ही बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप जैसलमेर का नाम लेकर जनरल सवाल कर रहे हैं, नोट अलाउड। अगला सवाल, 434 ।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर की ही बात है, जैसलमेर की।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं आप बैठिए, मैं समझ गया।

अलवर जिले में छात्रवृत्ति से लाभान्वित छात्र-छात्राएं

434. **श्री बनवारीलाल सिंघल** (अलवर शहर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर जिले में वर्ष 2009 से 2015 तक अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक छात्र/छात्राओं को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति का वितरण किया गया? लाभान्वितों की संख्या एवं राशि का वर्षवार एवं श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में कितने छात्र/छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया गया? वर्षवार व श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में अलवर जिले में कितने मानसिक रूप से अपरिपक्व एवं विमंदित बच्चों को छात्रवृत्ति वितरित की गई? वर्षवार प्रदत्त राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि समस्त पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण नहीं हो पा रहा है? क्या सरकार इस हेतु समुचित धनराशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) अलवर जिले में वर्ष 2009-10 से वर्ष 2014-15 तक अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वितरित की गई राशि एवं लाभान्वितों का वर्षवार व वर्गवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का वर्गवार, वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) अलवर जिले में वर्ष 2009-10 से वर्ष 2014-15 तक मानसिक रूप से अपरिपक्व एवं विमंदित बच्चों को वितरित छात्रवृत्ति की राशि एवं संख्या का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत नियमानुसार पात्र समस्त छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग में सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के कारण 1 से 6 कैटेगरी (1) बीपीएल परिवार के विद्यार्थी (2) नि:शक्त (3) विधवा (4) तलाकशुदा महिला (5) विधवा के पुत्र/पुत्री (6) तलाकशुदा महिला के पुत्र/पुत्री के समस्त पात्र विद्यार्थियों को वर्ष 2014-15 से भुगतान किया जा रहा है। कुछ विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों में कमियां/आक्षेप जैसे कि आवेदन पत्र पर प्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं होना, संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय सील नहीं होना, आय प्रमाण पत्र अपूर्ण होना, जाति/मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं होना, गैप प्रमाण पत्र की पूर्ति नहीं करना, गत वर्ष की अंकतालिका नहीं होना, फीस की मूल रसीद नहीं होना, संरक्षक की आय घोषणा होने की दशा में माता/पिता/पति का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होना, अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना के तहत बीपीएल, निःशक्त, तलाकशुदा, विधवा के प्रमाण पत्र आदि संलग्न नहीं होने के कारण समय पर छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं हो पाती है तथा विद्यार्थियों के खाता नम्बर गलत होने/बंद होने के कारण डीबीटी के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के खाते में राशि हस्तान्तरित नहीं होने तथा ऐसे विद्यार्थियों के नाम डिमांड ड्राफ्ट बनाये जाने में विलम्ब होने से समय पर भुगतान नहीं हो पाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक। जरा ध्यान से करना मंत्रीजी दे

(श्री अध्यक्ष)

रहे हैं उनके स्थान पर जवाब। सरल-सरल जवाब ही देना, मूल मंत्री महोदय। सरल-सरल प्रश्न करना।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो वैसे राजस्थान के ऐसे लोक महत्व का है, छात्रवृत्ति से सम्बन्धित।

श्री अध्यक्ष: बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ...(व्यवधान) नहीं सही आयेगा, चिंता मत करो। आपको भी लाभ होने वाला है इस प्रश्न से। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है उसके खण्ड संख्या 4 में विभाग द्वारा बताया गया है उसमें 6 कैटेगरी बताई गई हैं। 1. बीपीएल परिवार के विद्यार्थी, 2. निःशक्त, 3. विधवा, 4. तलाकशुदा, 5. विधवा के पुत्र/पुत्री, 6. तलाकशुदा के पुत्र/पुत्री, इसमें मेरा यह निवेदन है कि समाज में अगर किसी पर ऐसी विपत्ति आ जाये कि किसी का तलाक हो जाये या विधवा हो जाये ऐसी महिला को अपने पुत्र और पुत्रियों को पढ़ाने में बहुत अधिक समस्या आती है। मैं विभाग से यह जानना चाहता हूं कि कितने आवेदन विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के पुत्र और पुत्रियों के या तलाकशुदा महिला के और विधवा महिला स्वयं की छात्रवृत्ति के पिछले पांच वर्ष में विभाग को प्राप्त हुए और विभाग ने ऐसी विधवा और तलाकशुदा महिला को या विधवा और तलाकशुदा महिला के पुत्र और पुत्रियों को छात्रवृत्ति प्रदान की? क्योंकि ऐसी जो महिलाएं हैं वह दर-दर की ठोकर खाने के लिये मजबूर हो जाती हैं, पुत्र पुत्रियों को पढ़ाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए विभाग यह बताए कि पांच वर्ष में कितने आवेदन प्राप्त हुए? अगर नहीं हुए तो ...

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं पहला पूरक प्रश्न ही पूरा कर लूं, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आवेदन अगर नहीं प्राप्त हुए इस कारण से यह छात्रवृत्ति नहीं दी गई तो क्या इसका मूल कारण एक यह है कि विभाग इस बारे में उदासीन है। इस योजना का सर्व व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय जिसके कारण से आवेदन बिलकुल भी प्राप्त नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, आपका सुझाव अच्छा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

छात्रवृत्ति में कितने आवेदन पत्र वर्षवार प्राप्त हुए। 2009-10 में यह योजना नहीं थी, 2010-11 से यह योजना प्रारम्भ हुई। 2010-11 में 2038 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, 2011-12 में 3237 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, 2012-13 में 2537 और 2013-14 में 4136 और 2014-15 में 3723 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही इस योजना के अन्तर्गत जो लाभान्वित हैं वह भी अगर आप कहें तो मैं निवेदन कर दूं...

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय मंत्रीजी, मैं तो सीधा ही पूछ रहा हूं कि तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के पुत्र-पुत्रियों के कितने आवेदन प्राप्त हुए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विशेष पिछड़ा वर्ग में जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसकी अलग-अलग कैटेगरी है, जो 6 कैटेगरी हैं जिसमें 1. बीपीएल परिवार के विद्यार्थी 2. निशक्त 3. विधवा 4. तलाकशुदा महिला 5. विधवा के पुत्र/पुत्री 6. तलाकशुदा महिला के पुत्र/पुत्री का है। अध्यक्ष महोदय, इन सबका अलग-अलग बाइफरकेशन नहीं है। मैं माननीय सदस्य को बता दूंगा परन्तु निश्चित तौर पर जितने भी आवेदन पत्र आये हैं, विभाग एक अभियान चला रहा है 31 जुलाई तक हम अभियान चला कर जितने इसमें पात्रताधारी विद्यार्थी हैं उनको हम छात्रवृत्ति भी देंगे। अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि यह अभी आनलाइन किया गया है, पहले आफ लाइन था, इसलिए विभिन्न संस्थाओं से सूचना भी पहले प्राप्त नहीं होती थी अब चूंकि आनलाइन है और आनलाइन ही उसका पेमेंट है इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई कमी खामी नहीं छोड़ी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा इसी से सम्बन्धित गम्भीर विषय है, यह छात्रवृत्ति आवेदक के द्वारा अपनी संस्था को आवेदन किये जाने पर प्राप्त होती है और प्राय: जैसा प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कमियां/आक्षेप जैसे कि आवेदन पत्र पर प्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं होना, संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय सील नहीं होना, आय प्रमाण पत्र अपूर्ण होना, जाति/मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं होना, गैप प्रमाण पत्र की पूर्ति नहीं करना, गत वर्ष की अंकतालिका नहीं होना, फीस की मूल रसीद नहीं होना, और अनेक इसमें कारण बताए हैं। मैं आपके माध्यम से विभाग से

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

कहना चाहता हूं, ऐसे संस्था प्रधान जो आवेदकों से प्राप्त इन आवेदन पत्रों को सीधे के सीधे विभाग को भेज देते हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इन आवेदन पत्रों को अपने विद्यालय, महाविद्यालय में पूरा करवाएं? इनको सीधे के सीधे गैर जिम्मेदाराना तरीके से इन संस्थाओं के द्वारा सीधे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को भिजवाए जाने के कारण से इतना विलम्ब होता है कि विभाग वर्षों में उनकी कमियां छांटता है। ऐसे विद्यार्थी जो बहुत ज्यादा गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं उनका तो अध्ययन ही रुक जाता है। तो क्या सरकार इस प्रकार के संस्था प्रधानों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है कि ऐसे जो छात्रवृत्ति के आवेदक हैं, जिनके आवेदनों को बिना जांच पड़ताल के गैर जिम्मेदाराना तरीके से सीधे प्रेषित कर दिया गया उनकी जिम्मेदारी तय करने का भी विचार रखती है क्या कि बिना जांच किए अपूर्ण आवेदन को किसी भी प्रकार से विभाग को प्रेषित नहीं किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि जितने भी पात्रता रखते हुए विद्यार्थी हैं वह चाहे किसी कैटेगिरी के हों उन सबके लिए विभाग एक अभियान चलाकर 31 जुलाई, 2015 तक जितने लम्बित प्रकरण हैं उनको निपटाएगा। विभाग ने अभी आदेश दिए हैं कि संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थी को सूचित किया जाकर आवेदन पत्र में कमी पूर्ति हेतु आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर लें अथवा कमी की पूर्ति करवाकर फार्म वापिस आनलाइन स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी को प्रेषित कर दें। स्वीकृतकर्ता अधिकारी है उसको भी हमने निर्देश दिए हैं कि आन लाइन आवेदन पत्र की जांच करके विद्यार्थी की आनलाइन स्वीकृति जारी कर दें। स्वीकृति जारी करने के उपरांत आनलाइन आई.एफ.एम.एस. के माध्यम से बिल बनाकर ट्रेजरी को बिल भेज दें। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमने आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें जो भी कमी होगी उसको और ठीक करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पहला पूरक प्रश्न, श्री मानसिंह।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे संस्था प्रधानों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहते हैं क्या जो अपूर्ण आवेदनों को सीधे ही विभाग को प्रेषित कर देते हैं।

श्री अध्यक्षः अब आप...

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं यह पूछना चाह रहा हूं माननीय मंत्री महोदय आप इस बात को जरा, सदन को एश्योर कर दें कि ऐसे संस्था प्रधान जो अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो रहे हैं, उनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही करेंगे कि वह आवेदन पत्रों को पूरा करके भेजे।

श्री अध्यक्षः बैठिए, बैठिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्षः एक मिनट, इनका जवाब आ जाने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि 2009-10 से लेकर 2014-15 तक राजस्थान में 2 लाख 79 हजार 42 पात्रता लिए हुए विद्यार्थी हैं जिनका आवेदन पत्र लम्बित है या कमी खामी के कारण जिसको अभी लम्बित किया हुआ है। अकेले अलवर जिले में 33 हजार 453 ऐसे हैं। हम अभियान चलाएंगे और अभियान चलाकर, इन सबको आनलाइन करके निश्चित समय के अन्दर इनका भुगतान हो जाए, इसकी व्यवस्था करेंगे। अगर किसी भी स्तर पर, जो संस्था प्रधान है उसके द्वारा कोई अनियमितता की गई है या जान-बूझकर विलम्ब किया गया है तो उसके विरुद्ध भी कार्यवाही करने के लिए सम्बन्धित अधिकारी को लिखेंगे।

श्री अध्यक्षः विराजिए। श्री मानसिंह, पूरक प्रश्न एक।

श्री मान सिंह (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इन वर्गों की छात्रवृति है उसको एक तरफ आप आनलाइन लेते हैं, दूसरी तरफ विद्यालय की सम्बन्धित संस्था की प्रमाणिकता लेते हैं, इस जटिलता को सरल करने का माननीय मंत्री महोदय विचार रखते हैं ? एक तरफ वह आनलाइन उसको भरता है और उसमें फिर दूसरी संस्था से जब उसकी जानकारी, संस्था का प्रमाणीकरण होता है, उसमें विविधता होने के कारण, क्योंकि बच्चे को डायरेक्ट वह छात्रवृत्ति मिलती है इसलिए संस्थाएं जान-बूझकर उन बच्चों के साथ खिलवाड़ करती हैं। इस मामले में पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः विराजिए।

श्री मान सिंह (गंगापुर): इसी के साथ यह कहना चाहूंगा कि विशेषकर एसबीसी वर्ग के छात्र हैं उनकी तीन-तीन साल की पेंडेंसी है, वह कितनी पेंडेंसी हैं, उसके बारे में भी जानकारी चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, इसका पिछले तीन वर्ष का आपने पूछा है, 2012-13 के आवेदन पत्र पेंडिंग हैं वह 2512 हैं, 2013-14 में 3466 हैं, 2014-15 के अन्दर 22944 हैं। अध्यक्ष महोदय, आनलाइन के साथ-साथ अगर आफलाइन भी, विभाग की जो कमियां है, उसकी पूर्ति करके भेजेंगे तो उसको भी यह विभाग स्वीकार करेगा। आनलाइन तो हमने इसलिए किया कि बड़ी संख्या में यह शिकायत लगातार आ रही थी विद्यार्थी ने अपना आक्षेप पूरा कर दिया उसके बाद भी संस्था प्रधान उसके आगे फारवर्ड नहीं करता। आनलाइन अगर वह आक्षेप को पूरा करता है तो निश्चित तौर पर उसकी सूचना सबको हो जाती है इसलिए उसको आगे भेजना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत, दूसरा पूरक प्रश्न।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगी, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने संस्थाओं का पूछा। जिन बच्चों के डाकूमेंट भी पूरे हैं, जो इसमें कमियां बताई गई हैं वह सारी कमियां भी पूरी कर रहे हैं। रोज हम जैसे लोग भी विभाग को सूचित करते हैं और जो उनकी संस्था है वहां से भी पूरे डाकूमेंट्स आ जाते हैं लेकिन फिर भी छात्र मारा-मारा फिरता है। विभाग द्वारा उनको यह कह दिया जाता है कि आपको फर्स्ट ईयर की नहीं मिली तो आपको अब की बार सैकिण्ड ईयर में आपको मिल जाएगी, आप यह सैशन पूरा करें। वह सैकिण्ड ईयर भी पूरा कर लेते हैं और थर्ड ईयर तक आकर उनको सैशन छोड़ना पड़ता है। कई बच्चे ऐसे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता सकती हूं, हमारे अजबपुरा का भी है, बानसूर का भी है, नारायणपुर के भी बच्चे हैं, अलवर के 15-16 बच्चे हैं जो थर्ड ईयर में पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो गए, उनको छात्रवृति नहीं दी गई, तो ऐसे छात्रों के लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह छात्रवृत्ति है इसमें राज्य अंश और केन्द्र अंश दोनों हैं। पिछले वर्षों का अगर सारा रिकार्ड उठाकर देखें तो केन्द्र से पूरा पैसा नहीं मिला। राज्य सरकार ने अपना, चाहे कांग्रेस का समय हो चाहे यह समय हो अपना, राज्य अंश पूरा दिया। अध्यक्ष महोदय, अब भी 154 करोड़ 57 लाख 34 हजार रुपये बकाया हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा हमने कोशिश की है और हमें आश्वस्त किया गया है कि यह राशि हमें जल्दी मिलेगी। यहीं नहीं हम इसको कैरीफारवर्ड कर रहे हैं। पहले जिस साल की छात्रवृत्ति होती थी उस साल में अगर छात्रवृत्ति नहीं मिली तो वह सारा प्रकरण एक तरह से समाप्त माना जाता था। उसको अगर पिछली बार छात्रवृत्ति नहीं मिली और इस कारण नहीं मिली कि उसके अन्दर सरकार के पास जो वित्तीय संसाधन थे उसमें कोई कमी खामी रह गई, तो उसको हम पूरा करेंगे। मैंने संख्या बताई जो दो लाख से ज्यादा है, अभियान चलाकर सारे विद्यार्थियों को राजस्थान की सरकार संवेदनशीलता से इन सबकी छात्रवृत्ति देगी। 31 जुलाई को हमारा अभियान पूरा होगा। 31 जुलाई के बाद इसकी माननीय मंत्री महोदय के स्तर पर समीक्षा की जाएगी। इसके अन्दर और परिवर्तन और प्रबंधन की आवश्यकता होगी तो इसको किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मपाल चौधरी, तीसरा पूरक प्रश्न।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि स्पेशल अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति तीन साल से नहीं मिली। उसमें कांग्रेस के राज में सबसे ज्यादा पेंडेंसी है। राजस्थान की योजना के अन्दर यह योजना नहीं है। आज हमारे पास पैसा उसमें जमा है और हम उन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं, तो क्या आप राजस्थान से, जो हमारे यहां छात्रवृत्ति मंजूर हुई है उसको देने की इच्छा रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति है, यह छात्रवृत्ति की राशि हमें केन्द्र सरकार से मिलती है। जिस प्रकार मैंने पहले कहा कि पिछले वर्षों की भी कुछ बकाया है। मैंने सदन को आश्वस्त किया है कि हम इन सारे छात्रों को, 31 जुलाई से पहले सारे आवेदन पत्रों की समीक्षा करके, संस्था प्रधानों को हमने लिखित में दे दिया है, इसमें पिछले वर्षों की पेंडेंसी है उसको दूर करने की हम कोशिश करेंगें और निश्चित तौर पर दूर करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगल प्रश्न, श्री देवेन्द्र कटारा।

डूंगरपुर में संचालित गैस एजेन्सियां

435. **श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित लक्ष्मी गैस एजेंसी, आशापुरा गैस एजेंसी व जय दुर्गा गैस एजेंसी के कितने-कितने उपभोक्ता शहरी व ग्रामीण हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रसोई गैस की सप्लाई डोर टू डोर उपभोक्ता तक पहुंचाने का प्रावधान होने के उपरान्त भी उपभोक्ता आए दिन गैस के लिए सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होते हैं? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री हेमसिंह भड़ाना): (1) डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित एजेंसियों पर शहरी व ग्रामीण उपभोक्ता निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	नाम गैस एजेंसी	शहरी	ग्रामीण	योग
1.	लक्ष्मी गैस एजेंसी, डूंगरपुर	4547	12511	17058
2.	आशापुरा गैस एजेंसी, बिछीवाड़ा	-	1045	1045
3.	जय दुर्गा गैस एजेंसी, डूंगरपुर	984	7620	8604

(2) आयल कम्पनी द्वारा प्रतिमाह गैस कनेक्शनों के विरुद्ध कम मात्रा में गैस सिलेण्डर की आपूर्ति किए जाने से उपभोक्ताओं को वितरण करने में गैस एजेंसियों को विलम्ब होता है। गैस एजेंसियों द्वारा जारी गैस कनेक्शन एवं आयल कम्पनी से प्राप्त गैस सिलेण्डरों का माह जनवरी, 2014 से फरवरी, 2015 तक का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

होम डिलीवरी के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं की दूरभाष पर शिकायत प्राप्त होने पर तुरन्त उसका समाधान किया जाता है। गैस एजेंसियों को गैस की होम डिलीवरी हेतु पाबंद किया हुआ है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, अब परिशिष्ट-एक में जनवरी, 2014

(श्री देवेन्द्र कटारा)

से ले करके फरवरी, 2015 तक का जो विवरण दिया है, इन सारे, हर महीने जितने गैस कनेक्शन हैं, इसके विरुद्ध लगभग 50 परसेंट आपूर्ति गैस कम्पनियों द्वारा की गयी है। उपभोक्ता मारे-मारे फिरते हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय तीन गैस एजेंसियों के अलावा कोई चौथी गैस एजेंसी के लिये घोषणा करने की मंशा रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात और गैस एजेंसियों की संख्या का अनुपात देखते हुए लक्ष्मी गैस एजेंसी के अतिरिक्त एक नई गैस एजेंसी, श्रीमती अनिता मीणा पत्नी श्री बतीलाल मीणा के नाम दिनांक 21.03.2015 को आशय पत्र एच.पी. कम्पनी द्वारा जारी किया गया है। आगामी छह माह में यह गैस एजेंसी संचालित हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट-एक में कनेक्शनों के बारे में आपने विवरण दिया है, खण्ड-क में उत्तर दिया है, इन दोनों के आंकड़ों में भी भारी अन्तर है। जय दुर्गा इण्डेन गैस सर्विस के जो कनेक्शन हैं, आपने फरवरी, 2015 में 8903 कनेक्शन बताये हैं और आपने खण्ड-क के उत्तर में 8604 दिये हैं। मतलब आंकड़ों में भी भारी अन्तर है। क्या सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): फरवरी, 2015 में 8903 और जनवरी, 2014 में 7044, प्रत्येक महीने गैस कम्पनियों में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ती है। इसके बावजूद भी कहीं गैस कम्पनी के द्वारा उपभोक्ताओं को पूर्ण रूप से उसकी होम डिलिवरी नहीं होती है या सही रूप से उसकी गैस नहीं पहुंचती है तो इसकी जानकारी आने पर उस सम्बन्धित गैस एजेंसी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पहला पूरक प्रश्न, श्री सुशील कटारा, लेकिन यह डूंगरपुर से सम्बन्धित है, इधर-उधर मत होना।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): डूंगरपुर से ही सम्बन्धित पूछूंगा।

(श्री सुशील कटारा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि डूंगरपुर में तीन गैस एजेंसियां संचालित हैं। गैस कनेक्शन देने के क्या मापदण्ड आपने बना रखे हैं। उपभोक्ता आवेदन करता है, इसके बाद में गैस कनेक्शन साढ़े चार हजार रुपये में होता है, पर वहां तीनों एजेंसियों वाले, जो कनेक्शन हैं, उपभोक्ताओं को साथ में कई और चीजें जोड़ देते हैं और 8-9 हजार या 10 हजार की रसीद देते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कनेक्शन देने के साथ-साथ में चूल्हा, प्रेशर कुकर और अन्य सामग्री देने का भी सरकार ने कोई प्रावधान कर रखा है क्या?

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उपभोक्ताओं को गैस कनेक्शन देने सम्बन्धी कम्पनी और विभाग द्वारा नियम बनाये हुए हैं, तो निश्चित उसके मापदण्ड हैं, फीस निश्चित है। सिंगल सिलेण्डर की राशि 1450 रुपये, डबल गैस सिलेण्डर की राशि 2900 रुपये, रेगुलेटर की राशि 150 रुपये, बिल बुक की राशि 50 रुपये, इंस्टालेशन की राशि 50 रुपये, हार्ड प्लेट इंस्पैक्शन की राशि 250 रुपये, कुल राशि सिंगल सिलेण्डर की 1950 प्लस गैस कोस्ट और डबल सिलेण्डर की 3400 प्लस गैस की कीमत। उसके अलावा अगर किसी उपभोक्ता से कोई कम्पनी अधिक वसूल करती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या वर्तमान में प्रदेश की सभी गैस एजेंसियों ...(व्यवधान) ना, ना, गैस, उसी, उसी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह सवाल नहीं। आप डूंगरपुर तक (व्यवधान) हां, हां, सभी गैस एजेंसियों का।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ओनली गैस एजेंसी।

श्री अध्यक्ष: सभी, डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र, ना, ना। बैठिये आप। अगला पूरक प्रश्न श्रीमती अनिता कटारा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मेरा वही है। उस प्रश्न से, उस लीक से नहीं हटूंगी मैं। ओनली गैस एजेंसियां, जो जेल की हवा खा चुके हैं और इतने सालों से कम्पनियों, एजेंसियों पर कब्जा करके बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष: यह डूंगरपुर से सम्बन्धित है? (व्यवधान) नहीं, जवाब देने की जरूरत नहीं। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): उनके पास एजेंसियों को चलाने का पैसा नहीं है...(व्यवधान) और मैं बोल रही हूं पूरे प्रदेश में न जाने कितनी गैस एजेंसियां होंगी।

श्री अध्यक्ष: जवाब देने की जरूरत नहीं, माननीय मंत्री महोदय, जवाब देने की जरूरत नहीं। (व्यवधान) श्रीमती अनिता कटारा।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डूंगरपुर के सम्बन्ध में।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): कि डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, इसका जवाब देने की जरूरत नहीं। नहीं, नहीं, नहीं, सागवाड़ा का है ही नहीं सवाल, बैठिये आप।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): डूंगरपुर में ही है।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री हीरालाल दरांगी। अगला सवाल, श्री हीरालाल दरांगी।

झाड़ोल में वन अधिकार कानून के अन्तर्गत जारी पट्टे

436. **श्री हीरा लाल दरांगी** (झाड़ोल): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में वन अधिकार कानून होने की तिथि से अब तक वन अधिकार के तहत पट्टे प्राप्त करने हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए? इनमें से कितने लोगों को पट्टे जारी हुए? कितने आवेदनकर्ताओं को पट्टे जारी करना शेष हैं? पंचायत समिति झाड़ोल व कोटड़ा में अन्तिम बार पट्टे किस-किस दिनांक को जारी हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष बचे हुए वनाधिकार पट्टों को जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) वन संरक्षक, उदयपुर के अधीन विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल की झाड़ोल, फलासिया व कोटड़ा, में कितनी रेंज हैं? उक्त रेंजों में कितने कार्य

(श्री हीरा लाल दरांगी)

स्वीकृत व कितने प्रगति पर हैं? क्या सरकार बंद कार्यों को पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) वन अधिकार अधिनियम लागू होने की तिथि से अब तक विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल अन्तर्गत उपखण्ड झाड़ोल एवं कोटड़ा में वन अधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु कुल 4111 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 2200 लोगों को वन अधिकार पत्र जारी किये गये। शेष 1910 आवेदन ग्राम सभा एवं उप खण्ड स्तर पर निरस्त होने तथा एक आवेदन जिला स्तर पर निरस्त होने से प्राप्त आवेदनों में से कोई शेष नहीं है।

उपखण्डवार विवरण परिशिष्ट-एक पर संलग्न है।

पंचायत समिति झाड़ोल में दिनांक 16.07.2012 एवं पंचायत समिति, कोटड़ा में दिनांक 11.07.2011 को अंतिम बार वन अधिकार पत्र जारी हुए।

(2) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत प्रस्तुत दावे/आवेदन निस्तारित करना अवशेष नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल की फलासिया व कोटड़ा में 8 रेंज हैं, जिनमें 70 विभागीय कार्य स्वीकृत हैं। जो कि प्रगतिरत एवं पूर्ण होने की स्थिति में हैं। मनरेगा के तहत 270 कार्य स्वीकृत हैं जिनमें से 116 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 154 कार्य प्रगति पर हैं परन्तु वर्तमान में मैटेरियल एवं मजदूर उपलब्ध न होने एवं सामग्री का भुगतान नहीं होने के कारण बन्द हैं। कार्यों को शुरू कराने हेतु श्रमिकों की मांग की जा रही है तथा अवशेष भुगतान कराने हेतु जिला परिषद को समय-समय पर लिखा गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक, माननीय दरांगीजी।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि 1910 आवेदन खारिज किये गये, इसका आधार क्या है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वन अधिकार के जो दावे हैं, इनके निर्णय के परीक्षण के लिये तीन स्तरीय व्यवस्था की गयी है। सबसे पहले यह दावे ग्राम सभा के अन्दर प्रस्तुत किये जाते हैं जहां वन अधिकार समिति ग्राम सभा के स्तर पर इनका मूल्यांकन करती है। ग्राम सभा के अन्दर इनका या तो अनुमोदन करती है या इनको निरस्त करती है। उसके बाद ग्राम सभा अपनी सिफारिश और संकल्प के साथ उप खण्ड स्तरीय समिति के पास भेजती है। उप खण्ड स्तरीय समिति ग्राम सभा से प्राप्त दावों का परीक्षण कर अपनी सिफारिश जिला स्तरीय समिति को भेजती है। जिला स्तरीय समिति इन पर अपना अंतिम निर्णय करती है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले कहा, कुल 4111 दावे प्राप्त हुए हैं, उनमें अब तक 2646 स्वीकृत हुए हैं और 1464 निरस्त हुए हैं। इसमें उप खण्ड स्तर पर पहले निरस्त हुए हैं 1464, माननीय सदस्यगण, यह ग्राम पंचायत सभा स्तर पर जो बनी हुई ग्राम वन समिति है उसने निरस्त किये, आपके उप खण्ड कोटड़ा और झाड़ोल के अन्दर। उसके बाद जब ये उप खण्ड स्तर की समिति के पास गये हैं तो 2647 में से 2201 तो उन्होंने स्वीकृत कर दिये और 446 उपखण्ड स्तर की समिति ने निरस्त कर दिये। उसके पश्चात जब ये जिला स्तर पर गये तो 2201 में से 2200 स्वीकृत हो गये और एक निरस्त हो गया। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि झाड़ोल में दिनांक 16.07.2012 को और कोटड़ा के अन्दर 11.07.2011 को, जो ये पात्रता लिये हुए थे, 200 वन अधिकार पत्र जारी किये जा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न, करेंगे आप?

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ोल): जी, सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि 1910 आवेदन खारिज बताये जा रहे हैं, उनको अभी तक किसानों को नहीं लौटाया गया। उन खारिज आवेदनों में छोटी-मोटी कमियां किसान पूरी कर देते तो क्यों नहीं करवाई, ताकि किसानों को पट्टे मिल जाते।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पट्टे खारिज होते हैं चूंकि, अधिकांश पट्टे ग्राम सभा द्वारा बनाई गयी वन समिति ने खारिज किये हैं। अब इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पात्रता है इस नियम के अनुसार, वन अधिकार जो नियम बना है 2006 का,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिसका नोटिफिकेशन 31 दिसम्बर, 2007 को हुआ, उसके अधिनियम की धारा 2(ग) के अन्दर लाभान्वित किसको किया जाएगा, इसकी पात्रता लिखी हुई है और पात्रता में माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति के हैं, उसमें प्राथमिक रूप से वह वहां पर निवास करना होना चाहिए, जीविका की वास्तविक आवश्यकता के लिए वनों की भूमि पर उसकी निर्भरता होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति चरागाह समुदाय का सदस्य होना चाहिए। कट आफ डेट है इसके अन्दर 13 दिसम्बर, 2005 से पूर्व में उसका वन भूमि पर कब्जा होना चाहिए और इसी तरह से अन्य जो परम्परागत वन निवासी हैं, उसके अन्दर 13 दिसम्बर, 2005 से लगातार तीन पीढ़ी, एक पीढ़ी को परिभाषित किया है 25 वर्षों में मतलब, 13 दिसम्बर, 2005 से पहले 75 वर्ष से उसका कब्जा होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह सारे मामले आते हैं ग्राम सभा के द्वारा बनाई गयी समिति में या उप खण्ड स्तर की समिति में तो उसमें जो अधिकांश मामले आए हैं उनको मैंने दिखवाया था। उसमें एक जमीन है, एक भूमि पर दो ने दावेदारी कर दी कि इस पर मेरा 31 दिसम्बर, 2005 से पूर्व का कब्जा था। अब उसका जो ग्राम सभा में वन समिति है, उसने फैसला कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कई ऐसे मामले भी हैं जिसमें 13 दिसम्बर, 2005 जो कट आफ डेट है, उससे कब्जा यह प्रमाणित नहीं कर पाए या माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वन समिति ने उसको देखा कि जहां दावा किया है कि इस जमीन पर मेरा कब्जा है, वहां कब्जा ही उसका नहीं था या यह जो जमीन थी इसकी किस्म ही वन नहीं थी, इन कारणों से यह दावे खारिज हुए हैं। दावे खारिज होने पर जिनके दावे खारिज हुए उनको अलग-अलग स्तर पर सूचना दे दी गयी है कि आपके दावे इस-इस कारण से, क्योंकि विद् रिकार्ड, जो भी दावा खारिज हुआ है वह रिकार्ड में करना पड़ता है कि आपका दावा जो वन अधिनियम, 2006 है, उसकी अमुक-अमुक धारा के कारण, अमुक-अमुक पूर्ति नहीं होने के कारण खारिज हुआ है। इसलिए खारिज हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: पहला पूरक प्रश्न श्री प्रद्युम्न सिंहजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बड़ी समस्या क्या है? मेरी माननीय सदस्य से भी चर्चा हुई थी कि यह अशिक्षित लोग हैं। क्या ऐसा कोई मेकेनिज्म सरकार डवलप करने की कोशिश कर रही है, जिनमें कि इनको अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए उनको सहायता प्रदान कर दें आप। सबसे बड़ा प्रश्न अशिक्षा का है।

श्री अध्यक्ष: बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप यूं-यूं कर रहे थे, फिर भी मैंने आपको उठाया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपकी बड़ी कृपा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि अशिक्षा के कारण अपने दावे प्रस्तुत करने में उनको कठिनाई आती है। यह आप भी स्वीकार करेंगे। सरकार कोई ऐसा मेकेनिज्म डवलप करने की कोशिश कर रही है जिनमें इनको सहायता प्रदान कर दी जाए ताकि वह अपने दावे सही रूप से प्रस्तुत कर सकें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वन अधिकारों के दावों के परीक्षण की कार्यवाही है वह अभी भी चल रही है। कोई भी जो वास्तविक हकदार आवेदक है, जो अभी भी अपना आवेदन पत्र दे सकता है और मैं और निर्देश दे दूंगा परन्तु मैं यह स्वीकार करता हूं कि इन दावों पर जो दावेदार हैं उनमें अशिक्षा है, शिक्षा की कमी है तो सरकार एक अभियान चलाकर ऐसे पात्र व्यक्ति अगर वंचित रह गये हैं तो निश्चित तौर पर जितने भी पात्र व्यक्ति हैं जो वंचित रह गये हैं, परन्तु 2006 का जो अधिनियम है, उसमें जो पात्रता निर्धारित की गयी है, वह इस एक्ट सैक्शन 2(ग) के अन्दर है। तो उसकी पात्रता तो वही रहेगी और निस्तारण की जो कार्यवाही है, ग्राम स्तर पर, उप खण्ड स्तर पर और जिला स्तर पर वही रहेगी परन्तु एक अभियान चलाकर जो पात्र व्यक्ति हैं, जो यह कहता है कि मैं इसमें पात्रता रखता था और मैंने आवेदन-पत्र नहीं दिया, जिसका आवेदन पत्र किसी स्तर पर निरस्त हो गया उसके बारे में तो इस एक्ट के अन्दर ही है कि वह आगे किस प्रकार से अपील करें, पर जिसका आवेदन-पत्र आया ही नहीं, निश्चित तौर पर उस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न श्री गोतम कुमार।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र धरियावद के ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, झाड़ोल का है। हां-हां, बिलकुल नहीं। श्री भीमा भाई, तीसरा पूरक प्रश्न। आप शुरू से ही पटरी से उतर गये। हां, आप।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, बिलकुल नहीं। नो-नो। अगला प्रश्न श्री शुभकरण चौधरी। बैठिए गोतमजी, बैठिए। नहीं, बिलकुल नहीं। आप सागवाड़ा पर आ गये। नहीं, बिलकुल नहीं। आप विराजिए, आप बात कर लेना कोई विशेष बात हो तो। आप विराजिए। विराजिए। कोई विशेष बात हो तो कर लेना।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में।

श्री अध्यक्ष: श्री शुभकरण चौधरी।

झुन्झुनूं जिले में श्रमिकों के कल्याण हेतु संचालित योजनाएं

437. **श्री शुभकरण चौधरी** (उदयपुरवाटी): क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) झुन्झुनूं जिले में श्रम कार्यालय में कितने पद स्वीकृत हैं? कितने कार्यरत हैं व कितने रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में सरकार द्वारा कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं व उक्त में कितने श्रमिकों को लाभान्वित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जिले में सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए कैम्पों का आयोजन किया गया है? यदि हां, तो कब एवं कहां-कहां तथा इनमें कितने श्रमिकों का किस-किस योजना में पंजीयन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में भी श्रमिकों के लिए कैम्प लगाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक व नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बाबूलाल वर्मा): (1) झुन्झुनूं जिले में श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय में 4 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 3 कार्यरत हैं तथा 1 पद रिक्त है:-

(श्री बाबूलाल वर्मा)

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	श्रम कल्याण अधिकारी	1	-
2.	श्रम निरीक्षक	1	1
3.	लिपिक ग्रेड-II	1	-
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	-

(2) विभाग द्वारा श्रमिकों को लाभान्वित करने हेतु झुन्झुनूं जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। योजनाओं का विवरण एवं इन योजनाओं में लाभान्वित किये गये कुल 1594 श्रमिकों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी हां। श्रम विभाग में अधिकारियों एवं निरीक्षकों के 60 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त होते हुए भी विभाग द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया जा रहा है। झुन्झुनूं जिले में दिनांक 31.3.2015 तक 23,500 से अधिक निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है। वर्ष 2012 में मंडावा, मुकंदगढ़, चिड़ावा एवं खेतड़ी में निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु कैम्प का आयोजन किया गया, जिसमें 176 श्रमिक पंजीकृत किये गये। श्रमिकों का पंजीकरण योजनावार नहीं होता है, वरन् मण्डल में पंजीकृत श्रमिक को पात्रतानुसार सभी योजनाओं का लाभ देय है।

इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत झुन्झुनूं जिले में बीमा कम्पनी द्वारा ब्लाक-वाइज पंजीयन शिविरों का आयोजन किया जाकर 27,653 लाभार्थियों का पंजीयन किया गया। इस प्रकार जिले में कैम्प आयोजित कर कुल 27,829 श्रमिकों का पंजीयन किया गया।

(4) जी हां। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की योजनाओं के लिए माह अप्रैल में नगरपालिका उदयपुरवाटी में श्रमिकों के पंजीयन कैम्प लगाया जाना प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु समस्त विकास अधिकारी अधिकृत हैं, जिन्हें अधिकाधिक पंजीयन करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की पालिसी की अवधि

(श्री बाबूलाल वर्मा)

दिनांक 30.09.2015 तक बढ़ा दी गयी है। अतः वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी सहित झुन्झुनूं जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत कैम्प लगाना प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्षः पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से पांच-छह दिन पहले माननीय मंत्री महोदय ने इसी सदन में मुझे बताया था कि झुन्झुनूं जिले में श्रम कल्याण अधिकारी का पद रिक्त है और आज मुझे जवाब दिया गया है कि वहां पर श्रम कल्याण अधिकारी कार्यरत है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन चार दिन में आपने कोई श्रम कल्याण अधिकारी की वहां पर नियुक्ति कर दी या जवाब मात्र मुझे देने के लिए है कि वहां पर श्रम कल्याण अधिकारी कार्यरत है? दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि आपने 176 श्रमिकों के पंजीयन करने की बात मुझे कही है, जब आपके पास लेबर इंस्पैक्टर नहीं, जब आपके पास श्रम कल्याण अधिकारी नहीं तो यह रजिस्ट्रेशन आपने किस आधार पर कर दिया? उस बाबू ने जाकर किया है या उस चपरासी ने जाकर किया है?

श्री अध्यक्षः विराजिए। जवाब आ जाएगा, नहीं तो अभी टाइम हो जाएगा। इसका जवाब ले लीजिए आप। माननीय मंत्री महोदय।

श्री बाबूलाल वर्मा (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि श्रम विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों के काफी पद रिक्त हैं और उसके संदर्भ में विभाग द्वारा लगातार कोशिश भी की जा रही है। जैसा कि माननीय सदस्य श्रम निरीक्षक और श्रम कल्याण अधिकारी के पद रिक्त बता रहे हैं, जबकि श्रम कल्याण अधिकारी कार्यरत है। मेरा इसमें आपके माध्यम से निवेदन है कि 151 भर्ती के लिए आर.पी.एस.सी. के द्वारा चयन प्रक्रिया चालू कर दी गयी है, इसके अलावा भी विभाग के लगातार जो काम हैं, जैसे कि श्रमिकों का पंजीयन है, अन्य विभागों से कई अधिकारी और कर्मचारी डेपुटेशन पर लिये हुए हैं, उनके माध्यम से सारी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन निरंतर रूप से चल रहा है और लगातार कार्य प्रगति पर है।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्षः हां पूछिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): झुन्झुनूं जिले में श्रम कल्याण अधिकारी है या नहीं है? बात यह है मंत्री महोदय, आपने लिखा है कि पद रिक्त नहीं है और मैं यह कह रहा हूं वहां श्रम कल्याण अधिकारी नहीं है।

श्री अध्यक्षः प्रश्नकाल समाप्त।

सूचना

माननीय सदस्यों को सदन में उनके द्वारा दिये गये भाषणों की डी.वी.डी. उपलब्ध कराना

मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्यों को चतुर्थ सत्र में सदन में दिये गये उनके प्रमुख भाषणों की रिकार्डिंग की आडियो-वीडियो डी.वी.डी. उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान सत्र में महामिहम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव एवं बजट भाषण पर हुए सामान्य वाद-विवाद तथा अनुदान की मांगों पर हुई चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों के भाषणों को संकलित एवं सम्पादित करते हुए 145 डी.वी.डी. तैयार करवाई गई हैं। पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत 145 माननीय सदस्यों को उनके स्वयं के भाषणों की डी.वी.डी. आज से कक्ष संख्या-309, सम्पादन शाखा में उपलब्ध करवाई जाएगी। हमारा यह प्रयास रहेगा कि यह व्यवस्था आगे के सत्रों में भी जारी रहे। मुझे आशा है कि माननीय सदस्यगण डी.वी.डी. का समुचित उपयोग करते हुए लोकतंत्र में जन-आस्था को मजबूत बनाने में अपना योग देंगे।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर की सभी ग्राम एवं ढाणियों का सर्वे करवाकर वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर विद्युत कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में।
2. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से एस.एम.एस. अस्पताल,

(श्री अध्यक्ष)

जयपुर स्थित निःशुल्क दवाई योजना हेतु खोले गये कतिपय काउण्टर्स को फार्मासिस्ट की कमी के कारण बंद कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. महाराज रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य की ओर से राज्य की पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में भी दल-बदल विधेयक लागू करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

4. श्री गिर्राज सिंह, सदस्य की ओर से जिला धौलपुर की कतिपय पंजीकृत फर्मों द्वारा प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की कर चोरी की उच्च स्तरीय जांच करवाने के सम्बन्ध में।

5. श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत खरकड़ा तहसील जमवारामगढ़ के आई.टी. केन्द्र (अटल भवन) में स्थापित बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को षड्यन्त्रपूर्वक असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित कर देने की घटना के सम्बन्ध में।

6. श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से चूरू उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय द्वारा तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद पर की गई पदोन्नतियों में घोर अनियमितता होने के सम्बन्ध में।

7. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों को आर्थिक रूप से सम्बल प्रदान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर स्थित ट्रेचिंग ग्राउण्ड को हटाकर बायोलोजिकल पार्क की स्थापना के सम्बन्ध में।

2. श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारियों की सेवाएं विपरीत प्रतिनियुक्ति पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को सौंपे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

3. श्री भंवर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोलायत की चारणवाला ब्रांच की जीरो से 100 आर.डी. तक डिच माइनर निर्माण करने का निर्णय नहीं लेने के सम्बन्ध में।

4. श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य की ओर से किशनगढ़ से मालपुरा तक 70 किलोमीटर की दूरी के सड़क मार्ग पर मेगा हाइवे के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

5. श्रीमती गोलमा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र महुवा की खेड़ला बुजुर्ग सलेमपुर जल प्रदाय रीजनल योजना की सी.डब्ल्यू.आर. खोहरा मुल्ला में एस.आर. के पास बनाने के सम्बन्ध में।

6. डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से जिला करौली की तहसील सपोटरा के ग्राम गैरई के जंगलों में फंसी गायों के लिये अविलम्ब पानी, चारे एवं स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

7. श्री जगदीश नारायण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में एक सरकारी औद्योगिक प्लांट स्थापित करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

8. श्री पब्बाराम, सदस्य की ओर से जिला जोधपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाप में रिक्त चिकित्सकों एवं चिकित्साकर्मियों के पद पर पदस्थापन करने के सम्बन्ध में।

9. सुश्री कीर्ति कुमारी, सदस्य की ओर से प्रदेश के ग्रामदाणी गांवों का नियन्त्रण राजस्व विभाग के अधीन करने के सम्बन्ध में।

10. श्रीमती अलका सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के बसवा कस्बे में राजगढ़ राज्य हाई-वे स्थित रेलवे फाटक पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में।

11. श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन के भूपालसागर उप खण्ड क्षेत्र में 132 के.वी. जी.एस.एस. एवं कतिपय अन्य 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाने के सम्बन्ध में।

12. श्री श्रीचन्द कृपलानी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा की छोटी सादड़ी तहसील में राजकीय महाविद्यालय खोलने के आदेश प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 7 अप्रैल, 2015 को शून्य काल में बोलने हेतु 52 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नांकित हैं:-

1. श्री संजीव कुमार, विधान सभा क्षेत्र भादरा की सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना से वंचित 14 गांवों को चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट सिंचाई योजना से जोड़ने के सम्बन्ध में।

2. श्री नानालाल अहारी, जिला उदयपुर में खनन क्षेत्र में खाली पड़े स्थान से उत्पन्न स्थिति व रेत के आबंटन के सम्बन्ध में।

3. श्री तरुण राय कागा, विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नवसृजित पंचायत समिति में विभिन्न विभागों के कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

4. श्री झाबर सिंह खर्रा, प्रदेश में नकली एवं कम गुणवत्ता की दवाइयों पर रोक लगाने एवं चिकित्सकों द्वारा मंहगी दवाइयां लिखने से इन पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में।

अब श्री संदीप शर्मा, 295 के अन्तर्गत बोलेंगे।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): एक हनुमान बेनीवाल के चक्कर में हम सबके क्यों गले घोंट रहे हैं? हनुमान का आ गया तो इसमें हमारा क्या दोष है?

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, पांइट आफ आर्डर के माध्यम से...(व्यवधान)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

कोटा शहर स्थित ट्रेचिंग ग्राउण्ड को हटाकर बायोलोजिकल पार्क की स्थापना

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 विशेष उल्लेख के तहत राज्य सरकार एवं नगरीय विकास मंत्रीजी का ध्यान

(श्री संदीप शर्मा)

कोटा शहर के एक अविलम्ब एवं जनहित के विषय की ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा के जंतुआलय के जानवरों को प्राकृतिक एवं सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिये अभेड़ा में बायोलोजिकल पार्क की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की शर्त के अनुसार ट्रेंचिंग ग्राउंड को हटाये बिना बायोलोजिकल पार्क का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिये वन्य जीवों के संरक्षण एवं उन्हें सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवाने के लिये ट्रेंचिंग ग्राउंड को यहां से हटाया जाना आवश्यक है। नगर निगम द्वारा पूरे शहर का कचरा इस स्थान पर डाले जाने से शहर का वातावरण भी दूषित हो रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र आबादी के निकट स्थित है। इसके लिये जरूरी है कि नगर निगम के अधिकारियों को पाबन्द कर यहां कचरा डालने से रोका जाये।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान के कई शहरों में कचरे से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन पर्याप्त इच्छा शक्ति के अभाव में कोटा में अभी तक इसकी स्थापना नहीं हो पायी है। यदि कचरे से विद्युत उत्पादन के संयंत्र की स्थापना कोटा में की जाती है तो ट्रेंचिंग ग्राउंड की समस्या का समाधान आसानी से हो सकेगा। कोटा में कचरे से विद्युत उत्पादन के संयंत्र की स्थापना के लिये विशेष प्रयास किये जाने चाहिये।

कोटा में पर्यटन विकास के साथ ही वन्य जीवों को स्वच्छन्द वातावरण उपलब्ध करवाना आज की महती आवश्यकता है। इस कार्य में विलम्ब होने से वन्य जीव कल्याण की बड़ी परियोजनाओं से कोटा शहर के वंचित होने की सम्भावना है, क्योंकि कैम्पा फण्ड से जारी बड़ी वित्तीय सहायता हाल ही में अवधि पार हो गई है, जिससे योजनाओं की क्रियान्विति में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार एवं नगरीय विकास मंत्रीजी से अनुरोध है कि जनहित में ट्रेंचिंग ग्राउंड को उक्त स्थान से हटाकर कोटा में बायोलोजिकल पार्क की स्थापना के साथ-साथ कचरे से विद्युत उत्पादन के संयंत्र की स्थापना भी कोटा में की जावे।

श्री अध्यक्ष: श्री मानिकचन्द सुराना।

ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारियों की सेवाएं विपरीत प्रतिनियुक्ति पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को सौंपना

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारियों की सेवाएं विपरीत प्रतिनियुक्ति पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को सौंपे जाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम सचिव, खादी बोर्ड, जयपुर की ओर से 25 अप्रैल, 2014 को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को प्रेषित किया गया, जिस पर दिनांक 6 मई, 2014 को अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव श्री राजेन्द्र शेखर मक्कड़ ने उद्योग विभाग को लिखा कि ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी का पद राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का पद है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 258 में ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी का पद नहीं है, जिसके कारण ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लिया जाना सम्भव नहीं है।

उक्त मनाही के बाद ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव अस्वीकार किये जाने के बाद खादी बोर्ड के सचिव व प्रशासक ने लम्बी जोड़-तोड़ करके ग्रामीण विकास विभाग को इस बात के लिए राजी किया कि ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारियों/पर्यवेक्षक प्रथम की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर पंचायती राज के अधीनस्थ उनके सम्मुख अंकित पंचायत समितियों में प्रगति प्रसार अधिकारी के पद के विरुद्ध पदस्थापन द्वारा सेवाएं ले ली गईं और इस हेतु 25.11.2014 को पंचायती राज विभाग ने 93 ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारियों के लिए आदेश जारी किये जिसकी पालना उसी दिन श्री यज्ञ मित्रसिंह देव, सचिव, खादी बोर्ड द्वारा 86 ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारियों को पंचायती राज की विभिन्न पंचायत समितियों में पद स्थापित कर दिया। उक्त आदेश को खादी बोर्ड के अनेक कर्मचारियों ने अदालत में चुनौती दी और स्टे प्राप्त किया।

(12.11 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

स्पष्ट है कि न तो ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी सीधी भर्ती में राज्य सरकार द्वारा सांख्यिकी सहायक चुने गये हैं, न वे पूर्व में चुने गये थे और न ही उनकी अर्हताएं उक्त प्रकार की हैं। अनेक कर्मचारी इसमें बी.ए. तक नहीं हैं जबकि उनका स्नातकोत्तर हुए बिना सांख्यिकी सहायक या प्रगति प्रसार

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अधिकारी, जिसमें आंकड़े तैयार करने का काम है, अपने जीवन में इस योग्य वे कभी नहीं रहे हैं। उनका काम तो ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी का है, जहां ग्रामोद्योग हेतु विभिन्न उद्योग के प्रार्थना पत्र तैयार करने का काम होता है।

सभापति महोदय, वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार ने 27 करोड़ 45 लाख का गैर आयोजना बजट और आयोजना बजट 747.27 लाख का स्वीकृत किया। उक्त स्वीकृत बजट के संदर्भ में जो भी निर्णय उद्योग विभाग के बड़े अधिकारियों के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने किया है वह नियमों के अनुसार नहीं है। अत: मैं इस विषय पर सदन के माध्यम से राज्य सरकार के उद्योग विभाग व ग्रामीण विकास पंचायती राज के पुनर्विचार के लिए विशेष उल्लेख करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भंवरसिंह।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): एक मिनट। पाइंट आफ आर्डर है।

श्री सभापति: मैं आपका पाइंट आफ आर्डर 295 के बाद में ले लूंगा।

कोलायत की चारणवाला ब्रांच के कतिपय क्षेत्र पर डिच माइनर निर्माण

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, कोलायत विधान सभा क्षेत्र की चारणवाला ब्रांच जो मुख्य इंदिरा गांधी नहर की 961 आरडी से निकलती है और चारणवाला ब्रांच की लम्बाई जीरो से 270 आरडी तक बनी हुई है एवं चारणवाला ब्रांच से बीकानेर जिले व जैसलमेर जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है।

वर्तमान में 'चारणवाला ब्रांच की' सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम माह जून-जुलाई, 2014 के दौरान बीकानेर में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में सरकार द्वारा चारणवाला ब्रांच की जीरो से 100 आरडी तक डिच माइनर का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। उक्त डिच माइनर बनने से यहां के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा और उनकी अथक मेहनत व अपने धन से सुधारी हुई भूमि बंजर हो जायेगी, साथ ही उनके साथ विश्वासघात भी होगा।

सभापति महोदय, डिच माइनर से नुकसान के बारे में निवेदन करना चाहूंगा:-

(श्री भंवरसिंह)

(1) वर्तमान में चारणवाला ब्रांच की जीरो से 100 आरडी के किसानों को सिंचाई सुविधा चारणवाला ब्रांच से लगे सीधे आउटलेट से होती है। जब डिच माइनर बनेगी तो उक्त क्षेत्र के किसानों को पानी डिच माइनर से मिलेगा, जो उन्हें वर्तमान में मिलने वाले पानी से कम मात्रा में पानी मिलेगा जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होगा।

(2) उक्त क्षेत्र के किसानों ने यहां भूमि विशेष आबंटन, मोहरबंद आबंटन श्रेणी में ली हुई थी और वरवक्त में सरकार को खूब राजस्व भी प्राप्त हुआ था। उक्त भूमि इस क्षेत्र में लेने का कारण ब्रांच से सीधे आउटलेट से पानी मिलना था परन्तु अब अगर डिच माइनर से पानी दिया जावेगा तो उनसे सरकार द्वारा पूर्व में किये करार से विश्वासघात होगा जो कि सरासर अन्याय है।

(3) खाले व चक ब्रांच के पानी के हिसाब से बनाये गये थे और अगर अब डिच माइनर से पानी मिलेगा तो उक्त क्षेत्र के चकों में पूर्णत: सिंचाई हेतु पानी नहीं पहुंच पायेगा।

(4) चारणवाला ब्रांच की क्षमता 900 क्यूसेक्स है, वर्तमान में पानी 800 क्यूसेक्स और डिच क्षमता 20 से 25 क्यूसेक्स है।

(5) डिच माइनर के निर्माण की आधी लागत में चारणवाला ब्रांच की मरम्मत करके ही किसानों को पानी दिया जा सकता है और अगर बनानी है तो पहले नहर के प्रथम चरण से शुरू करें।

(6) सिंचाई का पानी कम मिलेगा तो फसलें भी कम होंगी।

सभापति महोदय, राज्य सरकार उक्त स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए चारणवाला ब्रांच की जीरो से 100 आरडी तक डिच माइनर के निर्माण करने का निर्णय नहीं लिया जाए, इससे किसानों को आर्थिक नुकसान होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भागीरथ चौधरी।

किशनगढ़-मालपुरा सड़क मार्ग पर मेगा हाइवे निर्माण की स्वीकृति

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम

(श्री भागीरथ चौधरी)

295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि किशनगढ़ (अजमेर) से मालपुरा (टोंक) के 70 किलोमीटर सड़क मार्ग को वित्तीय वर्ष 2015-16 में सार्वजनिक निर्माण विभाग की कार्य योजना में शामिल कर उक्त मार्ग को मेगा हाइवे घोषित कर इसका निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

सभापति महोदय, ज्ञात रहे कि किशनगढ़ (अजमेर) मार्बल की एक विश्वविख्यात मंडी है। यहां पर पावरलूम, टैक्सटाइल्स एवं हैंडीक्राफ्ट्स की भी पर्याप्त इकाइयों का दबदबा है एवं इन उद्योगों के कारण सीधे ही दक्षिणी राजस्थान के मालपुरा, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़ एवं सीमांत मध्य प्रदेश के उज्जैन, इन्दौर आदि बड़े शहरों में भी व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल एवं आस्था का केन्द्र श्री कल्याणजी भगवान का मंदिर डिग्गी (टोंक) कस्बे में स्थापित है जहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं एवं पदयात्रियों का इसी सड़क मार्ग से आवागमन रहता है लेकिन किशनगढ़ से मालपुरा मार्ग वर्तमान में अरांई तक स्टेट हाइवे 7 ई का भाग होने से 5.50 मीटर चौड़ा एवं उससे आगे 3.75 मीटर ही चौड़ा होने से इस मार्ग पर चलने वाले सैकड़ों ट्रोलों, ट्रकों, कन्टेनरों, कारों, जीपों, बसों एवं पदयात्रियों को चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिससे आये दिन उक्त मार्ग पर छोटे-मोटे सड़क दुर्घटना के हादसे होते रहते हैं, इस कारण उक्त क्षेत्र के बाशिंदों में आक्रोश व्याप्त है।

सभापति महोदय, किशनगढ़ से अरांई तक का 24 किलोमीटर सड़क मार्ग स्टेट हाइवे (एस.एच.) 7 ई का भाग है एवं शेष सड़क मार्ग अरांई से मालपुरा तक 43 किलोमीटर एम.डी.आर. 6 का भाग है। यदि वर्तमान सरकार द्वारा उक्त किशनगढ़ से मालपुरा तक के सम्पूर्ण सड़क मार्ग को मेगा हाइवे में परिवर्तित कर दिया जाए तो यह मार्ग एक तरफ तो जयपुर, मालपुरा, केकड़ी, भीलवाड़ा मेगा हाई-वे से जुड़ जायेगा, वहीं दूसरी ओर किशनगढ़ से हनुमानगढ़ तक स्थापित मेगा हाई-वे से भी जुड़ जायेगा और उक्त मेगा हाई-वे पर चलने वाले वाहनों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और मकराना मार्बल मंडी भी उक्त सड़क मार्ग से जुड़ जायेगी जिससे उक्त सभी क्षेत्रों के ग्रामीणों एवं डिग्गी श्री कल्याणजी महाराज के आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को भी सुगम यातायात सुविधा का लाभ मिलेगा।

(श्री भागीरथ चौधरी)

सभापति महोदय, इस संदर्भ में गत वर्ष भी आपके माध्यम से निवेदन किया गया था तत्पश्चात् आपके निर्देशानुसार मुख्य अभियंता (पथ) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर द्वारा उक्त मेगा हाई-वे मार्ग के निर्माण हेतु पी.पी.पी. योजनान्तर्गत कार्य स्वीकृत कर फिजिबिलिटी स्टडी के कार्यादेश भी जारी किये जा चुके हैं एवं कार्य प्रगतिरत है। आशा है कि आप उक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही वित्तीय वर्ष 2015-16 में किशनगढ़ से मालपुरा तक 70 किलोमीटर की दूरी के सड़क मार्ग पर मेगा हाइवे के निर्माण की सक्षम विभागीय स्वीकृति प्रदान कराने की कार्यवाही करायेंगे। आपकी बड़ी महती कृपा होगी। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती गोलमा। (अनुपस्थित) डा. किरोड़ी लाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा। आप गोलमा भाभी की जगह इन्हें अनुमति दे रहे हैं कि इनका अलग से है?

एक माननीय सदस्य: अलग से है।

श्री सभापति: संसदीय कार्य मंत्री, यह तो आसन को भी पता है कि अनुमति किसको देनी है और किसको नहीं देनी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आसन कई बार, आप उदारमना हैं, महाराज। राव राजा कब उदार हो जाएं, इसलिए शायद मैंने कहा...

श्री सभापति: आसन पर न कोई राव है, न कोई राजा है। आसन, आसन है। यह बात आप ध्यान रखना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आसन के तो लिंग भेद भी नहीं होता न? राव, राजा है कि नहीं है, लेकिन उसके लिंग भेद भी नहीं होता है आसन के।

करौली की तहसील सपोटरा के ग्राम गैरई के जंगलों में फंसी गायों के लिए अविलम्ब पानी, चारे की व्यवस्था

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि किसान के खेतों में जब चारों तरफ से फसल

(डा. किरोड़ी लाल)

लहलहाती है, बेसहारा गौ-धन चरने के लिए जंगल में जाता है तो वह खेतों में भी घुस जाता है। किसान मजबूरी में उन्हें खेतों से दौड़ाता है। पूर्वी राजस्थान के जिलों में प्रायः यह देखा जाता है कि गौ-शालाएं कम होने के कारण गायों के टोले के टोले भूखे प्यासे रहने को मजबूर हैं। उनके चारे एवं पानी की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कई जगह गायें तड़प कर मर रही हैं।

तहसील सपोटरा (जिला करौली) के ग्राम गैरई के निकट पहाड़ी क्षेत्र के जंगलों में हजारों गायें फंसी हुई हैं। आसपास के दर्जन से ज्यादा गांवों के किसानों ने गायों से फसल को बचाने के लिए उन्हें चारों तरफ से घेरकर पहाड़ में चढ़ा दिया और कांटेदार तारों की बाड़ भी लगा दी जिससे वह उतर नहीं सकती हैं। ऊपर पहाड़ों में चारा तो दूर की बात है, पीने के लिए वहां पानी तक नहीं है। चारे एवं पानी की भयंकर समस्या के कारण बड़ी तादाद में गायें मर रही हैं। जिनके कंकालों के ढेर लगना चालू हो गया है।

गैरई गांव की इस घटना की ओर सरकार का ध्यान भी प्रदेशाध्यक्ष धर्म संघ पीठ परिषद ने किया है। गैरई गांव के अलावा ऐसे अनेकों गांव हैं जहां चारे एवं पानी की कमी के कारण गायें बड़ी तादाद में मर रही हैं। कई गायें मरणासन्न हैं। ऐसी गायों को मेवात क्षेत्र के लोग ट्रकों में भरकर ले जाते हैं तथा गौ-कशी करते हैं। इस समय प्रदेश में गौ हत्या भी चल रही है। गौ माता से भरे दो ट्रक हाल में महवा (दौसा) थाने में पकड़े थे। जिन्हें गौ हत्या के लिए ले जा रहे थे। ऐसी घटनाएं अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर में होती रहती हैं।

गौ को भारतवर्ष में सदियों से गौ माता कहकर पुकारते हैं। वैदिक शास्त्र में कहा है कि उसके शरीर में सभी देवता निवास करते हैं। गाय का दर्शन, स्पर्श भी व्यक्ति को त्रिविध कष्टों से मुक्त करता है। इसकी उपयोगिता एवं महिमा के कारण वेदों ने गाय को विश्व माता कहकर सम्मान दिया है। 'गो विश्वस्ये मातरम्' गाय के मूत्र सहित समस्त उत्पाद मानवीय स्वास्थ्य के संरक्षण एवं रोग निवारण के लिए अत्यधिक उपयोगी औषधि हैं।

राजस्थान राज्य में राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत कुल 1,462 गौशालाएं संचालित हैं और पिछले पांच वर्षों में प्रदेश की गौ-शालाओं को मात्र 241.83 करोड़ का अनुदान वितरित किया है। पूर्वी राजस्थान के करौली जिले में मात्र 5 गौशालाएं हैं। सवाई माधोपुर में 15,

(डा. किरोड़ी लाल)

भरतपुर में 9, धौलपुर में 6, दौसा में 7 एवं अलवर में मात्र 20 गौशालाएं हैं। इस कारण यहां गायों की स्थिति और भी दयनीय है।

सरकार से मेरी मांग है कि गैरई के जंगलों में फंसी गायों के अविलम्ब पानी, चारे एवं स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की जाए। महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर राजस्थान में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए।

श्री सभापति: श्री जगदीश नारायण मीणा।

जमवारामगढ़ में एक सरकारी औद्योगिक प्लांट स्थापित करने की आवश्यकता

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में बढ़ती बेरोजगारी के समाधान हेतु एक औद्योगिक प्लांट स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में माननीय उद्योग मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के अनेक गांवों में यथा सानकोटड़ा, थली, रायावाला, किलचपुरी, सिंगपुरी और नीमला आदि गांवों में वृहत् स्तर पर खनन कार्य होता था तथा यहां की खानों से उच्च क्वालिटी का मार्बल निकलता था। खनन कार्य से क्षेत्र के लगभग 10 हजार लोगों को रोजगार मिला हुआ था। लेकिन उपरोक्त क्षेत्र सैंक्चुरी में आने की वजह से सारी की सारी खानें बंद कर दी गई हैं। खनन कार्य बंद होने की वजह से लगभग 10 हजार लोग बेरोजगार हो गए हैं तथा जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र का अधिकांश क्षेत्र बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसी स्थिति में गरीब लोगों का जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया है तथा बेरोजगारी उत्पन्न होने से क्षेत्र में आम जनता को भूखे मरने की नौबत आ गई है।

अत: इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि जनहित के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सरकार द्वारा एक औद्योगिक प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति शीघ्रातिशीघ्र किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान करें ताकि आम गरीब जनता को इसका लाभ मिल सके।

श्री सभापति: श्री पब्बाराम।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाप में रिक्त चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के पदों पर पदस्थापन

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाप, उपखण्ड मुख्यालय बाप का महत्वपूर्ण राजकीय चिकित्सा संस्थान है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर स्थित होने के कारण इस संस्थान का महत्व और अधिक हो जाता है क्योंकि राजमार्ग संख्या-15 पर यदा-कदा दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस सम्बन्ध में अवगत करवाना चाहूंगा कि बीकानेर सीमा में कोलायत के बाद 135 किलोमीटर तक कोई अन्य चिकित्सा संस्थान नहीं होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाप पर दुर्घटनाओं एवं मौसमी बीमारियों में चिकित्सा हेतु दबाव और अधिक बढ़ जाता है। चिकित्सा सेवाओं के लिए यहां के निवासियों को फलौदी या जोधपुर मुख्यालय तक जाना पड़ता है। फलस्वरूप सामान्य बीमारी की स्थिति भी उनके लिए खर्चीली हो जाती है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाप में प्रतिदिन ओपीडी की संख्या 300 से 400 होती है। इस संस्थान में कनिष्ठ विशेषज्ञ के कुल 5 पद स्वीकृत हैं और वे समस्त रिक्त हैं। चिकित्सा अधिकारी के 3 पदों में से 1 पद रिक्त है। मेल नर्स द्वितीय श्रेणी के कुल 6 पदों में से 5 पद रिक्त चल रहे हैं। पदों के रिक्त होने के कारण चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। इस सबके अतिरिक्त लैब टैक्निशियन के 2 पद, सहायक रेडियोग्राफर के 2 पद, सूचना सहायक के 2 पद तथा वार्ड बाय के 3 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों के कारण इस चिकित्सा संस्थान में चिकित्सा सेवाओं एवं सुविधाओं का विकास नहीं हो रहा है।

अत: इस सम्बन्ध में माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाप में चिकित्सकों एवं चिकित्साकर्मियों के रिक्त पदों पर पदस्थापन किये जाने का श्रम करायें ताकि जिले के अंतिम छोर पर स्थित रेगिस्तानी मरु प्रदेश की दूरदराज की ढाणियों के निवासियों की चिकित्सा सेवाओं की समुचित व्यवस्था की जा सके।

श्री सभापति: सुश्री कीर्तिकुमारी।

प्रदेश के ग्रामदाणी गांवों का नियंत्रण राजस्व विभाग के अधीन करना

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं राजस्थान प्रदेश में ग्रामदाणी गांवों के विषय में अपने विचार प्रकट करना चाहती हूं।

वर्तमान में प्रदेश में ग्रामदाणी गांवों में नियंत्रण राजस्व विभाग के पास नहीं है। इससे राजस्व विभाग को इन ग्रामदाणी गांवों में भूमि क्रय-विक्रय करने से होने वाली आय का सीधा नुकसान होता है। राजस्व विभाग के पास इनका पंजीयन नहीं करने से आर्थिक नुकसान के साथ ही भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है, साथ ही इसकी कार्य प्रणाली और इसमें मनोनीत होने वाले सदस्यों यथा ग्रामदाणी बोर्ड अध्यक्ष और पटवारी पर सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं होने से इन गांवों में जमीनों की खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता नहीं रह गयी है। वर्षो से इन गांवों में एक ही पटवारी द्वारा नियंत्रण किया जाता है जिससे इन गांवों में रह रही जनता को सामान्य कार्यों के लिए एक ही व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है तथा कभी-कभी तो इन गांवों की जमाबंदी नकल के लिए तहसील में भी रिकार्ड नहीं मिलता है।

सभापति महोदय, प्रदेश में इन ग्रामदाणी गांवों की अलग व्यवस्था करने का क्या औचित्य है, तथा क्यों न इन गांवों को भी राजस्व विभाग के नियंत्रण में लाया जाए? ताकि जनता को राहत मिले। साथ ही राजस्व विभाग को पंजीयन से लाखों रुपयों की आय प्राप्त हो सके।

श्री सभापति: श्रीमती अलका सिंह।

बांदीकुई के बसवा कस्बे में रेलवे फाटक पर रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में बसवा कस्बा है, जहां तहसील हैडक्वाटर भी है। बसवा एक औद्योगिक कस्बा है। बांदीकुई से राजगढ़ जाने वाली रोड जो कि राज्य हाइवे है, वहां से बसवा कस्बे में जाने के लिए रेलवे ट्रैक पर रेलवे क्रोसिंग है

(श्रीमती अलका सिंह)

जो कि स्टेशन के नजदीक होने के कारण ट्रेन पार्क होने की स्थिति में भी बन्द रहता है। बसवा कस्बे व आस पास के ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाला एकमात्र यही रास्ता है। दिल्ली व आगरा से आने वाली ट्रेन इसी रूट से आती हैं। कस्बेवासियों व ग्रामीणों को आने-जाने के लिए घण्टों इन्तजार करना पड़ता है। अतः रेलवे फ्लाई ओवर ब्रिज बनाया जाए तो कस्बेवासियों एवं आम जनता के लिए अत्यधिक सुविधाजनक होगा।

इसी तरह बांदीकुई शहर में भी एक क्रोसिंग है जिसे आगरा फाटक के नाम से जाना जाता है। यह शहर को दो हिस्सों में बांटता है। मेन रेलवे ट्रेक होने से, हर घण्टे ट्रेन की आवाजाही होने से फाटक ज्यादातर समय बन्द रहता है, इसका भी सर्वे करवाकर उचित हल निकाला जाए।

अतः माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि इस जनहित से जुड़े मुद्दे का कोई स्थायी हल निकालें।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

कपासन के भूपालसागर उप खण्ड क्षेत्र में 132 के.वी. जी.एस.एस. एवं कतिपय अन्य 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन निर्माण

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिजली की समस्या अधिक है। पूरा क्षेत्र कृषि प्रधान है। कृषि कार्य के लिए सरकार की घोषणा के अनुसार 6 से 7 घण्टे बिजली उपलब्ध कराना आवश्यक है लेकिन वास्तव में किसानों को खेती के लिए 4 से 5 घण्टे तक ही बिजली मिलती है तथा कम वोल्टेज व ट्रिपिंग वाली बिजली मिलती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिजली की समस्या के समाधान के लिए भूपाल सागर उप खण्ड क्षेत्र पर 132 केवी का ग्रिड सब-स्टेशन बनाने की आवश्यकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बावलास, बारू, रेवाडा, आरनी, अनोपपुरा, फलासिया, ताणा, करूकड़ा, तुर्किया, खुर्द, सूरपुर, वागुण्ड, रेवालिया खुर्द में 33 केवी ग्रिड सब-स्टेशन बनवाने का कष्ट करावें।

बिजली विभाग ने हाल में कृषि कनेक्शनों का लोड बढ़ा दिया है, जिन किसानों को 5 एचपी का कनेक्शन दिया है उनको भी बिना उनकी जानकारी के 7.5 एचपी का बिल दिया गया है। यह किसानों पर भारी आर्थिक

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

बोझ डाला गया है, इसे हटाना चाहिए। किसानों को कृषि के लिए स्थाई कनेक्शन दिलाने की योजना बनाने की आवश्यकता है।

राजस्थान में जिस प्रकार अनुसूचित जाति के किसानों को कृषि कनेक्शन देने में प्राथमिकता दी जाती है उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के किसानों को भी कृषि कनेक्शन में प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है।

अत: माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन है कि सकारात्मक परिणाम दिलाने का कष्ट करें।

श्री सभापति: श्री श्रीचन्द कृपलानी।

निम्बाहेड़ा की छोटी सादड़ी तहसील में राजकीय महाविद्यालय की मांग

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़, एक आदिवासी-जनजाति बहुल क्षेत्र है। उप खण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय नहीं होने के कारण क्षेत्र के विद्यार्थियों को उचित शिक्षा के लिए अन्यत्र जाना पड़ता है अथवा परिस्थितिवश उच्च शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों के माता-पिता अपने बच्चों को अन्यत्र शिक्षा के लिए भेजने में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं।

इस क्षेत्र से 1000 से अधिक विद्याथी वर्तमान में उच्च शिक्षा के लिए निकटवर्ती निम्बाहेड़ा, प्रतापगढ़ या उदयपुर के महाविद्यालयों में अध्ययन हेतु जाने के लिए विवश है।

इस क्षेत्र के निवासियों द्वारा विगत कई वर्षों से राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग की जाती रही है तथा गत चुनावों में भी ये विषय प्रमुख मुद्दा रहा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी के छोटी सादड़ी आगमन पर भी क्षेत्रवासियों ने यह मांग प्रमुख रूप से उठाई थी।

मेरा आपसे आग्रह है कि जनजाति बहुल क्षेत्र छोटी सादड़ी की जनता के आग्रह एवं उचित मांग को दृष्टिगत रखते हुए इसी सत्र में छोटी सादड़ी में राजकीय महाविद्यालय खोलने के आदेश प्रदान करा कर अनुगृहीत करावें। (व्यवधान)

श्री सभापति: आदरणीय गोलमाजी। आपका पढ़ा हुआ मान लिया जाए?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य गोलमाजी का पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय सदस्य, आपकी शादी हुई थी तो मंत्र भी पढ़े हुए मान लिए थे क्या?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मंत्र तो पंडित पढ़ता है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): हमारे फेरे तो हनुमान चालीसा पढ़कर हुए हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपको आपस में मंत्रणा करने की इजाजत किसने दी?

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरा पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री सभापति: पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(माननीय सदस्य श्रीमती गोलमा देवी का नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख, जो पढ़ा हुआ माना गया)

महुवा की खेड़ला बुजुर्ग सलेमपुर जल प्रदाय योजना की सी.डब्ल्यू.आर.

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि दौसा जिले के मेरे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल विभाग द्वारा फ्लोराइडयुक्त 13 गांवों के लिए खेड़ला बुजुर्ग, सलेमपुर जल प्रदाय योजना स्वीकृत की गई है इससे इस क्षेत्र के सर्वाधिक समस्याग्रस्त गांवों की समस्या का समाधान हो सकेगा। इस योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रम संख्या SSLSC/05/205/20.10.2011 को राशि 413.75 लाख जारी की गई थी जिसकी तकनीकी स्वीकृति श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जयपुर क्षेत्र, जयपुर के पत्रांक 11 दिनांक 11.12.11 राशि 249.94 लाख जारी कर दी गई।

अत: इस योजना पर स्वीकृत सभी Habitations फ्लोराइड, टीडीएस, नाइट्रेट से प्रभावित हैं साथ ही स्वीकृत स्थानों पर जल उत्पादन एवं आवक क्षमता बहुत कम है। इस रीजनल योजना की हाइड्रोलोजिस्ट रिपोर्ट खेड़ला

बुजुर्ग से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित खोहरा मुल्ला एनीकट के रिचार्ज क्षेत्र में तकनीकी रूप से उपादेय बताई गई है।

इस योजना हेतु 170 केएल का एक CWR बाड़ा बुजुर्ग में बनाया जाना स्वीकृत हुआ था किन्तु यहां CWR का उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण विभाग ने सरपंच, ग्राम पंचायत, बाड़ा बुजुर्ग से जमीन मांगी तो ग्राम पंचायत, बाड़ा बुजुर्ग ने अपने पत्र दिनांक 28.5.14 द्वारा सूचित किया कि ग्राम बाड़ा बुजुर्ग में CWR हेतु उपयुक्त स्थान नहीं है। अत: CWR को सोर्स विलेज खोहरा मुल्ला में ही बनाया जाए। तकनीकी रूप से सहायक अभियंता, महुवा, अधिशासी अभियंता, महुवा ने ही CWR को खोहरा मुल्ला में SR के पास बनाया जाना उपयुक्त बताया है।

अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त दौसा ने अपने पत्र क्रमांक SE/2014-2015/1171 दिनांक 16.7.2014 में लिखा है कि उक्त योजना की उक्त CWR को तकनीकी दृष्टि से खोहरा मुल्ला में बनाया जाना उपयुक्त है।

SE वृत्त दौसा ने खोहरा मुल्ला में CWR बनाया जाना तकनीकी रूप से उचित माना है। अत: मेरी मांग है कि खेड़ला बुजुर्ग-सलेमपुर रीजनल योजना की CWR अविलम्ब खोहरा मुल्ला में SR के पास बनाई जाए जिससे 13 Problematic Habitation को शीघ्र पानी मिल सके।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर 6 तारीख का कलक्टर का आदेश है मेरे पास, उसमें आपदा राहत मंत्रीजी ने यह कहा था कि राजस्थान के अन्दर 2 हैक्टेयर तक हम मुआवजा देंगे जबकि भीलवाड़ा जिले के कलक्टर का यह आदेश है कि 1 हैक्टेयर से ज्यादा किसी भी काश्तकार को 1 भी रुपया नहीं देंगे और इसके हिसाब से पूरे राजस्थान में गिरदावरी की नई सूचियां बनाई जा रही हैं।

श्री सभापति: यह पाइण्ट आफ आर्डर की कैटेगिरी में नहीं आता।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नागौर में भी यही हुआ। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं माननीय सदस्य, आपसे निवेदन करता हूं कि आपकी बात की जानकारी माननीय मंत्रीजी तक पहुंच गई, अब शेष उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर बात करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय,...

श्री सभापति: I will not allow a debate. You want me to be strict then I will be strict.

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यह आदेश है। (व्यवधान) राजस्थान के अन्दर कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, सब जगह है।

श्री सभापति: मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं। ...(व्यवधान) माननीय सदस्यगण, अगर आप यह चाहते हैं कि आसन आपकी अभिव्यक्ति का सम्मान करे तो आप भी आसन का सम्मान करने की आदत डालिए।

सूचना

कोटा शहर में लूट की घटना

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, कल रात को मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटा में एक प्रतिष्ठित व्यापारी के साथ लूट की घटना हुई है। व्यापारी राजेन्द्र जैन अपने प्रतिष्ठान से रात को 9 बजे घर जा रहे थे, अचानक टक्कर मार कर गिरा दिया, हमला करके बेहोश कर दिया, उनकी जान बचाने के चिकित्सकों के भरपूर प्रयास के बाद आज सवेरे उनको होश आया और उन्होंने बताया 2 लाख रुपए की नियमित गल्ले की राशि जो उनके पास थी उसको लूट कर ले गए। यह घटना साधारण घटना नहीं है, पिछले महीने में कोटा शहर में लूट की इस प्रकार की 4 वारदातें हो गईं और इससे अपराधियों के हौंसले बढ़ते जा रहे हैं, व्यवस्था के सामने चुनौती सी बनते जा रहे हैं अपराधी। कानून और व्यवस्था में विश्वास रखने वाला आम आदमी भयभीत महसूस कर रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि इस पर त्वरित कार्यवाही हो, अपराधी पकड़े जाएं और उन फरियादियों को न्याय मिले।

श्री सभापति: श्री भंवरसिंहजी।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति: आप पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन पर हैं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन, पाइण्ट आफ आर्डर के माध्यम से।

श्री सभापति: पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन, पाइण्ट आफ आर्डर इस प्रकार की प्रक्रिया पर लागू नहीं होता। वह गवर्नमेंट का अगर कोई आ रहा हो तो

(श्री सभापति)

उस वक्त लागू होता है, गवर्नमेंट सदन में अगर कोई चीज पेश कर रही हो तो, बेसिकली मैंने जो अलाउ किया है तो वह पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन पर ही अलाउ किया है।

पश्चिमी राजस्थान में आये भारी तूफान से नुकसान

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, कल रात्रि को बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर इन चार जिलों में भारी तूफान आया था और उस तूफान की वजह से इन जिलों में पेड़ पौधों और बिजली के खम्भे तो बहुत ज्यादा गिरे, इससे बहुत ज्यादा भारी नुकसान हुआ।

इसके अलावा निवेदन करना चाहूंगा जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में बाप तहसील के बारू गांव के अनोप सिंह पुत्र हाथी सिंह जिनके भतीजे की पत्नी एमडीएम अस्पताल में भर्ती थी उससे मिलने गये थे और शाम 4.30 बजे जब वह अस्पताल से मिलकर बाहर निकले तो उस समय भारी तूफान और अंधड़ आया और उससे बचने के लिए उस अस्पताल परिसर में ही वे नीम के पेड़ के नीचे बैठ गये। मैं निवेदन करना चाहूंगा तूफान इतना तेज था कि वह नीम का पेड़ गिर गया और अनोप सिंह की वहां मौके पर ही नीम के पेड़ के नीचे दबने से मृत्यु हो गई। तूफान की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। एक किसान परिवार से अनोप सिंह आते हैं, मेरा निवेदन रहेगा आपदा एवं राहत मंत्रीजी से कि इनके परिवार को, यह प्राकृतिक आपदा है इसलिए प्राकृतिक आपदा के तहत राहत दी जाय।

श्री सभापति: मंत्री महोदय रिएक्ट कर रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): विषय की पूरी जानकारी लेकर आपदा राहत के तहत जो भी मदद सम्भव है, वह निश्चित करेंगे।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपसे निवेदन यह है अभी जो हमारे माननीय सदस्य ने उठाया एक हैक्टेयर का लघु और सीमान्त व अन्य किसानों का मुआवजे का कहीं कोई पैमाना है, इसके बारे में आप पूरा बता दें तो किसानों के हित में रहेगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, सदन को यह जानकारी देते हुए मैं यह संतोष व्यक्त कर रहा हूं कि मैंने कल 548 करोड़ रुपया और ट्रांसफर कर दिया है। 354 करोड़ पहले किया था। आज की तारीख में जिला कलक्टर को मैंने 900 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया। जिस-जिस

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हैड में भी, अभी तक जो मुझे अधिकार प्राप्त है जिन नियमों के तहत, उनके तहत उनको राशि वितरण करने का काम प्रारम्भ कर दिया है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा निवेदन यह है कि पश्चिमी राजस्थान में जैसे बीकानेर और पूरे जो सम्भाग हैं, अभी पिछले तीन-चार दिन में जिस तरीके से भारी ओलावृष्टि हुई, पूरे के पूरे बर्बाद हो गये। वहां जोत ज्यादा है। जो ट्यूबवैल हैं, 50 हजार के करीब ट्यूबवैल खाली बीकानेर जिले के अन्दर हैं। उसमें एक हैक्टेयर के अन्दर वह किसान आएगा ही नहीं। सभापति महोदय, 10 लाख रुपये का एक किसान के खेत में नुकसान हुआ है। आप एवरेज लगा लो। तो उसमें अन्य का क्या मतलब है? आप उन किसानों को मुआवजा दोगे या नहीं दोगे? आपने हजार करोड़ रुपया भेज दिया, लेकिन मुआवजा चालू नहीं हुआ। आप उन किसानों को जिनकी जोत ज्यादा है, वे किसान इसमें आएंगे या नहीं आएंगे? फिर बीमा कम्पनी की बात रही। हर केसीसी पर 10 से 15 हजार रुपये तक उस किसान के बीमा के काटे जाते हैं। बीमा के कटने के बाद बीमा वाले कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि आप बीमा कम्पनीज को बुलाकर उनसे बैठकर बात करके उनको मुआवजा तो दिलाओ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता का बहुत ही अच्छा सुझाव है, लेकिन यह सब आपके द्वारा किये हुए कर्मो को ही प्रदेश की जनता भुगत रही है। जो भी नियम बनाया है, जितनी भी मदद करने का तौर-तरीका है, यह 50 साल आप लोगों द्वारा जो नियम बनाये हैं, हमें बदलने का मौका तो अब मिला है जिसका परिणाम आप महीने-दो महीने में देखोगे कि क्या परिणाम आता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: I am not allowing a debate on this matter. It is, more or less, concluded. As far as Chair is concerned, it has been concluded. इस विषय पर। (व्यवधान) पाइंट आफ इंफार्मेशन हैं आप? मनोज कुमार। एक मिनट, प्रतिपक्ष के नेता।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आज राजस्थान के अन्दर यह स्थिति है किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। आपने कह दिया कि हमने कर्म किये हैं, हम 21 पर आ गये। आप तो उस चीज को सम्भालो। आप बीमा कम्पनीज को, जिस तरीके से मौसमी बीमा का किसान से पैसा ले लिया और आज एक

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

पैसा बीमा कम्पनी दे नहीं रही है। आज किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। आज प्राकृतिक आपदा के अन्दर, जिस तरीके से पश्चिमी राजस्थान में 20-25 दिन पहले बरसात व तेज ओलावृष्टि की वजह से नुकसान कम था, पूर्वी राजस्थान में ज्यादा था पूर्वी राजस्थान की बजाय अब जिस तरीके से वहां नुकसान हुआ है, वहां जोत ज्यादा है, एक-एक किसान के 10-10 लाख रुपये का नुकसान हो गया। मेरा निवेदन है कि आप इसमें शिथिलता बरतते हुए इन नियमों में तब्दीली करके नियम बदलकर किसानों को मुआवजा देने की कृपा करो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता अगर सब दिन हाउस में बराबर रहते तो इस विषय में मैं कई बार कह चुका हूं। जो पुराने नियम हैं उनको बदलने के लिए हमारा मैमोरेण्डम केन्द्र सरकार को भेज दिया है। केन्द्र सरकार के विचाराधीन है। हम 4500 रुपये असिंचित को देते हैं उसके बाद 9 हजार रुपये जिसमें पम्प से सिंचित है उसको देते हैं और जो डीजल से होते हैं उसको 12 हजार। इसको रिवाइज करने के लिए हमारा प्रस्ताव सरकार के पास पैंडिंग है। 25 परसेंट से लेकर 50 परसेंट के लोगों को भी मुआवजा मिले, यह भी विषय पैंडिंग है। जो जानवरों को नुकसान हो रहा है उसकी रेट को भी रिवाइज करने के लिए हमारा प्रस्ताव पैंडिंग है। हमने 8223 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर, मैमोरेण्डम केवल और केवल 15-20 दिन में तैयार करके राजस्थान की सरकार ने केन्द्र के मंत्रियों को यहां बुलाकर, हमारी टीम को यहां बुलाकर, ईवन वित्त मंत्री स्वयं आकर देखकर गये हैं, मुख्यमंत्री स्वयं प्रधान मंत्रीजी से व्यक्तिगत मिलकर, मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ ही दिनों में जो मीटिंग फाइनल वहां होने वाली है उसमें किसान को अधिक से अधिक राहत जो भी यह सरकार दे सकती है, नियमों में जहां-जहां परिवर्तन करना आवश्यक हमने समझा वह हमने अपनी तरफ से बनाकर भेजा है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले कुछ ही दिनों में अच्छे परिणाम आपके और हमारे सामने आएंगे।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आप एक हैक्टेयर से ऊपर मुआवजा देंगे या नहीं देंगे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): समझ में आया नहीं। हाउस में आते नहीं, कभी-कभी आ जाते हो। (व्यवधान) अब तक तो वही दे रहे हैं जो आप लोगों ने नियम बना रखे हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आपने सदन में यह कहा था कि हम दो हैक्टेयर तक मुआवजा देंगे। सभापतिजी, आपदा राहत मंत्रीजी ने कहा था कि हम दो हैक्टेयर तक किसान को अधिकतम मुआवजा देंगे और इनके कलक्टर ने आदेश निकाल दिया कि हम एक हैक्टेयर से ऊपर मुआवजा नहीं देंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो मंत्री महोदय ने फर्माया, आप भी अपने नाम के अलंकरण का अनुसरण करिए और धीरज रखिए। समय पर सब कुछ हो जाएगा। मनोज कुमारजी।

गोठ्या ग्राम में पुलिस चौकी की मांग

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कल ग्राम गोठ्या में एक ग्रामीण बैंक में धोळी दोपहरी दिन में चार बदमाश हथियार सहित आए और बैंक को लूटकर ले गये, बैंक से साढ़े सात लाख की लूट, डकैती करके लेकर गये हैं। वह हरियाणा का सीमा क्षेत्र है। वहां आप प्रहरी व सुरक्षा ज्यादा लगाएं। आप चौकी की व्यवस्था करें। बहुत गम्भीर मामला है। दोपहरी में साढ़े सात लाख रुपये लूटकर लुटेरे ले गये, अभी तक कोई पता नहीं चला।

यातायात विभाग द्वारा चैक पाइंट्स का निर्धारण

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से एक छोटी-सी सूचना माननीय यातायात मंत्रीजी के लिए कहना चाहूंगा कि नेशनल हाइवेज पर हमारे आरटीओ व इंस्पैक्टर्स गाड़ियों को पकड़ते हैं ओवरलोडिंग या अन्य कागजात के लिए। आज सुबह का वाकया है, बगरू में मैं स्वयं आ रहा था गाड़ी से, लेन फर्स्ट में कोई ट्रक चल रहा था, आरटीओ ने उसको इशारा दिया, एक झपकी में उसने तीसरी लेन में लिया और दो मोटरसाइकिल वाले वहां एक्सीडेंट होकर गम्भीर घायल हुए। मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी वहां मौजूद था, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की घटनाएं न हों। ट्रक वाले आरटीओ को देखकर यूं भागते हैं जैसे कोई चोर पुलिस को देखकर भागता है और हाइवे पर व्यक्ति कोई अपना काम करने के लिए जा रहा है, उसको पता नहीं एकदम ट्रक वाला कहां से घुस जाए। इसके लिए कोई चैक पाइंट्स सरकार निर्धारित करे कि पर्टिकुलर इसी परिधि में वहां चैक करेंगे तो ट्रक वालों की ऐसी घटना न हो, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापतिः श्री संजीव कुमार।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

भादरा के 14 वंचित गांवों को सिंचाई योजना से जोड़ना

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और उस क्षेत्र में लोगों का जीवन खेती-बाड़ी पर आधारित है। किसान का बेटा होने के नाते मैं किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, करीब 30 साल पहले हमारे भादरा विधान सभा क्षेत्र के किसानों के जीवनदायिनी सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना का शुभारम्भ हुआ और निश्चित तौर से क्षेत्र के किसानों के लिए एक आशा की नई किरण किसानों को दिखायी दी।

माननीय सभापति महोदय, सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना के तहत तीन वितरिकाएं सिद्धमुख वितरिका, रतनपुरा वितरिका और रसलाना वितरिका बननी थीं जिससे कि क्षेत्र के किसानों को उससे पानी मिलना था। माननीय सभापति महोदय, इस सिद्धमुख सिंचाई परियोजना के मूल स्वरूप के साथ, मूल अलाइनमेंट के साथ यदि छेड़खानी नहीं की जाती तो निश्चित रूप से इसके आशातीत परिणाम आते। माननीय सभापति महोदय, जब इस परियोजना में रासलाना वितरिका का निर्माण हो रहा था तो मैं यह स्पष्ट आरोप लगाना चाहूंगा कि उस समय के तत्कालीन जन-प्रतिनिधि की हठधर्मिता की वजह से और उनकी किसान विरोधी नीतियों के चलते इस सिद्धमुख सिंचाई वितरिका से प्रभावित होने वाले, रासलाना वितरिका के नीचे आने वाले 14 गांवों को इस परियोजना से काट दिया गया। मेरे क्षेत्र के गांव भाड़ी, मालकस, अलायला, श्योराटाड़ा, मूंदड़िया बड़ा, जिगासरी बड़ी, जिगासरी छोटी, डूंगरसिंहपुरा, घोटड़ा पोट्टा, घोटड़ा मुडेरना, घोटड़ा खालसा, किकराली, रामपुरा और कूंजी, ये 14 ऐसे गांव थे। परियोजना के मूल स्वरूप के साथ छेड़खानी करते हुए रासलाना वितरिका की दिशा बदल दी गई जिससे ये 14 गांव सिंचाई की मिलने वाली सुविधा से वंचित हो गये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इन गांवों में भूमि समतल है, बहुत उपजाऊ भी है। माननीय सिंचाई मंत्री महोदय, सदन में विराजमान हैं, पिछले दिनों उन गांवों में आपने दौरा भी

(श्री संजीव कुमार)

किया था और उन गांवों के किसानों की पीड़ा को बहुत नजदीक से देखा है और उन तकलीफों को आपने सुना है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सिद्धमुख सिंचाई परियोजना में मेरे क्षेत्र के जो वंचित 14 गांव हैं उनकी इस समस्या की तरफ आप ध्यान दें। समय-समय पर ये 14 गांवों के किसान हमारे उपखण्ड कार्यालय पर भादरा में आंदोलन करते रहते हैं, समय समय पर इन 14 गांवों को सिंचाई सुविधा से जोड़ने के लिए किसान संघर्ष करते रहते हैं, मांग करते रहते हैं। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ 11 गांव हमारे पड़ौसी नोहर विधान सभा क्षेत्र के भी ऐसे हैं जो सिंचाई की सुविधा से वंचित हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय हमारे हनुमानगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री भी है, सिंचाई मंत्री भी हैं और किसान के बेटे हैं, किसानों की बात सुनने वाले हैं और मैं कहना चाहूंगा कि आप एक बहुत ही संवेदनशील सिंचाई मंत्री हैं तो कृपा करके मेरे इन 14 गांव और 11 गांव नोहर के सिंचाई से वंचित हैं उनकी तरफ आप ध्यान देकर इन गांवों का शीघ्रातिशीघ्र सर्वे करवायें और सर्वे करवाकर इन गांवों को सिंचाई की सुविधा से जोड़ने का काम करें ताकि किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके। जो समस्या आज हमारे क्षेत्र में इन 14 गांवों की है, सिंचाई तो क्या पीने के पानी के लिए भी ये गांव तरस कर रह गये हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि भादरा विधान सभा क्षेत्र के इन 14 गांवों को सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से जोड़कर, इनको चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट परियोजना से जोड़कर इनका सर्वे करवाकर इनको सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की कृपा करें। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नानालाल अहारी।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय मंत्रीजी विराजमान हैं साहब, हमारे इलाके की बहुत बड़ी समस्या है और यह बहुत गम्भीर विषय है। माननीय सभापति महोदय, समय-समय पर यह मांग उठती रहती है, माननीय मंत्रीजी विराजमान हैं, बहुत ही संवेदनशील भी हैं और आप वहां पधार कर भी आये हैं, आपने इस पीड़ा को बहुत नजदीक से देखा है तो कृपा करके आप इसके लिए सदन को अवगत करायें और थोड़ा आश्वासन दें ताकि किसानों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, उदयपुर जिले के....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपका जवाब नहीं आएगा, राठौड़ साहब ने अंगुली हिला दी।

श्री संजीव कुमार (भादरा): साहब, जवाब तो दिलवा दो। यह बहुत बड़ी समस्या है सिंचाई की इसलिए जवाब तो दिलवा दो साहब। इन 14 गांवों के किसान बहुत लम्बे समय से आंदोलन कर रहे हैं।

श्री सभापतिः और कोशिश करिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा): कोशिश तो कर रहा हूं साहब पर आपकी कृपा हो। कोशिश तो कर ही रहे हैं, किसान बहुत सालों से संघर्ष कर रहे हैं और 30 साल से इसके लिए लगे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि 565 क्यूसेक पानी निर्धारित था और आज हमें 250 क्यूसेक पानी उसमें मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय, इन गांवों के लिए पानी नहीं है। ये जो 14 गांव मैं निवेदन कर रहा हूं इन गांवों के लिए पानी भी इसमें निर्धारित है और ये 14 के 14 गांव सिंचाई से जुड़ने चाहिए थे। माननीय उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है उसके परिणाम आने के बाद पानी भी हमें मिलेगा क्योंकि 565 क्यूसेक की यह परियोजना है। जब पानी हमारे पास उपलब्ध है तो माननीय मंत्री महोदय कुछ तो जवाब दें साहब।

श्री सभापतिः श्री नानालाल अहारी।

उदयपुर में खनन क्षेत्र में खाली पड़े स्थान का आबंटन

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उदयपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विश्व प्रसिद्ध ग्रीन मार्बल का निर्यात किया जा रहा है। सभापति महोदय, ग्रीन मार्बल मेरे विधान सभा क्षेत्र में मसारू की ओबरी, ओड़वास, डेलाणा, ऋषभदेव, बाहुवा, डचकी, रोहनवाड़ा और डूंगरपुर के कुछ क्षेत्रों में निकाला जाता है। ये खानें 1981-82 में आबंटित की गई थीं। वहां का पूरा क्षेत्र पहाड़ी है। आज खानों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, खानें गहराई पर जा चुकी हैं। उनके किनारे-किनारे जो गैप एरिया है वो छूटा हुआ है और वो गैप एरिया कभी भी धंस सकता है जिससे मजदूरों के लिए खतरा बना हुआ है। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है, निवेदन है कि जो गैप एरिया छूटा हुआ है

(श्री नाना लाल अहारी)

उस एरिया को अगर सम्बन्धित जो भी खान मालिक है उसको यदि आबंटित कर दिया जाए तो वह खतरा भी कम हो जाएगा और खान मालिक को खान चलाने में सुविधा होगी। खान की जो रायल्टी है वो रायल्टी दिनों-दिन बढ़ती जा रही है, वहां का आयात कम होता जा रहा है। पूर्व में रायल्टी के ठेके की जो निविदाएं लगी थीं, ठेके जो छूटे थे उनमें 2008 से 2010 तक 14 करोड़ 47 लाख 47 हजार 757 रुपये में गया था, 2011-12 में यह ठेका बढ़कर 17 करोड़ 51 लाख में गया था, 2012-13 में 19 करोड़ में गया था, 2013-14 में यह ठेका 22 करोड़ में गया था और अभी यह ठेका बहुत ही कम रेट में जा रहा है। क्योंकि वहां पर खान मालिकों ने कई खानें गैप एरिया के नीचे बैठने की आशंका से बन्द कर रखी हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां-जहां पर खानों के बीच में जो गैप एरिया है उसका अगर आबंटन कर दिया जाएगा तो उससे सरकार की भी आय बढ़ जाएगी और वहां के मजदूरों को भी रोजगार दिया जाएगा।

(13.00 बजे)

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि हमारे उदयपुर क्षेत्र में रेत की गोमती नदी और खरका नदी, दो नदियां हैं। यहां पर भारी मात्रा में पूरे उदयपुर जिले के लिए रेत उपलब्ध होती है। यहां पिछले काफी टाइम से रेत निकालना बंद है। मेरा आपसे आग्रह है कि 23 नवम्बर, 2013 से ये रेत की निविदाएं नहीं हुई हैं। वहां कोई लोग रेत लाते हैं तो चोरी-चुपके लाते हैं। पुलिस वाले, माइनिंग वाले उनको पकड़ लेते हैं और कई गुना रायल्टी की पैनल्टी लगाते हैं। रेत अभी काफी महंगी है तो वहां के ठेके भी छोटे-छोटे टुकड़ों में करके टीएसपी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दिये जायेंगे तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और वहां की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सभापति: विराजो विराजो। मैं प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय, आप दोनों से निवेदन कर रहा हूं। कई बार आसन ने यह देखा है कि माननीय सदस्य वैल से मंत्रियों से सम्पर्क करते हैं। वैल में कृपा करके न आयें। यह आप अपने-अपने सदस्यों को बता दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, खैरवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने उदयपुर में और विशेष तौर पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ऋषभदेव में, जहां से ग्रीन मार्बल निकलता है। उसमें गैप एरिया के आबंटन की बात यहां उठाई और दूसरा, उन्होंने अपने क्षेत्र में बजरी आबंटन और उसमें जनजाति क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता से आबंटन करने की बात उठाई।

सभापति महोदय, 7.2.2000 को ऋषभदेव क्षेत्र के अन्दर 137 खनन पट्टे जारी किये गये थे, जो वन भूमि में थे उनका किस्म परिवर्तन करके और उसके बाद इसमें जो गैप एरिया था, वह गैप एरिया इसलिए छोड़ा गया था कि वहां ओवरबर्डन डाला जाये, वहां सड़क बनाई जाये। सभापति महोदय, अभी राजस्थान की सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया है इस अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के अन्दर जो खनन पर रोक लगी हुई थी, उसको हटाने का फैसला जब उदयपुर के अन्दर कैबिनेट की मीटिंग में गये, उस समय माननीया मुख्य मंत्रीजी ने लिया और उसके आदेश भी जारी हो गये। अब यह जिस गैप एरिया की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं। उसमें फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के सैक्शन-2 के अन्तर्गत हमें भारत सरकार से इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। सभापति महोदय, चूंकि अब तक दो बातें थीं। आपको ध्यान होगा, समथा बनाम आन्ध्र प्रदेश सरकार में एक मामला सर्वोच्च न्यायालय के अन्दर गया था। उस सर्वोच्च न्यायालय के इंटरप्रिटेशन के अन्दर तत्कालीन सरकार ने इस खनन कार्य को जनजाति क्षेत्र के अन्दर बंद किया। उसके अन्दर पूर्ववर्ती सरकार जब वसुन्धराजी की आई, तब इन्होंने 2008 में इसको खोला। उसके बाद पुन: जब सरकार बदली, 2009 में इसको फिर बंद कर दिया और अब इसको पुन: खोला गया है। चूंकि पहले इस पूरे खनन कार्य को बंद कर दिया गया था, इसलिए गैप एरिया का आबंटन नहीं था। हालांकि जो प्रश्नगत गैप एरिया है, उसके अन्दर भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से हमें अनुमति लेनी पड़ेगी, पर निश्चित तौर पर इसके बारे में सरकार विचार करेगी और जहां भी गैप एरिया आबंटन के लायक होगा, क्योंकि गैप एरिया के आबंटन के लिए भी यह जो माइन्स कन्सेशन रुल्स, 1986 बनाये हैं। उसके रुल-11 के अन्दर प्रावधान किया गया है कि अगर मूल आबंटित एरिया का 50 प्रतिशत है तो उसको आबंटित नहीं किया जायेगा, उसकी नीलामी की जायेगी और नीलामी के प्रावधान के अनुसार इस पर निश्चित तौर पर कार्यवाही की जायेगी।

आपने खरका नदी के अन्दर बजरी की बात कही है। अब इसके अन्दर भी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला दीपक कुमार बनाम अन्य हमारे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सामने है। उसके अनुसार इसका आबंटन तो नहीं हो सकता, परन्तु अब चूंकि हमारी राज्य सरकार ने नीतिगत फैसला लिया है, उसके परिप्रेक्ष्य में इसको दिखवाकर इसमें जो कार्यवाही की जायेगी, वह निश्चित तौर पर करेंगे और इन दोनों कार्यों को प्राथमिकता के स्तर पर विभाग करेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, यह प्रश्नगत मामला नहीं था।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आप विराजें। आदरणीय सदस्य, अगर आपको इस विषय पर कहीं कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है तो नियम से आयें और क्योंकि यह नियम से नहीं आये हैं, इसलिए इनका वक्तव्य अंकित नहीं होगा। श्री तरुण राय कागा।

चौहटन में नवसृजित पंचायत समिति में विभिन्न विभागों के कार्यालय खोलना

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके जरिये मेरी विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नवसृजित पंचायत समितियां सेड़ुवा और धनाऊ के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे पर्ची के जरिये बोलने का मौका प्रदान किया। मेरी पहली बार पर्ची खुली है, जिसके लिए मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और इसके साथ-साथ मैं हमारे ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के मंत्री माननीय कटारिया साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, हमारे क्षेत्र के आम अवाम ने कई सालों से इतने बड़े विशाल भू-भाग में ज्यादा पंचायत समितियों का इजाफा करने के लिए हमेशा ख्वाब देखे थे, उनकी ताबीर बनकर हमको तोहफा दिया है।

हालांकि मेरा विधान सभा क्षेत्र लगभग 95 ग्राम पंचायतों में बसता है। इसमें हमारे धनाऊ और सेड़ुवा में जो नई पंचायत समितियां बनी हैं। उसका जो इंतजामिया ढांचा है, उसी हिसाब से हमारा चौहटन विधान सभा क्षेत्र पहले बहुत बिखरा हुआ था, अस्त-व्यस्त था। कोई धोरीमन्ना पंचायत समिति वहां चला गया था तो कोई बाड़मेर में था। अलग-अलग था। अब आपने समेटकर हमारी विधान सभा क्षेत्र को सुसज्जित किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा तालीम के नजरिये से बीईओ कार्यालय जो नई पंचायत समितियां बनी

(श्री तरुण राय कागा)

हैं, उसमें होना चाहिये। हमारे जो भी मुख्तलफ महकमात हैं, उन सबके कार्यालय इन पंचाय तसमितियों में होने चाहिये। हां, मैं यह मानता हूं कि मेरी पंचायत समिति जो मूल रूप से चौहटन है, उसमें सब सुविधाएं हैं, लेकिन चौहटन के नाम से पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी के महकमे अधिशासी अभियन्ता कहते हैं या एक्सईएन कहते हैं, उनके कार्यालय बाड़मेर में चल रहे हैं। उनकी अभी जरूरत है कि ये कार्यालय हमारे चौहटन में हों क्योंकि तीन-तीन पंचायत समितियां हैं। वहां के लोगों का सारा कामकाज इन महकमों से होता है इसीलिए उनको भी वहां ट्रांसफर करके कार्य करने के आदेश जारी किये जायें।

उसके अलावा मैं यह कहूंगा कि हमारे वहां डबल क्रोप एरिया सेड्डवा है, अब नर्मदा नहर से 28 गांव वहां सिंचित हैं। 28 गांवों में वैसे भी हमारे यहां बैलों से या कुओं से सिंचाई होती है, वहां की मुख्य फसल जीरा और ईसबगोल है। गुजरात में ऊंझा मंडी है, वहां जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में इस तरह से सुसज्जित मंडी होनी चाहिये ताकि हमारे वहां के किसानों को और आम लोगों को उनका लाभ मिल सके।

हालांकि सरकार और हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी और हमारे उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने भी यह घोषणा कर रखी है कि हर पंचायत समिति में एक माडल स्कूल होगी या कालेज होगा। उनकी भी हमारे इलाके में बहुत बड़ी दरकार है।

हालांकि मैं इस हिसाब से भी आपको निवेदन करूंगा। अभी कुछ दिन से चर्चा चली है सदन में। खादी और ग्रामोद्योग की हमेशा पहले शाखा हुआ करती थी। मेरे इलाके में कपड़े पर कशीदाकारी, फर्नीचर पर नक्काशी का काम बहुत बढ़िया और उम्दा किस्म का होता है तो हम भी चाहते हैं कि वहां उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे वहां भी खादी का कार्यालय होना चाहिये।

वैसे भी यह विशाल भू-भाग है जहां तीन-तीन पंचायत समितियां हैं। हमारे इलाके में भी समाज कल्याण विभाग का छात्रावास होना चाहिए। यह एस.सी. वर्ग बहुल क्षेत्र है इसलिए अनुसूचित जाति वर्ग भी इससे लाभान्वित हो सके। मेरी यही आपसे गुजारिश है कि हमारे यहां दो पंचायत समितियां नई बनी हैं। मैं हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्रीजी से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारी जो दो पी.एच.सी. हैं सेड्डआ और धनाऊ उनको भी सी.एच.सी. का दर्जा दें ताकि वहां लोगों को अच्छी चिकित्सा की सुविधाएं मिल सकें। हमारे उस

(श्री तरुण राय कागा)

इलाक़े में महावीर जैन नाम से एक गौ-शाला है, सोनड़ी में हमारी गौ-शाला है, गंगासरा में भी गौ-शाला है, इन गौ-शालाओं में पशु चिकित्सा केन्द्र नहीं है इसलिए वहां पशुओं के इलाज के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। डाक्टर्स को लाने के लिए बहुत महंगा और फिजूलखर्ची का हिसाब-किताब होता है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सेड़ुआ, सोनडी और गंगासरा में जहां बहुत बड़ी गौ-शाला हैं वहां पर भी पशु चिकित्सा केन्द्र खोलना मुनासिब होगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र चौहटन में भारतीय जनता पार्टी का प्रधान है। हमारे वहां सरकार के द्वारा जो एस.एफ.सी. या टी.एफ.सी. है, निर्बंध योजना है और भी बाकी की जो योजनाएं हैं उनके लिए सत्तापक्ष और हमारे बीच लाइजनिंग बिठाने के लिए भी आप कार्य करें। क्योंकि मुझे महसूस हुआ पिछली बार हमारी पंचायत समिति चौहटन होते हुए भी एकतरफा बहुमत के आधार पर अलग-अलग पार्टी के हिसाब से लेकर, दलगत राजनीति से ग्रस्त होकर के काम होता है। हमारे पंचायती राज एक्ट में या किसी तरह से हम एक दूसरे से फायदा उठा सके, हम जो जनता के प्रतिनिधि हैं, यहां पब्लिक के लिए आते हैं, न कि किसी पार्टी के आदमी के लिए आते हैं। वहां की जनता हर पार्टी से लाभान्वित हो, यह मेरी आपसे गुजारिश है। हमारे वहां सीडीपीओ कार्यालय भी होना चाहिए। हमारे यहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अलग-अलग इलाक़ों में बंटे हुए हैं, कोई धौरीमन्ना, कोई बाड़मेर, कोई चौहटन, तीन-तीन सीडीपीओ हैं। इसके कारण से हमारी जनता दर-दर ठोकरें खा रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार पुलिस थाने हैं लेकिन अलग-अलग थानों में कहीं धौरीमन्ना में बैठे हैं तो कोई बाड़मेर में से हैं, कोई बिजराज से हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उनका भी एक हिसाब से करे और हमारी तीन पंचायत समितियों में यह करना चाहिए। मेरा एक ही विषय था जो विभाग हैं उनको एक ही हमारी पंचायत समिति में लगाया जाए। जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री झाबर सिंहजी।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, हालांकि माननीय सदस्य ने सारे विभागों के बारे में सदन में चर्चा की है और सभी विभाग नव सृजित पंचायत समिति में खोलने के बारे में जिक्र किया है। तो उन विभागों के सम्बन्ध में सभी मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि इनकी मांग को स्वीकार कर-करके मिनी सचिवालय जहां-

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

जहां भी नई पंचायत समितियां बनी हैं उनमें एक ही जगह, एक ही परिसर में सब विभाग के आफिसेज खुलें और मैं मेरी तरफ से पंचायत समिति जो नव सृजित हुई है उनके अन्दर, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी 94 करोड़ की घोषणा की है भवन बनाने के लिए तो प्रत्येक पंचायत समिति में भवन बनाने के लिए दो-दो करोड़ रुपये की व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जाएगी। उनमें भवन के लिए जमीन अलाटमेंट के लिए कलक्टर्स को निर्देशित कर दिया गया है कि पंचायत के लिए पांच बीघा और पंचायत समिति के लिए दस बीघा जमीन अलाटमेंट करने की कार्यवाही करें। पड़ौसी पंचायत समिति से अधिकारियों को और कर्मचारियों को कार्य व्यवस्था चलाने के लिए प्रशासनिक व्यय के लिए दो लाख रुपये दे दिए गए हैं। तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं आप भी करें और सभी मंत्री महोदय से निवेदन करके जो नव सृजित पंचायत समितियां हैं उनमें एक ही जगह सब विभागों के आफिसेज खुलें ऐसी व्यवस्था करें जिससे काम सुचारु रूप से चल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री झाबर सिंहजी।

प्रदेश में नकली एवं कम गुणवत्ता की दवाइयों पर रोक एवं चिकित्सकों द्वारा महंगी दवाएं लिखने पर अंकुश

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार और चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान प्रदेश में नकली अमानक और गुणवता विहीन दवाओं के फैलते कारोबार और दवा माफिया के पनपने के मामले में आकर्षित कर अनुरोध करना चाहूंगा। समय-समय पर औषधि नियंत्रण संगठन द्वारा प्रदेश में बिकने वाली दवाओं की गुणवत्ता की जांच के लिए सैम्पल्स लिए जाते हैं। सैम्पल्स का लेबोरेटरी में परीक्षण होता है, परीक्षण के बाद कुछ दवाओं को अमानक घोषित कर उनके निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी हो जाते हैं, लेकिन उन आदेशों का धरातल पर वास्तव में क्रियान्वयन होता है या नहीं होता है इसकी निगरानी रखने का कोई तंत्र विकसित नहीं है और दूर-दराज के गांवों/कस्बों में मेडिकल स्टोर्स पर वह प्रतिबंधित दवाइयां बिकती रहती हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि रोगियों को दवा से लाभ होने के बजाय असमय

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

मौत की गोद में सोना पड़ता है और उसकी जानकारी इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि सामान्य तौर पर दुर्घटनाग्रस्त या कोई संदिग्ध प्रकरण अस्पताल में भर्ती होता है उन्हीं का पोस्टमार्टम होता है। सामान्य रोगी जो नकली या गुणवत्ताविहीन दवा खाने से जिसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ती है और धीरे-धीरे उस रोग के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसका कहीं भी रिकार्ड पर आना इसलिए सम्भव नहीं हो पाता क्योंकि उसकी मौत का वास्तविक कारण क्या है, बिना पोस्टमार्टम के वह सम्भव नहीं लगता और उसका पोस्टमार्टम इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि वह सामान्य मौत की श्रेणी में गिनी जाती है इसलिए मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश में नकली और गुणवत्ताविहीन दवाओं की बिक्री पूरी तरह से रुके और प्रदेश के आम गरीब व्यक्ति जो रोग का शिकार होते हैं, नकली दवाओं के कारण उन्हें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोना पड़े, इसकी कोई न कोई पुख्ता व्यवस्था करने का कार्य करेंगे, समाधान करेंगे।

साथ ही, मैं उनका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि बड़े अस्पतालों में भर्ती मरीज को बहुत से डाक्टर जिसके इलाज के लिए प्रयोगशाला में विशेष प्रकार के संक्रमण या जीवाणु के प्रति कौन-कौनसी दवा कितनी संवेदनशील है, इसकी जांच रिपोर्ट में 50 रुपये से 100 रुपये तक की दवा कारगर बताई जाती है, उसके बजाय 1000-1000, 1200-1200 रुपये के इंजेक्शन सिर्फ इसलिए लिख दिए जाते हैं क्योंकि दवा कम्पनीज उन चिकित्सकों को 90-90 लाख, 1-1 करोड़ की महंगी कारें, उनके विदेशी सैर-सपाटे का खर्चा, दूसरे महंगें उपहार देते हैं और उन महंगे उपहारों के बदले

उन चिकित्सकों द्वारा आम गरीब मरीजों के साथ खिलवाड़ करके उसे महंगी दवाइयां लिखी जाती हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि आपके सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती मरीजों में सामान्य रूप से सूडोमोस नाम का कीटाणु संक्रमण करता है और उस संक्रमण को रोकने के लिए 48-49 रुपये से लेकर 90-98 रुपये तक के बहुत से कारगर इंजेक्शन दवा की दुकानों पर उपलब्ध हैं। उसके बावजूद कुछ चिकित्सक हिमाचल प्रदेश की एक दवा कम्पनी जिसका एक इंजेक्शन 1200 रुपये का आता है, वह लिखता है और उसके लिए बाध्य करता है कि अगर आप ये इंजेक्शन नहीं लगाओगे तो आपका मेरे वार्ड में इलाज नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

चिकित्सा मंत्री महोदय, इस ओर भी ध्यान दें और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए आम गरीब मरीज का अस्पतालों में आर्थिक शोषण नहीं हो, इसके लिए भी कोई कारगर प्रणाली विकसित करने का प्रयास करेंगे।

साथ ही मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके साथ-साथ सर्जिकल आइटम्स में भी गुणवत्ता का बहुत अभाव है। सामान्य तौर पर हृदय रोगियों के लिए जो स्टंट काम में लिया जाता है अस्सी हजार रुपये से लेकर दो लाख रुपये तक मरीज से लेकर उसका आपरेशन करके स्टंट लगा दिया जाता है और साल-डेढ़ साल बाद उसे दुबारा तकलीफ होती है, वो अस्पताल आता है उसकी जांच होती है और उसे बताया जाता है कि आपके स्टंट में दुबारा ब्लाकेज आ गया फिर आपको दो लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय का इस ओर भी ध्यान दिलाकर अनुरोध करना चाहूंगा कि इस प्रवृत्ति पर भी कोई ऐसी प्रणाली विकसित करें कि जिससे इस पर रोक लग सके।

साथ ही कई बार अस्पतालों में इंसानों के बजाय जानवरों पर लगने वाली दवाइयां भी सप्लाई हो रही हैं, ऐसी गलतियां दुबारा नहीं दोहराई जाएं। इसके लिए भी कोई पुख्ता प्रबंध करने का प्रयत्न हो, कोई प्रणाली विकसित करें।

साथ ही अभी दो-तीन दिन से समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि दवाओं और सर्जिकल आइटम्स के साथ-साथ अब तो नकली खून भी खून माफियाओं द्वारा मरीजों को उपलब्ध करवाया जाने लगा है। उससे भी कई मरीजों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है। अभी ये प्रवृत्ति शुरू हुई है। (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रवृत्ति पर भी समय रहते लगाम लगायें, ताकि भविष्य में किसी रोगी को असमय काल का ग्रास नहीं बनना पड़े।

साथ ही मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि दवा की दुकानों और लाइफ लाइन मेडिकल स्टोर्स के बीच दवाइयों की कीमतों में बहुत ज्यादा अन्तर है। लाइफ लाइन मेडिकल स्टोर्स पर जो दवा सौ रुपये में मिलती है, जो इंजेक्शन सौ रुपये में मिलता है बाहर दवा की दुकान पर वो इंजेक्शन दो-ढाई सौ रुपये तक मिलता है। मैं मंत्री महोदय से ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वो लाइफ लाइन मेडिकल स्टोर्स को और सुदृढ़ करें। उन पर और ज्यादा ब्राण्ड की दवाइयां और सर्जिकल आइटम्स की उपलब्धता सुनिश्चित करें, ताकि ग्रामीण

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

क्षेत्र के आम गरीब रोगियों का अस्पतालों में आर्थिक शोषण नहीं हो सके, क्योंकि मैंने देखा है कि शहरी क्षेत्र के लोगों को बाहर की दवा विक्रेता 20-30 परसेंट कमीशन बिल की राशि पर देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अनपढ़, गरीब, अनजान रोगी और उनके परिजन यह नहीं जानते कि बाहर की दवा की दुकानों पर बीस-तीस परसेंट छूट भी प्राप्त की जा सकती है, उन्हें पूरे भुगतान करना पड़ रहा है इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि बड़े अस्पतालों में कम से कम लाइफ लाइन मेडिकल स्टोर्स का सुदृढ़ीकरण करें और उन पर प्रचुर मात्रा में सभी प्रकार की दवाइयां और सर्जिकल सामान उपलब्ध करवाने का प्रयास करें। आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय मंत्री महोदय, ये भी बता देना कि वो ग्लूकोज की बोतलों में चढ़ाते समय फंगस का आया था और जिसके कारण कितने लोग बीमार हो गये थे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कोटा वाले हास्पिटल का भी बता देना।

श्री सभापति: आसन की बगैर अनुमति से अगर किसी ने आपको आग्रह किया है तो बताने की कोई अनिवार्यता आप पर नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से एक साथ इतने सवाल खड़े कर दिये, चूंकि पर्ची तो एक स्पेसिफिक विशेष तौर पर जिसका उल्लेख किया जाता है उसी पर लिखी जाती है उसी का उत्तर देने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि प्रदेश में नकली अमानक दवाइयां बिक रही हैं और इन पर प्रतिबंध होने के पश्चात भी ग्रामीण क्षेत्र में इनका विक्रय जारी रहता है। सभापति महोदय, जो केन्द्रीय अधिनियम बना है ड्रग एंड कोस्मेटिक एक्ट, 1940 और इसके रूल्स 1945 में, राजस्थान में कुल 145 औषधि नियंत्रण अधिकारी हैं जिनको यह अधिकार है कि वो पूरे राजस्थान में औषधि का विक्रय और उससे सम्बन्धित सारे कामों की देखरेख करें। इनके साथ इनके सहायक औषधि नियंत्रक 37 पद हैं और कुल मिलाकर राजस्थान में इस वक्त 35815 ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो दवा का विक्रय वैध लाइसेंस लेकर करते हैं। पिछले एक वर्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की बात यदि मैं कहूं तो 10,034 निरीक्षण इनके सम्पादित किये गये। 1422 प्रतिष्ठानों में कमी पाने के कारण इनके लाइसेंस निलम्बित किये गये और 94 के निरस्त किये गये। 3310 के नमूने लिये गये और उनमें से 101 जो अमानक पाये गये उस अमानक दवाई के बारे में सारे सीएमएचओज को सूचित किया गया अगर कोई अमानक दवाई कहीं घोषित करने के बाद भी विक्रय होता है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्यवाही की जाएगी और मैं एक अभियान चलाकर इसको और आगे बढ़ाऊंगा।

सभापति महोदय, इसके साथ ही आपने कहा कि नशे की दवाइयां भी बिक रही हैं। मैं निवेदन करूं कि हमने एक अभियान चलाया था 1 फरवरी, 2015 से लेकर 10 फरवरी, 2015 तक और इसमें अब तक का सबसे बड़ा सीज, नशीली दवाइयों के विक्रय के रैकेट का भंडाफोड़ करके 2,52,62,000 रुपये का अवैध बेचान इनका पकड़ा। तीन फर्मों और उनकी सहयोगी 22 फर्मों के खिलाफ हमने एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही की है। आपने यह कहा कि महंगी दवाई लिख रहे हैं। सभापति महोदय, जब से मुफ्त दवा योजना आई है 600 से ज्यादा असेंशियल ड्रग लिस्ट पर दवाइयां हैं इसलिए जो भी सरकारी चिकित्सालय है उसकी श्रेणी के अनुसार असेंशियल ड्रग लिस्ट बनी हुई है। कोशिश यह हुई है उसको बनाने के समय में कि जिस प्रकार का भी बीमार आये उसको दवाई बाजार से खरीदनी नहीं पड़े। उसके पश्चात भी इसके अलग-अलग समय में निर्देश जारी किये गये हैं कि दवाई अगर कोई चिकित्सक लिखेगा तो जेनेरिक नाम से दवाई लिखे और ये दवाइयां निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत अगर उपलब्ध नहीं है तो हमारा लाइफ लाइन ड्रग स्टोर है, सबसे पहले वहां जाकर मरीज खरीदने की कोशिश करे, जो लाइफ लाइन ड्रग स्टोर है उसके लिए कहे और ये प्रेस्क्रिपशन जो चिकित्सक लिखता है उसका रिकार्ड भी रखे।

सभापति महोदय, राजस्थान में जो दवाइयां हैं इन दवाइयों में नशीली दवाइयां और अमानक दवाइयां, इसके लिए हम अगले महीने के पहले पखवाड़े से एक संयुक्त अभियान चलायेंगे और हमारी कोशिश होगी कि मानक दवाइयां ही राजस्थान में विक्रय हो। आपने यह कहा कि कुछ ऐसी दवाइयां लिख रही है सवाई मानसिंह चिकित्सालय में भी, हिमाचल प्रदेश में बनने वाली दवाइयां जिसमें महंगा कमीशन मिलता है। अब सभापति महोदय, एक-एक चिकित्सक पर इस बात के लिए नजर नहीं रखी जा सकती कि वो क्या लिख रहा है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चिकित्सक का कार्य उसके ज्ञान का कार्य है, परन्तु फिर भी माननीय सदस्य अगर इस प्रकार का कोई स्पेसिफिक मामला देंगे तो मैं उसकी निश्चित तौर पर जांच कराऊंगा।

आपने कहा इंसानों की दवाइयों में जानवरों की दवाई चली जाती है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। पिछली बार विधान सभा में मामला उठा था उस समय मैंने बिलकुल स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि मिक्स होकर दवाई गई परन्तु उसको उसी वक्त जब वह स्टोर में गई, रोक लिया गया था और उसमें भी उस फार्मा को जिसने दवाई दी थी उसको न केवल हमने ब्लेक लिस्टेड किया बल्कि उसमें एफआईआर भी दर्ज हुई और समुचित कार्यवाही भी हुई।

आपने कहा कि नकली खून बिक रहा है, सभापति महोदय, भरतपुर की एक घटना अखबारों में प्रकाशित हुई थी। हास्पिटल के अन्दर कोई इस तरह की बात नहीं, उसमें एफआईआर भी दर्ज हो गई और उसमें गिरफ्तार भी हो गया। अब कई प्रकार के मामले हैं, कई जगह पर पीतल की ईंट को सोने की ईंट बताकर टेटू के नाम से बिकने का काम भी है। परन्तु इन सारे कामों में विभाग सचेत है, निश्चित तौर पर इसमें कार्यवाही करेंगे। हम नकली दवाएं, नशीली दवाओं के लिये अगले महीने में एक पखवाड़े में अभियान चलायेंगे और उसके अलावा हम हमारे सरकारी चिकित्सालयों में बैठे हुए चिकित्सकों को पुन: निर्देश देंगे कि वह जैनेरिक दवाएं लिखें, सस्ती दवाएं लिखें।

आपने जो अमानक की बात की, अगर आपके पास कोई विशेष बात हो तो उसकी हम जांच करायेंगे और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि फिर वह घटना नहीं होगी जोधपुर की तरह कि फंगस आ गया और उसके कारण से इस प्रकार की मौतें हो गईं। सभापति महोदय, प्रतिदिन एक करोड़ से ज्यादा का आउटडोर राजस्थान में सरकारी चिकित्सा संस्थानों का है। हम सरकारी चिकित्सा संस्थानों पर टीका-टिप्पणी तो कर लेते हैं परन्तु इसके साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि राजस्थान में कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। आज आप सवाई मानसिंह चिकित्सालय की बात कर रहे हैं, सवाई मानसिंह चिकित्सालय का आउटडोर 12 से 15 हजार प्रतिदिन का है। अब 12 से 15 हजार आदमी अगर एक चिकित्सालय में जायेंगे सभापति महोदय, आप अंदाजा लगायें कि अगर हम सभा करते हैं उसमें 15-20 हजार आदमी आते हैं तो उसमें भी कितनी अव्यवस्था हो जाती है परन्तु फिर भी सरकार सचेत है और इस कार्यवाही को निश्चित तौर पर करेगी।

व्यवस्था

समय पर सदन पटल पर पत्रादि रखने के सम्बन्ध में निर्देश

श्री सभापतिः श्री कालीचरणजी सराफ। मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, मंत्री महोदय इससे पहले कि आप अपना प्रतिवेदन रखें मैं संसदीय कार्य मंत्री, आपको स्मरण कराना चाहूंगा कि इस आसन से एक बार नहीं, दो बार और जब दूसरी बार आसन ने निर्देश दिये तब तो आप स्वयं निवेदक थे, यह प्रतिवेदन आप 2014-15 का रख रहे हैं मंत्री महोदय और 2014-15 के प्रतिवेदन के माध्यम से सम्माननीय सदस्यों को उस विषय विशेष की जानकारी मिलती है। यह राइट टू इन्फोर्मेशन की अवधारणा से पहले वैधानिक अवधारणा है इस सदन की। इसका आज रखने से सदस्यों को किस प्रकार से फायदा मिलेगा जबकि इस सैशन का अंतिम पड़ाव है। इसलिए शासन आपको निवेदन नहीं, निर्देश देता है कि अविलम्ब यह प्रतिवेदन आने की वजह से जो भी सरकार या गैर सरकारी व्यक्ति आपके इस प्रतिवेदन से सम्बन्धित हो, उनको प्रशासनिक प्रताड़ना से आप दहशत करेंगे। अब प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आपने जो निर्देश दिया है भविष्य में उसका निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इससे जो गलती हुई है उसके निर्देश दिये हैं कार्यवाही करने के लिये, ऐसे हाथ हिलाने से नहीं होगा।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): आप मत बोलो सभापति जी ने बोल दिया ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्यों को यह निवेदन करुंगा कि आसन का कार्य आप ना करें।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का प्रतिवेदन वर्ष 2014-15

1. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर अधिनियम 1987 की धारा 38 (4) के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष, 2014-2015

(श्री कालीचरण सराफ)

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर का प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2014-15

2. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 की धारा 25 (2) के अन्तर्गत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 एवं

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2014-15

3. महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003 की धारा 25 (2) के अन्तर्गत महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2014-15

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जिला आवास पूल एवं विधायक आवासों पर किये गये कार्यों एवं स्वीकृत राशि के कथित दुरुपयोग की जांच

श्री सभापति: श्री पूरणमल सैनी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा...

श्री सभापति: एक बार ध्यान आकर्षित कर दें फिर वह जवाब दें उसके बाद कहना।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): जिला पूल आवासों, विधायक निवासों के लिये विभिन्न स्थानों पर स्वीकृति के लिये और उसके बाद निर्माण कार्यों में जो कथित अनियमितता बरती जा रही है उसके लिये ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा।

श्री सभापति: मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जयपुर जिला स्थित आवास के पूल एवं विधायक पूर्व व पश्चिम, बजाज नगर, विधायकपुरी, जालुपुरा, एमएलए क्वार्टरों में कराये जा रहे कार्य आवास एवं आवासों की आवश्यकतानुसार नियमानुसार व विभागीय मापदंडों के अनुरूप निश्चित प्रक्रिया अनुसार ही कराये जाते हैं तथा कार्य सम्पादन के पश्चात कार्य माप पुस्तिका में सहायक अभियंता द्वारा दर्ज कर कार्य को विभागीय मापदंड अनुसार सम्पादित कराये जाने के प्रमाण पत्र के उपरांत व सम्बन्धित अधिशासी अभियंता की निश्चित जांच के पश्चात ही संवेदक को

(श्री युनुस खान)

किये गये कार्य का भुगतान किया जाता है। कार्य सम्पादन में कोई अनदेखी व अनियमितता नहीं की जाती है। कार्य सम्पादन में विलम्ब का निष्पादन भी विभागीय नियमानुसार किया जाता है।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी ने बताया यह तो हम सब भी जानते हैं, सदन भी जानता है कि राजस्थान प्रदेश के इस विभाग की एक व्यवस्था है कि पहले रिक्वायरमेंट ली जायेगी उसके बाद तकनीकी स्वीकृति जारी की जायेगी...

श्री सभापति: आप प्रश्न पूछें सीधा।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): उसके बाद प्रशासनिक स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति के बाद वित्तीय स्वीकृति और उनकी पूर्ति करने के लिये स्वीकृतियां जारी कर उसके बाद आवासों का मरम्मत कार्य व निर्माण किया जाता है तो उसमें आईएसआई मार्का का कोई सामान लगना है, यह एस्टीमेट में लिया गया, वह मौके पर नहीं लग रहा। उसके बाद संवेदकों द्वारा काम कर दिया गया, नहीं कर दिया गया, इसकी अनदेखी करके अधिकारियों द्वारा उस एस्टीमेट को सामने रखकर माप पुस्तिका को भरते हुए यूसी और सीसी जारी की जाती है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यानाकर्षण करते हुए अपील करना चाहूंगा कि आवासों में और जिला पूल के आवासों में जितने भी निर्माण कार्य और मरम्मत कराये गये हैं उनकी एक विशेष कमेटी से भौतिक सत्यापन करवाते हुए पुनः जांच कराई जाये और माप पुस्तिका में जो भरा गया वह सही हो तो ही उनका भुगतान फरमाया जाय।

श्री सभापति: श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, विधायक आवासों की जो अव्यवस्था है सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं, आम तौर से बड़ी बुरी स्थिति के अन्दर है। रिपेयर्स का सवाल हो, हर चीज, माननीय मंत्री महोदय से मैं तो निवेदन करूंगा कि आपको विभाग के द्वारा जो उत्तर दिया गया है, घिसा-पिटा उत्तर होता है तकनीकी भाषा में, वह आपको दे दिया गया है। इसमें बहुत बड़ा स्कैंडल है, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सम्भव हो सके अगर आपके पास समय हो तो टैस्ट सैम्पलिंग जिसे कहते हैं, आप स्वयं दो-दो, चार-चार मकान जाकर देखें। आपके 4-5 घंटे समाप्त होंगे, आप अपने विधायकों से पूछ लीजिए, हम विरोध के लिये यहां

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

विरोध नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे ईमानदारी से निवेदन कर रहा हूं इतनी दुर्दशा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कई मकान तो ऐसे हैं जैसे नरक में रह रहे हैं। आप कितने ही लोगों से पूछ लीजिए, आप पत्र लिखकर पूछ लीजिए। एक सर्कुलर जारी कर दीजिए आपको सारे एमएलए बता देंगे, मैं कोई आलोचना के लिये आलोचना नहीं कर रहा हूं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इसको आप स्वयं देखें, अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी से, क्वालिटी कंट्रोल वालों से आप जांच करा लें, सारी स्थिति आपके सामने आ जायेगी जिससे कि आप इस पर समुचित कार्यवाही कर सकेंगे, यही मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री सभापतिः श्री गोविन्द सिंहजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे हाउस की जो स्थिति है वह यह हो रही है जो माननीय सदस्य पांच साल रहता है वह पांच साल उस धूल में ही लिपटा हुआ रहता है। मैटेरियल इतना हलका होता है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 6-6 महीने तक स्वीकृतियां होती नहीं हैं और 80 हजार रुपये का सामान जो माननीय सदस्य को दिया जाता है उसके गद्दों में बदबू आती है

शुरूआत में जो भी माननीय सदस्य चुनकर आते हैं, वह सामान लेने जाते हैं तो उसमें ऐसे जैसे कबाड़खाना हो, नीलामी के लिए, हास्पिटल में जैसे पड़ा रहता है उस तरीके से वह सामान पड़ा रहता है। आप या तो इस पूरी व्यवस्था को खतम करके जो पैसा माननीय सदस्यों को देना हो वह दे दीजिए, वह अपने हिसाब से सामान खरीद लें, या तो यह व्यवस्था कर दीजिए, वरना एकरूपता होनी चाहिए। एक कमेटी बनाकर सब मकानों की, जितने भी आवास है, उन सबकी आप जांच करा लीजिए, जरूरत के हिसाब से पहले से तय हो जाए। जब नई विधान सभा आए, उस वक्त सबसे पहले, उसमें एकरूपता के साथ वह काम होना चाहिए। थोड़े बहुत जो प्रभावशाली लोग हैं वह 35-40 लाख का काम भी करा लेते हैं। कुछ माननीय सदस्य जो कम प्रभाव रखते हैं या जिनकी एप्रोच ठीक-ठाक नहीं होती है वह लाख, दो लाख रुपये के काम के लिए, अपने बाथरूम को ठीक कराने के लिए भी पांच साल चक्कर लगाते हैं। मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए शोभाजनक नहीं है। एमएलए की आवास व्यवस्था भी ठीक नहीं है। लेकिन आप जिस मकान में सुविधा दे रहे हो,

(श्री गोविन्द सिंह डोटसरा)

जिसमें हम रह रहे हैं वह कम से कम रहने लायक तो हो। ऊपर से छत टपक रही है। नल के लिए इंजीनियर को कहा जाता है तो वह दो महीने बाद आता है। रोजाना न पानी की समुचित सप्लाई है। इन सब चीजों को देखते हुए एक व्यवस्था होनी चाहिए। सरकारी मकान जो जिला पूल के हैं उनकी तो स्थिति इतनी खराब है। सरकारी मकान बनने का मतलब यह हो गया कि सबसे थर्ड क्लास क्वालिटी का काम होगा। आज जो टाइल्स लग रही है वह 12 महीने, 2 साल के अन्दर टूट जाती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके साल, दो साल में ही बाथरूम किचन की टाइल चेंज हो रही है। कुछ माननीय सदस्य हैं, उन्होंने कोई अन्याय कर दिया, कोई पाप कर दिया कि उनको न तो ढंग का बैड़ मिलता है, न उनको मकान ढंग का मिलता है।

मैं तो यह चाहता हूं कि आप पर्टिकुलर एक-एक की बात नहीं करके मंत्री महोदय, कार्य योजना बनाकर, सब आवासों की एक हाई लेवल की कमेटी बनाकर जांच करा लीजिए। विधायक लिखकर दें तब भी आप जाओगे वहां टाइल ठीक करने, तो डयूटी नहीं है क्या सरकारी आवासों को देखने की, उनको रिपेयर करने की, उनको ठीक रखने की, इसलिए यह होना चाहिए।

जो कलर किया जाता है वह माननीय सदस्यों के और उनके आने जाने वालों के कपड़ों के लग-लगाकर महीने-दो महीने में पुछ जाता है। स्थिति तो यह है। आप कमेटी बनाकर सबकी जांच करा लीजिए। एक कार्य योजना बनाकर, एक साथ बजट देकर शुरूआत के 6 महीने में ही काम करा दीजिए जिससे साढ़े चार साल वह माननीय सदस्य हाउस में आए तो कम से कम ढंग से रह सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नन्द किशोरजी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, इसी में....

श्री सभापति: आप प्रश्न पूछ लें I can not allow. आप सीधा प्रश्न पूछिए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी जांच के लिए क्या भौतिक सत्यापन हेतु विभिन्न स्वीकृतियां जारी की गई हैं, कमेटी का गठन करके जांच करवाएंगे तो कब तक ? साढ़े पांच-पांच लाख, साढ़े छह:-छह: लाख की स्वीकृतियों में मात्र

(श्री पूरणमल सैनी)

दो-दो लाख, ढाई-ढाई लाख रुपये खर्च किए गए हैं, क्या उनसे रिकवरी फरमाएंगे ?

श्री सभापति: श्री नन्दकिशोरजी।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: आप सीधा प्रश्न।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): जो अभी हालात हैं वह बताऊंगा, प्रश्न नहीं है। स्वच्छता का अभियान पूरे देश में चल रहा है, हमारे क्वाटर के सामने स्थिति यह है कि मेन रोड पर भी तीन-तीन दिन तक सफाई नहीं होती। मेन गेट है जहां से सब एमएलए जाते हैं वहां 5-5, 6-6 दिन से एक बार कचरा उठता है। पार्किंग की यह हालत है कि गाड़ी लेकर क्वार्टर तक पहुंच गए तो वापिस आना मुश्किल, वापिस आ गए तो पहुंचना मुश्किल। कोई गार्ड नहीं है। जो भी सदस्य यहां दर्शक के रूप में आते हैं या मिलने आते हैं, वह सब उन क्वार्टरों के सामने गाड़ियां खड़ी करते हैं। हालांकि क्वार्टरों के बीच में जगह है लेकिन उसको सीवरेज लाइनों ने ऐसा बना रखा है कि वहां पार्किंग नहीं हो सकती। उसको ठीक कराया जाए। मैं आपको बताऊं रंग की हालत यह है कि दो-तीन महीने पहले कलर हुआ था, दीवार पर अगर कलैण्डर टंगा था तो उसके पीछे कलर नहीं हुआ, उसको नहीं हटाया गया और बाकी दीवार पर कलर हो गया, तो थोड़े यह हालात सुधारने का करो।

श्री सभापति: श्री हबीबुर्रहमान।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): सभापति महोदय, एमएलए क्वार्टर का यह हाल है 5-6 महीने में तो वहां इतने बड़े-बड़े चूहे हो गए हैं, सीमेंट में 5-5 फुट चले जाते हैं। मैंने 10 दफा कम्पलेंट कर दी लेकिन किसी ने आकर नहीं देखा। हमारे जो पानी आ रहा है, आज तक ट्यूबवैल का आ रहा है। 25 साल हो गए मैंने कभी वहां पानी पिया ही नहीं, मिनरल पानी मंगाता हूं। मंत्री महोदय, पानी का भी सिस्टम करें। हमारे एमएलए क्वार्टर्स में सड़क नहीं है। हम इधर उधर, राजमंदिर होकर जाते हैं। वहां एमएलए क्वार्टर्स में सड़क ही नहीं है, चलने को सड़क नहीं है, ऐसी सड़कें हैं। एमएलए क्वार्टर का नाम बहुत बड़ा है लेकिन अन्दर जाएंगे तो इतनी खराबी है। वहां मिस्त्री ऐसे हैं कि 24 घण्टे ट्रैफिक जाम रहता है। आपके बंगले के सामने तो आदमी निकल ही नहीं सकता, तो ट्रैफिक व्यवस्था वहां सुधारें। सड़कें बनाएं।

(श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा)

फर्नीचर के लिए हमने दस दफा लिख दिया लेकिन आज तक चेंज नहीं हुआ, पांच वर्ष हो गए, इतना गंदा फर्नीचर आता है, इसमें सिस्टम कीजिए। हम एमएलए वहां जाते हैं तो दिखा देते हैं कि यह भण्डार है, हम इसको ठीक करके भेजेंगे। क्या हमारा काम है वहां भण्डार में जाने का ? इस सिस्टम को मंत्री महोदय आप ठीक करें। एमएलए क्वार्टर की सड़कें तो कल ही बना दें। राजमंदिर से होकर आते हैं, चलने लायक ही नहीं है, वन-वे है। सड़कें नहीं हैं। वहां ट्रैफिक इतना जाम रहता है। वहां मैकेनिक ही मैकेनिक हो गए हैं। एक रोड तो पूरा जाम ही रहता है। मंत्री महोदय, सबसे पहले तो आप एमएलए क्वार्टर से चूहे तो भगाओ। इतने बड़े-बड़े चूहे हो गए, 10-10 फुट अन्दर जाते हैं। सीमेंट को तो रखते ही नहीं हैं, 6-7 महीने हो गए मंत्री महोदय। सभापति महोदय, मेरा यही कहना है।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, इनका तकरीबन सारा सवाल वह था जो पहले, चूहों वाला इनका विशेष था उस पर आप जरा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय...

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं बोल दूं।

श्री सभापति: अब आज तो इतना ही काफी है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जितने माननीय सदस्य बोलेंगे, वही व्यवस्था की बात करेंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय...

श्री सभापति: मंत्रीजी का आप जवाब सुन लें, मेरे ख्याल से विस्तृत जवाब आएगा। आप सबकी जो भी शंकाएं हैं वह पूरी हो जाएंगी।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है, मैंने यहां पर पृथ्वीराजजी को कम्पलेंट भी की है और विधान सभा अध्यक्ष को भी की है कि मेरे मकान के ऊपर क्वार्टर है उसमें कोई नहीं रहता है। बिना आवश्यकता के बाथरूम को तोड़ दिया, सीपेज हो गया, उसकी वजह से पूरे मकान में करंट आ गया। मैं गिर गया, मुझे हास्पिटल जाना पडा। मेरे सारे कपड़े थे, मैं गांव चला गया था, उसके बाद सारे कपड़े खराब हो गए। कम्पलेंट की, कुछ नहीं हुआ। मैंने लिखा कि मेरे मकान में यह काम होना चाहिए वह आज तक नहीं हुआ। क्योंकि वह नहीं चाहते कि कहां पर काम हो, कहां नहीं हो। लिमिट से ओवर उन्होंने

(श्री रमेश)

एस्टीमेट बना दिया। दस लाख से ऊपर सीएम के यहां जाएगा, फिर आएगा, चक्कर खाता रहेगा, एप्रूव नहीं हुआ, वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली। पहले जब मैं पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी था उस समय C-18 में रहता था, वहां पर मैंने खुद के पैसे लगाकर चार लाख का काम कराया। जो टाइल्स लगवाई, उसका भुगतान अभियंता महोदय ने खुद ने ले लिया। इस तरह की स्थिति है। पेंट के नाम पर पुताई कर रहे हैं। छतें गिर रही हैं। चाहो तो मेरे मकान को देख लो कि क्या जर्जर स्थिति हो रही है। निवेदन करने के बावजूद भी काम नहीं हुआ। मंत्री महोदय पर मैं आरोप लगाऊंगा कि इनके आशीर्वाद से सारे काम हो रहे हैं, नहीं तो भौतिक सत्यापन करवाएं, जांच करवाएं, दोषी अभियंताओं के खिलाफ कार्यवाही हो। मंत्रीजी जवाब दें।

श्री सभापतिः मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन में माननीय सदस्यों ने, विधायक आवास हैं उनमें व्यवस्थाएं, रख-रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है, उन विषयों पर ध्यान दिलाया है।

माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है कि रख-रखाव जिस गुणवत्ता का होना चाहिए वह गुणवत्ता मैन्टेन नहीं होती। चूंकि इसका प्रशासनिक विभाग, सामान्य प्रशासनिक विभाग है, वित्तीय स्वीकृतियां वह जारी करता है। कितनी राशि मरम्मत में और रख-रखाव में खर्च होगी, वह एस्टीमेट बनकर जाता है उसकी स्वीकृति बजट की उपलब्धता के आधार पर वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग दोनों देते हैं।

चूंकि यह गम्भीर विषय है। माननीय सदस्य जन सेवा में लगे रहते हैं। उनका आवास ठीक होना चाहिए। उसमें पानी की सप्लाई ठीक हो, समय पर आए, मकान भी इस तरीके का हो कि उसका कलर भी नहीं उतरे, ठीक हो। माननीय सभापति महोदय, यह सारे विषय आज सदस्यों ने बताए, इससे पहले व्यक्तिशः भी जब-जब यह मिलते हैं तब-तब अपनी बात को कहते हैं। हमारे वरिष्ठतम माननीय सदस्य राजाखेड़ा से आने वाले, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले, मूल रूप से ध्यानाकर्षण खेतड़ी से आने वाले सदस्य ने किया है। आपका जो सुझाव आया है, मैं आज हाउस में इतना ही कहना चाहूंगा, घोषणा करना चाहूंगा कि मैं स्वयं एक टीम के साथ, 3-4 लोगों के साथ,

(श्री युनुस खान)

सैम्पल चैक कम से कम दस मकानों का, हमारे लोग रह रहे हैं, उनका हम करेंगे नम्बर एक।

नम्बर-दो, माननीय सभापति महोदय, हाउस कमेटी का कार्यकाल वैसे 31.03.2015 को खतम हो गया। फिर भी जो हमारी हाउस कमेटी अभी है, उनके साथ मैं जाऊंगा और जिन-जिन इंजीनियर्स के खिलाफ जहां-जहां शिकायत आयेगी, मैं आपके माध्यम से हाउस को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके खिलाफ हम जांच करेंगे। जांच करके सख्त कार्यवाही करेंगे। यहां अन्य मुद्दे उठाये, जिसमें विशेष रूप से पीने का पानी पी.एच.ई.डी. सप्लाई करती है तो पी.एच.ई.डी. के अधिकारियों को भी मैं बुलाऊंगा, उसके अलावा सड़क निर्माण का काम जे.डी.ए. और नगर निगम करता है, उनके भी उच्चाधिकारियों को बुलाऊंगा और माननीय मंत्रीजी जो हमारे, बैठे हैं पड़ौस में, उनसे भी आग्रह करूंगा कि आपके हाउस में आने से पहले माननीय सदस्यों ने यह चिन्ता व्यक्त की है इसलिये सड़क, पानी, बिजली और उसका रखरखाव, ये सारे विषय होंगे तो एक उच्च स्तरीय कमेटी चर्चा करके, हम आपसे, माननीय आसन से भी चर्चा करके और हमारे माननीय सदस्यों से चर्चा करके इसकी पूरी कार्यवाही करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, अभी जो हमारे मकानों का निर्माण है और जो उसमें हमारे माननीय सदस्य रहते हैं, वे भी एक्चुअल में नार्म्स के अनुसार नहीं हैं। जब निर्माण हुआ था, उस समय आवश्यकता अलग थी और आज आवश्यकता अलग हो गयी। कमरों में, जो उनकी बैठक है, शयन कक्ष है, उनका आकार भी छोटा है। कांस्टीट्एंसी से मिलने वाले लोग भी ज्यादा आते हैं आजकल। जब ये बने थे, उस समय इतने वाहन नहीं थे। आजकल तो जो हमारा कार्यकर्ता आता है हमारे माननीय सदस्यों से मिलने, उसके साथ भी बहुत सारे व्हिकल आते हैं, जिससे पार्किंग की भी अव्यवस्था हो जाती है इसलिये हमने एन.बी.सी.सी. से अभी सर्वे करवाया है। जालूपुरा में हमारे बड़े-बड़े क्वार्टर्स हैं, उसके अलावा पूर्व और पश्चिम के हैं, विधायकपुरी के हैं, क्या हम चरणबद्ध तरीके से इनका नवनिर्माण करके और आवश्यकतानुसार इसका करें तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी यह निर्देश दिये हैं। मैं स्वयं भी दिल्ली गया था। हमने बैठक की थी और एक प्रपोजल एन.बी.सी.सी. के साथ, पी.डब्ल्यू.डी. और एन.बी.सी.सी., दोनों की एक कम्पनी भी बनी है माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश पर, तो

(श्री युनुस खान)

यह कार्यवाही भी हम जरूर करेंगे। (व्यवधान) नहीं, नहीं, कांच की गोली नहीं दे रहे। निश्चित रूप से मैं स्वयं जाऊंगा और उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जो शिकायतें आयी हैं उनकी जांच करेंगे, दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। हमारे सदस्यों को असुविधा नहीं हो, उसके लिये पूरी, समुचित रूप से, माननीय मुख्य मंत्रीजी से चर्चा करके हम कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): एक जांच कमेटी घोषित करो, गोल-मोल जवाब मत दो। क्योंकि अति महत्वपूर्ण मुद्दा है और यह जो दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कमेटी की घोषणा करें। आप बताएं कि आप कितने दिन में यह करेंगे।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बिलकुल, मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है। (व्यवधान) मैंने बिलकुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो भी दोषी अधिकारी होगा और मैंने यह भी कहा है, सभापति महोदय, कि आसन से चर्चा करके, हमारे वरिष्ठ सदस्यों से चर्चा करके, कमेटी...(व्यवधान) कमेटी आज ही...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): नहीं, आप तो आज ही कमेटी बनाइये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आज ही कमेटी बना देंगे, साहब। चर्चा करके बना देंगे, किन-किन विधायकों को लेना है और किस स्तर की कमेटी, सक्षम स्तर की बनानी है, करवाकर कार्यवाही करेंगे और कार्यवाही करके आसन को वापस रिपोर्ट करेंगे, माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बोलना बंद कब करेंगे? (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): यू.डी.एच. मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा की पूर्व में जो जमीन है, उसके पास में बिल्डर...(व्यवधान)

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, सम्माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): बिल्डर जो काम कर रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, आपसे पहले कुछ ऐसे सदस्य हैं, जिन्होंने प्रश्न पूछने की इच्छा जाहिर की है। You can not override to them. आपके ही सम्माननीय सदस्य हैं जो आपके पीछे विराजमान हैं, उन्होंने पहले आग्रह किया है। आप उनके अधिकारों पर अतिक्रमण करना चाहेंगे? तो फिर विराजे रहें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ये उनके धीरज की परीक्षा ले रहे थे।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, कुछ विधायकों को तो पैसा, प्रथम जिन्होंने आवेदन कर दिया था, उनको मिल चुका है लेकिन अधिकतर विधायक ऐसे हैं, जैसे मेरे खुद के मकान का मैं कहता हूं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब तक हमें पैसा नहीं मिला। उस मकान का कब्जा तो ले लिया लेकिन उस मकान में शिफ्ट नहीं हो पाये हैं। दूसरी बात, मैं किसी पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगा रहा, लेकिन विधायक का जो मकान होता है, वह विधायक की सम्पत्ति नहीं होता है, वह राजस्थान के कार्यकर्ता, जो भी हमारी जनता है, हमारे लोग हैं, उनकी सम्पत्ति होता है और विधायक का आवास चौबीस घण्टे उनके लिये खुला रहता है। कभी भी उनके मकान में आकर राजस्थान भर का आदमी उनसे अपनी दु:ख, तकलीफ बता सकता है। उस विधायक को तो कोई सुविधा नहीं है लेकिन जयपुर के अन्दर आपने ऐसे-ऐसे अधिकारियों को बड़े-बड़े मकान दे रखे हैं, जो लोग अपना ट्रांसफर इस चक्कर में नहीं होने देते हैं कि हमारा जयपुर के मकान से कब्जा नहीं छूट जाये। आज किसी अधिकारी के घर में जनता की इतनी हिम्मत नहीं है, जनता क्या, विधायक की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह अधिकारी के घर पर जाकर उसको अपनी समस्या बता सके, उससे बात कर सके। लेकिन जो विधायक राजस्थान की जनता के आग्रह सुनने के लिये, उनकी समस्याएं सुनने के लिये बैठा रहता है, उस विधायक को आपने दो-दो मंजली फ्लैट दे रखे हैं, दो-दो, तीन-तीन कमरे उसके अन्दर हैं। उसके अन्दर अगर उसके क्षेत्र का कोई आदमी आकर रात को रहना चाहे तो वह क्षेत्र का आदमी रह नहीं पाता है और इन अधिकारियों को आपने बड़े-बड़े बंगले दे रखे हैं, जिनके अन्दर ये अधिकारी मौज मारते हैं, तीन आदमी इनकी फैमेली में कुल रहते हैं, अपने माता-पिता को भी ये गांव में रखते हैं। राजस्थान के लोग इनसे मिल नहीं सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके अन्दर भी आप लोग ध्यान दें।

श्री सभापति: श्रीचन्दजी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: अपनी-अपनी हरी बत्तियां आप मत जलाएं। अब इससे ज्यादा और किसी को इजाजत नहीं मिलेगी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): पिछले डेढ़ वर्ष में, सभापति महोदय, साढ़े तीन करोड़ रुपये एम.एल.एज. के मकानों को ठीक करने के लिये लगे हैं, कई जगह तो लग भी गये। लेकिन सभापति महोदय, साथ ही साथ यह भी सही है, आपका कहना, धीरजजी का, कि कई मकान ऐसे हैं जो इतने क्षतिग्रस्त हैं, उनको ठीक करने की आवश्यकता है।

एक माननीय सदस्य: सारे ही हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हां, अधिकतर मकान। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): एक भी पैसा नहीं मिला हमको। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हां, मेरे को मिलना नहीं, उसकी चिन्ता मत करो आप।

मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन किया। सभापति महोदय, फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसा आ नहीं रहा है। अभी माननीय मंत्री महोदय एक बात कह रहे थे कि पी.डब्ल्यू.डी. से मैं जांच कराऊंगा, वह कराऊंगा। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पिछले दिनों यहां विधायक नगर पश्चिम में एक छत गिर गई थी। उसकी भी जांच नहीं हुई, छत गिर गयी। हालांकि वह बाद में रिपेयर हो गयी। लेकिन हमने एक प्रपोजल दिया है, सभापति महोदय, कि विधायकपुरी और जालूपुरा के जो मकान बने हुए हैं, आज अगर उन मकानों की स्थिति आप देखो तो रहने लायक नहीं हैं और वह पूरी की पूरी कामर्शियल प्रोपर्टी है। वहां से 3-4 हजार करोड़ रुपये की इन्कम हो सकती है, अगर सरकार चाहे तो। उसके स्थान पर यदि विधायक नगर, पश्चिम में मल्टी स्टोरीज बना दी जाएं, जिसका हमने प्रपोजल तैयार किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि मल्टी स्टोरीज बनाकर सौ या दो सौ मकान वहां पर बना दिये जाएं, विधायकों के लिये...(व्यवधान) क्योंकि वह पुराने मकान बने हुए हैं, बहुत जर्जर अवस्था में हैं। तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा प्रपोजल है उसको स्वीकार करके, अगर मल्टी स्टोरीज बनाई जाएं तो सरकार का एक पैसा भी नहीं लगेगा। विधायकपुरी और जालूपुरा में मकानों की जो जगह है, अगर उसको आप बेच दें, उसकी जगह यहां पर उस पैसे को लगा दें तो भी हजार करोड़ रुपये, मंत्री महोदय, आपके बचेंगे। यह मेरा निवेदन है

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

और विधायकों की बढ़िया व्यवस्था हो सकती है। यह बात सही है कि माननीय विधायक...(व्यवधान) क्या कह रहे हैं आप?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सरकार सब कुछ बेचने की ही बात कर रही है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): नहीं, नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, ठीक है। हमें निकालोगे क्या, जालूपुरा को बेचकर।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं आपके लिये एक अच्छी व्यवस्था की बात करता हूं, एक अच्छा सुझाव दे रहा हूं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): विधायकों को तो आवास दिये जाएं और मल्टी स्टोरीज में अधिकारियों को भेजा जाए। वे बंगले लेते हैं और किसी से मिलते नहीं हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपके लिये इतने बढ़िया मकान बनेंगे ताकि आप जनता की सेवा भी कर सको, अपने कार्यकर्ताओं को भी रुका सको। यह एक अच्छा सुझाव है।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): गाय-भैंस कहां बांधेंगे?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): गाय-भैंस बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा यह निवेदन है और मैं आपके माध्यम से उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय इस सुझाव पर गम्भीरता से ध्यान देंगे। हमने मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन किया है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों से क्षमा याचना करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि आज सदन में पहली बार माननीय प्रद्युम्नसिंहजी बोल गये, मुझे आश्चर्य हुआ। हम एम.एल.एज. की सुख-सुविधा के लिये और हमारी सुख-सुविधा के लिये सदन में चर्चा नहीं कर सकते। यह दस रुलिंग्स हैं, माननीय अध्यक्षों की। केवल आसन इतना सक्षम है...(व्यवधान) गलत है तो...(व्यवधान) विश्नोईजी सुन लीजिये।

केवल आसन और गृह समिति, दोनों इस बात के लिये सक्षम हैं कि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

वह यह काम कर सकती है। एक डिमाण्ड आप यहां पेश नहीं करोगे, सरकार आकर आपकी सारी सुविधाएं कर देगी। मैं समझता हूं कि हमको कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी तकलीफ में रहें, लेकिन हम स्थापित परम्पराओं का उल्लंघन नहीं करें। हमारी सुख-सुविधा के लिये, हमारी बात के लिये सदन का समय जाया नहीं करें। मंत्रीजी, आपने सारी सुन ली और आप लोग मिलकर इसका समाधान करें। परन्तु कम से कम, भगवान के नाम पर, सब बातों का उल्लंघन हो रहा है। हम एम.एल.एज. अपनी सुख-सुविधाओं के लिये सदन में चर्चा नहीं करें, यह हमारे सब अध्यक्षों की व्यवस्था है। वह पढ़कर सुना देता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम लिया है।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, इन्होंने जो कहा है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एक मिनट, एक मिनट। मेरा नाम लिया है यहां पर, हमारे वरिष्ठ, सम्माननीय, बुद्धिमान साथी ने। यहां पर सुख-सुविधाओं की बात नहीं की गयी है। कई मकानों की जो छत गिर जाती है, अगर मर जाएं उसके अन्दर रहकर तो ऐसी परम्पराओं के ऊपर पुनर्विचार करना बहुत जरूरी है। (व्यवधान) पुनर्विचार करना ही बहुत जरूरी है, तिवाड़ीजी। पुनर्विचार करना भी जरूरी है। जहां गृह समिति के अध्यक्षजी यह बात कहें कि उन मकान की छत गिर गयी है।

(14.00 बजे)

हम यह तो नहीं कह रहे कि आप उसमें कोई मखमल के कालीन बिछा दीजिए। हम तो यह कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा का इंतजाम, जो गंदा पानी आता है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: यह सुख-सुविधाओं की बात नहीं हो रही है, मूलभूत आवश्यकताओं की बात हो रही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): Very good. Very good.

श्री सभापति: चर्चा समाप्त। चर्चा समाप्त ।

व्यवस्था का प्रश्न

अल्प सूचना प्रश्न हेतु तारीख का नियतन

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): On a point of order. माननीय सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपको नियम-48 के अन्तर्गत, मैंने एक अल्प सूचना प्रश्न की सूचना दी थी। नियम-48, मेरा प्रश्न यह था कि- (1) राज्य सरकार के अक्टूबर, 2013 में प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को मार्गोपाय की क्या स्थिति रही है?

(2) अक्टूबर, 2013 से प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को कितना नकद शेष था तथा कितना आर.बी.आई. (रिजर्व बैंक आफ इंडिया) में निवेश रहा?

(3) अक्टूबर, 2013 से प्रत्येक माह की प्रथम तिथियों को नकद शेष कितना शार्ट टर्म (14 दिवस अथवा 91 दिवस) के लिए निवेश किया गया था?

यह प्रश्न मैंने दिया था। यह प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय ने ग्राह्य कर लिया और ग्राह्य करने के बाद में इस प्रश्न को उन्होंने राज्य सरकार के पास भेज दिया। राज्य सरकार की सूचना आई, राज्य सरकार ने कहा कि इस प्रश्न का जवाब देना उचित नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इसके लिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इस नियम-48 के नियम-3 में- 'यदि मंत्री अल्पावधि सूचना प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो तो वह अध्यक्ष को लिखित में उसके कारण बतायेगा तथा फिर भी यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि प्रश्न पर्याप्त लोक महत्व का है जिसका कि सदन में मौखिक रूप से उत्तर दिया जाना चाहिए तो वह ऐसी तारीख नियत कर सकेगा जिसको प्रश्न पूछा जाएगा और उसका उत्तर दिया जाएगा।'

मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि सरकार चाहे मना करे लेकिन माननीय अध्यक्ष चाहें तो उस पर उत्तर देने के लिए कह सकते हैं। मेरे प्रश्न पूछने का एक ही कारण था कि बार-बार माननीय विधायकों को, माननीय मंत्रियों को सबको सोचना पड़ता है कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। जब जवाब नहीं आया तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सी.ए.जी. से सम्पर्क किया, सी.ए.जी. (Comptroller and Auditor General of India) से, उन्होंने कहा कि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सब नागरिकों के लिए agraj.cag.govt.in पर उपलब्ध हमारी सूचनाएं हैं और उनमें स्पष्ट लिखा है पेज संख्या-7 में कि राज्य सरकार के पास वर्ष 31 मार्च, 2013 को 12,127 करोड़ रुपये का कैश बैलेंस था। इसी प्रकार 31 मार्च, 2014 को 8,997 करोड़ रुपये का कैश बैलेंस था और प्रत्येक महीने, 15 महीने तक 9,000-10,000 करोड़ रुपये रिजर्व बैंक में बिना खर्च किये हुए हमारे पड़े रहे और उसका परिणाम क्या हुआ कि साढ़े चार परसेंट ब्याज केवल रिजर्व बैंक ने दिया और हमने जो बाजार से बोरोइंग की, उसका साढ़े सात से आठ परसेंट ब्याज दिया और इससे राजकोष को हानि हुई, एक।

और, मंत्रियों की हर फाइल पर फाइनेंस सैक्रेटरी ने लिखा नो, नो, नो, नो बजट उपलब्ध। न मंत्रियों का काम हुआ, न विधायकों का काम हुआ और राजकोष को हानि हुई। इसलिए मैं यह प्रश्न पूछना चाहता था और इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार है कि वह सरकार के मना करने पर भी माननीय मंत्री महोदय, वित्त मंत्री महोदय को यह कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जवाब दिया जाना लोक हित में है। यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापतिः आपके इस प्रस्ताव पर आसन अपना निर्णय रिजर्व रखता है।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापतिः श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2015 को जनमत जानने के लिए, परिचालित करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा।

यह जो यूजर चार्जेज लगा रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, यह भारत सरकार ने हमें जो मंडी शुल्क लगाते थे, उसके लिए दिया था। भारत सरकार ने यह विनिश्चय किया कि कृषि उपज मंडी समिति को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार की एजेंसियों के द्वारा प्रोत्साहित परियोजनाओं के लिए

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन के अधीन मंडी अवसंरचना के सृजन के लिए सहायता केवल उन्हीं राज्यों को दी जाएगी जिन्होंने फलों और सब्जियों में मंडी की फीस समाप्त कर दी है और इसलिए यह मंडी शुल्क समाप्त हुआ था। लेकिन सरकार दुबारा यह यूजर चार्जेज लगा रही है और वह उन्हीं फल और सब्जियों के ऊपर लगा रही है जो मंडी के अन्दर, मैं समझता हूं कि काम करेंगे। मंडी के बाहर अगर कोई सब्जी या फल बेचना चाहेगा तो उसके ऊपर काई चार्जेज नहीं होगा।

सबसे पहला तो मेरा निवेदन यह है कि अगर मंडी में अन्दर लाकर फल और सब्जी बेचना चाहेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा और अगर बाहर रहकर अगर अपना व्यवसाय करेगा तो उसको नहीं देना पड़ेगा। इस असमानता के कारण से लोग मंडी में आना कम कर देंगे। और जो मंशा है सरकार की कि वित्तीय साधन जुटाने के लिए मंडियों की जो व्यवस्था है, उसको ठीक करने के लिए यह शायद टैक्स सरकार लगाने जा रही है। लेकिन आज, माननीय सभापति महोदय, जो मंडियों की स्थिति है, वह इस प्रकार की है कि दुनियाभर की गंदगी मंडियों के अन्दर है। दुनियाभर के पशु उसके अन्दर, सुबह से शाम, किसान की जो बोरी पड़ी रहती है, उसको खराब करते रहते हैं, बोरियों को खाते रहते हैं और उनका किसान का जो अनाज है वह वहां पर बेकार फैलता रहता है।

किसान को जो मंडी में सुविधा मिलनी चाहिए, वह सुविधा नहीं मिल रही है। आज जो खाने की व्यवस्था आप बता रहे हैं कि सरकार ने कर रखी है। हमने भी की थी, आपने भी की है। उसमें जो गुणवत्तापूर्वक खाना और गर्म खाना मिलना चाहिए, वह किसान को नहीं मिल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंडियों में अनाज की हजारों बोरियां पड़ी रहती हैं। बरसात आ गयी तो वह मंडियों में पड़ा हुआ किसान का अनाज बेकार हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। अब मंडी में किसान की व्यवस्था करें, उसके अनाज को सुरक्षित रखने का हम काम करें। केवल हम टैक्स लगाते रहें, टैक्स लगाते रहें, इसी के लिए सरकार नहीं बनी है। किसान भवन बने हुए हैं, माननीय सभापति महोदय, और उन किसान भवनों को किसानों की सुविधा के लिए बनाया गया था लेकिन आज वह सारे के सारे किसान भवन पी.पी.पी. मोड पर, चाहे हमने दिये, चाहे आपने दिये, पी.पी.पी. मोड पर हैं। प्राइवेट ठेकेदार ने उसका ठेका ले रखा है

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

और वहां पर किसान रुकता नहीं है। या तो किसी शहर के व्यक्ति के विवाह-शादी के लिए वह काम में आता है या मुझे माफ करना वहां पर रात को कमरों में शराब और बियर पीना और मौज-मस्ती करने के काम में वह लोगों के आ रहे हैं जबकि किसान की सुविधा के लिए वे किसान भवन बने थे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि उन किसान भवनों में किसान रहें मंत्रीजी, इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए।

एक, जो मंडी की आय होती थी, उससे सड़कें हमारी बनती थीं। पिछले समय में पी.डब्ल्यू.डी. को दिया गया। अबकी शायद वापस आपने उसमें दे दिया। किसान को उस मंडी क्षेत्र में सड़कें बनाने के लिए उस समिति को, माननीय सभापति महोदय, कोई अधिकार ही नहीं है। वह समिति निर्णय करके भेजेगी, राज्य सरकार मर्जी आए उसको सैंक्शन करे, मर्जी आए उसको सैंक्शन नहीं करे। जब मंडी समिति का पैसा है, मंडी समिति का अपना निर्णय है तो उसके बाद में सरकार की क्या पंचायती, क्या चौधर है, यह मैं पूछना चाहता हूं? इसलिए इस बात की व्यवस्था भी हमें करनी पड़ेगी। नई मंडियां घोषित हुई। उनके बारे में कहीं जमीन आबंटन का काम नहीं, कहीं मकान बनाने का काम नहीं। मेरे यहां लक्ष्मणगढ़ में, माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार थी तो हमने लक्ष्मणगढ़ मंडी यार्ड समिति के लिए जमीन आबंटित करवाई। पैसा खूब सरकार ने कहा है कि, साहब, इतना लाख रुपया लगेगा। हमने विपणन मंत्रालय बोर्ड को प्रस्ताव भेजा कि हमें लोन दीजिए। हमने लोन ले लिया, उसमें समय लगा और लोन लेकर जब हमने राज्य सरकार को जमा कराया तो कब्जा देने के बजाय मेरे लक्ष्मणगढ़ में वापस उस पर एक नोटिस निकाल दिया कि इस समय के अन्दर आपकी डी.एल.सी. रेट बढ़ गयी, इसलिये इतना पैसा आप और दे दीजिये। मैं समझता हूं सरकार किसान के हित के लिये जो मंडी बनने जा रही है, उसमें आपने जो डिमांड नोट दिया, वह डिमांड नोट जब कृषि उपज मंडी ने लोन लेकर जैसे-तैसे जमा करा दिया, तो उसके बाद में यह डी.एल.सी. तो आप रोजाना बढ़ाते रहोगे, रोजाना बढ़ती रहेगी। आज डेढ़ साल हो गये, कब्जा नहीं मिला है।

कृषि उपज मंडियां हैं, शहर के व्यापारी तो व्यापार करते हैं, लेकिन जो गांव का किसान है, वह अपना अन्न पैदा करके उसमें लाता है और किसान पर आप जो मंडी शुल्क लगाते हो, उससे ये मंडियां चलती हैं। मंडी समितियों को

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

अपनी आय में से रोशनी व्यवस्था करने का अधिकार है। मैं मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे जहां तक जानकारी है, आप दुरुस्त कर दें अपने जवाब में, कि केवल शहर में नगरपालिका सीमा में आप रोशनी की व्यवस्था के लिये पैसा खर्च कर सकते हो। गांव में रोशनी की व्यवस्था करने के लिये उस कृषि उपज मंडी को पैसा खर्च करने का कोई अधिकार नहीं है।

किसान मंडी में आता है, माननीय सभापति महोदय, कोई ऊंटगाड़ी-लड़्ढे से आता है, कोई ट्रैक्टर से आता है, अधिकतम ट्रैक्टर और ऊंटगाड़ी से आता है। उसमें रिफ्लैक्टर लगा हुआ नहीं होता है और आते वक्त या जाते वक्त हमें देखने को मिलता है कि काफी एक्सीडेंट हो जाते हैं। ट्रैक्टरों से भी हो जाते हैं और ऊंटगाड़ियों से लड़्ढे वाले किसान की भी मौत हो जाती है। मैं समझता हूं कि कृषि उपज मंडी में आपकी सरकार की तरफ से यह जाये कि जो भी लड़्ढा या ट्रैक्टर-ट्रोली लेकर के जो मंडी में आएगा, उसके अनिवार्य रूप से रिफ्लैक्टर लगाया जाएगा और रिफ्लैक्टर के बगैर वह ट्रैक्टर-ट्रोली या ऊंटगाड़ी लड़्ढा वापस नहीं जाये, कोई रिफ्लैक्टर की माया नहीं लगती है और मैं समझता हूं सरकार की इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर किसी एन जी ओ को आप कह देंगे कि आपको लगाना है। चाहे लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, आपका महावीर इंटरनेशनल क्लब है, आपका जो भी है, या मंडी की जो आय है, उसी में से आप फैसला कर दीजिये। उसमें रिफ्लैक्टर लगाकर अगर वह चलेगा तो मैं समझता हूं किसान की जान भी हम बचाने का काम इसके माध्यम से कर सकते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसान मंडी में आता है, अगर वह बीमार हो गया, मंडी अक्सर शहर के एक छोर पर बनी हुई होती है, उसको तत्काल अगर फर्स्ट-एड की जरूरत होती है तो मैं समझता हूं उसके लिये बड़ी तकलीफ की बात होती है। इसलिये हर कृषि उपज मंडी में जो बड़ी है, उसमें अगर कम से कम हम एक डिस्पेंसरी खोल दें तो मैं समझता हूं कि किसान अपना वहां पर अनाज भी ले आएगा, वह अपना अनाज बेच भी देगा, उसको पूरा समय मिल जाएगा। वह वहां पर किसी डाक्टर को दिखाकर अपनी छोटी-मोटी बीमारी का इलाज भी करा ले तो इस प्रकार की व्यवस्था भी मैं समझता हूं, होनी चाहिये।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

एक जो अक्सर हमें देखने को मिल रहा है कि किसान को समय पर पैसा नहीं मिलता है इसलिये उसको बार-बार आना पड़ता है और उसका पैसा खर्च होता है, उसका समय भी बर्बाद होता है, तो इसके लिये भी आप कोई नियम, उप-नियम जिस तरह का भी बनाना चाहो, बनाकर एक तय सीमा हो, कि किसान का जो अनाज लिया जाता है, उसमें इतने दिन में आप उस किसान को भुगतान करना अनिवार्य कर दोगे। क्योंकि जब मूंगफलियों की खरीद की बात आती है तो कहते हैं, साहब, वह राजफैड से पैसा नहीं आया। यह व्यवस्थाएं सारी की सारी केवल कहने मात्र से नहीं चलेगा।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको वह काम करना पड़ेगा। किसान को सुख-सुविधाएं देनी पड़ेंगी। आज किसान के पास में उसके अनाज और पशुधन के अलावा है क्या मंत्री महोदय? अगर वह लेकर के मंडियों में आता है और उसको अगर सुविधा नहीं मिले तो मैं समझता हूं वह ठीक नहीं है।

अभी गेहूं की फसल काफी जगह पूरे प्रदेश में बेकार हो चुकी है। जो भी फसलें थीं चाहे सरसों थी, चाहे गेहूं थी, चाहे जौ था, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत बचा-खुचा है, उसके लिये भी, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि जौ का समर्थन मूल्य मैं समझता हूं शायद 1000 या 1100 रुपये होना चाहिये और गंगानगर, हनुमानगढ़ में एक भी आदमी जौ को खरीद नहीं रहा है, जो जौ का व्यापारी है, वह उस किसान से 800-850 रुपये में ले रहा है और किसान उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 800-850 रुपये में देने में मजबूर हो रहा है।

आज हम केवल टैक्स लगाने की बात पर विचार करें, उसके साथ में किसान की सुविधाएं किस प्रकार से बढ़ें, मंडी में किसान आने के बाद में यह सुकून महसूस करे कि यह मेरी मंडी है, मैं यहां अनाज लेकर आया हूं तो कम से कम मुझे सुविधा भी मिले। आज केवल गंगानगर में आपके गेहूं के 25 केन्द्र बंद कर दिये गये हैं। अब वर्तमान में जो 25 केन्द्र थे, उसमें से कितने थे, आप ध्यान कर लेना, 25 केन्द्रों को बंद कर दिया। जब आप किसान का गेहूं ले नहीं रहे हो, जौ आप खरीद नहीं रहे हो, समर्थन मूल्य आप दे नहीं रहे हो, किसान जो अनाज मंडी में रखकर जा रहा है, उसको बरसात से भीगने की या खराब होने की कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं है, किसान को समय पर पैसा आप दे नहीं रहे हो, किसान को अच्छा खाना आप खिला नहीं रहे हो तो मैं

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

समझता हूं कि फिर अपन कर क्या रहे हैं? केवल टैक्स लगाकर अपनी इतिश्री कर लें कि सरकार के पास में पैसा आये। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं आपने निर्णय कर लिया कि आप टैक्स लगायेंगे, क्योंकि बहुमत है, बहुमत के आधार पर सब कुछ होता है। लेकिन यह सुविधाएं किसान के लिये जरूर होनी चाहिये।

अपने संविधान है, चेयरमैन बना रखा है। सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं हमारी सरकार थी, पंचायत समितियों के जो प्रधान और जिला प्रमुख थे, उनको गाड़ियां देने का काम किया था जिससे उनके और विकास अधिकारी के झगड़े नहीं हों और जो ग्रामीण विकास चल रहा हैं, उसको वह देखें, जाएं, निरीक्षण करें और उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। लेकिन आज मंडी का जो क्षेत्र है, वह लगभग एक विधान सभा क्षेत्र के बराबर ही होता है, उसमें शायद पांच हजार रुपये का अलाउंस उसको मिलता है। मैं समझता हूं यह पर्याप्त नहीं है। जब हमारे संविधान में व्यवस्था है और किसान के हित की बात करने वाला जो जन-प्रतिनिधि चुनाव जीतकर आता है, उसकी सुख-सुविधाएं, उसका मानदेय बढ़ाने का काम भी करें, उसको साधन उपलब्ध कराने का काम भी करें, तो मैं समझता हूं और ज्यादा काम ठीक तरीके से होंगे। गांव में भी हम इस तरीके से वेयरहाउस क्यों नहीं बनाएं, मंडी में ही किसान अनाज लाये, यह जरूरी थोड़े ही है। मंडी समिति से जो आय होती है, काफी मंडियां हैं जिसमें अच्छी आय होती है, तो गांव में अपना जो मंडी क्षेत्र है, उसमें भी अपन वेयरहाउसेज इस तरीके के बनाएं कि किसान अपना सामान वहां सुरक्षित रख सके। यह व्यवस्था भी हमें करनी चाहिये। फल-सब्जी को मंडी में लाकर वह औने-पौने दामों में बेचकर चला जाये, हमने कभी इससे आगे सोचा ही नहीं। किसान मरे तो मरे, लेकिन किसान को हम किस तरह से आबाद करें, अगर हम कोल्ड स्टोरेज बनाने का काम भी करेंगे तो मैं समझता हूं गांव में किसान को बचाने का काम होगा और जब किसान आबाद होगा, उसकी आमदनी अगर बढ़ेगी तो मैं समझता हूं कि गांवों में खुशहाली आएगी।

मंत्री महोदय, आप गांव से आते हैं, इसलिये मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा माननीय सभापति महोदय के माध्यम से कि इस तरह का कोई कार्यक्रम बनाइये कि किसान को यह महसूस हो कि हमारे लिये सरकार बनी है। अन्न पैदा करके जिस तरीके से भगवान का काम करता है किसान, उसको सुख-सुविधाएं मिलें। इन बातों को भी हमें देखना पड़ेगा।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(14.18 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

मैं, सभापति महोदय, दूसरा एक निवेदन करना चाहता हूं कि मंडी में आप पियोन्स की भर्ती कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमारे सीकर, झुन्झुनूं और नागौर, तीन जिलों में 13 आदमी आप ले रहे हो। कानून में प्रोविजन है, माननीय सभापति महोदय, कि उन मंडियों की समिति जो बनी हुई होती है वह समिति लेगी, लेकिन दुर्भाग्य है, सरकार ने निर्णय कर लिया जो चुने हुए जन --प्रतिनिधि हैं, मंडी समिति का जो चेयरमैन है उसको उस सिस्टम से आउट कर दिया। अपना एक सिस्टम बना लिया सरकार का कि चुना हुआ जन-प्रतिनिधि, जिसको चेयरमैन हम कहते हैं, कृषि उपज मंडी का अध्यक्ष कहते हैं, उसकी कोई भागीदारी नहीं रहेगी। जन-प्रतिनिधि को तो आपने इस तरह से मान लिया कि जन-प्रतिनिधि तो एक फोर्थ क्लास का, पियोन सलेक्ट करने के लिये एलिजिबल ही नहीं है और आपके अधिकारी एलिजिबल हो गये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की परिपाटी को बंद कीजिए और अगर आप में इच्छा-शक्ति है तो किसान की सुविधा के लिए किसान को खुशहाल करने के लिए, उसको सुविधाएं देने के लिए आप जो काम करना चाहते हैं वह करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन आज कृषि उपज मंडी के पियोन्स की भर्ती हो रही है दो-दो, तीन-तीन महीने तक प्रक्रिया चलेगी और लोग यह कहते हैं कि जो समिति में बैठने वाले सचिव वगैरह हैं उनको निर्देश दे दिये गये हैं कि हम जो जयपुर से लिस्ट भेजेंगे, उस लिस्ट वाले को पूरे नम्बर देने हैं और बाकी को आपको आधे नम्बर देने हैं। अगर यह सत्य है तो मेहरबानी करके उस गरीब किसान के बेटे के साथ में अन्याय होने से बचा लीजिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज बाजार में आम चर्चा है कि कृषि उपज मंडी में अगर एक पियोन लगना है +++ ....(व्यवधान) बीच में संसदीय कार्य मंत्रीजी कहां आ गये? मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, सभापति महोदय, जो वास्तव में है वो मैं कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बिल पर बोलते-बोलते क्या आरोप लगा रहे हैं यह? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): + + + (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बिल पर ही तो बोल रहे हैं यह।

श्री सभापति: आप बिल के ऊपर अपनी बात रखें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बात ही रख रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप रखिये न अपने संशोधन पर...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह बिलकुल गलत है। यह आरोप बिलकुल बनावटी है, निराधार है, राजनीतिक द्वेषता से लगाये गये हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं किस पर लगा रहा हूं आरोप...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जोधपुर में भर्ती हो रही है और कोई ऐसा आरोप नहीं है। यह आरोप बिलकुल निराधार है। यह आरोप निराधार है, राजनीतिक द्वेषता से लगाये गये हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं तो आम बाजार में चर्चा है, सभापति महोदय...(व्यवधान)

श्री सभापति: चर्चा बिल पर हो रही है, आप बिल पर संशोधन रखें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, इनको एक्सपंज कराइये आप, मेरी प्रार्थना है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको बीच में बोलने का किसने अधिकार दे दिया? बैठ जाइये आप।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बैठ जाओ। (व्यवधान) ऐसे आरोप लगाते हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह क्या बात हुई?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपको क्या बात हो गयी?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने ही ले रखा है क्या ठेका? (व्यवधान) मैं सही कह रहा हूं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): असत्य कह रहे हो। मजाक बना रखी है कि मर्जी आओ जैसे ही बोल जाते हैं हाउस में।

श्री सभापति: जिसको बोलने के लिए आपको अनुमति दी गयी है, कृपया आप वो ही बात कहें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कह रहा हूं न मैं, कृषि उपज मंडी पर ही तो बोल रहा हूं न मैं।

श्री सभापति: तो आप दूसरी बात क्यों कर रहे हो? उसके अनुरूप चलें आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप विराजें तो सही। सभापति महोदय, मैं न तो मंत्रीजी पर आरोप लगा रहा हूं न मैं किसी पर लगा रहा हूं। आज आमजन में चर्चा है कि पांच से लेकर आठ लाख तक लग रहे हैं।

श्री सभापति: आप वापस उसी विषय पर आ रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्यों नहीं आऊं? जब एक्ट आपने दिया है, मेरा अधिकार है, वो ही तो कर रहा हूं मैं।

श्री सभापति: नहीं, तो आप एक्ट पर बोलिये न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक्ट पर ही बोल रहा हूं न।

श्री सभापति: आप तो आरोप लगा रहे हैं बिना नोटिस के।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कृषि उपज मंडी भर्ती नहीं कर रही है क्या?

श्री सभापति: बिना नोटिस के आप आरोप लगा रहे हैं, आपको आरोप लगाने हैं तो नोटिस में आओ न आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं किस पर लगा रहा हूं? मैंने कब कहा +++ मैं यह कह रहा हूं कि इस व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। किसान का बेटा है, कोई लाटसाहब का बेटा, आई.ए.एस. का बेटा चपरासी नहीं बन रहा है। उस किसान के बेटे को हमें देखना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था को समझना पड़ेगा। पियोन में आप क्या इंटरव्यू लेंगे? पियोन का क्या इंटरव्यू होगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, यह किस पर बोल रहे हैं? राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक में कहां लिखा है यह? कौन से क्लाज में लिखा है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, इसी पर बोल रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): काहे पर बोल रहे हैं आप? सभापति महोदय, आप इसको एक्सपंज कराइये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको पूछ कर थोड़े ही बोलूंगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, मेरे से पूछ कर नहीं बोलोगे, पर नियमों में बोलोगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं पूछूंगा...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नियमों में बोलोगे।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मर्जी आवे जैसे कैसे बोलोगे...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसके ऊपर बोलने का दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह कोई सब्जी मंडी का चौराहा नहीं है कि आप आरोप लगाते चले जाओ, हम बैठे-बैठे सुनते रहें। सब्जी मंडी का चौराहा नहीं है यह।

श्री सभापति: आसन आपको बार-बार निर्देश दे रहा है कि आप विषय पर बोलें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मर्जी आवे जैसे बोल जाओगे...(व्यवधान) जिम्मेदारी होती है हाउस में बोलते हैं उसकी।

श्री सभापति: आप विषय पर बोलें न।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बाद में कह देना।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बाद में क्यों कहें, हाथों-हाथ जवाब लो।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): अभी कह देना, एक मिनट सुनो। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, आप बोलें। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट में मैं मेरी बात समाप्त कर दूं।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): उसके बाद आपको बोलना पड़ेगा, इस पर आप बोल देना। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, कृषि उपज मंडी (संशोधन) पर चर्चा चल रही है सदन में और माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव अच्छे भी दिये लेकिन अनर्गल आरोप यदि कोई भी सदस्य इस प्रकार सदन में लगाये, नम्बर एक, या तो वो प्रमाण पेश करे।

श्री सभापति: नहीं, यह आरोप अंकित नहीं हो। कोई भी आरोप अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इनकी फितरत है।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): या फिर इन सारे लेन-देन के मामले में मुझे +++ इसलिए इस पर भी एक प्रश्न यह उठता है कि +++ आरोप लगाने से पहले उसको प्रमाणित करें। यदि प्रमाणित नहीं कर पाते हो तो मेहरबानी करके सदन की गरिमा और मर्यादा को बनाये रखते हुए आप अपने आचरण के आधार पर यहां व्यवहार करें, ऐसा मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, +++

श्री सभापति: आप तो संशोधन पर आइये न सीधा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): संशोधन पर ही आ रहा हूं।

श्री सभापति: हां, तो आप सीधा उसी पर आओ न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कृषि उपज मंडी समिति का है तो समिति की तो सारी ही बातें हैं। जो अच्छी-अच्छी बातें हो रही थीं उसको तो अच्छी-अच्छी बता रहे हैं और जो व्यवस्था में खामी है उसको बुरी-बुरी बता रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप वापस वो ही बात।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय, सदन की नेता ने यहां पर एक घोषणा की थी कि जो किसान कृषि कार्य करते हुए खतम हो जायेगा उसको पांच लाख रुपये मुआवजा मिलेगा और अक्टूबर या नवम्बर 2014 में जो आदेश निकला है उसमें दो लाख रुपये ही देने का आदेश जारी हुआ है। मैं समझता हूं कि वो तीन लाख रुपये जो किसान के लिए हमारी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सदन की नेता के श्रीमुख से जब घोषणा हो गयी तो उसको भी, मंत्री महोदय, संशोधित करके पांच लाख रुपये दिलाने का काम करेंगे। मैंने पहले भी बात कही थी तो हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्रीजी भड़ाना साहब ने कहा था कि हमारे यहां मिल रहे हैं। मैंने बाद में इनसे बात की तो इन्होंने कहा वो बिजली वाले में ही मिल रहे हैं, इसमें तो दो लाख ही मिल रहे हैं।

मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं आप यूजर चार्जेज लगा रहे हैं, आप लगाएंगे, आपका बहुमत है लेकिन उसके साथ-साथ किसान की सुविधाएं उस मंडी समिति में करने के लिए जो व्यवस्था करनी है उसके लिए भी आपको सचेत रहना पड़ेगा, उसके लिए भी कोई कार्य योजना बनानी पड़ेगी। घोषणाएं कुछ करें और जब इम्प्लीमेंट के आदेश निकलें तो वो 20-30 परसेंट के आदेश निकलें, मैं समझता हूं कि यह किसान के साथ में घोर अन्याय है इसलिए इस बिल के साथ किसानों को सुविधाएं देने वाला काम भी है।

लास्ट में एक सैकिण्ड मैं अपनी बात कहूंगा। अभी मंत्री महोदय ने कहा, कि इनकी भी भूमिका है, अगर मेरे कहने से आप सीकर कृषि उपज मंडी में 13 पियोन लगा दोगे तो मैं स्वीकार करता हूं कि फिर मेरी भूमिका हो जायेगी। लेकिन न मैं कहूं, न मेरे कहने से आप लगा रहे हो इसलिए यह इस तरह से बचाव करने की जरूरत नहीं है। व्यवस्था को ठीक कीजिए, जो बाहर बाजार में रूमर है, जो चर्चा है उस पर विराम कैसे लगे, सही भर्ती किस प्रकार से हो, वहां के जन-प्रतिनिधि जो चुने हुए हैं उनकी भूमिका पूरी हो, इस बात के लिए मैंने अपनी बात कही है। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2015 पर चर्चा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं जितना समझता हूं वरिष्ठ सदस्य माननीय मानिक चन्द जी, घनश्याम जी तिवाड़ी साहब, हमारे संसदीय कार्य मंत्री और राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य जो अभी सदन में नहीं हैं, इस विधान सभा का बजट पास करने के बाद अगर कोई सबसे बड़ा काम है तो विधायी कार्य है, नियम बनाना, कानून बनाना है और जिस महत्वपूर्ण काम के लिए यह सदन है, व्यवस्था है उस महत्वपूर्ण काम को करते समय नियम पर चर्चा करने के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

बजाय नियम का महत्व क्या होगा, नियम के सामाजिक प्रभाव क्या होंगे और जब नियम एप्लाई होगा तो इस नियम से राजस्थान के आम आदमी के जीवन में क्या बदलाव आयेगा, क्या राहत मिलेगी, क्या न्याय मिलेगा, जब ऐसा गम्भीर विषय चर्चा में हो जो इस सदन का मूल काम है, अगर हम उस चर्चा में भी राजनीतिक लबादा पहनकर भाग लेने लगेंगे तो मैं समझता हूं यह सदन अपने मूल कर्तव्य से भटक जायेगा। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, इस सदन की जिम्मेदारी विधेयक बनाना है।

कल सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आज किसी विधेयक पर ठीक चर्चा हो रही है वर्ना तो यहां कई बार हमने देखा है 'हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता' और विधेयक पारित, यह परम्पराएं भी संवैधानिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं हैं।

जैसा कि कल माननीय वरिष्ठ सदस्य ने कहा, हम बजट पर चर्चा करते समय आरोप-प्रत्यारोप लगायें, उसका मूल्यांकन करें, कमी-खामियां निकालें, लेकिन विधायी कार्य के दौरान हमारा चिंतन राजस्थान की जनता के सापेक्ष में होना चाहिए, परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, उसके दूरगामी परिणाम और प्रभावों पर होना चाहिए, तब हम इस सदन में अपनी जिम्मेदारी को निभा पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने क्या कहा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। राजस्थान कृषि उपज मंडी कानून जो 1961 में आया, इस अधिनियम की धारा 17 जो कृषि उपज मंडियों को फीस संग्रहित करने की शक्तियां देती है, आज उसमें एक 'परन्तुक' जोड़ा जा रहा है। धारा 37, जो उप विधियां बनाने की शक्ति देती है, धारा 17 के बदलाव को उसमें स्थापित करने का काम आज सदन को चर्चा के बाद करना है।

माननीय सभापति महोदय, उद्देश्य और कारणों में लिखा है कि 'भारत सरकार ने यह भी विनिश्चय किया है कि कृषि उपज मंडी समितियों को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार की एजेंसियों के द्वारा प्रोत्साहित परियोजनाओं के लिए' यह अलग विषय है। माननीय मंत्रीजी ने इसके उद्देश्य और कारणों में यह स्पष्ट नहीं किया कि किन-किन योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार से कितना मद मिलता है। यह विधेयक पारित

(श्री प्रहलाद गुंजल)

करके 0.01 परसेंट जो टैक्स सब्जी और फलों पर लगता था, जो न के बराबर था, उसको समाप्त करने के बाद भारत सरकार से कितनी बड़ी राशि हमको मिल रही है। अगर यह समाप्त नहीं करते तो उसका नुकसान हो जाता।

मैं समझता हूं कि अगर उद्देश्य और कारणों में सरकार इस बात का स्पष्ट उल्लेख करती तो इस सदन के सदस्यों का ज्ञान बढ़ता। किस प्रकार की योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के मद से हमको कितनी सहायता प्राप्त हो रही है? निर्बाध रूप से वह मद हमको मिले, इसलिए भारत सरकार की भावना के अनुसार यह बिल हम सदन में ला रहे हैं। मैं समझता हूं अच्छा होता अगर इसमें उल्लेख करते। भारत सरकार की इसी भावना को ध्यान में रखकर इस बिल को लाया गया है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में 2013 के पहले सभी कृषि जिंसों पर 1.6 परसेंट टैक्स लगता था। अभी वर्तमान में तिलहन पर 1 परसेंट है, बाकी खाद्यान्नों पर 1.6 परसेंट वसूला जा रहा है। 1 सितम्बर, 2013 से फल एवं सब्जियों पर 0.01 परसेंट टैक्स वसूला जा रहा है। खाद्यान्नों का जो टैक्स कम किया, वह भी सरकार का एक प्रगतिशील कदम था। राजस्थान में तिलहनों पर जो टैक्स कम किया, भारी तादाद में सरसों का एक बड़ा सेंटर राजस्थान बन गया, राजस्थान के सरसों उत्पादक को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, जो सोल्वेंट प्लांट राजस्थान में आये इस तिलहन उत्पादन के कारण, उसको और किसान दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए जो टैक्स कम किया गया, मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार में किया गया हो, चाहे 2013 में किया हो, लेकिन एक सराहनीय कदम था।

माननीय सभापति महोदय, आज यह टैक्स खतम करके हम यूजर चार्ज लगा रहे हैं। यूजर चार्ज कितना होगा? यह नियमों में अधिसूचित करेगी सरकार। लेकिन इसके पीछे जो मंशा है, हम 0.01 परसेंट टैक्स जो फल, सब्जी पर लेते थे, समाप्त कर दिया।

राजस्थान में मुहाना मंडी जैसी कई बड़ी सब्जी मंडियां हैं। कई बड़ी सब्जी मंडियां हैं, जिनसे राज्य सरकार के कृषि विभाग को एक बड़ी रेवेन्यू जनरेट होती थी। कहने में हमको 0.01 परसेंट बहुत छोटा लगता है। लेकिन उससे भी जो रेवेन्यू जनरेट होती थी, वह रेवेन्यू समाप्त हो गयी थी। समाप्त होने के बाद जो लायबिलिटी पानी, बिजली, सड़क, लेबर की थी, वह सारी आज

(श्री प्रहलाद गुंजल)

भी कृषि उपज मंडियों के माथे पर हैं। मैं समझता हूं कि इसी को मद्देनजर रखते हुए इन सुविधाओं को सुचारु रूप से चलाया जा सके, इसके लिए कृषि उपज मंडी ने अनुज्ञप्ति धारकों से सेवाओं के बदले 1 प्रतिशत यूजर चार्ज लगाने का प्रावधान किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मानता हूं और आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि आप यूजर चार्ज लगा रहे हैं, लेकिन आपने लिखा है उद्देश्य और कारणों में, 'किन्तु साथ ही यह सुनिश्चित करते हुए कि मंडी समितियां मंडी यार्डों या उप यार्डों के परिसरों के भीतर-भीतर' मैं ध्यानाकर्षित कर रहा हूं, 'यार्डों के भीतर-भीतर फलों और सब्जियों के विक्रय के सम्बन्ध में कतिपय उपभोक्ता प्रभार' लेंगी। अब यार्डों के भीतर जो अनुज्ञप्तिधारक है, उससे आप यूजर चार्ज लेंगे। क्या गारंटी है कि आपका जो लाइसेंस धारी है, अनुज्ञप्तिधारी है, वह आपके यार्ड में व्यवसाय करेगा? वह आपके यार्ड के बाहर सड़क के दूसरे किनारे पर अपना एक गोदाम बनायेगा और खुले में व्यापार करेगा। इस कानून के लागू होने के बाद आप उस अनुज्ञप्ति धारक से चूंकि वह आपका यूजर नहीं है, आपके यार्ड का उपयोग नहीं कर रहा है, इसलिए वह बाहर जाकर, आपके सामने दुकान, गोदाम लगाकर सब्जी और फलों को खरीदेगा। उसमें उस गरीब किसान के साथ धोखाधड़ी और बेइमानी होने की जो गुंजाइश बनेगी, इस एक्ट में कहीं भी उसका प्रावधान नहीं है कि अगर आपके अनुज्ञप्तिधारी ने अपने परिक्षेत्र के बाहर, यार्ड, उप यार्ड के बाहर जाकर व्यवसाय किया और किसी किसान के साथ चीटिंग कर दी तो उसकी जिम्मेदारी क्या होगी? उसको किस प्रकार से पैनलाइज किया जायेगा? इस एक्ट में कहीं भी इस प्रकार का उल्लेख नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, जहां एक तरफ हम किसान को फायदा दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि दूसरी तरफ हम नोटिफाइड एरिये के अलावा उसको व्यापार करने की जो छूट दे रहे हैं, यह रेवेन्यू लास की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आपकी मुहाना मंडी में हो सकता है कि लोग आ जाएं। लेकिन इस राजस्थान के छोटे-छोटे तहसील हैडक्वार्टरों तक जहां सब्जियां बिकती हैं, छोटी सब्जी मंडियां हैं, उन सब्जी मंडियों में आढ़तिये सब्जियां खरीदना बंद कर देंगे। बाहर जाकर अपना व्यापार करेंगे। उस व्यापार के लिए उत्तरदायी कौन होगा अगर किसी के साथ धोखाधड़ी होती है तो। मैं समझता हूं कि इसका इसमें कहीं कोई उल्लेख नहीं है।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय सभापति महोदय, पिछले कई दिनों से ऐसा लग रहा था कि सब्जियों के दामों से सरकारें बनने, बिगड़ने लगीं। आलू, प्याज के भाव बढ़ गये, सरकारें गिर गयीं, सरकारें हटा दी गईं, सरकारें कटघरे में आ गईं। सब्जियों के बढ़ते हुए दाम जन भावना का, सरकारों को बदलने की मानसिकता का आधार जब से राजनीतिक चर्चा में बना, तो भारत सरकार ने तय किया कि आप सब्जियों, फलों को मुक्त कर दो टैक्स से। किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं वसूलेंगे। उसी भावना को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की मंशा के अनुसार यह बिल हम लेकर आये हैं।

माननीय सभापति महोदय, लेकिन मैं समझता हूं कि मंडी की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए आपने केवल परिक्षेत्र में कर दिया, बाहर खुली छूट दे दी। मैं नियम 58(4) की तरफ मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय, यह पहले से आपका विद्यमान नियम 58(4), 'बाजार क्षेत्र में स्थित सम्बन्धित उद्योग में उपयोग हेतु यदि कोई कृषि उपज बाजार के बाहरी क्षेत्रों से बाजार क्षेत्र के अन्दर लायी जाती है तो उस पर किसी प्रकार का बाजार शुल्क प्रभारित नहीं किया जा सकता'।

एक तरफ तो इसका दुरुपयोग हो रहा है, आढ़तिया यार्ड के बाहर माल खरीदता है और बाहरी परिक्षेत्र से, राज्य की सीमाओं से लाना उसको बताता है और आपका आज तक 1961 के इस अधिनियम में इस पर नियंत्रण करने का, इसकी मानिटरिंग करने का कि हम प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए ला रहे हैं, निर्यात के लिए हम इसको खरीद कर ला रहे है लेकिन आज मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि यह नियम 58(4) जिनको राज्य के बाहर से खरीद का प्रिविलेज देता है और टैक्स से मुक्ति देता है वह जिस परपज के लिए, प्रोसेसिंग के लिए निर्यात का नाम लेकर जो कर वंचना का फायदा उठा रहे हैं, इस एक्ट में आपने उसकी मानिटरिंग का क्या प्रावधान किया है, 1961 के बाद कभी इस पर विचार तक नहीं किया, इस पर भी मैं समझता हूं कि गम्भीरतापूर्वक विचार किये जाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, 1963 के नियम 75 के उप नियम 2 जिसमें 6 प्रतिशत आढ़तियों को कमीशन देना, कृषि उपज मण्डियों में आढ़तियों पर 6 परसेंट टैक्स वसूला जाता है। गांव का छोटा व्यापारी, कृषि उपज, बाजार में बेचने के लिए जाता है तो कई

(श्री प्रहलाद गुंजल)

बार धोखाधड़ी करके अन्ततोगत्वा उसके माथे पर डाल दिया जाता है, यह 6 परसेंट टैक्स उससे वसूल लिया जाता है जो कानून को जानता, समझता नहीं है। अपनी मोटर साइकिल, ट्राली में भरकर कद्दू, सब्जी, कुछ भी लेकर आता है और जब आढ़तिया उसको बिल चुकाता है तो 6 परसेंट मण्डी टैक्स काटकर कई बार देता है, इस प्रकार की घटनाएं भी कई बार राजस्थान में देखने को मिली हैं, अगर इस प्रकार की घटनाएं राजस्थान में होती हैं तो इन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए मैं समझता हूं कि सुनिश्चित प्रयास निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। अगर मानिटरिंग के चैक पाइण्ट कोई आप तय नहीं कर सकते हैं तो 75(2) में किसी भी तरीके से व्यापक बदलाव करके आम किसान के साथ इसका दुरुपयोग न हो, उसके साथ लूट न हो, इस बारे में भी गम्भीरतापूर्वक आपको चिन्ता और चर्चा करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि इस अधिनियम में आपने टैक्स लगाने की शक्तियां दीं, लगातार 1961 के बाद आप टैक्स भी ले रहे हैं, कृषि उपज मण्डियां समृद्ध भी हैं कई, जो टैक्स आप वसूल रहे हैं, यह टैक्स किस-किस मद में कितना-कितना खर्च होगा, क्या इसके लिए आपकी योजना है, क्या इसके लिए आपके नियम बने हुए हैं। किसान कल्याण के लिए उस टैक्स का उपयोग करेंगे? मण्डी यार्ड के डवलपमेंट के लिए उस टैक्स का उपयोग करेंगे? मण्डी में किसानों की फसल को बचाने के लिए शेड और सड़क निर्माण में उसको उपयोग में लेंगे? और मण्डी यार्ड तक किसानों की पहुंच के लिए जो सड़कों का निर्माण किया जाना था कृषि उपज मण्डियों द्वारा, उसमें उसका उपयोग करेंगे? इसमें आपको कहीं न कहीं प्रत्येक मद के प्रतिशत के बारे में नियमों में स्पष्ट प्रावधान करना चाहिए कि हम किसान कैजुअल्टी पर इतना पैसा देंगे, यार्ड के निर्माण पर इतना पैसा लगाएंगे, सड़क पर इतना पैसा लगाएंगे, विद्युत, पानी, तनख्वाह पर इतना भार हमारे ऊपर पड़ेगा। लेकिन इसका कहीं कोई प्रावधान नहीं है। मण्डी विकास शुल्क का आप क्या उपयोग करते हो, माननीय मंत्रीजी, आपके जंच गई कि मैं सारा पैसा राजस्थान की मण्डी समितियों का अन्ता विधान सभा में ले जाउंगा तो नियम कहीं आपको कहीं रोकने के लिए बाध्य नहीं है, आप ले जाइए। सारे राजस्थान के किसानों की मण्डी में जो कमाई आ रही है, आप अपने विधान सभा क्षेत्र में ले जाओ। नियम होना चाहिए कि कितना पैसा किस-किस मद में, किस-किस परिक्षेत्र में कहां-कहां से टैक्स आ रहा है, उस

(श्री प्रहलाद गुंजल)

टैक्स का उसी जगह पर समुचित उपयोग किस प्रकार से किया जाए, जब तक नियमों में इस प्रकार का स्पष्ट प्रावधान नहीं होगा...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह जब पैसा लेकर जाएंगे तो कोटा होकर ही तो रास्ता है न, पूरा तो पहुंचेगा नहीं वहां तक।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): वह पैसा सड़क से जाएगा तो रोक लेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की तरफ मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 2003 से 2008 के बीच में किसान भवनों का निर्माण हुआ, जब किसान भवनों का निर्माण हुआ, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि उसको पीपीपी मोड पर दे दिया और उनका उपयोग क्या हो रहा है? जब किसान भवनों का निर्माण हुआ तो सरकार की एक कल्पना थी और कल्पना केवल, किसान आए और रैस्ट करे इतना ही नहीं, वहां पर हम रियायती दर पर उसको भोजन देंगे, किसान को एग्रीकल्चर का प्रशिक्षण देने का प्रयास करेंगे और कृषि उत्पादन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ देश और प्रदेश की मण्डियों में घण्टे-घण्टे, दिन के चार बार बदलते हुए भावों का डिस्प्ले करेंगे और एक-एक चीज उस किसान को देंगे ताकि उसको देखकर किसान अपनी फसल देखने के लिए, बेचने के लिए स्वतंत्र रहे, लेकिन राजस्थान के किसान भवनों में आज तक किसी एक किसान भवन का उदाहरण माननीय मंत्रीजी मुझे देकर बता दे जहां पर इस प्रकार भावों का डिस्प्ले हो रहा है, जहां पर किसानों का प्रशिक्षण हो रहा है, किसान वहां पर सस्ती दरों पर भोजन प्राप्त कर रहे हैं? मैं एक बात और कहूं कि राजस्थान के कितने किसान भवन ऐसे होंगे जहां पर बनने के बाद आज भी ताले लगे हुए हैं और कल्याणकारी सरकार और मंत्री के नाते अगर उनको चालू करने का प्रयास करेंगे तो जिस भवन को निर्माण करते समय, नए निर्माण की राशि लगी थी उसका एक चौथाई आज उसकी मेंटीनेंस पर फिर से दुबारा खर्च करनी पड़ेगी, यह राजस्थान के आधे से ज्यादा किसान भवनों की हालत हो गई है। इसलिए आपको इस सारे विषय को बहुत गम्भीरतापूर्वक इस व्यवस्था के संचालन में जो-जो सामुदायिक सुविधाएं, जिस-जिस को देना चाहते हैं, टैक्स लेना हमारा दायित्व नहीं है, टैक्स के बाद किस प्रकार की समुचित व्यवस्था का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर आ रहा है उसको भी हम व्यवस्थित

(श्री प्रहलाद गुंजल)

तरीके से संचालित कर पा रहे हैं या नहीं, यह बात अपनी जिम्मेदारी तय करते समय सोची जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत गम्भीर बात है, मण्डी प्रांगण के लिए कहीं विस्तार होता है तो किसानों की भूमि ली जाती है, गरीब किसान तो भूमि देने के लिए कोई सा भी कानून बनेगा, चाहे वह झील संरक्षण का बनेगा, चाहे वह सेज का बनेगा, चाहे वह भूमि अर्जन उद्योग का बनेगा, चाहे कृषि यार्ड-वार्ड जो भी बनने वाला है, गरीब किसान की जमीन लेते हैं, अवाप्ति करते हैं, किसान रोता है, उस पर परपज होता है कृषि उपज मण्डी प्रांगणों में भूमि का समुचित उपयोग यथा नीलामी चबूतरों इत्यादि का निर्माण। लेकिन पिछले सालों में क्या हुआ, मण्डी प्रांगणों में कृषि आधारित उद्योग हेतु भू-खण्डों का आबंटन किया गया और केवल भूखण्डों का आबंटन ही नहीं किया गया, कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय नीति 2010 का आधार बनाकर इस सरकार ने 2013-14 में कृषि उपज मण्डियों में 200 से ज्यादा ऐसे लोगों को भूखण्ड आबंटित कर दिए जिनका वहां कृषि व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है और जो भूखण्ड आबंटित किए उस भूखण्ड आबंटन में 100 वर्ग गज का भी भूखण्ड आबंटित कर दिया, 200 वर्ग गज का भी भूखण्ड आबंटित कर दिया उद्योग के लिए? मैं आज इस सदन में आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कृषि व्यवसाय नीति, 2010 में 100 वर्ग गज का भूखण्ड, उद्योग लगेगा उस कृषि यार्ड के अन्दर?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से मांग करना चाहता हूं कि जिन 200 लोगों को भूखण्ड आबंटित किए उन्होंने उद्योग को आधार बनाकर कृषि उपज मण्डियों में भूखण्ड प्राप्त किए राजनीतिक एप्रोच के आधार पर, उनकी जांच होनी चाहिए कि किन शर्तों के आधार पर उनको आबंटित किया गया और क्या शर्तों की पालना करते हुए उन्होंने वहां उद्योग स्थापित कर दिए? अगर उद्योग स्थापित नहीं किए तो उन समूचे भूखण्डों को निरस्त किया जाना चाहिए और उन भूखण्डों को गैर वैधानिक तरीके से मण्डी यार्डों के अन्दर आबंटित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निश्चित रूप से पैनलाइज करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज सदन में जवाब देते समय अगर आप इस बात की घोषणा करेंगे तो सारे राजस्थान का किसान जो पूंजीपतियों और उद्योगपति अनावश्यक रूप से रीको की भी 25 प्रतिशत आरक्षित दर से 25 प्रतिशत पर भूखण्ड दे दिया, रीको की

(श्री प्रहलाद गुंजल)

आरक्षित दर से 25 प्रतिशत पर, कृषि उपज मण्डियों को, कौन से पहुंच वाले लोग हैं जिन्होंने सरकारी जमीन को सस्ते दामों पर हासिल किया और कौन अधिकारी इसमें इन्वाल्व है, निश्चित रूप से यह गम्भीर जांच का विषय है। जांच के बाद उनके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए और वह आबंटन निरस्त होने चाहिए। मैं समझता हूं कि सारे राजस्थान का विश्वास आपके साथ बढ़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, गत वर्षों में यह देखा गया, माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जब बम्पर आवक होती है, फसल के दाम गिर जाते हैं और जब आवक बन्द हो जाती है तो फसल के दाम उठ जाते हैं, यह जो विसंगति है उस विसंगति पर नियंत्रण करने का कोई स्थाई प्रावधान किया जाना चाहिए। अगर आप इस पर कोई स्थाई प्रावधान नहीं कर सकते, सपोर्ट प्राइस से अगर बाजार ज्यादा चल रहा है और उसमें आप कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते तो जब बम्पर फसल के समय दाम गिरें तो कर्नाटक में मार्केटिंग बोर्ड में एक रिजर्व फण्ड है। रिजर्व फण्ड इस बात का कि अगर बाजार दर में बम्पर आवक से कीमतें डाउन होती हैं तो मार्केटिंग बोर्ड किसान को पुनर्भरण करेगा। मैं समझता हूं कि कर्नाटक की तर्ज पर अगर राजस्थान में भी किसान को पुनर्भरण करने के लिए मार्केटिंग बोर्ड में कोई फण्ड का प्रोविजन करें तो राजस्थान का किसान अपने साथ न्याय और इंसाफ महसूस करेगा। इस अधिनियम की धारा 19 में किसान कल्याण कोष का प्रावधान किया गया है।

अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, कोई व्यक्ति खेत पर मर गया, उसको दो लाख, तीन लाख की घोषणा कर दें, पांच लाख दे दें तो किसान के लिए पांच लाख कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर गम्भीरता से चर्चा होनी चाहिए, विचार होना चाहिए कि किसान के परिवार का जब मुखिया मर जाता है तो पूरा परिवार दब जाता है, दफन हो जाता है, उसको खड़े होने में बहुत लम्बा अरसा लग जाता है आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आने में। ऐसी परिस्थिति में अगर हम किसान कल्याण कोष से खेत पर काम करते समय कोई जनहानि हो जाय तो पांच लाख का प्रावधान भी कर देंगे तो राजस्थान के किसान पर हम एहसान नहीं करेंगे। यह सरकार, यह सदन, यह समूची व्यवस्था, हम बार-बार हाउस में जब कभी भी कोई चर्चा होती है तो उस अंतिम व्यक्ति को अंत्योदय के नाम से परिभाषित करते हैं। हम उसके लिए

(श्री प्रहलाद गुंजल)

काम कर रहे हैं और उस अंतिम व्यक्ति के लिए अगर हम 5 लाख रुपये का किसान कल्याण कोष में प्रावधान कर देंगे तो मैं समझता हूं सरकार की लोक कल्याणकारी भावना का राजस्थान मन से सम्मान करेगा। उसमें ऐसे प्रोविजन हैं- कृषि जिंसों का निर्यात प्रसंस्करण, कृषकों को देश-विदेश में प्रशिक्षण। मैं जानना चाहता हूं पिछले पांच सालों में पिछली सरकार का कोई हिसाब हो तो दे दें। न तो हमारे यहां कोई निर्यात की नीति है कृषि उपज मण्डियों में, न हमने किसानों को प्रशिक्षण दिया है, न देश-विदेश में उनको जानकारी के लिए भ्रमण कराया है। इस पर भी सुधार की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, हम बीमा पालिसी को लेकर कई बार चर्चा करते हैं, लेकिन हम और कोई रास्ता, और कोई प्रोविजंस इस गरीब किसान को न्याय दिलाने के लिए नहीं करना चाहते। गुजरात में एक प्रावधान है कि अगर किसान अपनी फसल को लेकर खलिहान में आ गया और आग के कारण खलिहान में फसल की क्षति हो गयी तो मार्केटिंग बोर्ड, एक रिजर्व फण्ड है उसमें से निर्धारित मापदण्डों के अनुसार भरपाई करेगा। राजस्थान में धारा 19 के तहत जो किसान कल्याण कोष है उसमें यदि किसान के खेत में पहुंचने के बाद नुकसान कारित होता है, उसकी भरपाई के लिये गुजरात के उस पैटर्न का आप अध्ययन करा लें, एग्जामिन करा लें। जब गुजरात के उस पैटर्न को एग्जामिन कराएंगे, मैं समझता हूं कि स्वभाव से उस क्लाज को धारा 19 में जोड़ने का एक रास्ता बन जाएगा तो इस राजस्थान के किसान के साथ न्याय होगा, किसान सुरक्षित महसूस करेगा कि मैं घर से लेकर खेत तक और घर से मण्डी तक सुरक्षित हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मसाला उत्पादन में राजस्थान का विशिष्ट स्थान है। राजस्थान का विशिष्ट स्थान होने के बाद भी हमारा मसाला मुम्बई से निर्यात होता है, हमारा मसाला केरल से निर्यात होता है। हम राजस्थान में मसाला निर्यात की कोई नीति और केन्द्र नहीं बना पाये। पूर्व में मार्केटिंग बोर्ड द्वारा मसाला निर्यात की योजना लागू की गयी थी, लेकिन दो साल से यह ठण्डे बस्ते में है। वह योजना कैसे बनी, योजना कैसे प्रभाव में आएगी, उस योजना का राजस्थान के मसाला उत्पादक को कितना और किस प्रकार से लाभ मिलेगा, इस पर आज तक कोई चर्चा नहीं हुई है। बहुत गम्भीरता से जिसको लेकर यह सदन

(श्री प्रहलाद गुंजल)

राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने दो दिन के लिए स्थगित कर दिया और विधायकों से कहा, जाओ, किसानों के साथ हमदर्दी बंटाओ, उनकी बात को सुनो, बेमौसम बरसात ने किसानों को बर्बाद कर दिया। एक तरफ तो सरकार नियमों के प्रावधान में उसको पसीने के बराबर का मुआवजा नहीं दे सकती, इसके लिए कोई एक सरकार राज्य की जिम्मेदार नहीं है, भारत सरकार के प्रावधान हैं, परन्तु जितना उत्पादन आज उसके पास हुआ है मैं राजस्थान सरकार से मांग करना चाहता हूं कि एक-एक दाने की विपणन की व्यवस्था करनी चाहिए। पिछली बार 1400 रुपये गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य था, 150 रुपये का बोनस मिला और 1550 रुपये प्रति क्विंटल पर 25 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम ने खरीदा। इस बार एक तरफ तो किसानों को प्राकृतिक आपदा की मार और दूसरी तरफ जहां पिछली बार 1550 था, अभी 1450 है, खाद्य निगम कहता है दाना बदरंग हो गया, एवरेज क्वालिटी का माल नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं भारत सरकार से बात करें और भारतीय खाद्य निगम के जो एवरेज क्वालिटी के नोर्म्स हैं, राजस्थान की विशेष परिस्थिति को देखते हुए उन नियमों में बदलाव कराएं। मैं समझता हूं कि राजस्थान के किसान का पसीना, जो बर्बाद होने के रास्ते पर जा रहा है उसके साथ न्याय होगा। सारा सदन भी अगर आज एक रिजोल्यूशन पास करे कि भारतीय खाद्य निगम के एवरेज क्वालिटी के नोर्म्स हैं, राजस्थान की विशेष परिस्थिति को देखते हुए उसके एक-एक दाने के विपणन के लिए भारत सरकार उसके नियमों को, नोर्म्स को रिलैक्स करे तो मैं समझता हूं कि हम राजस्थान के किसान के साथ न्याय कर पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं ए डैमोक्रेटिक स्टेट, धारा 39 की तरफ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय, यह कानून की आपकी किताब है, आप राजस्थान की कृषि उपज मण्डियों के संचालन के लिए धारा 39 में कितने अधिकार दे रहे हैं आपके निदेशक को? आप इससे चुनाव कराते हो, लोकतांत्रिक बोर्ड बनता है, डैमोक्रेटिक बोर्ड बनता है और आपका बोर्ड कोई फैसला कर ले तो आपका डाइरेक्टर इतनी असीमित शक्तियां हासिल करके इस एक्ट में बैठा हुआ है कि वह एक-एक फैसले की समीक्षा करेगा, टर्न डाउन करेगा, खारिज करेगा। आप दो असीमित शक्तियां, लेकिन आपने उसको पूर्ण विराम लगा दिया असीमित शक्तियां देकर, उस

(श्री प्रहलाद गुंजल)

डाइरेक्टर को इतना बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति बना दिया। अगर अंता कृषि उपज मण्डी के बोर्ड के निर्णय को डाइरेक्टर भंग कर दे तो कृषि मंत्री होने के नाते आप डाइरेक्टर के फैसले को बदलने की ताकत नहीं रखते। इस एक्ट में आपने डाइरेक्टर को इतना पावरफुल बना दिया। यह कहां का नियम है? यह कौनसी डैमोक्रेसी है कि निर्वाचित बोर्ड कोई फैसला करेगा और सैक्शन 39 में डाइरेक्टर उसको अपास्त कर देगा और पीड़ित पक्षकार न्याय के लिए न मंत्री, न सरकार के पास जा सकते। इस प्रकार की असीमित शक्ति देकर आपने आपके डाइरेक्टर को तानाशाह बना रखा है। बोर्ड उसके सामने आत्मसमर्पण की मुद्रा में चलते हैं, उसकी भावना के विपरीत एक कदम भी जाकर फैसला करने का साहस नहीं रखते, चाहे वह पब्लिक वैलफेयर का हो, लोकल इंटरेस्ट का मामला हो, उस तानाशाही को खतम करने के लिए इन प्रावधानों को निश्चित रूप से बदला जाना चाहिए। मैं इस बारे में उम्मीद करूंगा कि जवाब देते समय माननीय मंत्री महोदय इसका जवाब देंगे।

माननीय सभापति महोदय, दो बात छोटी-छोटी और करूंगा। कल राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य आलू का मामला उठा रहे थे। आलू की बम्पर पैदावार हो गयी, भाव गिर गये। अपराध कर दिया किसान ने? आर्थिक युग है, पूरी दुनिया अर्थ के पीछे भाग रही है। बाजार में जब इस बार किसान देखता है आलू के दाम ज्यादा हैं, प्रयास करता है आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अगली बार आलू पैदा करूं और इतना पैदा करता है कि बम्पर फसल के बाद उसके दाम गिर जाते हैं। ऐसी घटना 2006 में हुई राजस्थान में लहसुन के भाव आसमान को छू गये और हाड़ौती में लहसुन इतना पैदा कर दिया कि जब अगली बार भाव गिरे तो पिछले राज में 6 किसानों को लहसुन के गिरे हुए दामों के कारण आत्महत्या करनी पड़ी। क्या वे यह सपना देखें कि मैं उचित मूल्य पर आने वाली फसल को पैदा करूं और मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार करूं? मैं समझता हूं किसान को यह सपना देखने का हक है। उचित मूल्य पर उसकी पैदा की हुई हर फसल का पिछले तीन साल के पैरामीटर्स से मूल्य नीचे नहीं जाएं ऐसी समीक्षात्मक कोई नीति बननी चाहिए कि बम्पर पैदावार हो गई तो पिछले तीन सालों में उसका बाजार मूल्य और समर्थन मूल्य क्या था, उसके आधार पर आकलन करके निश्चित रूप से उसके एक-एक दाने को समुचित रूप से खरीदा जाना चाहिए, प्रबंध किया जाना चाहिए।

(15.00 बजे)

(श्री प्रहलाद गुंजल)

ऐसा ही अन्याय हो रहा है। राजस्थान में हाड़ौती धान का बहुत बड़ा ऐसा केन्द्र है जहां पर इतना धान पैदा होता है कि धान पैदा करने वाला किसान अपने आपको आत्मनिर्भर मानता है, सम्पन्न मानता है क्योंकि उसको बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। लेकिन खाद्य सुरक्षा में चावल की दक्षिण में डिमाण्ड के कारण भारत सरकार ने वर्तमान में धान का निर्यात बन्द कर दिया। जब धान का निर्यात बन्द किया तो आज धान का किसान परेशान है, वह ठगा हुआ महसूस कर रहा है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से मांग करूंगा कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है लेकिन राजस्थान के धान उत्पादक किसान के हित में, हिन्दुस्तान के धान उत्पादक किसान के हित में आप भारत सरकार के कृषि मंत्री को, प्रधान मंत्रीजी को पत्र लिखें। क्या गुनाह किया कि आत्मनिर्भरता के लिए अच्छी दामों वाली धान की फसल पैदा की, बम्पर पैदावार की, देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की मंशा के साथ उसने अपना पसीना बहाया, धरती का सीना फाड़कर, पसीना डालकर देश की आत्म निर्भरता और समृद्धि का रास्ता बनाया और आज निर्यात की पालिसी आत्म निर्भरता, स्वावलम्बन, आर्थिक विकास में बाधक बनकर खड़ी हो गई। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार धान के निर्यात पर लगा हुआ प्रतिबन्ध वापस होना चाहिए। अगर यह फैसला आपने कराया तो राजस्थान का किसान निश्चित रूप से राजस्थान के वर्तमान कृषि मंत्री, आदरणीय प्रभूलाल जी सैनी को याद करेगा कि आपके मन में पीड़ा है, दर्द है किसान के लिए।

इन सारी चीजों पर विचार करने के साथ हम इस प्रकार के संशोधनों को लाने के बारे में बात करेंगे, मैं समझता हूं राजस्थान की जनता यह उम्मीद करेगी कि सदन में जिन लोगों को हम विधान बनाने के लिए, लोक कल्याण के काम के लिए भेजते हैं, वहां अन्दर जाकर भी उनका चिंतन सजीव रहता है, जाग्रत रहता है, उसके ध्यान में से, उसके केन्द्र में से वो अन्त्योदय योजना का अंतिम व्यक्ति गायब नहीं है। यह संदेश इस प्रकार के विधायी कार्यों से, इस सदन के फैसलों से जाना चाहिए।

इतनी बात कहते हुए मैंने अपना जनमत जानने का जो प्रस्ताव दिया है उसको वापस लेने की मैं सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापतिः श्री शुभकरण चौधरी। (अनुपस्थित) श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 आज सदन में पेश हुआ और मैं इस पर अपने विचार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कृषि मण्डी किसानों की सुविधा के लिए बनी है, किसान अपनी उपज को कृषि मण्डी में लाकर बेचे, उस पर टैक्स लगे, इससे जो टैक्स प्राप्त होता है उससे किसानों की समृद्धि के लिए, मण्डी में सुविधा के लिए जो भी व्यवस्था की जाती है उस व्यवस्था के लिए यह मण्डी है। मगर मैं आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूं कि सोजत की मेहंदी मण्डी में मेहंदी पर 2 परसेंट टैक्स है और एक बोरे पर 2 परसेंट के हिसाब से 30 रुपये प्रति बोरे पर मण्डी का टैक्स बनता है। बरगंडी नाम से एक कैमिकल बिक रहा है जो मेहंदी की पैदावार को प्रभावित करता है और किसान उससे बर्बाद हो चुका है। आज मेहंदी की फैक्ट्रियां, कैमिकल की फैक्ट्रियां बनकर रह गई हैं जो मानव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। जो मेहंदी सुहाग का प्रतीक मानी जाती है वो मेहंदी आज कैमिकल के रूप में सोजत में जमीन को भी खराब कर रही है। जैसे कैमिकल इण्डस्ट्रीज पाली के अन्दर है, तो या तो जो मेहंदी फैक्ट्रियां कैमिकल का उपयोग कर रही हैं उनके प्रदूषण निवारण के लिए ट्रीटमेंट प्लांट वहां लगाया जाए। उससे किसानों की जमीन खराब हो रही है, पूरा कैमिकल वहां निकल रहा है और मेहंदी के नाम से बेचकर जनता को मेहंदी की जगह बरगंडी देकर उसका उपयोग किया जा रहा है। तो उस बरगंडी कैमिकल पर रोक लगाई जाए ताकि किसानों को मेहंदी का मूल्य मिले। बरगंडी बिके तो कैमिकल के नाम से बिके। मगर मेहंदी के नाम से बरगंडी को बेचा जा रहा है जिससे किसान की मेहंदी का मूल्य मिल नहीं पा रहा है और किसान बर्बाद हो रहा है। किसान आज मेहंदी को खेत से निकाल रहा है सोजत में अगर इस पर रोक नहीं लगाई तो आने वाले समय में मेहंदी के नाम से कैमिकल बिकेगा। इसलिए किसान के हित के लिए आपको चाहिए कि मेहंदी उद्योग को बचाना है तो बरगंडी पर रोक लगाई जाए। कैमिकल के रूप में जो यूज हो रहा है उसको रोकने के लिए कोई न कोई आप कड़ा कानून लायें आप संशोधन विधेयक लेकर आये तो इसमें यह भी संशोधन लेकर आते कि उस किसान की मेहंदी की फसल को बचाया जा सके। (व्यवधान) बरगंडी कैमिकल है और बरगंडी के नाम से जाना जाता है। उस कैमिकल को हाथ पर लगाते ही बिलकुल मेहंदी का कलर आ जाएगा। (व्यवधान) मैं आपके तो नहीं लगाता, मैं तो कृषि मंत्रीजी के लगाता हूं। प्रभु तो सबका दाता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं यह कह रहा हूं कि एक को तो छोड़ो जिसके मेहंदी नहीं लगी हुई हो।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आंवली तो कम से कम पेड़ पौधों की पत्ती तो है मगर जो वास्तव में कैमिकल से मेहंदी बनाई और बेची जा रही है वह बरगंडी है। आप उसको कैमिकल के नाम से बेचो ताकि बाजार में खरीदने वाला इस कन्फ्यूजन में नहीं रहे कि यह मेहंदी नहीं है और यह कैमिकल है।

माननीय सभापति महोदय, यह जो वायदा बाजार चलता है उसने कृषि मण्डियों को खतम ही कर दिया है। वायदा बाजार पर एक परसेंट टैक्स था। आपने व्यापारी को खुलेआम छूट दे दी कि आप वायदा बाजार से 100 क्विंटल तिल्ली खरीदो, हजार क्विंटल खरीदो और शाम को बेच दो। न तो तिल्ली देखी और न कहीं तौली गई। उसमें टैक्स लगता था, मण्डी का टैक्स प्राप्त होता था वो मिलना बन्द हो गया और वो भी बर्बाद हो गया। इससे व्यापारियों को जुआ खेलने की खुली छूट दे दी। इसलिए इस वायदा बाजार को किसी तरह से वापस टैक्स के दायरे में लाया जाए। ग्वार पैदा ही नहीं हुआ और उसका वायदा हो गया कि आने वाली सीजन में ग्वार आपको दस रुपये किलो के हिसाब से दे देंगे, या इतना टन खरीद लिया और इतना टन बेच दिया, मगर वास्तव में कहीं खरीदा जाता ही नहीं, मण्डी में माल आता ही नहीं। तो इस पर किसी तरह की रोक लगाई जाए ताकि व्यापारियों में जो जुए की प्रवृत्ति बढ़ गई है उसको रोकने के लिए यह बहुत जरूरी है।

(15.07 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

केवल आंकड़े दिखाने के लिए आपकी मण्डी इसको साबित कर सकती है कि इतने टन गेहूं पैदा हो गया, इतने टन तिल्ली पैदा हो गई, इतने टन बाजरा पैदा हो गया मगर वास्तव में होता कुछ भी नहीं है, केवल कागजों में लेन-देन होता है। अगर उस पर टैक्स लगता तो व्यापारी कम से कम प्रतिबन्ध में रहता था।

आपने टैक्स 1 रुपये 60 पैसे से घटाकर फल-सब्जी पर .01 पैसा किया है। क्यों किया? केन्द्र सरकार ने तो कहा था कि इसको बिलकुल माफ करेंगे, उसी को सहायता देंगे। मगर आपका करने का मतलब यह है कि .01 पैसे से अकाउंटेबिलिटी बनी रहे कि कितनी आय-व्ययक हुई और कितनी फल-

(श्री केसाराम चौधरी)

सब्जी बिकी। उससे यह जाहिर तो होगा कि इतना व्यापार हुआ है। जो मण्डी शुल्क था उसको आपने .01 मतलब 1 पैसा लगाया। इससे जो भी व्यापार होगा उसकी अकाउंटेबिलिटी तो होती रहेगी और उस अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से हिसाब-किताब भी होगा। मगर आपने यह जो एक परसेंट लगाया है, उसी तरह से वायदा बाजार पर भी एक परसेंट जो पूर्ववर्ती सरकार ने टैक्स हटाया है वो एक रुपया वापस टैक्स के रूप में लगाना चाहिए ताकि उसका भी हिसाब-किताब रह सके कि वायदा बाजार में कितना व्यापार हो रहा है।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि उप कृषि मण्डी मारवाड़ जंक्शन में आपने बनाई है मगर आज दिन तक बनने के बाद उसका ताला नहीं खुला और उस मण्डी में अंग्रेजी बबूल और झाड़ियां हो गई हैं जैसे जंगल बन गया हो। मतलब ऐसी सम्पत्ति बनाने से कोई लाभ नहीं हुआ है। खिंवाणा में गौण मण्डी बनाई गई और आज उसकी हालत भी यही है। कोई व्यापारी उसमें बैठता नहीं, न ही उसमें व्यापार होता है इसलिए या तो उस सम्पत्ति को बेचकर कम्प्लीट करें ताकि सरकार का लगा हुआ पैसा वापस मिल जाए। उसका कुछ न कुछ उपयोग होना चाहिये या किसी को किराये पर तो दो। मतलब इतनी बड़ी सम्पत्तियां लाखों-करोड़ों रुपये लगाकर आपने बनाकर रख दी, उसका उपयोग होना चाहिये।

आपने किसान की मृत्यु पर एक लाख रुपये से दो लाख रुपये किये थे। बजट में घोषणा तो पांच लाख रुपये की की थी। पांच लाख रुपयों की की थी, मगर दो लाख रुपये ही दे रहे हैं। मतलब, किसान की जान के लिए पांच लाख रुपये कोई ज्यादा नहीं है। उसको पांच लाख तो क्या, दस लाख रुपये भी दो तो कम है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरे खिंवाड़ा क्षेत्र में, खिंवाड़ा-पाली सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक ने बिना लोन दिये 15 लाख रुपये के लोन का नोटिस पकड़ा दिया किसान को कि आपका बैंक से लोन लिया हुआ है। उस बैंक ने लोन का जैसे ही उसको नोटिस दिया, पूरा परिवार सदमे में आ गया कि अब 15 लाख रुपये कहां से चुकाऊंगा? मैंने तो कहीं लोन लिया ही नहीं। उस लोन के नोटिस के कारण से जेपाराम नत्थाराम के पुत्र चांदमल ब्राह्मण को जहर खाकर आत्महत्या करनी पड़ी। माननीय सभापति महोदय, उस ब्राह्मण के बच्चे को मजबूर होकर कि 15 लाख रुपये का कहीं लोन भी नहीं लिया और उस खिंवाड़ा ब्रांच के ऊपर गबन के तीन-तीन, चार-चार मुकदमे दर्ज हो गये। पाली सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक का एम.डी. तक गिरफ्तार हो चुका है। एम.डी.

(श्री केसाराम चौधरी)

और खिंवाड़ा बैंक के मैनेजर ने घोटाले किये बिना लोन बांटे करोड़ों रुपयों का गबन उसमें हो रहा है। मैं चाहता हूं कि उस किसान की मौत गलत नोटिस देने से हुई है तो आपको पांच लाख रुपये का मुआवजा देना चाहिये क्योंकि वह किसान उस पीड़ा को नहीं झेल पाया। उसको गलत नोटिस दिया गया कि आपने लोन लिया है और आपके पैसे बकाया हैं, पैसे भरो। 15 लाख रुपयों की उसकी हैसियत भी नहीं थी, मगर 15 लाख रुपयों का नोटिस मिलने के कारण जहर खाकर कल ही अपनी देहलीला समाप्त की है। ऐसे व्यक्ति को मुआवजा देने की मैं मांग करता हूं तथा निवेदन करता हूं सहकारिता मंत्रीजी से कि इस तरह से आपकी बैंक के द्वारा घोटाले हो रहे हैं तथा आपके बैंक के अधिकारी ही उसकी जांच कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उसकी जांच सीबीआई से कराई जाये और उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाये कि उस बैंक ने ऐसे गलत केस बनाये। कई केस तो उसके खिलाफ दर्ज हो गये। पाली सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक का मैनेजर उसमें गिरफ्तार हुआ है, और भी बड़े-बड़े लोग गिरफ्तारी में आने वाले हैं। इसकी जांच वहां के अधिकारी करेंगे तो कतई न्याय मिलने वाला नहीं है। इसकी जांच उच्चस्तरीय कराई जाये और उन गरीबों के साथ न्याय किया जाये, तभी किसानों को न्याय मिल सकेगा।

आज इस संशोधन विधेयक में मैंने जो प्रस्ताव प्रवर समिति को भेजने के लिए दिया था, मैं अपने संशोधन को विदड्रा करता हूं।

श्री सभापति: आपका प्रवर का नहीं था, जनमत का था।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): जनमत जानने के लिए परिचालित करने का था, मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: वापस लेने की अनुमति चाहता हूं सदन से।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): हां, वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति: ठीक है। श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015, उसमें धारा-17, ''मण्डी फीस संग्रहीत करने की शक्ति मण्डी समिति अनुज्ञप्तिधारियों से...'' उसमें संशोधन किया गया है। उसमें कुछ जोड़ा गया है। वैसे तो वह विद्यमान रखी है पहले वाली तो, कि प्रति 100 रुपये की कृषि उपज पर अधिकतम दो रुपये के अध्यधीन होगी, यह

(श्री मदन राठौड़)

तो यथावत रखा है। थोड़ा संशोधन पहले कर दिया गया था 1991 में, जिसमें 1.60 प्रतिशत नियत की गई थी।

इसमें फल और सब्जी के लिए यह परन्तुक नया जोड़ा है। इसमें जोड़ा है कि ''परन्तु फलों और सब्जियों पर कोई मण्डी फीस उद्धृहीत नहीं की जायेगी। इसके बजाय, मण्डी समिति, इन वस्तुओं के सम्बन्ध में, मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवाओं के लिए, उपज के क्रेता से...जो उपज खरीदेगा...

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, बहुत देर से आप वार्तालाप कर रही हैं। एक साथ दो-दो लोगों से बात नहीं करते।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ...उनसे ऐसी दर पर जो उप-विधियों में विनिर्दिष्ट की जाये, उपयोक्ता प्रभार संग्रहीत कर सकेगी।'' इन्होंने उद्देश्य और कारण जो दिये हैं, उसमें शायद एक त्रुटि रह गई है। वैसे वरिष्ठ सदस्य ने तो बताया था कि इसको यहां नहीं बतायें लेकिन मैंने बताना इसलिए जरूरी समझा कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिये...

श्री सभापति: आप बड़े आदमी हो, छोटी चीज को इग्नोर कर दो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उसमें मण्डी फीस को घटाकर नाम मात्र की दर 0.01 प्रतिशत कर दी और उसी में आगे लिख दिया 0.1 प्रतिशत। जबकि अंग्रेजी में इस प्रकार का नहीं है। अंग्रेजी में दोनों में ही 0.01 प्रतिशत ही बताया गया है।

श्री सभापति: यह जीरो और बिन्दी में बहुत फर्क होता है। बोलिये, बोलिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं। 0.01 और 0.1 प्रतिशत, इसमें हिन्दी में जो दिया है 0.1, मैं वह बता रहा था।

खैर, इसमें नहीं बताया है कि उपयोक्ता प्रभार कितना वसूला जायेगा? यह जरूर बताना चाहिये था ताकि पता चल सके कि फल और सब्जी पर कितना प्रभार वसूला जायेगा।

सभापति महोदय, यह तो अच्छी बात है कि फल और सब्जी मण्डी में आती नहीं हैं। यदि इस पर भी 1.60 प्रतिशत या दो प्रतिशत वसूला जाये तो वह बाहर ही बाहर बिकेगी और मण्डी में आयेगी नहीं। यदि इसको कम किया जाये, इसको समाप्त किया जाये और केवल उपयोक्ता प्रभार ही वसूला जाये

(श्री मदन राठौड़)

तो निश्चित रूप से मण्डी में आयेगी और उसका आकलन भी होगा। क्रेता वहां से सही तरीके से उचित मूल्य पर खरीद सकेगा।

सभापति महोदय, मैं कुछ बातें आपके सामने अपने क्षेत्र की भी रखना चाहूंगा कि जैसे चने की खरीद हुई पिछले मानसून के बाद, उसमें बहुत बड़ी समस्याएं देखने को मिली थीं। नैफेड का अधिकारी वेयरहाउस में बैठकर उन जिन्स का आंकलन करता था और मण्डी खरीद करती थी तो मण्डी ने तो वह चना खरीद कर लिया और नोर्म्स के आधार पर खरीदा, गुणवत्ता के आधार पर खरीदा, किस प्रकार की गुणवत्ता होनी चाहिये, उसके हिसाब से खरीद लिया और खरीदकर जब नैफेड के वेयरहाउस में भेजा तो वहां के अधिकारी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। हमारे क्षेत्र में ही नहीं, मैं सोचता हूं, पूरे राजस्थान में हुई होगी। जैतारण में हुई, सुमेरपुर सिरोही, रानी, पाली में हुई। एक प्रावधान निश्चित रूप से किया जाना चाहिये कि नैफेड का अधिकारी मण्डी में बैठे और मण्डी में बैठकर गुणवत्ता का आकलन वहां कर लें ताकि किसानों को यह समस्या नहीं झेलनी पड़े। यह बहुत बड़ी समस्या इस प्रकार से बन गई थी कि मण्डी में बहुत बड़ा माल तो खरीद लिया किसानों का और मण्डी से नैफेड के वेयरहाउस में गया वहां पर रोक दिया। तो बाकी किसानों का माल खरीदने से मण्डी ने मना कर दिया क्योंकि पहले वाला माल खरीदकर नेफेड के वेयरहाउस में भेजा, वही वहां पर नहीं तुल रहा है, वही वहां नहीं ले रहे हैं माल तो मण्डी कैसे खरीदेगी? किसानों के मन में इस प्रकार का भेद पैदा हुआ कि अमुक किसान का तो खरीद लिया, मेरा खरीदा नहीं। मेरे साथ में भेदभाव किया जा रहा है, जबकि मेरा भी माल वही है, तो यह स्थिति उत्पन्न हुई। इसके कारण से आन्दोलन तक करने पड़े। किसान बहुत दु:खी भी हुए और हम लोगों को भी बहुत प्रयास करने पड़े, हस्तक्षेप करने पड़े। आज इन्होंने स्वीकार भी किया है कि नैफेड द्वारा वेयरहाउस में क्वालिटी सर्वेयर बैठाये गये, जबकि खरीद केन्द्र पर बैठाना चाहिये था, यह प्रश्न के उत्तर में इन्होंने स्वीकार भी किया है, जिससे कि क्वालिटी का खुलासा चना खरीद केन्द्र पर ही हो जाता। चना खरीद केन्द्र पर जमा कराने के लिए माल वेयरहाउस में भेजा जाता तो वहां चना जमा करने में आनाकानी की जाती थी, जिससे क्रय-विक्रय सहकारी समिति को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा।

इसी प्रकार सुमेरपुर मण्डी में हैण्डलिंग की जो दरें हैं, यह केवल

(श्री मदन राठौड़)

सुमेरपुर की बात नहीं है, मैं सोचता हूं कि सभी स्थानों पर इस प्रकार की स्थिति रही होगी कि पहले जो इकजाई की थी निर्धारित दरें, जिसे नैफेड ने नहीं मानते हुए 16.40 के स्थान पर 2.40 रुपये स्वीकृत की गई और दरों का स्वीकृति आदेश बाद में भेजा गया, समय पर नहीं भेजा गया। बाद में भेजा गया, जबकि कार्य तो पहले शुरू करवा दिया गया था। यह एक बहुत बड़ी विसंगति रही जिसके कारण से भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था, तो यह व्यवस्था बहुत पहले से कर देनी चाहिये थी यदि नैफेड ने किया तो क्या हमारे अधिकारी ध्यान नहीं दे सकते हैं? हमारे अधिकारियों को यह तुरन्त पता चलना चाहिए। आजकल तो आनलाइन व्यवस्था है सारी कि वहां पर किया तो आनलाइन वहां मण्डी में भी पहुंच जाता।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): सभापति महोदय, आज तीन बिल हैं और पन्द्रह-पन्द्रह आदमी बोलने वाले हैं। इसमें भी कोई टाइम की आप लिमिट करें कि बिल पर सदस्य बोलें, नहीं, तो हर आदमी एक-एक घंटा लेगा, कल ही रात को साढ़े दस बज गए थे और आज बारह बज जाएंगे। इसमें भी आप नियम बनायें, कोई लिमिट पन्द्रह मिनट है या बीस मिनट है और बिल पर ही बोलें।

श्री सभापति: रिपीट नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): हां, वही चीज है।

श्री सभापति: विधेयक पर चर्चा है, माननीय सदस्य, यह लेजिस्लेटिव बिजनस है, सदन यही काम करता है। इसलिए जो बात एक बार आ जाए उसको रिपीट नहीं करें। बोलिए, माननीय सदस्य। आपकी बात का ध्यान रखेंगे सब माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैंने रिपीट नहीं किया है, यह पहले आया नहीं था।

श्री सभापति: आपने नहीं किया है।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): सभापति महोदय, मैंने इनके लिए नहीं कहा है, मैं जनरल बात कह रहा हूं। कल भी एक-एक घंटा एक-एक आदमी ले रहा था।

श्री सभापति: आसन भी सबके लिए कहता है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैंने यह समझा कि शायद मेरे लिए कह रहे हैं।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, आपने कैसे समझा?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी तकलीफ यह है कि जो मंडी की दुकानें या उनके गोदाम हैं उनकी डीएलसी दरें बहुत अधिक हैं। कई स्थानों पर बहुत कम हैं, कई स्थानों पर बहुत अधिक हैं। मेरे सुमेरपुर की एक बहुत बड़ी समस्या है, सुमेरपुर में डीएलसी दरें 4261 रुपये है, मैं सोचता हूं कि बड़े शहरों के बीच में जो मंडी स्थित होगी वहां पर ये दरें ठीक है, लेकिन जो मंडी दूर है वहां पर यदि यही लागू किया जाएगा तो यह बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। वहां पचास तो गोदाम रिक्त पड़े हैं, सोलह दुकान मय गोदाम, दुकान मय गोदाम ये वहां रिक्त पड़े हैं, तीस भूखण्ड वहां रिक्त पड़े हैं और किसान सौ मीट्रिक टन माल रख सके ऐसा ग्रामीण गोदाम भी वहां रिक्त पड़ा है, कोई ले ही नहीं रहा है। क्योंकि वहां डीएलसी दरें बहुत अधिक हैं। जयपुर, अजमेर उदयपुर, जोधपुर में डीएलसी दरें हो सकता है कि कम हो, लेकिन प्रत्येक स्थान पर वहां के अनुपात के हिसाब से होना चाहिए। यदि कोई किसान या व्यापारी दुकान लेता है मंडी के बाहर तो वहां पर है 600 रुपया, 700 रुपया, तो मंडी के बाहर वह दुकान लेना पसंद करेगा। मंडी के अन्दर 4261 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, वहां पर वह क्यों देगा? यही कारण है कि व्यापारी बाहर दुकान ले रहा है और इससे विगत बीस वर्षों में लगभग 25 करोड़ रुपये का इस मंडी को नुकसान हो चुका है। सभापति महोदय, इसमें मैं सोचता हूं कि मंत्रीजी को पुनर्विचार करना चाहिए कि जब इतना बड़ा नुकसान हो रहा है।

अब एक और निवेदन है कि वहां पर कोई बरामदा निर्माण करना चाहे दुकानदार, चालीस दुकानों पर तो बरामदा बना हुआ है, शेष चालीस को बनाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, मैं सोचता हूं कि ठीक बात नहीं है।

श्री सभापति: अनुमति लेने का तरीका होता है, माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, मांगा गया है। वहां के व्यापारियों ने कई बार निवेदन किया, लिखकर के किया, वहां की समिति ने फैसला करके भेजा, एसडीओ ने रिकमण्ड करके भी भेज दिया, उसके बावजूद भी उनको अनुमति नहीं दी जा रही है और वो निर्माण नहीं कर पा रहे हैं।

श्री सभापति: उसके आगे भी कार्यवाही होती है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आगे भी कार्यवाही तो की है। लेकिन मतलब एक समानता तो रहे, यह ज्यादा जरूरी है।

(श्री मदन राठौड़)

सभापति महोदय, कांटा वज़न तोलने का प्रत्येक मंडी के अन्दर होना चाहिए। बाहर है, वह व्यवस्थित रूप से है, अन्दर जो है उसका रख-रखाव नहीं है। अन्दर एक पड़ा है जो नाकारा हो गया है। तो वो किसी को किराए पर दे दें या और किसी को वहां पर नियुक्त कर लें ताकि वहां पर वो उपयोग में आ सके। अन्यथा बाहर अधिक पैसा किसानों को देना पड़ रहा है। बाहर की रेट 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया है जबकि अन्दर 25 रुपया, 20 रुपये में किया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित रूप से की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, जो भवन बने हैं अन्दर, उनके रख-रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई है। भवन बने हुए पड़े हैं, रेस्ट हाउसेज हैं उनकी बराबर देखरेख नहीं होती है। तो उनकी देखरेख करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए और धन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। वहां पर किसानों को किसान कलेवा मिल सके, इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। वहां पर किसान ठहर सके, यह तो कम से कम हो। यह व्यवस्था यदि वहां मंडी के अन्दर नहीं की गई तो कोई मतलब ही नहीं है। कोई अधिकारी आकर के कब्जा कर लेते हैं, आवास बनाकर के बैठ गए हैं, मैं सोचता हूं कि यह ठीक बात नहीं है। किसानों की सुविधाओं के लिए यह व्यवस्था की गई है तो किसानों को निश्चित रूप से यह सुविधा मिलनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था आप सुनिश्चित करावें।

सभापति महोदय, वहां पर जो हम्माल हैं, उनका भी एक वार्ड है। जब सारे चुनाव होते हैं, उन चुनावों में एक वार्ड हम्मालों की संख्या के आधार पर उनको दिया गया है। उनके ठहरने उनके रहने, उनके बैठने, इस प्रकार की कोई वहां व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए। किसानों के ठहरने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए।

वहां नीलामी करने का जो एक मंच है, हालांकि सुमेरपुर, मैं सोचता हूं कि केवल राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान की एक बहुत बड़ी मंडी है, पूरे हिन्दुस्तान में इसका नाम है, बड़े-बड़े शहरों में भी यहां से माल जाता है, भाव भी तय होते हैं कि सुमेरपुर मंडी के भाव क्या हैं। इस मंडी में भी यह सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए।

दूसरा, एक और निवेदन मैं करना चाहूंगा कि जो चुनाव पद्धति है आपकी, जब इतना सारा कुछ हो रहा है तो एक इसमें भी संशोधन किया जा

(श्री मदन राठौड़)

सके कि अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सके। यदि यह सम्भव हो, हालांकि यह कोआपरेटिव का मामला है, इनका नहीं है...

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): यह भी चल रहा है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है।

श्री सभापति: अब तो हाथ जोड़ ली है इन्होंने।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): प्रभु को तो हाथ मैं जोड़ रहा हूं। सभापति महोदय, जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि ज्यादा समय नहीं लें तो मैं इसको कम कर रहा हूं।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): मैंने बिल के अमेण्डमेंट पर बोलने के लिए कहा है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): बिल के अमेण्डमेंट में तो हो गया कि उपयोगिता प्रभार सुनिश्चित किया जाएगा और कितना करेंगे। इतनी छोटी सी बात पर इतनी लम्बी चौड़ी बात नहीं होती है, लेकिन कुछ आनुषांगिक विषय भी आ जाते हैं।

श्री सभापति: आ जाते हैं, आ जाते हैं, आ गए हैं ना अब तो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जनमत जानने का जो मैंने प्रस्ताव किया था, अनुमति चाहूंगा कि मैं इसको वापिस लेता हूं।

श्री सभापति: विराजिए। डा. फूलचन्दजी भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापतिजी, आज कृषि उपज का मूल्य देने का ध्येय रखने वाली संस्था, जिसको उपज मंडी के नाम से हम जानते हैं। एक बार मुझे राष्ट्रीय सेमिनार में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आपके माध्यम से कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि मंडियों का जो बेसिक उद्देश्य था वह किसान को सही मूल्य दिलाना था और उसके लिए यह भी प्रावधान था कि अगर भाव गिरे हुए हैं तो मंडी उसको सुरक्षित रखेगी, जब किसान कहेगा तब बेचेगी, लेकिन उसको एडवांस दे देगी। यह प्रक्रिया तो कहीं है ही नहीं, जबकि इस प्रकार की व्यवस्था थी। हकीकत तो यह है कि किसान का कोई धणी-धौरी ही नहीं है। किसान को केवल इतना मानते हैं कि खाद की सब्सिडी है, बिजली की सब्सिडी है।

मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन भी करना चाहता हूं कि

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

किसान केवल अन्न नहीं देता है वह उस लेबर सूचकांक को भी बनाये रखता है। आज देश का औद्योगिक क्षेत्र है उसमें कम लागत देनी पड़े लेबर को, कम पेमेंट करना पड़े, अर्थात महंगाई को कंट्रोल किया जाए, उसमें सबसे ज्यादा अगर योगदान है तो किसान का है और उसको काउंट कभी नहीं किया जाता है। जो उद्योगों का इंडेक्स नम्बर है और जो वहां वेज रेट होती है उसमें किसान के अन्न का भी महत्व है, लेकिन कभी काउंट नहीं किया जाता। उद्योग तो मानता ही नहीं है। जब सरकार ही नहीं मानती है तो वो कहां से मानेंगे?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी दो शब्दों का उपयोग करते थे, खेती और स्वावलम्बन। देश का स्वावलम्बन जब खाने, दालों, तेल, दूध, पशु और सुविधाएं हैं तो इस कारण से खेती और स्वावलम्बन साथ-साथ चलने चाहिए। दूसरे शब्द का उपयोग करते थे किसान को क्या मिलना चाहिए? उसमें करते थे कोस्ट प्लस। एक शब्द का उपयोग किया अपने भाषण में कोस्ट प्लस, इसका मतलब केवल लागत। लेकिन दुर्भाग्य है आज लागत भी नहीं मिल रही है। लागत भी मिल जाए तो मान लें कि किसान का हित हो रहा है। किसान के इनपुट की स्थिति देखिये आप। मैं जब लैक्चरर बना था उस समय पैंतीस हजार में ट्रैक्टर आता था, आज छह लाख के लगभग ट्रैक्टर आता है। टूल्स और जोड़ते हैं तो वह दस लाख के लगभग जाता है। कितने गुणा हो गया, तीस-पैंतीस गुणा हो गया। उस समय गेहूं था, जब मैं लैक्चरर बना तब से ही प्लानिंग पढ़ाया इस कारण से ध्यान है मेरे को, उस समय सरकारी भाव थे 112 रुपये, तो और ओपन मार्केट में सवा सौ-डेढ़ सौ के बीच में था। वो करते हैं तो दस से कम बढ़ा है। तो ये चोट इस मार्जिन के आधार पर हुई है और उस के पहले वर्ष में, वो गये, अभी तो हैं नहीं लक्ष्मणगढ़ वाले, आपके माध्यम से उनको बताना चाहता था कि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा पाप किया किसानों के साथ।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, आपने केवल जीतमलजी को ही आकर्षित नहीं किया है, ये आसन का ध्यान भी खींच रहे हैं। आप अपने-अपने स्थान पर विराजें। बहुत लम्बी चर्चा हो गयी है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): नहीं, ज्यादा नहीं बोलूंगा।

श्री सभापति: आपको नहीं, आपको सारा सदन सुनना चाहता है। आप तो बोलिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): 1976 में डेढ़ रुपये क्विंटल का समर्थन मूल्य बढ़ा। पैसा बनता ही नहीं था। एक पैसा तो बनता था लेकिन डेढ़ पैसा तो बनता ही नहीं था। ऐसा भी कुकर्म कांग्रेस ने किया, किसान के साथ इमरजेंसी का लाभ उठाकर और बाद में सौभाग्य था इस देश का कि अगले साल ही जनता पार्टी आ गयी और खरीद मूल्य 76 रुपये से सीधा 112 रुपये चला गया। जैसे अभी अटल जी के टाइम में गया न एक साथ, वर्ना चार अंकों के नीचे रहता था गेहूं का भाव। पहली बार अटल जी ने पार किया उन चार अंकों को। हां, अगर कोई लाभ मिला तो अटल जी के कारण से मिला। क्रेडिट कार्ड जिसको हम कैपिटल कोस्ट कहते हैं, किसान की दृष्टि से तो कैपिटल कोस्ट जरूर कम हुई क्योंकि ब्याज जीरो पर ले आये, वसुन्धराजी भी जीरो पर ले आईं।

बाकी और सब चीजें, एक और पाप हुआ, एक वर्ष में चार बार भाव बढ़ना यूरिया के। ये राजस्थान के सांसद थे जो कृषि मंत्री थे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता। जब वे चले गये, उसके बाद एक दक्षिण के कुछ समय के लिए, तो झुंझुनूं आए वो। किसानों ने कहा कि साहब, यह क्या कर दिया पिछली सरकार ने, अब कुछ तो करो। तो कहा कि भाई, मैं नहीं जानता ये परसेंटेज-वरसेंटेज, मैं तो सौ रुपये कट्टे के कम कर दूंगा। हुआ ऐसा ही, सौ रुपये कट्टे के कम कर गये देवेगौड़ा जी। अभी तीन साल पहले ही चार सौ रुपये से साढ़े बारह सौ रुपये। बारह सौ साठ रुपये का कट्टा अभी पिछले शासन में हुआ। कोई सुनने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं।

किसान की बिजली महंगी। किसान का ट्रैक्टर महंगा। किसान का खाद महंगा। किसान के जीवन स्तर को जब लेंगे तो वो भी महंगा है उसका। (व्यवधान) उसकी भी चर्चा करूंगा जरा सी।

श्री सभापति: उसकी चर्चा नहीं, आप इस पर आ जाओ।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): 1966 में शास्त्रीजी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कृषि क्रांति की बात की और उसमें देश सफल भी हुआ है, लेकिन उसके बाद में जब वापस कांग्रेस की सरकार आई, शास्त्री जी के जाने के बाद, तो एक नारा दिया गया कि कृषि में मशीनीकरण। अब कितने करोड़ ट्रैक्टर बना सकते हैं आप? पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बना सकते हैं प्रत्येक किसान के लिए और वो करेगा क्या उस ट्रैक्टर का। मशीनीकरण भी किस प्रकार का आया। कोई छोटी मशीन का आज तक प्रयास हुआ क्या? मसालें, चीनी सब

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

किसान देता है और मूल्य उसको नहीं मिलता है। अभी का उदाहरण है आठ सौ-साढ़े आठ सौ में खरीद रहे हैं।

अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि क्वालिटी की बात करते हैं। गेहूं की क्वालिटी तो उसकी जड़ से नापी जाती है। ये पुरुष की भी होती है, मनुष्य की भी होती है, हेरीडिटी जो कहते हैं, मां-बाप का जो अंश होता है। मां के तो खून से ही बनता है आदमी। इस कारण से गेहूं जब बोया गया, उस बीज का है ये परिणाम। अब बरसात आ गई तो थोड़ा काला हो गया। अन्दर का तत्व नष्ट हो गया क्या? और चीजों में होता है क्या? जंग लगे हुए और साधन बिकते हैं न, फैक्ट्रीज में बिकते हैं, सब चीजें माल बिकता है न।

श्री सभापति: काले गोरे की चिन्ता मत करो। चर्चा मत करो यहां पर आप। इस पर कई आर्टिकल आ गये दो तीन दिन में। काले गोरे पर बहुत आर्टिकल छप गये हैं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इस सदन के सदस्य भी रहे हैं और नेशनल प्राइस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं। केकड़ी से आने वाले या आसपास के होंगे, एक ही राजस्थान में बनी है, उसका तो मुझे तो ध्यान नहीं है जो केन्द्र के पैसे से मंडी बनी थी केकड़ी में। स्वर्गीय नाथूरामजी चेयरमैन थे उसके। उस समय भी उन्होंने कई रिकमंडेशन दी थी, लेकिन आज तक किसी सरकार ने उसको लागू नहीं किया क्योंकि किसान का मामला था। किसान की तो रिकमंडेशन कितनी ही मंगा लो, लागू तो करेंगे नहीं, ब्यूरोक्रेसी लागू नहीं करेगी। कभी नहीं करने देगी। (व्यवधान) आवाज कम आ रही है क्या? नागौर की जो क्वालिटी है न, वो यू पी में नानाजी देशमुख ने ले जाकर के और 13-14 किलो देशी गाय दूध देने लग गयीं। अब नागौर वाले पिछड़े हुए हैं तो मैं क्या कहूं इसमें।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): अब देशी गाय बंद हो गयी थी। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): नहीं, वहां तो है अभी।

मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से कहूंगा कि मंडियों की स्थिति सुधारने की आवश्यकता है। एक धन्यवाद आपको भी दूंगा, आप भी उस समय

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

मंत्रिमंडल में थे और प्रभुलालजी भी थे, चौंतीस वर्ष बाद मंडियों के चुनाव कराये। कहां गये लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य? ये प्रजातंत्र की बात करते हैं, किसान की चिन्ता की बात करते हैं, हमने चौंतीस साल बाद चुनाव कराये, आप जब मंत्री थे उस समय।

मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मंडियों में सुविधाएं बढ़ें और केवल मौसम के आधार पर जो चेंज होता है, उसके आधार पर हम तय करते हैं, ये ठीक नहीं है और केवल भगवान भरोसे छोड़ दें कि वहां से पैसा नहीं आया। इंडस्ट्री से लीजिये न।

विश्व में एक देश ऐसा भी है जिसने एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाया और बाद में उसको फ्री किया और एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री को डवलप किया। जापान की कथा यह है विकास की। इस कारण से खेती की उपेक्षा करके, क्योंकि किसान केवल उत्पादक नहीं है, देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी किसान ही है। अगर वो अनशन कर ले एक-दो दिन तो क्या हालत होती मार्केट की। जब अकाल पड़ता था तो पहले महसूस नहीं होता था। पिछला अकाल पड़ा जब 1996-97 में तब मैं कोटपूतली था। दुकान पर गया तो कहा कि साहब, क्या करें, हम तो किसान पर निर्भर हैं। पहले कोई मानने के लिए ही तैयार नहीं था। ये किसान ही जेबें भरता है, किसान ही करता है।

एक और अजीब हाल है। एक व्यक्ति ने कहा कि जब देश में समृद्धि आएगी तो किसान गरीब होगा और जब देश में कमी आएगी तो किसान धनवान होगा। मूल्य पर टिप्पणी है जो मंडी के लिए महत्वपूर्ण है और यही कारण है और फैशन का जो ट्रेड सायकल बारह साल है। मौसम का पचास साल है और किसान का ट्रेड सायकल तो तीन साल में कम्प्लीट ही हो जाता है। जैसे लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी उदाहरण दिया था। इस साल अभी आलू ज्यादा बोया है। पिछली बार भाव तेज थे इसलिए। अब इस साल वो करेगा तो अगली बार कम बोयेगा। अगली बार भाव बढ़ेंगे तो उसके अगली बार फिर ज्यादा बोयेगा।

इसकी भी पहचान एक ही है कि संग्रहण हो। कृषि उपज के संग्रहण की सब चीजें तय हों। केवल सब्सिडीज मारने से किसान डवलप नहीं होगा।

आपके माध्यम से इनको याद दिलाना चाहता हूं, राजस्थान आइल

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

सीड में कहीं नहीं था। ताऊ देवीलाल जब कृषि मंत्री बने तो उन्होंने एक साथ साढ़े चार सौ रुपये सरसों के बढ़ाये और राजस्थान एक नम्बर पर आ गया आइल सीड में। प्रोत्साहन चाहता है किसान। प्रोत्साहन नहीं देना चाहते, केवल दिखाते हैं, ये खोल लो, वो कर लो, ये सब्सीडी ले जाओ। वो ले जाओ। वो तो कम्पनीज के होता है। कभी उसके खाते में दी क्या सब्सीडी खाद की? खाद की सब्सीडी उसको दो फिर ओपन मार्केट में खरीद लेगा, लेकिन वो कम्पनी से पहले तय हो जाता है सौदा, कितना कमीशन मिलेगा सरमायेदारों को, उसके बाद वो तय करते हैं। तो उससे और ले लेते हैं। कोई भी चीज हो, आप जमा कराओ कम्पनी में। हम सब्जी भी कम्पनी को देंगे। उसमें ऊंचे भाव होते हैं, कीमत ज्यादा वसूल की जाती है।

इस कारण से मैं इस प्रस्ताव के पक्ष में मेरा जनमत जानने का जो विषय था, उसकी अनुमति चाहता हूं और दो सुझाव मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि मंडियों की जो सुविधाएं हैं उन पर निश्चित तौर पर, चाहे एक कमेटी बनायें और कमेटी बना कर करें। ये न्यूनतम आवश्यकताएं हैं किसान के लिए। अब शिक्षा तो 52-67 परसेंट पहुंची है और किसान को अनपढ़ रखा गया योजनापूर्वक कांग्रेस द्वारा। इस कारण से वो कहां से मोल भाव करेगा।

श्री सभापति: इन दोनों बातों का भी ध्यान रखिये, माननीय मंत्रीजी, जो अंत में दो बातें कहीं। विराजें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): कल भी कहा था मैंने, कृषि शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। 1142 सीटें हैं केवल कृषि शिक्षा में। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद, विराजिए। श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, विधेयक के प्रावधानों पर काफी चर्चा हुई है। माननीय मंत्री महोदय धारा 17 और 37 को संशोधित करने का प्रस्ताव इस सदन के सामने लाये हैं। माननीय सभापति जी, मैं धारा 17 को पढ़कर सुना रहा हूं, मण्डी फीस संग्रहीत करने की शक्ति:- मण्डी समिति अनुज्ञप्तिधारियों से उनके द्वारा मण्डी क्षेत्र में क्रीत या विक्रीत कृषि उपज पर ऐसी दर से मण्डी फीस, विहित रीति से संग्रहीत करेगी जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये और जो प्रति एक सौ रुपये की कृषि उपज पर अधिकतम 2/- रुपये के अध्यधीन

(श्री मानिक चन्द सुराना)

होगी। माननीय मंत्री महोदय इसी धारा को अमेंड करना चाहते हैं और उसमें यह प्रावधान जोड़ना चाहते हैं चूंकि भारत सरकार चाहती है कि फल और सब्जी पर मण्डी टैक्स हटे, भारत सरकार की उस राय से सहमत होते हुए, यूजर्स चार्जेज या प्रभार शुल्क उस पर लगा दिया जाये जिससे कि कृषि मंडियों की आमदनी में कुछ अधिक फर्क न पड़े, इस उद्देश्य से यह संशोधन आप लाये हैं।

सभापतिजी, जो मण्डी शुल्क आप वसूल कर रहे हैं और कृषि उपज मंडियों का जो ढांचा है, यह एक चुनी हुई संस्था है, चुनाव से आती है, सीमित समय है। वह समय चाहे तीन साल का है, चाहे जो भी है, पहले असीमित था और अनियमित चुनाव होते थे, अब प्राय:-प्राय: चुनाव तो नियमित होते हैं।

सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से यही पूछना चाहता हूं कि जो मण्डी टैक्स इकट्ठा हो रहा है, बीकानेर की मण्डी में 2011-12 में 20 करोड़ 43 लाख की आमदनी थी, आपने 30 परसेंट अंशदान बोर्ड अंशदान के नाम से मण्डी से लिया, 5 परसेंट किसान कल्याण कोष के नाम से राशि जाती है। जो बोर्ड अंशदान आपका था 6.16 करोड़ 2011-12 में, 2012-13 में 6 करोड़ 38 लाख और 2013-14 में बोर्ड अंशदान हो गया कुल मिलाकर 6.91 लाख। माननीय मंत्रीजी, मैं इसी की वैधता को चुनौती देता हूं। आप बोर्ड अंशदान मंगाने के अधिकारी क्यों हैं। आपने कृषि टैक्स 2 परसेंट लगाया है उसी के आधार पर, 2 है या 2 से कम है, उसी की सीमा में यह टैक्स आ रहा है और जो आप 30 परसेंट टैक्स मंगाते हैं उसकी विवेकशीलता, उसकी रीजनेबिलिटी, रेशनेलिटी मैं आपसे जानना चाहता हूं। मेरी मण्डी में जो टैक्स इकट्ठा हुआ, राजस्थान की किसी भी मण्डी में जो टैक्स इकट्ठा हुआ, आप बीकानेर से 30 मंगा रहे हैं और जो सुपर क्लास मंडियां हैं, ए क्लास मंडियां है, मेरी जानकारी में आप उनसे करीब 25 करोड़ रुपये मंगाते हैं। यह आपका बोर्ड अंशदान का स्लेब है। मंडियों पर यह आपका सुपर चार्ज है, मण्डी टैक्स तो किसान और खरीददार देगा लेकिन आपके सुपर टैक्स की वैधता क्या है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे हैं, आप करीब 30 परसेंट तो बोर्ड अंशदान, 5 परसेंट किसान कल्याण के नाम से मंगा रहे हैं और उसके बाद में 5 परसेंट से अधिक राशि पीडब्ल्यूडी जो सड़कें बनाती है, पीडब्ल्यूडी के जो एक्सईएन, एसई हैं, वह उनसे 5 परसेंट और मंगाते

(श्री मानिक चन्द सुराना)

हैं। कुल मिलाकर 40 से भी ऊपर तो आपने मंगा लिया और 25 परसेंट उनके संचालन में, प्रशासनिक खर्चों में, तनख्वाहों में और मंडी के रखरखाव में खर्च होता है।

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि कृषि उपज मंडियां जो 20 करोड़, 24 करोड़ इकट्ठा करती हैं, उनको सिर्फ एक लाख रुपये महीने का, यानी 10 लाख रुपये साल में कुल खर्च करने का अधिकार है। एक लाख एक हजार करें तो मंत्री महोदय की या विभाग की परमिशन की उनको आवश्यकता है।

उसके बाद कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने तो कह दिया कि आप सड़क नहीं बनाओगे। आप मंडी के विकास पर तो कुछ खर्च कर सकते हैं, मंडी में शेड बना सकते हैं, मंडी में सड़क बना सकते हैं, मंडी में यार्ड बना सकते हैं पर आप गांव की सड़क नहीं बना सकते। यह तो शुक्र है कि राज में परिवर्तन हो गया और माननीय मुख्य मंत्री महोदया के ध्यान में या हो सकता है कि आपके भी ध्यान में यह नहीं आया कि मंडी से जो रुपया इकट्ठा होता है, उससे उस क्षेत्र की सडकें नहीं बन सकतीं और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 13 दिसम्बर को यह बैन हटाया कि नहीं, मंडी में जो रुपया इकट्ठा होता है उससे सड़क भी बन सकती है।

मैंने जो अभी आपको बताया, वह 65-70 परसेंट का तो जाने का प्रावधान है, 30 परसेंट तो आपके पास आना है बोर्ड अंशदान में, 5 परसेंट किसान कल्याण कोष में, कुछ सड़कों पर और सड़क बनेगी तो साढ़े 12 परसेंट सुपरविजन चार्ज पीडब्ल्यूडी का है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि नगर परिषद है, नगरपालिका है, अन्य चुनी हुई संस्थाएं हैं, आज राज्य सरकार भी रुपया भेजती है, टीएफसी और एसएफसी से जो रुपया पंचायत समितियों को, पंचायतों को, नगरपालिकाओं को, नगर निगमों को मिलता है, उसके खर्च करने पर पाबंदी नहीं है। कृषि उपज मंडियों के खर्च पर और खास तौर से सड़क बना दे, आखिर तो यह 1961 में एक्ट आ गया, माननीय मंत्री महोदय, इस एक्ट को 54 साल हो रहे हैं, इस एक्ट के माध्यम से आज तक तो जितनी गांव की सड़कें हैं जहां से किसान अपना माल लाता है, अब तक तो पक्की हो चुकी होतीं, यदि राज्य सरकार की इंटरफिरेंस नहीं होती और राज्य सरकार उनके हाथ नहीं बांधती। यह 30 परसेंट का आप जो उपयोग करते हो, काफ करें, चाहे कांग्रेस राज के इस बोर्ड अंशदान का परीक्षण कर लें और चाहे किसी

(श्री मानिक चन्द सुराना)

भी राज के बोर्ड अंशदान का परीक्षण करें, वह सड़कें किसी अन्य क्षेत्रों में बनती हैं और इसका स्पष्ट मतलब है कि जहां राजनीतिक वर्चस्व है और जो राजनीतिक प्रभावी लोग हैं उनके क्षेत्रों में बनती हैं। गांव से रुपया मंगाया जाता है और दूसरी जगहों पर उसका निर्माण होता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में वार्ता नहीं करें, वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं। सदन के सामान्य शिष्टाचार के नियमों का पालन करें, माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुल मिलाकर कृषि उपज मंडियां, अपने द्वारा फंडेड विकास कार्य भी उनके नियंत्रण में नहीं है, उनके द्वारा इकट्ठी करी हुई राशि से जो फंडिंग हो रही है वह उनके नियंत्रण में नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यहां नहीं बैठें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): पीडब्ल्यूडी के जो सुपरविजन चार्जेज हैं, माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो संशोधन आप लेकर आये हैं उसका कोई ज्यादा विरोध की बात नहीं है, संशोधन अपनी जगह ठीक है, भारत सरकार की अधिनियमों की जो लाइन है उसमें फल और सब्जी पर मंडी टैक्स नहीं हो, हालांकि वह संशोधित टैक्स भी 0.01 है जो करीब-करीब नगण्य है, पर फिर भी चाहे भारत सरकार की सलाह से, निर्देश से अपन उसको खतम कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप जो यूजर चार्जेज लगाना चाहते हैं, सभापति महोदय, आपकी इजाजत हो तो मेरा एक अमेंडमेंट है मैं उस पर भी अभी बात कह दूं ताकि दुबारा बोलने की आवश्यकता न पड़े।

श्री सभापति: अमेंडमेंट को...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): कोई बात नहीं, आप चाहेंगे तो फिर बाद में अर्ज कर दूंगा।

श्री सभापति: आपको दो बार अवसर....

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं नीतिगत तौर पर यह कह रहा हूं कि...

श्री सभापति: आप बोल लें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): यूजर चार्जेज, शुरू में 1.60

(श्री मानिक चन्द सुराना)

परसेंट टैक्स था फल सब्जी पर। हमारा यूजर चार्ज किसी भी स्थिति में पौन परसेंट से अधिक नहीं हो, यह सुझाव मैंने मेरे संशोधन में दिया है। हालांकि आपने तो जो निहित की जाएगी, रूल्स में प्रेस्क्राइब्ड कर दी जाएगी, वह पावर अपने पास रखी है। मेरा निवेदन है इस विधान सभा से संशोधन हो जाए कि उस पावर का इस्तेमाल आप पौन परसेंट से अधिक यूजर चार्जेज के लिए नहीं करेंगे।

सभापति महोदय, चूंकि माननीय कृषि मंत्रीजी का बयान इस सदन में अनेक बार हुआ है, 21-22 जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा लागू है, बाकी के जिलों में अन्य प्रकार की फसल बीमा लागू है, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जितना बड़ा हादसा राजस्थान में, साढ़े इक्कीस हजार गांवों को प्रभावित करने वाला, उनकी फसल को बर्बाद करने वाला जो काम फरवरी से लेकर मार्च के महीने में हुआ और जो दो अप्रैल तक भी...

श्री सभापति: अभी भी चल रहा है। अभी आज रात को ही चला है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): दो अप्रैल तक मेरे क्षेत्र में हुआ। आज कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कल तक बारिश का दौर जारी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने अभी तक किसी भी मौसम आधारित कम्पनी से, आपके विभाग ने, कोई सम्पर्क किया कि वाकई में हमारे मौसम आधारित जो भी मीटर्स लगे हैं, जो भी मापदण्ड है, उन मापदण्डों के आधार पर हमारी कम्पनी लाइबल बन रही है और हम पेमेंट करने को तैयार हैं।

यदि इतने बड़े हादसे में भी, मौसम आधारित कम्पनियां जो भी आपके काम कर रही हैं, जो भी अनुबंध है, अनुबंध की शर्तें हैं, यदि इसमें कोई आगे नहीं आ रही है, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप दो-तीन दिन में जब सदन समाप्त हो तो आप सारी कम्पनियों को बुलाएं, अपने अधिकारियों से पहले परीक्षण कराएं इनके अनुबंध में क्या डिफेक्ट है कि इतने बड़े हादसे के बावजूद यह अपने आपको लाइबल नहीं समझ रही हैं। यदि इतने कमजोर उनसे हमारे अनुबंध हैं तो मेरा निवेदन होगा कि राज्य सरकार बड़ी गम्भीरता से मौसम आधारित योजना में या तो ऐसे संशोधन करे जिससे कुछ चीज पारदर्शी हो। आम आदमी को भी पता चले कि मौसम आधारित कम्पनियां लाइबल हो गईं। यदि कोई लाइबल ही नहीं है और हम सिर्फ भारत

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सरकार की मदद पर ही, जिसका जिक्र माननीय आपदा राहत मंत्रीजी ने किया कि हमने पहले साढ़े तीन सौ करोड़ दे दिया और अब पांच सौ, इतने करोड़ दे दिया और अभी हमने आठ हजार करोड़ मांगा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सारी मदद उस पटवारी और गिरदावर की रिपोर्ट पर आधारित है। उसने 50 परसेंट खराबे के बावजूद यदि 10-20 परसेंट लिख दिया, कितने मामलों में शिकायत होगी, कितने मामलों में कलक्टर उसको बदल पाएगा और कितने मामलों में तहसीलदार और एसडीएम उसको बदल पाएगा। यह अनुभव अभी-अभी हमें हुआ है। मार्च में बारिश हुई, जिसको कलक्टर ने देखा, एसडीएम ने देखा और माना कि 50, 60, 70 परसेंट है, पटवारी उसको 10 परसेंट मेंशन करके ले आया, वह तो एसडीएम ने खुद ने देखा था इसलिए उन्होंने अपने स्तर पर संशोधन करवाया कि यह 50 परसेंट से ऊपर है। अन्यथा राजस्थान भर के पटवारी और गिरदावरों पर आपदा का असेसमेंट निर्भर है। इस आपदा असेसमेंट में अपन धोखा खाएंगे। अभी तक तो आपने भारत सरकार से 8 हजार 500 करोड़ रूपया मांगा ही है। वह रूपया आएगा तब किसान को राहत मिलेगी। अपना 800-900 करोड़ रुपया, मेरे क्षेत्र में तो अभी बंटना शुरू भी नहीं हुआ है। बीकानेर जिले में अभी तक व्यापक पैमाने पर कोई रुपया नहीं बंटा है।

मैं आपका ध्यान फसल बीमा योजना, मौसम आधारित योजनाओं और दूसरी कम्पनियों से हमारे अनुबंध हैं, जो रुपया किसान का कटता, उस सब स्लेब की ओर आकर्षित करता हूं। उसमें बड़े परिवर्तन की आपसे मांग करता हूं।

श्री सभापति: श्री कालू लाल।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, मैं एक बिन्दु पर दो-तीन मिनट निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि हरियाणा और पंजाब में जितना गेहूं पैदा होता है उसका 90 परसेंट से ऊपर एफ.सी.आई. खरीदती है।

(15.55 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

मेरे पास जो आंकड़ा है वह 95 परसेंट से ऊपर का है, पर मैं ऐतिहातन 90 ही कह रहा हूं। जितने बड़े पैमाने पर पंजाब और हरियाणा का

(श्री मानिक चन्द सुराना)

गेहूं भारत सरकार खरीदती है, आपकी और हमारी पालिटिकली शक्ति नहीं है क्या कि हम उनको कहें कि हम पड़ौसी राज्य है पंजाब के, हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़, हाड़ौती, दूसरे वीट ग्राइंग एरियाज हैं, हमारा गेहूं भी आपको 50 परसेंट से ऊपर खरीदना पड़ेगा। माननीय मंत्रीजी, जब तक आप बाजरा, चना, मूंगफली, सरसों, इनकी नियमित खरीद नहीं करते हैं और राजस्थान के किसान द्वारा उत्पादित इस मोटे अनाज की और अन्य अनाजों की 50 परसेंट तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं करते हैं, किसान को कोई बहुत बड़ी राहत नहीं होने वाली है। राज्य सरकार, अपनी नीति, सुराज संकल्प पत्र में डाला हुआ है कि हम न्यूनतम मूल्य पर, अनेक आइटम्स उसमें दिए हुए हैं कि खरीद करेंगे। मंत्री महोदय, 2013 में कांगेस सरकार जरूर जाते-जाते खरीद कर गई। कुछ सीमित खरीद आपने भी इस वर्ष की है। मैं चाहता हूं कि आप जौ, बाजरा, चना, मूंगफली, सरसों, गेहूं और अन्य जो भी हमारे महत्वपूर्ण उत्पाद हैं उनकी फसल बीमा योजना के तहत खरीद की व्यापक नीति बनाएं ताकि किसानों को राहत मिल सके।

सभापति महोदय, मैंने संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है उसको वापिस लेने की मैं अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति: मुख्य सचेतक महोदय।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्रम सं. 18)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 18वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 07 अप्रैल, 2015 को मध्यान्ह पश्चात 2.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म में हुई । समिति ने अपने 17वें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया कि दिनांक 09 अप्रैल, 2015 को सदन में अग्रेत्तर लिए जाने वाले कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया जाए :

गुरुवार, दिनांक 09 अप्रैल, 2015	1. राजस्थान विरासत संरक्षण विधेयक, 2015
	2. आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय बीकानेर विधेयक, 2015

(श्री कालू लाल गुर्जर)

3. राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015
4. राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015
5. राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों के परिलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015, एवं
6. राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014

-पर विचार एवं पारण।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 18वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 18वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

विधेयक पर विचार

राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री सुरेश रावत, श्री हरिसिंह रावत, श्री हीरालाल नागर, श्री संदीप शर्मा, श्री रमेश।

(16.00 बजे)

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 पर चर्चा हो रही है और उसमें संशोधन 1961 की धारा 17 और 37 के बदलाव पर चर्चा हो रही है, इस सन्दर्भ में मेरा कहना है केन्द्र सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि जो फसलें शीघ्र खराब हो जाती हैं, बागवानी फसलें, सब्जी, फल, इन पर मण्डी टैक्स समाप्त किया जाए और इस क्षेत्र में प्राइवेट सैक्टर को बढ़ावा दिया जाए। इस तरह का जो बिल राज्य सरकार ला रही है, इसमें किसानों को ही नुकसान होगा। क्योंकि जो भी चार्जेज लगाएंगे वह, रिजल्टेंट किसान को भुगतान पड़ेगा। हमारे सब्जी और फल हैं, इन पर भी सरकार का कोई

(श्री रमेश)

न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होता है, न ही इन फसलों का बीमा होता है। आज देश में 70 परसेंट चावल व गेहूं की फसल होती है और आज इसकी खपत की जो परसन्टेज है वह 1 से 2 परसेंट प्रतिवर्ष कम हो रही है। इस तरह की जो फसलें हैं, सब्जी या फल, इनकी खपत 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ रही है। आज के युग में सब्जी और फल यदि किसान उगाता है तो उसको ज्यादा लाभ मिलता है। लेकिन जब कभी बम्पर फसल हो जाती है, या फसल के आने का समय होता है, जब वह मार्केट में या मण्डी में बेचने आता है उस समय साल भर की जो औसत दर होती है, कीमत उससे कम मिलती है।

इसमें सरकार जो संशोधन ला रही है, इस बात पर विचार करे, हम किसान को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, किसान का आर्थिक स्तर कैसे मजबूत कर सकते हैं। इस पर संशोधन से पहले यह विचार करना चाहिए कि इस तरह की फसलें किसान बाजार में लाता है तो पहली बात तो उसको इन फसलों को उगाने के लिये ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, रख-रखाव, लेबर कोस्ट उसकी ज्यादा आती है। जब वह बाजार में, मण्डी में लाता है तो ट्रांसपोर्ट की अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। मोटा अनाज है, वह भर कर मण्डी में ले आयेगा और आसानी से बिक जाएगा। स्पेशल व्यवस्था करनी पड़ेगी कि फल या सब्जी खराब नहीं हो जाए। उसके बावजूद भी जब वह बाजार में, मण्डी में आता है तो उसको कम कीमत मिलती है।

प्रावधान सरकार ने किया है कि मण्डी टैक्स समाप्त कर देंगे और जो क्रेता है, उससे वसूल करेंगे तो कहीं नहीं बताया इस बिल में कि कितना टैक्स वसूल करेंगे। इस टैक्स का किसानों को क्या फायदा मिलेगा। चाहे मण्डियों की बात करें, चाहे रख-रखाव की बात करें। आज यह टैक्स मण्डी को मिलता, मण्डी का डवलपमेंट होता तो यह किस प्रकार मण्डी का डवलपमेंट करेंगे। इण्टरनल जो मण्डियों, समितियों के वर्क हैं या किसान, उसको फायदा मिलता है, पहले जो मण्डी से रोड्स बनती थीं, कृषि उपज मण्डी के माध्यम से, कितना पैसा देंगे, क्या परसेंटेज रहेगी। तो इन सारी चीजों पर इस बिल में कहीं प्रावधान नहीं हैं और जब, यदि चाहें तो मेरा सुझाव है कि फल और सब्जी के लिये मण्डियों में सरकार को कोल्ड स्टोरेज बनाने चाहिए। उसमें किसान की फसल को, जब तक उसका उचित मूल्य नहीं मिल जाता, तब तक सरकार सेफ स्थिति में रखवाये। आप बात कर रहे हैं टैक्स को समाप्त करने

(श्री रमेश)

की, आप फसल को खेत से मण्डी तक लाएं या कोल्ड स्टोरेज उसकी जमीन के आसपास गांवों में बनवाएं। आप तो वहां पर किराया लेना चाहते हैं उससे, यूजर टैक्स जो आप व्यापारी से लेना चाहते हैं या अन्य व्यक्ति से लेना चाहते हैं, उससे ज्यादा लें, लेकिन सही समय आने पर। जो किसान उस फसल को अधिक समय तक रखना चाहता है, तो उसकी फसल का उसको उचित दाम मिले, सरकार को ऐसे प्रयास करने चाहिए।

इसके अलावा जब किसान की फसल पैदा होती है, क्योंकि सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, सरकार अपनी व्यवस्था कर रही है, किसान के प्रति सरकार की सोच नहीं है, वह कौड़ियों में बेचता है। यह यूजर चार्ज जो लगाया है कि वह दूसरा व्यक्ति देगा, प्राइवेट लोग इसमें आएंगे तो किस तरह किसान का इसके प्रति लगाव होगा कि हम सब्जी उगाएं, फल उगाएं, वह नहीं उगाएगा। दूसरा कारण यह भी है किसान के मन में एक सोच रहती है कि मोटा अनाज पैदा होता है, बाजरा, सरसों, गेहूं, वह मण्डी में अनाज बेचने आता है, बेचकर चला जाता है। छोटा किसान फल, सब्जी करता है। मन में एक बात पैदा होती है कि यह छोटा आदमी है। जबकि आप यहां पर किसानों को इसके प्रति जागरूक करें कि विदेशी सब्जियां, कौन-कौन से सीजन में, कब-कब, कितनी बार पैदावार ले सकते हैं तो उससे ज्यादा कमाई भी हो सकती है। लेकिन जब तक सरकार इसमें उसका सहयोग नहीं करेगी तब तक हम इसका फायदा नहीं उठा सकते। तो सरकार ने जो भी यह टैक्स समाप्त किया है, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप किसानों के लिये जो मेरे पूर्व माननीय सदस्यों ने कही कि फसल बेचने आता है, फसल बेच करके वापस अपने वाहन से जाता है और दुर्घटना हो जाती है, तो सरकार को उसको एक अच्छा मुआवजा देना चाहिए। उसको आर्थिक सम्बल अच्छा मिले और जितने भी किसान हित में जो काम करने चाहिए, जो छोटी-छोटी मंडियां, पंचायत समितियों पर हों, वहां पर खरीद हो, जिस तरह की बात हमारे माननीय सदस्यों ने कही कि गुजरात पैटर्न पर हो, कर्नाटक सिस्टम पर हो, तो यहां राजस्थान में भी इस तरह की व्यवस्था हो। आज किसान दर-दर की ठोकरें खा रहा है, जब उसकी फसल आती है तब उसको कौड़ियों के भाव मिलते हैं, क्योंकि सारा उसका सिस्टम, उसकी गृहस्थी, उसका जीवन उस पर चलता है। तो यह सारी व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए। आपने जो टैक्स समाप्त

(श्री रमेश)

किया और इनमें आप संशोधन करना चाहते हैं तो किसान हित में संशोधन करें। ऐसा संशोधन, ऐसे नियम बनायें कि किसान को अधिक से अधिक फसल का रेट मिले। आपने इसमें जो मण्डी टैक्स समाप्त किया है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे तो आखिरकार उसके सिर पर ही, जो मूल्य आप कर रहे हो, सामने वाला उससे कम कीमत में खरीदेगा। तो इससे किसान को ही नुकसान होगा। इसलिये, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 को दो माह के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित किया जावे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मान सिंहजी।

श्री मान सिंह (गंगापुर): सभापति महोदय, राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 पर चर्चा हो रही है। सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के अनुरूप मण्डी संशोधन को ला करके केन्द्रीय सहायता और किसान को मण्डी के अन्दर जो सुविधा देने की बात कही गयी है, निश्चित रूप से वह मंशा बहुत अच्छी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान को उसकी उपज का मण्डी में जो मूल्य है, वह बहुत कम है और जिस यूजर चार्ज की आपने बात की है, उसका इसमें खुलासा नहीं है। किसान फसल को ले करके, जिन सब्जियों पर आपने 0.1 प्रतिशत टैक्स घटाने की बात कही है, वह अच्छा कदम है। लेकिन उसके साथ-साथ में किसान को क्या हम सुविधा दे रहे हैं, जब व्यापक परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते हैं तो ऐसा लगता है कि राजस्थान और इस देश के 76 प्रतिशत किसान को आज की व्यवस्था में जो मिल रहा है, मैं समझता हूं वह नगण्य के बराबर है। अगर हम शिक्षा में देखते हैं तो कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से केवल मात्र 1100 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बजट में उस शिक्षा को देखते हैं तो वह 6 परसेंट है।

किसान को हम जब सुविधा के हिसाब से और व्यापार के नाम से देखते हैं तो पिछले वर्षों में अकेले जयपुर से सब्जी का जो एक्सपोर्ट हुआ उस एक्सपोर्ट के नाम से बीच के बिचौलियों ने 44 परसेंट किसान के नाम पर मंडी से अलग व्यापार किया है। कृषि मंत्री महोदय, आपके एक्ट के होते हुए भी उन्होंने किसान के नाम पर सब्जियां एक्सपोर्ट कर दीं और वह किसान ने नहीं

(श्री मान सिंह)

की। किसान को तो ए, बी, सी, डी भी मालूम नहीं है कि बम्बई भेजकर उसको कैसे एक्सपोर्ट करना है और आज आपने इस एक्ट के माध्यम से जो छूट दी है, अगर मंडी यार्ड में कोई फसल और सब्जी नहीं आती है, वह बाहर अगर उसको बेचना चाहता है, एक्सपोर्ट करेगा तो उसको आपने पूरा फ्री कर दिया। किसान को जो आप लाभ देना चाहते हो, मैं नहीं समझता कि किसान को वह लाभ मिलेगा, मंत्री महोदय।

माननीय सभापति महोदय, इस मामले में निश्चित रूप से इस बिल के माध्यम से मंत्री महोदय, आप इस पर आगे विचार करें किसान को किस प्रकार की हम सुविधा देना चाहते हैं? सरसों को ही आप ले लीजिए, आपकी जो आयल टैस्टिंग की लैब्स हैं, वह सब जगह पर सरकारी नहीं है। प्राइवेट आयल टैस्टिंग की लैब पर वह टैस्ट होती है। उसका परसेंटेज उससे गिनता है। उस परसेंटेज से उसकी रेट होती है। किसान उसको सही मानता है कि उसको सही उपज का भाव मिल रहा है और जब सब जगह आपकी लैब टैस्टिंग सरकारी नहीं है और प्राइवेट को आपने मान्यता दे रखी है तो उस किसान को क्या पता, उस अन्नदाता को क्या पता कि आपकी फसल का जो मूल्यांकन तेल मिल में रहा है, आयल टैस्टिंग में हो रहा है, वह सही है या नहीं है। वह एक, दो, तीन जब होता है तो उसको मानकर चला जाता है।

इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बिल का उद्देश्य और इस बिल में जो आप चैंजेज करने जा रहे हैं, उसमें हमको कोई एतराज नहीं है, इस सदन को भी कोई एतराज नहीं है और कृषि का जो केन्द्र का और आपका तालमेल है, उसके हिसाब से आप करने जा रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन व्यापक परिप्रेक्ष्य में हम किसान को क्या दे रहे हैं? आज कृषि प्रधान हमारे देश में जब हम उदाहरण देखते हैं, हम बात करते हैं कि विशेष आर्थिक जोन बनना चाहिए। कभी हम सोचते हैं कि इस किसान के लिए भी कोई विशेष आर्थिक किसान जोन बनना चाहिए? कभी हमने सोचा है किसान के लिए? अखबारों में पढ़ते हैं, कई बार आपके ब्रोशर निकलते हैं कि आप कोई जैतून की खेती करेंगे, इस प्रकार से करेंगे लेकिन आपसे भी जब चर्चा करते हैं तो ऐसी फसलों का, ऐसे बीजों का क्यों नहीं हम उत्पादन करते कि किसान को हम ओलावृष्टि से फसल का जो मौसम तंत्र बदला है, उससे बचा सकें। आज क्यों नहीं हम बीज का बीमा करें? जब खेत में बीज बोया जाए और अगर वह

(श्री मान सिंह)

बीज नहीं उगता है या बीज की फसल कमजोर उगती है तो वह किसान को मिल जाए। आखिर, किसान को हम किस प्रकार से सवाईव करने का मौका देना चाहते हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार से वाहन का बीमा होता है, उसी प्रकार फसल का बीमा भी कम से कम थर्ड पार्टी का तो होना ही चाहिए। आज नार्म्स की बात आ जाती है। बीमा कम्पनियों ने, चाहे कितना ही रुपया जमा हो, उसको आज तक नहीं दिया तो इस बिल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि किसान को उसकी उपज का लाभ मिल सके, किसान को सर-सब्ज कर सकें, उसका भाव उसको दे सकें, उसके लिए हमको नीति में व्यापक परिवर्तन लाना होगा। चाहे हम बीमा कम्पनियों के माध्यम से काम करें, स्पेशल किसान जोन, अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग जिक्र आता है।

आज मैं कहता हूं कि व्यापारी, किसान, मंडी का जो व्यापार करता है, उसको भी अगर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत है तो उसको भी प्रोटेक्शन देंगे लेकिन ऐसा प्रोटेक्शन भी नहीं होना चाहिए कि उसको भी पिसना पड़े। पिछली कांग्रेस सरकार ने जो सैंट्रल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसको मंडी के ऊपर लागू कर दिया। अब हम पूछना चाहते हैं मंत्री महोदय, कि किसान फसल का गेहूँ, सरसों, चने की फसल मंडी में बेचने जाता है तो उसमें वह क्या मिलावट करेगा? उस फसल पर फूड सिक्योरिटी एक्ट कैसे लागू होगा? यानी, हम उस व्यापारी को भी तंग कर रहे हैं कि एक रजिस्टर खोल, उस रजिस्टर से मूल्यांकन करवा, उस रजिस्टर में इंस्पैक्टर से चैक करवा कि फसल के अन्दर, गेहूं के अन्दर किस्म तो चेंज नहीं कर दी। व्यापार में अनावश्यक दखलंदाजी अगर कहीं होती है तो हमको व्यापारी को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए।

जहां किसान को लाभ देने का काम है, पूरे तरीके से मंडी के अन्दर भण्डारण की व्यवस्था होनी चाहिये। आज मंडी के अन्दर किसान को भण्डारण की व्यवस्था नहीं मिलती कि वह अपनी फसल को भण्डारित करके समय पर उसको जब पैसे की जरूरत हो, तब वह बेच सकें। आज भी वह निर्भर है कि व्यापारी के गोदाम में रखेगा और जिस दिन व्यापारी के जंचेगी, जिस दिन व्यापारी यह कहेगा कि मेरे पास जगह नहीं है, बेचना पड़ेगा क्योंकि उसका लाइजनिंग वायदा व्यापार से होता है और यह जो वायदा व्यापार आया है, एक,

(श्री मान सिंह)

दो, तीन करने की जरूरत है, अपने आप, न तो आपको पता लगता है और न हमको पता लगता है, टेलीफोन पर ही हो जाता है। आपके आंकड़े भी खूब बढ़ जाते हैं कि फलां मंडी के अन्दर आज इतना कारोबार हो गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि किसान को प्रोटेक्ट करने के लिए सुविधाएं मिलें, जमीनी हकीकत पहचान कर हम बीज संरक्षण से लेकर वह अपनी फसल को कैसे लेकर आएं, आज मंडी में जब आता है तो शहर के बीचोबीच में आ रही है। तो बीच में ट्रैफिक वाला उसका चालान कर देता है। अलग से कोई उसका रास्ता नहीं होता। होना यह चाहिए कि प्रत्येक मंडी में कम से कम मेगा हाई-वे से और हाई-वे से उनको जोड़ने के लिए हमको अलग से सड़कें देनी चाहिए। इसका विशेष प्रावधान होना चाहिए। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अबकी बार उन्होंने इसमें छूट दी है कि मंडी के पैसे से सड़क बन सकेगी। मंत्रीजी, आपको भी धन्यवाद कि जो भी मंडियों के प्रस्ताव आपके पास आए हैं उनको आप भी स्वीकृत करें जिससे गांव का पैसा, किसान की फसल का जो पैसा है, वह पैसा गांव में सड़क के माध्यम से लग सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक छोटा-सा आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि आज अमरीका के अन्दर किसान को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक मोबलेन डेयरी है, मोबलेन डेयरी का जो मालिक है उसने दस साल पहले अमरीका से कहा कि मैं आपके यहां पर आना चाहता हूं। आप हमें क्या-क्या सुविधाएं देंगे? तो जिस प्रकार से आज हम इंवेस्टर्स को निमंत्रण देते हैं, उसी तरह से उन्होंने किसान को निमंत्रण दिया और वह यूरोप से अमरीका गया। वर्ल्ड में एक व्यक्ति के पास सबसे बड़ी अगर कोई डेयरी है जिसमें नौ हजार गायें एक व्यक्ति की मोबलेन डेयरी, उसका मालिक दस साल में चार हजार गुणा का मालिक बन गया जब किसान पैसे वाला हो सकता है तो हमारा देश, हमारा प्रदेश पूरी इकोनोमी हमारी कृषि पर निर्भर है, हमको इस बारे में निश्चित रूप से सोचना चाहिए और किसान को किस प्रकार से हम बचा सकते हैं, आज से पहले भी इस पर चर्चा होती रही है।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि, यह विषय मंडी और कृषि से जुड़ा हुआ है। मैं आज पुनः अनुरोध करना चाहूंगा कि हम लोगों को किसान को

(श्री मान सिंह)

बचाने के लिए, हमारी कृषि को सर-सब्ज करने के लिए आज जिस प्रकार से किसान कृषि से भाग रहा है, किसान कृषि को करना नहीं चाहता, किसान का बच्चा वहां पर रहना नहीं चाहता और शहरों की ओर जो पलायन हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। इसको रोकने पर एक व्यापक नीति बनाकर हम लोगों को इसको बचाना चाहिए। मंडी के इस एक्ट पर मैंने जनमत जानने के लिए जो अपना प्रस्ताव दिया था उसको, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वापस लेने की अनुमति चाहता हूं और यही बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सभापतिः श्री बृजेन्द्र सिंह ओला। (अनुपस्थित)

श्री सुखराम विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2015 जो लाया जा रहा है, भारत सरकार ने टैक्स हटाने की बात कहकर इस विधेयक को लाने का उद्देश्य रखा है। पूरे राजस्थान में 133 कृषि मंडियां हैं और 133 कृषि मंडियों में फल सब्जियों की मुश्किल से सात-आठ मंडियां होंगी। इसमें जो टैक्स लगने वाला था, वह एक लाख पर 10 रुपये तय था। पहले 1.60 था, फिर कम करके पिछली सरकार ने 0.01 परसेंट कर दिया। एक लाख रुपये इनकम पर सिर्फ 10 रुपये देने होते हैं। उसको हटाकर यूजर चार्ज लगाया गया, तो यूजर चार्ज में किसी की भी अभी तक जिम्मेवारी तय नहीं की गयी है। केवल मात्र "However the market committees will be able to collect reasonable user charges in respect of the fruits and vegetables." मार्केट कमेटी यूजर चार्ज लगायेगी। अब जितनी भी कमेटियां हैं, वह अपने-अपने स्तर पर यूजर चार्ज वसूल करेंगी। एक समानता पूरे प्रदेश में नहीं रहेगी। कोई किस तरह उस क्रेता से पैसा वसूल करेगा, दूसरा दूसरे हिसाब से पैसा वसूल करेगा। जो फ्रूट और सब्जियां आती हैं, उन पर अलग-अलग हिसाब से टैक्स लगा सकता है। एक तरह का जो सामान्यतः रहना चाहिये वह इस एक्ट से नहीं रह पायेगा, बल्कि इसमें स्पष्ट होना चाहिये कि इससे ज्यादा यूजर चार्ज नहीं लगा सकते। इन-इन फ्रूट्स पर या इन-इन सब्जियों पर यह यूजर चार्ज लगेगा, तो कम से कम जब नया एक्ट, इसमें संशोधन लाये हैं हम तो इसमें इस बात का खुलासा होना चाहिये था ताकि पूरे प्रदेश में एक तरह की समानता रहती।

(श्री सुखराम विश्नोई)

सभापतिजी, आपके मार्फत निवेदन है कि फल और सब्जी की बात करते हैं। एक तरफ जब विकास की बात करते हैं कि सब जगह बढ़िया सुविधाएं मिलें, उस पर टैक्स भले कितना ही लगे और सरकार बार-बार चेतावनी देती रही कि आप हर चीज के लिये तैयार रहो। आज जो बाजार में सब्जी और फ्रूट्स आ रहे हैं, अगर लैबोरेट्री में टैस्ट की जाए, न तो कोई सब्जी खाने लायक है, न कोई फ्रूट खाने लायक है। बार-बार टी.वी. में और सब जगह पत्र-पत्रिकाओं में देखा जाता है कि किस तरह से तरबूज तैयार किये जा रहे हैं, किस तरह से लौकी, तौरई तैयार की जाती है। सब इंजेक्शन लगाकर पेस्टीसाइड डालकर तैयार की जाती हैं। इस संशोधन के साथ में इस बात को प्रोत्साहित किया होता कि जो जैविक तरीके से फल-फ्रूट सब्जी तैयार करेगा, उसे सरकार की तरफ से इस तरह का अनुदान दिया जाएगा ताकि लोग जैविक खेती की तरफ प्रेरित हों। जिस तरह का आज वातावरण इस खाने के प्रति बना हुआ है, माननीय सभापतिजी, सब्जी में कोई टेस्ट है ही नहीं। टेस्ट इसलिये नहीं है कि आज गंदे पानी से सब्जी तैयार की जा रही है। मतलब उसका कोई मापदण्ड है ही नहीं, मानता ही नहीं है। इस संशोधन के साथ में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाता तो बहुत ही बढ़िया तरीका होता।

माननीय सभापतिजी, मेरा निवेदन है कि पिछली सरकार ने कृषि मंडी की तरफ से जो सड़कें बननी थीं, उस पर बैन लगा दिया। परन्तु इस सरकार द्वारा कृषि मंडी के पास में पैसा पड़ा है, उससे सड़कें बनाई जाएं या जो सड़कें पहले बना दी गयी थीं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो-तीन सड़कें कृषि मंडी से बनी थीं, आज उनकी यह हालत है कि उस पर चल नहीं सकते। रिपेयर की व्यवस्था कृषि मंडी की तरफ से हो, यह प्रावधान पुनः इसमें जोड़ा जाए।

इसके साथ-साथ ही यह जो किसान सेंटर बने हैं, बाड़मेर में किसान भवन को प्राइवेट को किराये पर दे दिया और वह आदमी उस किसान भवन में होटल चला रहा है। मतलब जिस मंशा को लेकर किसान भवन बनाया गया था कि हम किसानों की वहां गोष्ठी करेंगे, उनको नाश्ता देंगे, उनके ठहरने की व्यवस्था करेंगे और वहां किसानों के हित की बातें करेंगे, उस बात को बिलकुल नजरअंदाज कर दिया गया। मेरे हिसाब से जहां भी किसान भवन बने हुए हैं, करीब-करीब सभी पीपीपी मोड पर किसी को दे दिये गये हैं। मतलब जिस उद्देश्य के लिये यह बनाये गये थे, उसका एक परसेंट भी फायदा हमें नहीं

(श्री सुखराम विश्नोई)

मिला। शहर के अन्दर बीचों-बीच एक भवन बनाकर आप किराये पर दे दो, उससे किसानों का हित-साधन नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदयजी, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे पड़ोस में रानीवाड़ा के अन्दर आज से चार साल पहले कृषि मंडी बनकर तैयार हो गयी, पर आज दिन तक उस कृषि मंडी को चालू नहीं किया गया है। केवल-केवल मात्र जो शेड बना हुआ है, उस शेड के अन्दर बरसात के दिनों में, गर्मियों में पशु बैठते हैं, यह उद्देश्य कृषि मंडी का रहा है। जिस उद्देश्य को लेकर बनाई गई थी, बिलकुल ही उसकी अवहेलना करके वह बंद पड़ी है। ऐसी कृषि मंडी है, जहां चार साल पहले वह बनकर तैयार हुई, उन कृषि मंडियों को पुनः चालू किया जाये।

माननीय सभापति महोदय जी, मेरा आपसे निवेदन है कि मार्केटिंग का चुनाव होता है कृषि मंडी में, उस मार्केटिंग चुनाव के अन्दर पांच-छह आदमी चुने जाते हैं और दो आदमियों को सरकार नोमिनेट करती है, एक नगर पालिका से आता है, एक स्थानीय विधायक होता है और एक व्यापारियों में से चुना जाता है। पांच यह हो गये, छह यह, कुल ग्यारह आदमी कृषि मंडी में मैम्बर होते हैं और ग्यारह में से जो छह आदमी चुने जाते हैं, उन्हीं में से उसके सभापति का चयन होता है। माननीय सभापति जी, मेरा निवेदन है कि जहां तक विधायक का चयन होता है, विधायक अमूमन हैड क्वार्टर, जहां कृषि मंडी होती है, उस हैड क्वार्टर का जो विधायक है, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, उस विधायक को उसमें नोमिनेट किया जाये। परन्तु अक्सर यह होता है कि हैड क्वार्टर के विधायकों को न रखकर वह सत्ता पार्टी का विधायक न होने से, दूरदराज का जो विधायक है, उसको नोमिनेट कर देते हैं। माननीय सभापति महोदयजी, इस सम्बन्ध में पिछली सरकार ने जब दूसरे विधायक को नोमिनेट किया, विधायक लोग हाई कोर्ट में गये और हाई कोर्ट ने निर्देश भी जारी किये थे कि हैड क्वार्टर का जहां कृषि मंडी बनी हुई है, उस क्षेत्र के विधायक को ही नोमिनेट किया जाये ताकि वह समय पर अपनी बात को रख सके। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): आपकी सत्ता के समय में हम गये थे।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हां, तो गये थे तो उसकी पालना करो। वही तो मैं बात कहने जा रहा हूं।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): मैं नागौर का विधायक था और जायल वाले को कृषि मंडी, नागौर में लगाया।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अब आपने क्या किया है? आप भी तो वही कर रहे हो ना। आप कौनसा भला काम कर रहे हो?

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): हम तो आपकी परम्पराओं को चला रहे हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): बाड़मेर के मेवारामजी बैठे हैं। बाड़मेर के एम.एल.ए. हैं। इनको नोमिनेट ...(व्यवधान) मेरी बात सुनो। आप कौन से पद चिह्नों पर चल रहे हो? आप भी उसी पर चल रहे हो। आपने कौनसा भला काम किया है? आप पार्टीबाजी से ऊपर उठकर उदाहरण के लिये बाड़मेर विधायक बैठे हैं मेवारामजी, बाड़मेर में मेवारामजी का चयन नहीं करके, नोमिनेट न करके दूसरे एम एल ए को नोमिनेट किया है। चाहे हमारी सरकार करो, चाहे आपकी सरकार करो, उसमें फर्क क्या पड़ता है? बोलने के हकदार आप भी नहीं हो। आप उनसे हटकर कोई बात करते तब तो जाकर बात बनती। आप वही काम कर रहे हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमने किया, वही काम करोगे क्या? हम तो 21 पर आ गये, आप 15 पर आना चाहते हो क्या? यही नियत क्यों कर रहे हो, आप यह कहो कि हम उदारता दिखायेंगे, कुछ करके दिखायेंगे। प्रभुलाल जी भले आदमी हैं, इनको आप लोग क्यों गुमराह कर रहे हो? यह बहुत ही भले आदमी हैं, हमारे साथ काफी दिन से काम कर रहे हैं, इनको गुमराह मत करो। आप नये-नये लोग आकर इनको गुमराह मत करो। आप अपने विवेक से काम करना, इनके चक्कर में मत आना। भला करना।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, मेरा तो अन्त में यही निवेदन है कि यह जो आधा-अधूरा संशोधन लाया गया है, उसमें सभी बातों को समाहित किया जाए और इसको जनमत जानने के लिये भेजा जाये।

श्री सभापति: श्री भंवर सिंहजी।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2015 के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री भंवरसिंह)

इसमें मंडियों में टैक्सेज और सरचार्ज की बात की गयी है। निश्चित रूप से टैक्स या सरचार्ज लगाने से पहले उस मंडी का जो मुख्य सूत्रधार होता है, वह किसान होता है और उन किसानों के बारे में हम क्या सुविधाएं दे सकते हैं सरकार की तरफ से, उस सम्बन्ध में भी विचार किया जाना जरूरी है। मंडी क्षेत्र के किसान को अपने खेत से मंडी तक पहुंचने के लिये संसाधनों की आवश्यकता होती है, सड़क मार्ग की आवश्यकता होती है। मंडी क्षेत्र के किसानों को आज भी मंडी तक पहुंचने में भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। मंडी क्षेत्र की सड़कों के निर्माण के लिये किसानों से जो मंडी टैक्स लिया जाता है, वह बहुत ही ज्यादा तादाद में राजस्थान की अलग-अलग मंडियों में जमा है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बीकानेर में जिला मुख्यालय पर कृषि उपज मंडी है। वहां मंडी टैक्स के रूप में करोड़ों रुपये जमा हैं। क्षेत्र के किसानों की समय-समय पर मांग उठती रहती है कि हमें मंडी तक जाने के लिए अच्छा रास्ता उपलब्ध करवाया जाए, सड़क बनायी जाए। मंडी बोर्ड के द्वारा मंडी में किसानों के प्रतिनिधि जो चुन करके आये हैं, मंडी मैनेजमेंट, मंडी अध्यक्ष, प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव बना लिये जाते हैं और प्रस्ताव बनाने के बाद मंडी बोर्ड को उन प्रस्तावों पर स्वीकृति का आज भी अधिकार नहीं है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह दोहरी नीति है। एक तरफ हम किसानों के प्रतिनिधियों को मंडियों में निदेशक के रूप में इलैक्टेड करके पहुंचाते हैं और दूसरी तरफ उनकी राय को मात्र एक बैठक करके, एक प्रस्ताव बना करके राजस्थान सरकार तक, सरकार के मंत्री तक भिजवाते हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मंडी क्षेत्र की सड़कों के निर्माण की स्वीकृति का अधिकार स्थानीय मंडी को दिया जाए जिससे उस क्षेत्र के किसान, मंडी क्षेत्र के ही कोई किसान होते हैं, वो जीत करके उसमें प्रतिनिधि होते हैं और उनकी राय से जो सड़क बनेगी वो निश्चित रूप से क्षेत्र के किसानों के हित में होगी, लेकिन बड़ी विडम्बना की बात है कि उनके प्रस्ताव जयपुर आने के बाद धूल फांकते रहते हैं और लम्बे समय तक उनके उन प्रस्तावों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरे विधान सभा क्षेत्र और बीकानेर जिले की जो बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें हैं, उन सड़कों के प्रस्ताव पिछली मार्च से पहले भी और मार्च के बाद में राजस्थान सरकार को, कृषि

(श्री भंवरसिंह)

विभाग को भिजवाये गये लेकिन आज तक उनमें कोई स्वीकृतियां जारी नहीं की गयीं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मंडी क्षेत्र में जो सड़क निर्माण सीमा है, अभी तक तीन किलोमीटर तक की निर्धारित की गयी है। बीकानेर सीमावर्ती जिला है और मेरा विधान सभा क्षेत्र 250 किलोमीटर लम्बा है, तो हमारे बीकानेर जिले में मिसिंग लिंक या मंडी क्षेत्र की जो सड़कें हैं उनको कम से कम आठ या दस किलोमीटर तक की सीमा में बनाने की छूट दी जाए। इसके लिए धनराशि की मंडियों में कोई कमी नहीं है लेकिन उसमें नियम लगा करके इस प्रकार के जो राइडर लगाये गये हैं उनको हटाया जाए।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बज्जू में पिछले कई सालों से नयी कृषि उपज मंडी खुली हुई है, उस मंडी में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बज्जू की कृषि उपज मंडी में मूलभूत सुविधाएं, पानी, सड़क, आदि समय रहते विकसित की जाएं। वो अभी बीकानेर मंडी के अन्तर्गत आती है, पूरी सुविधाएं मिलने के बाद उस मंडी को अलग स्वरूप में विकसित किया जाए।

इसके साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों, क्षेत्र की जनता और व्यापारियों की मांग के अनुसार बज्जू कृषि उपज मंडी में दुकानों के आवेदन लिये गये थे। बाकायदा कृषि विभाग, कृषि उपज मंडी, बीकानेर के द्वारा अख़बार में विज्ञप्ति निकाली गयी थी कि बज्जू कृषि उपज मंडी में जो व्यापारी जो किसान दुकान लेना चाहे वो आवेदन कर सकते हैं। उसमें स्थानीय व्यापारियों और किसानों ने आवेदन किये, लेकिन, सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के द्वारा अचानक एक आदेश निकाला गया कि अपरिहार्य कारणों से बज्जू कृषि उपज मंडी में दुकानों के जो आवेदन हैं, उनको रोक दिया जाए। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बज्जू कृषि उपज मंडी को यदि हम विकसित करना चाहते हैं और उस क्षेत्र के किसान बीकानेर तक नहीं आयें, उनको 100 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े तो उसके लिए वहां के व्यापारियों को हमें समय रहते दुकानें देनी पड़ेंगी। वहां के किसानों की उस मंडी में भागीदारी के लिए बज्जू कृषि उपज मंडी में जो रोक लगायी गयी है, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि बज्जू कृषि उपज मंडी में दुकानों के आबंटन की जो आवेदन लेने की प्रक्रिया चल रही थी, उसको एकदम से क्यों रोका गया?

(श्री भंवरसिंह)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा बीकानेर जिला मूंगफली उत्पादन में शायद राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बहुत ही अग्रणी जिला है। मूंगफली पर मंडी टैक्स के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि सरसों पर मंडी टैक्स एक परसेंट तथा मूंगफली पर 1.60 प्रतिशत लिया जाता है जबकि दोनों ही तिलहन की श्रेणी में आते हैं और मूंगफली को अभी तक तिलहन की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मूंगफली का 80 परसेंट उपयोग तेल निकालने के काम आता है और 20 परसेंट में नमकीन आदि में दाने का उपयोग किया जाता है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मूंगफली को भी तिलहन की श्रेणी में शामिल करके सरसों की भांति एक परसेंट मंडी टैक्स लिया जाए।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कि मंडी समिति द्वारा कोई भी कार्य करने हेतु, चाहे सड़क निर्माण है, चाहे मंडी में अन्य प्रकार के विकास के कार्य हैं, तमाम प्रकार के कार्यों के लिए मंडी समिति को किसी प्रकार के अधिकार नहीं हैं, मंडी समितियों को पूरे अधिकार देने चाहिए जिससे कि वहां पर सारी स्वीकृतियां निकाली जा सकें और समय रहते वहां काम हो सके।

सभापति महोदय, मंडी समिति में जन-प्रतिनिधियों को हमने शामिल किया है लेकिन उसमें इस प्रकार के अवरोध लगा करके इन समितियों का अस्तित्व ही एक तरह से ना के बराबर कर दिया है।

सभापति महोदय, राज्य के बाहर से हमारे राजस्थान में मिलों में मूंगफली या अन्य प्रकार का माल आता है, व्यापारियों की एक बहुत बड़ी मांग है कि हम अन्य राज्यों से माल लेकर के राजस्थान में मिलों में लाकर उसका स्वरूप चेंज करते हैं, चाहे दलहन है, मूंगफली है, अन्य उत्पाद हैं, तो वहां उन्हें दोबारा राजस्थान में मंडी टैक्स देना पड़ता है जो कि उनके ऊपर दोहरी मार पड़ती है, जो अन्य राज्य में नहीं है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि धारा 58(4) के तहत जो मंडी टैक्स लिया जाता है उस टैक्स में मिलों में आने वाले माल पर छूट दी जाए।

वहीं मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गेहूं पर बोनस है, पिछली सरकार ने डेढ़ सौ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मंडी में अपना माल बेचने वाले किसानों को दिया था लेकिन उस डेढ़ सौ रुपये प्रति क्विंटल के बोनस को

(श्री भंवरसिंह)

अभी वर्तमान सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है, मेरा निवेदन रहेगा कि डेढ़ सौ रुपये के बजाय बोनस को बढ़ाकर किसानों को राहत भी दी जाए।

पूरे राजस्थान में समय-समय पर फसलों का खराबा होता है और कृषि मंडियों, कृषि विभाग के माध्यम से जो ऋण आदि लेते हैं उस पर फसल बीमा का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है। किसान को उसकी फसल के खराबे का, वास्तविक मूल्य का जो खराबा है वो लाभ मिल सके, माननीय कृषि मंत्री जी यहां विराजे हैं, उसके लिए भी मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें सरलीकरण किया जाए और बीमे का अधिक से अधिक लाभ किसान को मिल सके, इसके लिए प्रयास किये जाएं।

साथ में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीद की बात है तो मैं कहना चाहूंगा राज्य की तो नहीं, मैं बीकानेर की कहना चाहूंगा कि सरकारी समर्थन मूल्य पर जो मूंगफली की, चने की खरीद होती थी वो पिछले एक साल से बिलकुल बंद कर दी गयी है। एक किलो चना बीकानेर जिले में पिछले एक साल में नहीं खरीदा गया जिससे किसानों को अपने पर्याप्त भाव नहीं मिल पा रहे हैं और किसान औने-पौने दाम पर अपनी फसलें बेचने को मजबूर हो रहा है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे खेतों में फसलों का भण्डारण करने हेतु वेयरहाउस पर अनुदान की जो योजना है उस योजना को यथावत रखा जाए और समय व लागत के अनुसार उस पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान भी बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि किसान अपनी फसल को अपने खेत में, अपने वेयरहाउस गोदाम में रख सके और उस फसल का जब उचित भाव आये तब किसान मंडी में ले जाकर बेच चके, तो इसके लिए वेयरहाउसों पर आगे भी ज्यादा अनुदान दिया जाना चाहिए।

फसलों का बहुत ज्यादा खराबा पूरे प्रदेश में हुआ है। बीकानेर जिले में 28 फरवरी को, एक मार्च को खराबा हुआ, उसके बाद 12-13 मार्च को ओलावृष्टि हुई और सबसे ज्यादा जो ओलावृष्टि हुई थी वो दो और तीन अप्रैल को हमारे बीकानेर जिले में, बीकानेर सम्भाग में हुई।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2 और 3 तारीख को जो ओलावृष्टि और तूफान आया, उसमें किसान की शत-प्रतिशत फसलें बर्बाद हो गयीं। आज किसान के पास खाने के लिए अन्न का एक दाना

(श्री भंवरसिंह)

भी नहीं बचा है। सरकार ने लघु और सीमांत के जो नियम बनाये हैं, अन्य कृषकों के जो नियम बनाये हैं अनुदान के, उसमें किसान को कम से कम 9 हजार और अधिक से अधिक 18 हजार से ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार से सुबह बताया कि अकेले बीकानेर जिले में 50 हजार कृषि टयूबवैल हैं और एक टयूबवैल पर कम से कम 10 लाख रुपये का किसान का खराबा हुआ है। 18 हजार सरकार से लेकर के किसान का कुछ होने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, हमारा निवेदन है कि यदि सरकार की वास्तव में मंशा है किसान का हित करने की, किसान आर्थिक दृष्टि से कमजोर नहीं हो इसलिए किसान का जो वास्तविक खराबा है, उसके अनुसार उसको राहत दी जाये। साथ में बैंकों के माध्यम से, केसीसी के माध्यम से किसानों ने जो लोन ले रखे हैं, सरकार चाहे एक पैसा भी नहीं दे लेकिन जो बीमा कम्पनीज हैं, जिनके द्वारा किसानों की फसलों का बीमा किया गया है, उन कम्पनीज को समय रहते बुलाकर किसानों के नुकसान का सही आकलन करके भुगतान करवाने की व्यवस्था करे। इससे किसान जीवित रह पायेगा।

माननीय सभापति महोदय, साथ में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक साल पहले डूंगरगढ़, नोखा, लूणकरणसर आदि में किसानों की फसलों को सरकारी समर्थन मूल्य पर बेचा गया था। आज भी सैकड़ों किसान ऐसे हैं जिनकी फसलों को समर्थन मूल्य पर बेचा गया लेकिन उनको भुगतान नहीं हुआ है। समय रहते किसानों को उनकी फसलों का भुगतान दिया जाये। किसान को जो आर्थिक क्षति हुई है, ब्याज आदि लगाया है, उसकी भी पूर्ति की जाये।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोलायत तहसील मुख्यालय है। आसपास के 50 किलोमीटर क्षेत्र में हजारों की संख्या में टयूबवैल पिछले 4-5 सालों में बने हैं। कोलायत में नवीन कृषि उपज मंडी बनाई जानी चाहिए। जिससे कि कोलायत के लोगों को 60 किलोमीटर दूर बीकानेर नहीं जाना पड़े। कोलायत में तहसील मुख्यालय है, सम्भाग मुख्यालय है, विधान सभा क्षेत्र का मुख्यालय है, वहीं पर वह अपनी फसल को बेच कर सही भुगतान प्राप्त कर सके।

किसान भवन की बात की गई, किसान भवनों का उपयोग आज

(श्री भंवरसिंह)

किसानों के लिए नहीं है। राजस्थान के अधिकांश किसान भवन प्राइवेट कम्पनीज को या निजी फर्मों को किराये पर दे दिये गये हैं। जो एक होटल की तरह किसानों से किराया वसूल करते हैं। किसान भवन का जिस उद्देश्य से निर्माण किया गया था, उस उद्देश्य से किसान भवन का रखरखाव किया जाये। किसानों को कम से कम किराये पर रुकने की छूट दी जाये।

माननीय सभापति महोदय, किसानों को समर्थन मूल्य लागत के अनुसार दिया जाना चाहिए जिससे कि किसान को उसकी फसल का सही भुगतान मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, सरकार के घोषणा पत्र में था, सुराज संकल्प पत्र में था। पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि किसान की खेत में काम करते वक्त मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के आश्रितों को 5 लाख रुपये दिया जायेगा, लेकिन अभी 1 लाख से 2 लाख रुपये तक सरकार पहुंची है, 5 लाख रुपये की जो घोषणा की गई है उसको तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। साथ में किसान का खेत में काम करते समय अंग-भंग हो जाने पर भी जो राशि में बढ़ोतरी की गई थी, उसको भी लागू किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की बात हमारे सभी माननीय सदस्यों ने कही। बीकानेर में भी किसानों के परिवारों के 5 हजार से ज्यादा बेरोजगारों ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए फार्म भरे हैं। रोजाना 200-300 बेरोजगारों के इंटरव्यू लिये जा रहे हैं। जिस प्रकार हमारे माननीय सचेतक ने यह बात कही थी कि बीकानेर में ही नहीं, पूरे राजस्थान में यह चर्चा है, तो इस चर्चा पर विराम लगायें। माननीय कृषि मंत्रीजी यह प्रयास करें कि राजस्थान के बेरोजगार को ठगा नहीं जायेगा, उससे किसी प्रकार की रिश्वत नहीं ली जायेगी। निष्पक्ष रूप से जो योग्यता रखता है, जिसको वास्तव में आवश्यकता है, इस प्रकार के परिवार के बेरोजगार को उसमें नौकरी दी जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2015 पर अपनी बात कहने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री बंशीधरजी।

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2015 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, फल, सब्जी मंडी पर टैक्स हटाया जा रहा है, अच्छी बात है। राज्य सरकार द्वारा .01 परसेंट टैक्स लागू रखा जा रहा है, यह जिसके लिए किया गया हो, लेकिन मंत्री महोदय यह जरूर ध्यान रखें कि .01 परसेंट के चक्कर में भारत सरकार जो हमें सहायता दे रही है, वह न रह जाये। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसका नियंत्रण हटने के बाद में कहीं आढ़तिया एकीकरण करके किसान का शोषण नहीं कर लें, इसका भी मंत्रीजी, सरकार ध्यान रखे।

माननीय सभापति महोदय, कृषि उपज मंडी में बहुत सारी चोरियां होती हैं। मैं कुछ सुझाव ही देना चाहूंगा। अगर उनको हम रोक लेंगे तो मैं सोचता हूं कि आपकी कृषि उपज मंडी की आय दोगुनी से भी ज्यादा हो सकती है। उस सुझाव में सरकार को कोई ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। माननीय मंत्री महोदय अपने अधिकारियों को निर्देशित करें तो काम हो सकता है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि कृषि उपज मंडी में गेट के अन्दर से जो माल आता है, उसमें काश्तकार को पर्ची दी जाती है। उस पर्ची पर दुकानदार का नाम लिखा जाता है। जिस दुकानदार का नाम लिखा जाता है, उस दुकान पर माल जाता है। यदि काश्तकार का माल किसी कारण से उस दुकान पर नहीं लिया जाता है तो वह दूसरी दुकान पर जाता है। इस स्थिति में पहली वाली दुकान पर लिखना चाहिए कि मैं नहीं ले रहा हूं। जिससे कि इसका अकाउंट रहे कि माल जो गेट के अन्दर आया है, किसान लेकर आया है, वह कहां बिकता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो पर्ची काश्तकार को दी जाती है, इस पर नम्बरिंग नहीं होती है। इसमें ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि पर्ची आपके यहां सेन्ट्रलाइज्ड एक जगह छपे और उसमें नम्बरिंग यहां से हो। जिससे कि वहां वह खुर्द-बुर्द न हो सके और यह पूरा माल बिककर के ही बाहर निकले।

माननीय सभापति महोदय, उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा कि एक मंडी के अन्दर रोज 5 हजार क्विंटल माल आता है और पर्ची 5 हजार की गेट

(श्री बंशीधर)

पर बन जाती है, लेकिन बोली 4 हजार की लगती है, 1 हजार अमानता रह जाती है। भाव नहीं बढ़ने पर काश्तकार कह सकता है कि मुझे आज नहीं बेचना, मैं कल बेचूंगा, परसों बेचूंगा। ऐसा सिस्टम कर रखा है कि जो अमानता की पर्ची काश्तकार को दुकानदार देता है, वहां की कृषि उपज मंडी के अन्दर उसका इंद्राज होना चाहिए, यह नहीं कि उसको वह अपने पास ही रखे। उसको इंटरनेट से अपने हैड आफिस में भी सूचना करनी चाहिए, जिससे कि दुकानदार और सैक्रेटरी मिलकर के चोरी न कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, इसमें एक समस्या और आती है कि जो माल मंडी से बिक जाता है, माल बिकता है 2 हजार, 4 हजार क्विंटल और जब मंडी से बाहर जाता है तो यह कहते हैं कि मैं गोदाम में लेकर जाता हूं। दुकानदार खरीदता है तो वह अपनी दुकान से माल गोदाम में लेकर जाता है। दुकानदार के गोदामों की संख्या उस मंडी के आफिस में होती है और वह पहले लिखित में देते हैं कि मेरे फलां-फलां गोदाम हैं और उस गोदाम में इतनी-इतनी कैपेसिटी है। देखने में यह आ रहा है कि किसी दुकानदार का गोदाम 2 हजार क्विंटल का है, लेकिन अपने गोदाम के नाम पर वह 10 हजार क्विंटल माल लेकर जा रहा है। यह कृषि उपज मंडी सैक्रेटरी या कृषि उपज मंडी के कर्मचारियों की मिलीभगत है। उस मिलीभगत के कारण चोरी ज्यादा हो रही हैं। इस पर अंकुश लगाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, काश्तकार के साथ एक अन्याय और हो रहा है कि मंडी में जो काश्तकार का माल तुलता है, वह हाथ के कांटे से तोला जाता है, एक-एक बोरी करके। एक-एक बोरी तोलनी चाहिए, लेकिन उसको अगर कम्प्यूटराइज्ड कांटे से तोलते हैं तो एक बोरी में अगर आधा किलो का भी फर्क आता है तो बहुत लम्बा-चौड़ा फर्क पड़ता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा आप निर्देशित करें कि धीरे-धीरे करके चरणबद्ध तरीके से हर मंडी के अन्दर कम्प्यूटराइज्ड कांटा होना चाहिए। जिससे काश्तकारों के साथ ठगाई न हो सके।

माननीय सभापति महोदय, जो माल बिकता है, माल आता है, शाम को मण्डी के सैक्रेटरी का दायित्व होना चाहिए कि मेरे इस दुकान पर इतना माल आया, इतना बिक गया, इतना उसके पास रह गया, आजकल के युग में इण्टरनेट से सारा जुड़ा हुआ है। मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि इस युग में हर

(श्री बंशीधर)

मण्डी में, पूरे राजस्थान की मण्डियों में शाम को हैड आफिस से आनलाइन होना चाहिए जिससे कि काश्तकार का सारा का सारा माल बिके वह सारा राज्य सरकार के टैक्स में आए और इससे आपको ही फायदा नहीं होगा, मैं कह रहा हूं कि सेल टैक्स का भी फायदा होगा और इनकम टैक्स का भी फायदा होगा। ऐसी चोरियां होने से अपने मण्डी में शुल्क ज्यादा आएगा। मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि गोदामों में जो स्टाक रहता है, गोदाम के स्टाक में माल जाने के बाद दुकानदार कब उसको माल बेचता है, माल बेचने के बाद मण्डी के अन्दर मण्डी सैक्रेटरी को यह कहना चाहिए कि मेरे गोदाम में 5 हजार बोरियां हैं उसमें से 1 हजार बोरिया मैंने बेच दी हैं और ये 4 हजार बोरी मेरे बैलेंस है। समय-समय पर, महीने-दो महीने के बजाय पांच-सात दिन से सैक्रेटरी को अपनी टीम के साथ उस दुकानदार का गोदाम भी चैक करना चाहिए। जो ज्यादा माल लेकर जा रहा है, उसकी कैपेसिटी है कि नहीं, तो उसको माल भी नहीं देना चाहिए बाहर ले जाने के लिए, वह उसको यहां बेचे या उसके हिसाब से उसको लिखे जिससे कि चोरी न हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि गेट पर सीसीटीवी लगाने चाहिए। काश्तकार को मण्डी वाला जो पर्ची देता है उस पर्ची को उस सीसीटीवी में दिखाया जाना चाहिए कि मैंने यह पर्ची दी है, यदि मण्डी का सैक्रेटरी और स्टाफ रहेगा तो चोरी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। सीसीटीवी से बहुत अच्छा फायदा रहेगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि गौण मण्डी में बहुत ज्यादा चोरी होती है लेकिन उसमें इतना ज्यादा काम नहीं हो सकता, चोरी रोकने में असक्षम रहते हैं, वहां भी सडनली चैकिंग करनी चाहिए जिससे कि आपको मण्डी में ज्यादा टैक्स मिले क्योंकि ज्यादातर गौण मण्डी में 80 प्रतिशत चोरियां ही होती हैं। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं सुझाव दे रहा हूं ...(व्यवधान) इसमें आपको कोई तकलीफ हो तो मैं बैठ जाऊं?

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा, अभी चुनावों की बात आई थी कि विधायकों को इनके चुनावों में वोट देने का अधिकार है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि विधायक के सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र में जितनी कृषि मण्डी आती हैं वहां उसको नोमीनेट करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं समर्थन मूल्य पर कहना चाहूंगा सरकार

(श्री बंशीधर)

माल खरीदती है काश्तकार से, लेकिन पैसा बहुत लेट मिलता है। केन्द्र सरकार से पैसा आता है तब तक काश्तकार बैठा रहता है। मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि सरकार से कहकर एक कोष बनाना चाहिए उस कोष के अन्दर जब तक पैसा नहीं हो तब सरकार अपने हिसाब से उनको पैसा दे, वह ज्यादा बढ़िया रहेगा जिससे काश्तकार को ज्यादा देर तक पैसा लेने में टाइम नहीं लगे।

माननीय सभापति महोदय, आपसे मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक प्रश्न उठाया था कृषि उपज मण्डी, श्रीमाधोपुर में मूंगफली छीलने की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उनमें...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्य सूची को सम्पूर्ण होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

सदन का समय बढ़ाया गया है, विद्वान सदस्य,...

विधेयक पर विचार

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, मेरा भी बढ़ गया है अपने आप ही। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाह रहा था अभी, श्रीमाधोपुर में फैक्ट्री एरिया के अन्दर करीब 15 फैक्ट्री ऐसी हैं जिन्होंने मूंगफली छीलने का लाइसेंस ले रखा है, लेकिन उन फैक्ट्रियों का यदि आप रिकार्ड देखें, सेल टैक्स का नाम नगण्य है, उसमें मण्डी टैक्स की चोरी हो रही है, उसमें सेल टैक्स की चोरी हो रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बाद जयपुर के हैड आफिस ने

(श्री बंशीधर)

तीन-चार आदमियों की कमेटी बनाई है उस कमेटी के अन्दर आपने जयपुर से एक आदमी लगाया है और सीकर से डिप्टी डाइरेक्टर को लगाया है, उस सीकर के डिप्टी डाइरेक्टर की उसमें मिलीभगत है। अपन ने तो दूध की रखवाली बिल्ली को दे दी। उसकी जगह मैं यह कहना चाहूंगा आसपास भरतपुर या अन्य जगह के डिप्टी डाइरेक्टर को लगाना चाहिए जिससे आपकी पारदर्शिता हो और अधिकारियों की नीयत साफ हो। उसके अन्दर एक सैक्रेटरी को भी आपने लगाया है, जो आज सैक्रेटरी, पहले सीकर में था उसी सैक्रेटरी के पास श्रीमाधोपुर का भी चार्ज था, उस सैक्रेटरी से भी अपन न्याय की आशा नहीं कर सकते, हालांकि वह सैक्रेटरी आज जिले में नहीं है, बाहर है लेकिन उन्हीं दुकानदारों से मिला हुआ सैक्रेटरी है वो, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने जो कमेटी बनाई है वह कमेटी आज आपके अधिकारियों के हिसाब से बनी हुई है, अच्छी कमेटी नहीं है, दोबारा इसको बनाइए जिससे कि आपको करोड़ों रुपयों का फायदा होगा और सेल टैक्स का फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, बार-बार कहने की जरूरत नहीं होती है इसलिए इसमें जो सुझाव दिए हैं उनको आप रेगुलराइज करेंगे तो आपको आय ज्यादा से ज्यादा होगी। एक बात और कहना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र में, उस मण्डी के क्षेत्र में जो सड़कें बनाई जाती हैं, जो इनकम होती है, कम से कम 80 परसेंट इनकम उसी मण्डी के एरिया में लगाई जाए जिससे काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जो काश्तकार अपना माल लेकर आता है ज्यादा से ज्यादा कोई क्राइटेरिया होना चाहिए जिस काश्तकार के पास इतने रुपए का माल यहां से पर्ची कटाने के बाद में एक नम्बर से माल बिकता है अपने हिसाब से, लेकिन पर्ची लेने के बाद उसको उसी अमाउण्ट के हिसाब से काश्तकार को इन्फरेंस भी होना चाहिए जिससे काश्तकार को यह बढ़ावा मिले कि मेरा जो माल आया है वह माल एक नम्बर में बिके और उसकी मैं पर्ची लेकर जाऊं, बिके हुए की जिससे उसको बढ़ावा मिलेगा तो उससे आपको चोरी रोकने में बहुत समर्थन मिलेगा और काश्तकार को फायदा रहेगा कि वह इन्फर्ड हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, विधेयक पर जनमत जानने के लिए लिखा था, उसको मैं वापस लेता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री कैलाश चौधरी। (अनुपस्थित)।

श्रीमती अलका सिंह (अनुपस्थित)।

सुश्री कीर्ति कुमारी।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को संशोधित करने के लिए आज विधायिका, सदन में चर्चा हो रही है। संशोधन की धारा 17 और 37 हमारे जो भी फल-सब्जी उत्पादनकर्ता हैं उनके पक्ष में होगा। आज भी हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारा प्रदेश भी मैं कहना चाहूंगी कि कृषि प्रधान प्रदेश ही है। इस विधेयक के पारित होने से फल सब्जी के ऊपर जो टैक्स बचत होगी वह किसानों के हित में होगा। मण्डी में सहज व्यापार हो, जो भी फल सब्जी विक्रेता और किसान अपनी पैदावार लेकर जाता है उसको तत्काल पेमेंट मिले ऐसा मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगी।

मण्डी की व्यवस्थाएं, छायादार स्थान, शुद्ध पेयजल हमारे किसानों को मिले। चिन्ता का विषय एक मैं समझती हूं कि जैसी प्राकृतिक आपदा इन दिनों राजस्थान प्रदेश के ऊपर हुई तो हम लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो फसल, फल, सब्जी मण्डी तक पहुंच गए उनके संग्रहण का स्थान सुरक्षित हो, फल सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो कि वहां पहुंची हुई खाद्य सामग्री तो सुरक्षित रह सके। मण्डी प्रांगण में टीनशेड अच्छे से बने हुए हों। गुजरात के पैटर्न पर जो किसान कल्याण बोर्ड बना हुआ है, जिसमें मण्डी तक पहुंचाने के बाद किसानों को कोई नुकसान हो तो उसका भरपाया सरकार की तरफ से होता है, ऐसा अपने यहां पर भी माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे यहां पर भी इस तरह की व्यवस्था करें।

ऐसी भयंकर प्राकृतिक आपदा के समय अब मैं हमारी माननीय मंत्रीजी यशस्वी, वसुन्धरा राजेजी का बहुत आभार भी व्यक्त करूंगी कि उन्होंने पहली बार फल सब्जी में हमें जो नुकसान हुआ है उनका भी मुआवजा तत्काल स्वीकृत किया। मेरे विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में कृषि मण्डी माण्डलगढ़ के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि संतरा खरीद भी आप व्यवस्थित रूप से चालू कराएं। बिजोलिया मण्डी में लहसुन की खरीद आरम्भ हो और लहसुन की बहुत अच्छी पैदावार इस क्षेत्र में होती है। संतरा के लिए माण्डलगढ़ को शायद छोटा नागपुर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। माननीय सभापति

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी के ध्यान में डालना चाहूंगी कि दोनों जगह माण्डलगढ़ में क्रमश: संतरा और बिजोलिया में लहसुन की खरीद भी आप आरम्भ करवाएं। विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के बिगोद, काछोला और महुआ में बहुत अच्छी पैदावार होती है।

(17.00 बजे)

मेरा आपसे निवेदन होगा कि यहां गौण मण्डी के रूप में किसानों की फसल खरीद हम प्रारम्भ करें तो फल, सब्जी भी कम बिगड़ेंगे और किसानों को बहुत-बहुत फायदा होगा। जैसे अभी सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा की कि मण्डी के पैसों से सड़क निर्माण, हमने पहले हमारी सरकार में प्रस्ताव भिजवाया था, फिर कांग्रेस के कारण हम लोग वह सड़क नहीं बना पाये। मंत्री महोदय, बिजौलिया में मानगढ़ से श्यामपुरा तक की सड़क मण्डी द्वारा आप बनाएंगे तो एक बहुत पिछड़ा क्षेत्र भी सड़क से जुड़ेगा और यह ग्रामीण विकास के लिए बहुत-बहुत लाभदायक होगा। सभापति महोदय, मैंने जनमत जानने का प्रस्ताव किया था उसे वापस लेने के लिए मैं आपसे अनुमति चाहती हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री विद्याशंकर नंदवाना।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जा रहा है। सदन में सहमति के बाद 1961 के राजस्थान अधिनियम संख्या 38 की धारा 17 में संशोधन किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कोटा सम्भाग की मण्डियों की जो स्थिति बनी हुई है उसमें विशेषकर कोटा भामाशाह मण्डी जो सम्पूर्ण हाड़ौती क्षेत्र के व्यापार का प्रमुख केन्द्र है। लगातार किसानों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार होता है वह सामान्य रूप से समाचार-पत्रों के माध्यम से व अन्य स्रोतों से जानकारी में आता है। किसान आज अपनी बड़ी उपज को लेकर मण्डी में जा रहे हैं वहां व्यापार की अव्यवस्था कहें या कृषि के क्षेत्रफल के कम होने के कारण 2-2, 3-3 दिन तक लगातार कृषि जिंस का उठाव नहीं होता और बार-बार कृषि उपज मण्डी को बंद कर दिया जाता है। हम व्यवस्थाओं की बात करें तो जो भी सुविधाएं किसान को मिलनी चाहिए वे नहीं मिल पातीं। मैं यहां विशेषकर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि किसानों की जिंस को बेचने के लिए जो यार्ड बने हुए हैं उन

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

यार्डों पर सामान्य रूप से हमेशा ही व्यापारियों का कब्जा होता है। कई बार किसानों या जिला प्रशासन के माध्यम से उन यार्डों को खाली कराने के प्रयास किये गये, लेकिन कभी भी कोटा जिले की अन्य मण्डियों में भी इस काम में सफलता नहीं मिल पा रही है। जहां इस अधिनियम के बाद अन्य धाराओं के माध्यम से कृषि उपज मण्डी की व्यवस्थाओं, आय बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं वहीं क्यों नहीं इन यार्डों को खाली कराने के लिए कोई कठोर कदम इस अधिनियम में लाते तो उचित होता। कोटा की सबसे बड़ी सब्जी मण्डी जिसमें थोक व्यापारियों के साथ-साथ खुदरा व्यापारियों का भी उतना ही कब्जा है, उसके कारण मण्डी की सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं। न समय पर सफाई हो पाती है, न समय पर किसान अपनी उपज को मण्डी के अन्दर अव्यवस्थाओं के कारण ले जा पाता है और न समय पर नीलामी होती है। सब्जी मण्डी, कोटा एक सबसे बड़ा लहसुन का केन्द्र होने के कारण यदि हम यह कहें कि आज हमें लहसुन के लिए अलग से मण्डी की आवश्यकता है तो हमारी मांग उचित होगी। 1961 के राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम संख्या 38 की धारा 17 में संशोधन के उपरान्त फल, सब्जी मण्डी शुल्क हटाने के बाद यह अधिनियम की अनुसूची कृषि जिंसों की अनुसूची से हटाया जाएगा या नहीं, यह भी स्पष्ट किया जाय। संशोधन के बाद फल, सब्जी पर जो उपभोक्ता प्रभार लगाया जाएगा वह उन पर लागू होगा जो मण्डी के अन्दर क्रय-विक्रय करेंगे, किन्तु जो मण्डी के बाहर फल, सब्जी का क्रय-विक्रय करेंगे उन पर यह प्रभाव लागू नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, जब सामान्य रूप से खुदरा व्यक्ति भी मण्डी यार्ड के अन्दर ही अपनी सब्जी का खुदरा व्यापार करेंगे तो इस कानून की पालना हो पाएगी? एक अन्य प्रकार की अव्यवस्था और उत्पन्न होगी कि सामान्य रूप से व्यापारी अपने गोदाम या तो मण्डी यार्ड के बाहर बनाएंगे या व्यवसाय को मण्डी यार्ड के बाहर करके केवल अपनी उपस्थिति मण्डी यार्ड में देंगे जिससे हमें बड़ा नुकसान होगा, ऐसा प्रतीत होता है। इस संशोधन के बाद मण्डी के राजस्व में भी कई प्रकार की हानियां होंगी। अन्दर व्यापार कर रहे आढ़तियों को इससे जरूर लाभ होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि उपरोक्त दोनों बिन्दुओं पर गहनतापूर्वक विचार किया जाय। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और साथ ही मैंने जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो प्रस्ताव दिया था उसे वापस लेता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री नारायण सिंहजी देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, 1961 राजस्थान अधिनियम संख्या 38 की धारा 17 के संशोधन पर काफी सदस्यों ने चर्चा की। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस देश की आत्मा आज गांवों में रहती है। हमारे देश में 70 परसेंट से अधिक लोग आज भी खेती पर निर्भर हैं। किसान हमारे देश का अन्नदाता है। किसान की फसल की खरीद-फरोख्त इन कृषि मण्डियों के माध्यम से चलती है। मेरे इसमें कुछ सुझाव हैं। किसान फसल पैदा करता है और उस फसल के दाम क्या होंगे यह तय व्यापारी करता है। जब भी रबी की बुवाई का समय आता है व्यापारी अपने-अपने एरिया में सर्वे करता है कि कितने बीघा में कौनसी फसल बोई है उस सर्वे के आधार पर किसान की फसल के दाम वह व्यापारी तय करता है और वायदा बाजार के तहत वे सारी रेट ऊपर-नीचे चलती हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इस वायदा बाजार के ऊपर कुछ न कुछ ऐसे नियम-कानून लाये जायं ताकि यह वायदा बाजार खत्म हो सके और किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि किसान जब अपनी फसल पैदा करता है, किसान कर्ज से डूबा रहता है, जब भी उसकी फसल रहती है सेठ-साहूकार का उन पर बड़ा प्रेशर रहता है। उस दबाव के कारण वह फसल उनको बेचनी पड़ती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बैंकों के माध्यम से स्टोरेज की व्यवस्था कर किसान की फसल स्टोरेज में रखकर बैंकों से ब्याज का किसान को पैसा मिले और जब भी किसान चाहे, उसकी फसल की अच्छी रेट मिले तब वह बेच सके और बैंकों का पैसा वापस दे सके।

किसान कल्याण कोष बनाया जाय जिससे अपरिहार्य कारणों से, जैसे किसान की मौत हो जाती है तो उनको सहायता दी जाय। पूर्ववर्ती सरकार ने कृषि मण्डी के माध्यम से ग्रामीण सड़कों का निर्माण बंद कर दिया था।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इस काम को वापस चालू कर दिया। किसान की फसल की खरीदी मार्केटिंग सोसायटी करती है, स्टोरेज व पेमेंट करने वाली एजेंसी नैफेड और राजफेड है। स्टोरेज किराये पर लिये जाते हैं, नैफेड के किराये पर लेने के क्या मापदण्ड हैं इसका अभी तक कोई पता नहीं है। कम रेट पर मिलने वाले स्टोरेज को वो मना कर देते हैं और अधिक रेट पर मिलने वाले स्टोरेज को ये

(श्री नारायण सिंह देवल)

लोग किराये पर लेते हैं। कम दूरी पर स्टोरेज उपलब्ध होने के बाद भी पिछले समय में दूर-दराज में स्टोरेज रखे गये जिससे किसान पर कैरेज का अतिरिक्त भार भी पड़ा और इन दोनों एजेंसीज में समन्वय का अभाव है।

सभापति महोदय, फसल की जब बम्पर आवक होती है तब बारदाने की सबसे बड़ी समस्या होती है और बारदाना नहीं होने के कारण किसान की फसल काफी समय तक मण्डी में बिक नहीं पाती।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित कृषि उपज मण्डी के बारे में कुछ सुझाव हैं। भीनमाल में कृषि उपज मण्डी जिस परिसर में चल रही है और पिछली सरकार में बाहर रोड पर कुछ दुकानें आबंटित कर दी हैं तो जो अन्दर परिसर की दुकानें हैं उनकी सालाना लीज की लागत एक परसेंट है और बाहर की दुकानों पर ढाई परसेंट लागत है जिससे व्यापारियों में बड़ा असंतोष है। रानीवाड़ा में भी कृषि मण्डी चल रही है और उसमें बाहर टीनशेड नहीं होने के कारण बारिश के समय में फसल खराब हो जाती है। रानीवाड़ा मण्डी में प्रतीक्षालय नहीं होने के कारण गर्मी में किसान काफी परेशान रहता है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि रानीवाड़ा में किसानों के लिए एक विश्राम गृह बनाया जाए।

हमारे यहां मण्डी में अलग-अलग टैक्स है। जैसे मोटा अनाज पर 50 पैसा, आयलसीड पर 1 रुपया और अन्य पर 1 रुपया 60 पैसा है तो मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इस टैक्स को समान किया जाए।

सभापति महोदय, हमारे जो ए ग्रेड की मण्डियां हैं उनमें किसान कलेवा मिलता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि डी ग्रेड की मण्डियां, जो हमारे रानीवाड़ा की है उसमें भी किसान कलेवा चालू किया जाए।

अभी सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि रानीवाड़ा में मण्डी बने चार साल हो गये और वह मण्डी चालू नहीं हुई है तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि रानीवाड़ा शहर के बीचों-बीच पुरानी मण्डी है और पूर्ववर्ती सरकार ने आनन-फानन में वह मण्डी शहर से 8 किलोमीटर दूर बना दी जिसकी कोई उपयोगिता नहीं थी। वो मण्डी आज गौण मण्डी के रूप में काम कर रही है। ऐसा करने के पीछे उनका उद्देश्य यही था कि वहां मण्डी हो जाए तो जमीनों में मोटा मुनाफा कमा सकें। बाकी आपके माध्यम से

(श्री नारायण सिंह देवल)

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि हमारे मण्डी में सचिव की पोस्ट खाली है, सुपरवाइजर की पोस्ट खाली है और एल.डी.सी. की भी सारी पोस्टें खाली हैं इसलिए उनको आप तुरन्त भरें, ऐसी मैं मांग करता हूं। सभापति महोदय, जनमत जानने का जो प्रस्ताव मैंने दिया है उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापतिः प्रभारी मंत्री महोदय।

(17.14 बजे)

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015, धारा 17 और धारा 37 में संशोधन हेतु विचारार्थ लिया गया है जिसमें 13 माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है और सभी माननीय सदस्यों ने निश्चित रूप से सकारात्मक सुझाव मुझे दिए हैं उनका उचित समय पर मैं हर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करूंगा। लेकिन इससे पहले, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस यूजर चार्ज की चर्चा आज सदन में हो रही है, यह पूर्ववर्ती भारत सरकार की भी मंशा थी और वर्तमान सरकार की भी यही मंशा है कि प्राइवेट प्लेयर्स को आगे लाने और पेरिसेबल आइटम्स जो खराब हो जाते हैं उनका सही समय पर निस्तारण हो जाए। इन विषयों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान ही नहीं, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक ने भी सेव को छोड़कर बाकी सभी जिन्सों पर यूजर चार्ज लगाने का विधेयक उनकी विधान सभाओं में पारित हो चुका है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा और मैं बात करना चाहूंगा जब पूरे देश में एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्ट, 2003 माडल एक्ट के रूप में आया और उस माडल एक्ट में पूरे देश में यह प्रावधान किया कि जहां उत्पादन होगा वहीं विपणन होगा। इसी सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट मण्डियां स्थापित करने की योजना बनी और उसी सन्दर्भ में राजस्थान में 7 विशेष मण्डियां फ्रूट्स एण्ड वेजिटेबल्स और 14 मण्डियां अन्य जिन्स की बनीं, लगभग 21 मण्डियां स्पेशल बनीं।

माननीय सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने धारा 17 की बात कही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि धारा 17 जो मण्डी फीस संग्रहीत करने की शक्तियां देता है और जो मूल अधिनियम की धारा है उसमें संशोधन करने

(श्री प्रभू लाल सैनी)

के लिए अभी जो यूजर चार्ज को लेकर इस संशोधन विधेयक के माध्यम से सरकार आई है इसमें यह है कि इस प्रकार संशोधित धारा में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :- ''परन्तु फलों और सब्जियों पर कोई मण्डी फीस उद्‌गृहीत नहीं की जायेगी। इसके बजाय, मण्डी समिति, इन वस्तुओं के सम्बन्ध में, मण्डी समिति द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सेवाओं के लिए, उपज के क्रेता से ऐसी दर पर जो उप-विधियों में विनिर्दिष्ट की जाये, उपयोक्ता प्रभार संग्रहीत कर सकेगी।'' माननीय सभापति महोदय, धारा 17 में यह प्रोविजो जोड़ने पर आज चर्चा हो रही है।

इसी प्रकार धारा 37 में जहां उप नियम बनाने की जो शक्तियां हैं उसमें भी संशोधन के प्रावधान करके इसमें कहा गया है कि:- ''मूल अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''व्यापार करने की शर्तों के लिए'' के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति ''उप-विधियां बना सकेगी।'' के पूर्व अभिव्यक्ति ''और धारा 17 के परन्तुक के अधीन उद्‌ग्रहणीय उपयोक्ता प्रभारों की दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए'' अन्त:स्थापित की जायेगी।'' माननीय सभापति महोदय, इन दोनों धाराओं पर आज माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिये, उनमें बहुत कम सुझाव दिए, बाकी सारी चर्चा कृषि मण्डी एक्ट पर हुई। इन धाराओं के संशोधन पर कितना सारगर्भित राजस्थान की जनता को इनके सुझावों से, नेता प्रतिपक्ष भी यहां उपस्थित हैं, कितना लाभ होगा, कितना नहीं होगा, यह तो ये जानें लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि इन्होंने जो सुझाव दिए हैं उससे राजस्थान के कृषि विभाग को जरूर कुछ न कुछ पथ प्रदर्शन का मौका मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, किसी भी शुल्क को लगाना, किसी भी यूजर चार्ज को लगाना आज का विषय नहीं है। राजस्थान में कृषि मण्डी अधिनियम 1961 में बना। माननीय सभापति महोदय, 1954 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त की और कहा कि साधारणतया शुल्क ऐसा चार्ज है जो सरकारी एजेन्सी द्वारा व्यक्तियों को विशेष सेवा प्रदान करने के लिए वसूल किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, यह कहा कि फण्डामेंटल राइट्स का जो अनुच्छेद 14 है, उसका किसी भी प्रकार का उल्लंघन यह धारा नहीं करती है जो अभी हम लेकर आये हैं। हमारी मंशा सही है। महाराजा उम्मेदमल मिल वर्सेज स्टेट आफ राजस्थान, ए.आई.आर. 1954 राजस्थान, 178 में यह पहले से निर्धारित किया जा चुका है। और शुल्क से तात्पर्य के पद का स्पष्टीकरण भी

(श्री प्रभू लाल सैनी)

करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि शुल्क की परिभाषा किसी विशिष्ट सेवा प्राप्त करने के बदले एक प्रभार देना है। यह कोई मण्डी टैक्स नहीं है तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह कह सकता हूं कि सरकार की मंशा है चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, ऐसा शुल्क लेने की, ऐसा प्रभार लेने की, ऐसा यूजर चार्ज लेने की जिसमें उस मण्डी व्यवस्था के रेगुलेटिंग करने में, संचालन करने में, आर्थिक दृष्टि से उसको कहीं हानि न उठानी पड़े, इस उद्देश्य को लेकर यह किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा-2(1)(ए) इस बात का प्रावधान करती है कि वह ऐसी कृषि जिन्सें होंगी जो एक मण्डी क्षेत्र में, मण्डी एरिया में, मण्डी यार्ड में यदि उसका विक्रय किया जायेगा। उसकी अनुसूची 5 और 6 में फ्रूट एण्ड वेजिटेबल्स का भी प्रोविजन किया हुआ है और अनुसूची में दी गई जिन्सों की समस्त धारा-17 के तहत मण्डी समिति के वसूली के अधिकार भी इस अधिनियम में निहित किये गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, लगभग 133 कृषि उपज मण्डियां और लगभग 312 गौण मण्डियां अभी राजस्थान में बनी हुई हैं लेकिन सीधा-सीधा 1991 में फल और सब्जी पर पहली बार मण्डी शुल्क लगाया गया। इस मण्डी शुल्क को लगाने के बाद माननीय सभापति महोदय, यह क्यों लगा और इसकी क्या आवश्यकता हुई तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पूर्ववर्ती सरकार 2013-2014, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की, बिन्दु संख्या-140 बजट भाषण, ''कृषकों एवं उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में, फल एवं सब्जियों का विक्रय, मण्डी में करने की बाध्यता को समाप्त किया जायेगा।'' यानी मण्डी व्यवस्था को ध्वस्त किया जायेगा। एक तरफ भारत सरकार कहती है कि जहां उत्पादन होगा, वहां विपणन होगा। मार्केट की रेगुलेटिंग की जायेगी। किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाने के लिए मण्डी व्यवस्था स्थापित की जायेगी। दूसरी तरफ आपका यह फैसला हुआ।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पारित करते वक्त बिन्दु संख्या-413 के दौरान फिर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की ''फल एवं सब्जियों का विक्रय मण्डी में करने की

(श्री प्रभू लाल सैनी)

बाध्यता को समाप्त किया गया था। अब मैं फल एवं सब्जियों के विक्रय पर मण्डी शुल्क समाप्त करने की घोषणा करता हूं।''

माननीय सभापति महोदय, किसी भी मण्डी का शुल्क समाप्त करके, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्ट की सैक्शन-2 में जो डिफाइन किया गया है। यदि हम मण्डी शुल्क को ही समाप्त करते हैं तो राजस्थान की पूरी मण्डी व्यवस्था ही ध्वस्त हो जायेगी और जो कल्पना कृषि उपज मण्डी अधिनियम की थी, वह बिल्कुल खतम हो जायेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब विधि विभाग में यह गया तो विधि विभाग ने कहा कि मण्डी शुल्क पूर्णत: बन्द करने से मण्डियों की नियमन व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती और फिर सरकार के द्वारा 5.8.2013 को 0.01 प्रतिशत मण्डी शुल्क के रूप में लगाने का फैसला हुआ और इसका परिणाम यह हुआ कि इनमें सात ऐसी स्वतंत्र मण्डियां थीं जो फल एवं सब्जी की थीं और चार मण्डियां ऐसी थीं विशेषकर सिग्निफिकेंट रूप से, प्रमुख मण्डियों के रूप में लगभग 11 मण्डियां राजस्थान में फ्रूट एण्ड वेजिटेबल्स की हैं और खास तौर से इनमें जयपुर फल-सब्जी मण्डी, अजमेर फल-सब्जी मण्डी, जोधपुर फल-सब्जी मण्डी, गंगानगर फल-सब्जी मण्डी, बीकानेर और उदयपुर और कोटा फल-सब्जी मण्डी, ये सात फल-सब्जी की कृषि उपज मण्डियां थीं और विशिष्ट यार्ड की व्यवस्था में भीलवाड़ा, अलवर, चौमूं और सीकर थे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा, 2012-13 में मण्डी शुल्क से आय थी इन सात मण्डियों की 34.70 करोड़ रुपये होती थी। उसके बाद 2013-14 में 15.43 करोड़ रुपये रह गई और 2014-15 में तब से लगभग मात्र 39 लाख रुपये का ही मण्डी शुल्क आया। मण्डियों में करोड़ों रुपयों का खर्चा होता है। तनख्वाह का, बिजली का, सफाई का, इन्फ्रास्ट्रक्चर, डवलपमेंट का लेकिन मण्डियों की आय खतम हो गई। प्रमुख मण्डी यार्ड थे, उनमें 2012-13 में 5.59 करोड़ रुपये थे और 2014-15 में सिर्फ 5 लाख रुपये रह गये। ऐसी व्यवस्था में मण्डियों की हालत काफी गड़बड़ हो गई और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मण्डी आय खर्चों की तुलना में नगण्य सी हो गई और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और सरकार ने यह सोचा कि मण्डी प्रांगणों में सफाई, बिजली-पानी, आधारभूत संरचना और रखरखाव पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े, प्रत्येक वर्ष जो 200 करोड़ रुपये से ज्यादा इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम मण्डियों में होता था, वह

(श्री प्रभू लाल सैनी)

भी बाधित हो गया। किसान जीवन कल्याण योजना के बारे में भी कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि एक लाख से दो लाख और पांच लाख रुपये होना चाहिये। यह भी उसका प्रतिकूल फर्क हो गया क्योंकि राशि जब खत्म हो गई तो उसके भुगतान में भी दिक्कतें हुईं। वेतन को भी लोन लेकर चुकाने की स्थिति हो गई और दैनिक खर्चों की व्यवस्था भी मण्डी विकास कोष से की गई।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि मण्डी शुल्क के समाप्त हो जाने से, 0.01 प्रतिशत हो जाने से निश्चित रूप से मण्डी की व्यवस्था लड़खड़ा गई और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की स्पष्ट मंशा थी चाहे पहले वाली सरकार हो चाहे अब वाली सरकार हो, एक ही मंशा थी कि प्रस्तावित व्यवस्था जहां एक ओर मौजूदा निमित्त व्यवस्था को स्थाइत्व देने की आवश्यकता होगी, वहीं दूसरी ओर कृषक को अतिरिक्त विकल्प उपज को स्वतंत्र रूप से अधिक मांग और मुनाफे के बाजारों और श्रृंखलाओं के माध्यम से विक्रय करने की स्वतंत्रता भी प्रदान करेगी क्योंकि यह जो यूजर चार्ज होगा, यह मण्डी यार्ड में ही स्थापित करने की बात है। मण्डी यार्ड के बाहर यह इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इसलिए अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी और किसान को भी और एक्सपोर्ट करने वालों को भी, प्रोसेसिंग करने वालों को भी क्योंकि जो माडल एक्ट आया था और जब पूर्व में हमारी सरकार थी, उस वक्त भी कृषि उपज मण्डी एक्ट में संशोधन करके संविदा खेती, डाइरेक्ट मार्केटिंग का कानून में पास करके व्यवस्था दी गई थी। आज उस व्यवस्था के इम्प्लीमेंट होने का मौका आ गया क्योंकि उसका पृथक से कानून बना हुआ है। बाहर से सीधी खरीद करने की व्यवस्था दी हुई है तो माननीय सभापित महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों पर निर्देश इन्होंने 25 फरवरी, 2010 को दिये और उसकी पालना चलते-चलते मण्डी शुल्क समाप्त करने पर राज्यों की सहायता के लिए उन्होंने कहा कि की जायेगी, जो शीघ्र नाशवान उद्यानिकी फसलों का शुल्क हटायेगा, उनको राष्ट्रीय उद्यान कृषि मिशन के अन्तर्गत हम लोग सहायता देंगे।

माननीय सभापति महोदय, कोई सहायता तो अभी तक पहले तो वहां से मिली नहीं। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो स्पेशल मार्केट बनाये थे पहले सरकार के वक्त में भी, लगभग 19 करोड़ रुपये की लागत से हम लोगों ने इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप किये थे और कृषकों को, सीधे

(श्री प्रभू लाल सैनी)

उपभोक्ताओं को प्रसंस्करण इकाई और थोक विक्रेताओं को सीधी खरीद की अनुमति इसके माध्यम से देने की व्यवस्था की गई है।

माननीय सभापति महोदय, आज मुझे इस सदन में कहते हुए बहुत खुशी है कि कई माननीय सदस्यों ने आज सदन में प्रश्न उठाये हैं, कई माननीय सदस्यों ने मण्डी समिति द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्बन्ध में 58 (4) के दुरुपयोग की बात कही गई है। 58(4) का तात्पर्य यह है माननीय सभापति महोदय, कोई भी कृषि उपज जो बाजार क्षेत्र के बाहर से यानी एक राज्य से दूसरे राज्य से या बाजार क्षेत्र के अन्दर या बाजार क्षेत्र में स्थित किसी भी उद्योग के उपयोग में लाई जाती है तो बाजार शुल्क आरोपित नहीं किया जा सकता। यानी इसका तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी प्रोसेसिंग के लिए अन्य स्टेट से भी कोई माल लेकर आयेगा और यदि वह प्रोसेसिंग करेगा या फिर यदि वह निर्यात के लिए लाई जाती है। यदि वह आवश्यक घोषणा की जाती है इस बात की कि एक प्रमाण पत्र वह प्राप्त करेगा, 20 दिन में उसका निर्यात करेगा और उसे वहां से हटा लेगा तो 58(4) में उनको रिलेक्स किया गया है...

यह विषय भी माननीय कई सदस्यों ने उठाया है जिसमें खासतौर से कोटा, लक्ष्मणगढ़, गंगापुर और कोलायत से आने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि मंडी शुल्क जो आप लेते हैं उसकी सड़कें, उसका उपयोग कहां होता है, कैसे होता है, यहां वो फाइलें क्यों आती हैं, वहीं क्यों नहीं हो जातीं, उनको अधिकार क्यों नहीं दिए जाते? इस संदर्भ में मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि कृषि उपज मंडी अधिनियम की धारा-18 मंडी समिति निधि का प्रावधान करती है और मंडी समिति निधि में सकल बचत जो होती है, उनका जितना रोजमर्रा का खर्चा है उस पर वहीं लोग खर्च करते हैं और जो उनकी सकल बचत होती है वह वित्तवाइज उसके व्यय की नियमितता करने के लिए 20 प्रतिशत उसके भविष्य के विस्तार और भूमि क्रय से सम्बन्धित राशि सुरक्षित रहती है उनके पास। उसको वो उसी उपयोग में खर्च कर सकते हैं जिस मद के लिए वह आरक्षित की गई है। 20 प्रतिशत राशि पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट के लिए खर्च कर सकते हैं, उनके पास सुरक्षित होती है। 36 प्रतिशत मंडी प्रांगणों का आंतरिक विकास के खर्च करने के लिए होती है और 24 प्रतिशत मिसिंग लिंक सड़कें आदि बनाने के लिए होती है। यानी इस प्रकार से मंडी समिति की जो निधि है उसके खर्च करने के प्रावधान में मैं आज सदन

(श्री प्रभू लाल सैनी)

के माध्यम से कहना चाहूंगा एक भी कृषि उपज मंडी ऐसी नहीं है, कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा जितने भी प्रस्ताव उनकी वित्तीय आवश्यकता या वित्तीय उपलब्धता के मेरे पास भेजे हैं, कल तक की तारीख का एक भी प्रस्ताव मेरे पास विचाराधीन नहीं है, सेम डे हम लोग डिस्पोजल करते हैं, एक भी ऐसा पैसा सैंक्शन हम नहीं करते जिसमें मंडी समिति का प्रस्ताव नहीं आता हो। मंडी समिति के प्रस्ताव भले ही कुछ भी आये, लेकिन वित्तीय व्यवस्थाओं और वित्तीय आवश्यकता और वित्तीय उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार उनकी स्वीकृति जारी करती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एम.डी.एफ. (मार्केट डवलपमेंट फण्ड) के बारे में भी काफी चर्चा हुई। कोटा ईस्ट, गंगापुर और लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने, अभी वो यहां नहीं है, उन्होंने भी यह प्रश्न उठाया कि हमारी मंडियों का जो पैसा है वह 30 प्रतिशत पैसा सरकार मंगवाती है तो मैं आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, एग्रीकल्चर आफ मार्केटिंग प्रोड्यूस एक्ट, 1961, 22 (जे) में यह प्रोविजन दिया हुआ है कि सुपर क्लास की मंडियां 30 परसेंट पैसा, ए क्लास की मंडियां 20 परसेंट पैसा और सी क्लास की जो मंडियां हैं वह 10 परसेंट पैसा उन मंडियों के लिए देंगी जो कमजोर तबके की राजस्थान की मंडियां हैं। सड़क मरम्मत के आंतरिक और बाहर उनके जो काम हैं उसके लिए वह देंगी, मंडी के प्रयोजनार्थ आवश्यक भवनों का निर्माण और मरम्मत के लिए यह पैसा काम आएगा। नीतिगत फ़ैसले और नियमों के अन्तर्गत कृषि सुधार के पक्ष में प्रचार प्रसार के लिए भी यह काम आएगा और मंडी क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़कें, पुलिया और पुलों के निर्माण के लिए यह पैसा काम में आएगा इसलिए माननीय सभापति महोदय, एमडीएफ की व्यवस्था भी यहां पर की गई है।

माननीय सभापति महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कृषि मंडी के चेयरमैन बने हुए हैं पांच हजार रुपये देते हैं। मेरे ये दोस्त अभी अपडेट नहीं है, मैं आज सदन में कहना चाहूंगा कि उनको पन्द्रह हजार रुपये प्रतिमाह वाहन के किराए भत्ते के रूप में हम उनको देते हैं। किसान कलेवा योजना की बात भी आपने उठाई। उसके भत्ते भी बढ़ा दिये, उसके यात्रा भत्ते उसके सारे बढ़ा दिये। किसान कलेवा पर भी सवाल किया है, माननीय सभापति महोदय, सरकार का यह प्रयास है पांच रुपये में किसान को गरम भोजन मिले, छह चपाती मिले, दो सब्जी मिले, छाछ या गुड़ उसको मिले,

(श्री प्रभू लाल सैनी)

यह व्यवस्था की गई है। हम लोग बारी-बारी से उसको दिखवाने का भी प्रयास करते हैं, कहीं क्वालिटी और गुणवत्ता में कमी नहीं हो। फिर भी मैं इतना सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस प्रकार की कोई कमी खामी भी है तो उसको सकारात्मक लेते हुए मेरा यह प्रयास होगा कि एक बार मैं फिर से इसको दिखवाऊंगा और अच्छी बेहतर सुविधा कैसे हो सकती है राजस्थान के किसान के लिए, अन्नदाता के लिए, यह मैं आपको सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा।

आपने रोड लाइट की बात भी कही है। शहरों में रोड लाइट जलती है और इधर नहीं जलती, उधर नहीं जलती। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहूंगा चूंकि एक मंडी क्षेत्र में कई गांव हैं। दस, पांच, बीस, जो भी संख्या है, सब गांव में इलैक्ट्रिसिटी का काम वो नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जहां मंडी स्थापित है यदि वो वहां चाहे तो हम लोगों ने उसकी व्यवस्था की है। उसमें 20 परसेंट पैसे में वह गांव में रोड लाइट लगाने का काम भी कर सकते हैं और इसकी हिदायत भी हम लोग पूरे राजस्थान में दे देंगे, अगर मंडी अपनी व्यवस्था करे तो इसकी भी व्यवस्था हम लोग कर देंगे। कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय सदस्य ने मंडी एरिया की बात कही है। माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से तीन प्रकार की व्यवस्थाएं मंडी में चली हुई हैं। मुख्य मंडी यार्ड, जिसकी चर्चा अभी माननीय सभी सदस्यों ने की है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से धारा-5 का उल्लेख करते हुए निवेदन करना चाहूंगा "The principal market yard means; as enclosure the building or the locality of the declared to the principal market yard under section 5." धारा-5 में यह व्यवस्था की गई है कि इसका कौन होगा, कौनसा भवन होगा, कौनसी बिल्डिंग होगी। दूसरी, जो व्यवस्था दी गई है मंडी क्षेत्र है, मार्केट एरिया है, उस मार्केट एरिया में आने वाले जितने भी उसका नोटिफिकेशन हुआ, वह एरिया उसमें सम्मिलित होता है। तीसरा, होता है मार्केट प्रोपर, जहां हमारी मंडियों के सब-यार्ड स्थापित हैं और हमारी मंडी दूसरी जगह है तो उसके लिए भी खासतौर से मार्केट प्रोपर की व्यवस्था भी की गई है।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ा सवाल किसान भवनों का सभी माननीय सदस्यों ने उठाया है। कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य

(श्री प्रभू लाल सैनी)

ने भी, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी, सभी ने उठाया। वास्तव में मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारी मंशा थी। राजस्थान की यशस्वी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2006, 2007, 2008, तीन वर्षों में 55 करोड़ रुपये की लागत के राजस्थान में पहली बार प्रत्येक जिला और प्रत्येक सम्भाग मुख्यालय पर किसानों की सुविधा के लिए एक कंसेप्ट लेकर के हम लोगों ने भवन बनाये थे। लेकिन हमारी सरकार के वक्त में हम लोग प्रयास करते रहे, कुछ बनते रहे, कई चालू भी हुए। आज भी मैं कह सकता हूं कि जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा है, ऐसे किसान भवन आज भी चल रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला आपकी सरकार ने कर दिया माननीय सभापति महोदय, उनको होटलों को देने के लिए एमओयू कर दिया, रेस्टोरेंट चलाने के लिए एमओयू कर दिया, इससे व्यवस्था राजस्थान की बिगड़ी है। हम लोग उसको फिर एक बार दिखवाएंगे और दिखवाकर यह प्रयास करेंगे कि जो भी रेस्टोरेंट या होटल इन्होंने किराए पर दे दी। अब करें तो ये, दोष दें हम लोगों को। मैं समझता हूं कि ये आत्मसात करेंगे इस बात को और इनके साथ मिलकर, हम सब मिलकर के एक बार प्रयास करेंगे कि राजस्थान के अन्नदाता को जिस मकसद के लिए बना है, वहां पर उनको खाना मिले और वहां पर उनकी अच्छी स्वच्छ व्यवस्था हो जाए। इसके लिए भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि एक बार और रिव्यू करेंगे, मंडी समितियों को स्वतंत्र रूप से उनको हैडओवर करेंगे और अभी जो मार्केटिंग बोर्ड या हम लोग उसको देखते थे। अब हमारा यह प्रयास होगा हम मंडियों को इसको ट्रांसफर कर देंगे और मंडियां ही इसको चलाएगी, उसका संचालन करेंगी, उसकी देखरेख करेंगी, उसकी जो भी व्यवस्थाएं होंगी, उनके बारे में आज सदन के माध्यम से आपको यह कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपने कृषि प्रसंस्करण प्रोत्साहन नीति के बारे में भी प्रश्न उठाया है। 2010 में कृषि प्रसंस्करण प्रोत्साहन नीति बनी, कोई दिक्कत नहीं अच्छी नीति थी। उसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जितने भी थे उनको प्रमोट करने के लिए स्कीम बनी और आनन-फानन में पूरे राजस्थान में इतने लोगों को मंडियों में डीएलसी दर पर या उसकी भी 50 परसेंट पर, कहीं-कहीं 25 परसेंट पर भी भूखण्ड आबंटन कर दिये। किसी को पांच हजार कर दिए, किसी को दो हजार कर दिया, किसी को दौ सौ कर दिया यानी सिमिलरिटी

(श्री प्रभू लाल सैनी)

नहीं थी, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से घोषणा करना चाहूंगा कि इस नीति के अन्तर्गत जितने भी लोगों को, व्यावसाइयों को, प्रोसेसर्स को यह आबंटन किया गया है, यदि निर्धारित शर्तों का ये पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से एक बार मौका निरीक्षण कराकर के, यदि दुरुपयोग ये कह रहे हैं तो उनको निरस्त करके एक बार पुन: आबंटन की कार्यवाही यह सरकार प्रारम्भ करेगी। किसान जीवन कल्याण योजना के बारे में भी माननीय सदस्यों ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह स्वीकार करता हूं कि घोषणा हुई है और घोषणा होने के बाद में हम लोगों ने पहले साल में प्रयास करके उसको एक लाख से दो लाख किया।

और हम लोगों ने यह सतत् प्रयास किया, घोषणा में यह कहा गया था कि मंडी में कोई भी किसान कृषि कार्य करते वक्त यदि उसकी मृत्यु दुर्घटना में या कहीं होती या फिर विकलांग होता तो उसको मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये देंगे यह प्रक्रिया हम लोगों ने शुरु कर दी है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि हम बीमा कोई भी इंश्योरेंस कम्पनीज के साथ मिलकर करेंगे। उसके टैण्डर वगैरह हम लोगों ने आमंत्रित कर लिये हैं और हमारा यह प्रयास होगा कि धीरे-धीरे माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा को हम सकारात्मक रूप देंगे। किसी प्रकार के शिकवा और शिकायत की जरूरत नहीं होनी चाहिए।

अंत में, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने धारा-39 का जिक्र किया कि कोई भी व्यापारी, कोई भी लाइसेंसी किसी प्राब्लम की आकर यदि अपील करता है, डाइरेक्टर के पास आता है तो उसकी जो शक्तियां निहित की गई हैं, निश्चित रूप से काफी पुराना है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसका पुनर्निरीक्षण करेंगे, दुबारा देखेंगे इसको और यदि आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसमें भी संशोधन की कार्यवाही सरकार करेगी। मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने भी किसान कल्याण कोष की बात कही थी, तो निश्चित रूप से जैसा मैंने बता दिया। सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने डीएलसी दरों की बात कही थी, माननीय सभापति महोदय, जिला कलक्टर और माननीय विधायक उसके मैंबर होते हैं और जिले में जो डीएलसी दरों की मीटिंग होती है उसमें ये ही निर्धारण करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपको ऐसा लगता है और वहां की रेट्स बहुत अधिक हैं तो डीएलसी की जब आपकी जिला स्तर की

(श्री प्रभू लाल सैनी)

बैठक हो तो आप उसमें विषय को रख लें। हम तो कलक्टर की रिपोर्ट को ही मूल आधार मानकर ही हम लोग उस पर कार्यवाही करते हैं।

तीसरा माननीय सदस्य ने उठाया कि बरामदे बने हुए हैं आधे बन गये, आधे नहीं बने, माननीय सभापति महोदय, यह एक परम्परा चली आई है मंडियों में कि जिस व्यापारी को हम लोग दुकान आबंटन करते हैं और दुकान की अपनी परिधि के आगे वो लोग, हम लोग भी व्यवस्था करते हैं कि टीनशेड लगा देते हैं, कभी तो सरकार ने भी लगाये ताकि किसान अपनी जिंस को उसके नीचे रख दे। आक्शन प्लेटफार्म के अतिरिक्त व्यवस्था है, लेकिन धीरे-धीरे ये हिडन एजेंडा बनाकर वो जो चद्दर लगे हुए हैं उन पर बरामदे बनाना चाहते हैं और स्वयं का कब्जा करना चाहते हैं जबकि वो जमीन कृषि मंडी के स्वामित्व की जमीन होती है, व्यापारी की नहीं होती। यदि उसकी जमीन है, उसकी खरीदी हुई जमीन है तो मैं आज सदन में कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की रोक उन पर नहीं रहेगी, हम उनको नहीं रोकेंगे, लेकिन यदि सरकार की जमीन होगी, कृषि मंडी की जमीन होगी तो कृषि मंडी की अनुमति के बिना उसको अनुमति दिया जाना सम्भव नहीं है।

अंत में माननीय सभापति महोदय, मेरे विद्वान साथी, नेता और खास तौर से मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय मेरे साथी, दोस्त, वकील और विद्वान विधायक, कई बार भावुकता में, मैं इनको नसीहत नहीं दे सकता, न मेरी आदत है लेकिन मैं इतना आपसे कह सकता हूं कि यह सदन है, यह परम्पराओं से चलता है, मर्यादाओं से चलता है, किसी भी अंदेशे को, किसी भी बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की बातें करना सदन में, भले ही आपका अख़बार में छपेगा, मुझे पता है, लेकिन इसका लाभ राजस्थान की जनता को नहीं होगा। फिर भी मैं उसको सकारात्मक लेते हुए इतना कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कमी खामी नजर आती है तो माननीय सदस्यों को मैं खुली चुनौती देता हूं, आप मुझे व्यक्तिगत आकर बता दें और हम सब मिलकर यह प्रयास करेंगे कि राजस्थान में जरूरतमंद लोगों को जो बीपीएल होगा, जो विकलांग होगा, जो विधवा होगी और जो कम से कम पढ़ाई-लिखाई में चपरासी का काम करने की पात्रता होगी, ऐसे व्यक्तियों के चयन में आप लोग सहयोग प्रदान करें, इसको सिर्फ स्टंटबाजी बनाकर नहीं करें और मैं इतना ही आपसे निवेदन करूंगा कि हमने इसको पारदर्शी करने के लिए राजस्थान स्तर पर भर्ती नहीं की। सरकार चाहती तो

(श्री प्रभू लाल सैनी)

हम यहां भी भर्ती कर सकते थे, इंटरव्यू कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने पारदर्शितापूर्ण पहली बार करने का इसलिए प्रयास किया कि चार विभागों की एक कमेटी बने जिसमें कलक्टर का रिप्रजेंटेटिव हो जाए। कलक्टर का नहीं है तो सम्भागीय आयुक्त का हो जाए, मार्केटिंग का हो जाए और उसके अलावा एग्रीकल्चर का हो जाए। चार विभाग के लोग बैठ कर किसी भी व्यक्ति का चयन करें, उसको देखें, उसकी परीक्षा लें और मैं समझता हूं कि अगर वहां भी पक्षपात होता है तो फिर भगवान ही बचायेगा फिर दुनिया में आप और हम उसको नहीं बचा सकते। इसलिए मैं आश्वस्त और विश्वस्त करना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय सभी लोगों को कि इस भर्ती प्रक्रिया में 143 पदों के लिए लगभग 77644 लोगों ने आवेदन किया है। प्रत्येक सम्भाग में इसकी कमेटियां बनाकर, बोर्ड बनाकर उनको स्वतंत्र रूप से भर्ती करने के लिए जो नार्म्स हैं, उनके आधार पर वो लोग करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी आपको कहना चाहूंगा कि इसमें एक मानव प्रकृति है आरोप-प्रत्यारोप लगाने की आदत भी पड़ी है। राजस्थान में तो कम से कम यह प्रथा भी है कि जितनी भर्तियां हैं चाहे इनके राज में हो, चाहे उनके राज में हो, बिचौलिये लोग कहीं न कहीं अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए गड़बड़ करते हैं। इसलिए मैं इसको सकारात्मक लेते हुए कहना चाहूंगा कि यदि हमारे प्रतिपक्ष के सचेतकजी के इस प्रकार का विषय ध्यान में है, या ये रख रहे हैं तो ये मुझे बतायें, या मेरे प्रिंसीपल सैकेट्री, एसीएस को बतायें। आप मुख्य मंत्री को बतायें, हम लोग सब मिलकर प्रयास करेंगे कि पारदर्शितापूर्ण हो जाए और मैं तो इतना कह सकता हूं कि 'जनाप वादे मातृण, न जुगुत्सी चारमियान, जानियात स्वयं आत्मानाम यथा लोको निरंकुश:' ये निरंकुश हैं ये कुछ भी कह सकते हैं ये हाथी हैं। ये कुछ भी कोई बोल सकते हैं इसलिए मैं तो इनको नहीं रोक सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि राजनीति में, अब मैं इनके लिए नहीं कहता, लेकिन कहीं न कहीं कुटिलता भी होती है। हैबीचुअल बातें भी होती हैं। शरारतपूर्ण वक्तव्य भी होते हैं लेकिन माननीय सदस्य, मैं सदन में आपको निवेदन करना चाहूंगा, हम सबका मिलकर ऐसा जीवन, ऐसा चरित्र, ऐसा व्यवहार, ऐसा संस्कारयुक्त व्यवहार और आचरण सदन में होना चाहिए कि हमको पूरी पीढ़ियां याद करें और इस प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप से मैं समझता हूं कि किसी भी समस्या का हल नहीं है। गिरने की प्रथाएं राजनीति में हुई हैं, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के प्रति गिरते

(श्री प्रभू लाल सैनी)

हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा मेरे साथी को, गिरो तो झरने की तरह गिरो, जो गिर कर भी अपनी सुन्दरता खोने नहीं देता। यही बात कहते हुए मैं माननीय सभापति महोदय, अपनी बात को समाप्त करता हूं और जो आज कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2015 आया है इसको पारित किया जाए।

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि श्री प्रहलाद गुंजल, श्री केसाराम चौधरी, श्री मदन राठौड़, श्री फूलचन्द भिण्डा, श्री मानिक चन्द सुराना, श्री मानसिंह, श्री बंशीधर जी, सुश्री कीर्ति कुमारी, श्री विद्याशंकर नन्दवाना, श्री नारायण सिंह जी देवल, सदस्यों ने राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड- 2, श्री जोगारामजी पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, मैं तृतीय वाचन की स्टेज पर अपनी बात कहने के अधिकार के साथ ही मेरे द्वारा जो संशोधन प्रस्ताव दिया गया है उसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापतिः आप अगर मूव नहीं कर रहे तो लिया हुआ मान लिया जाएगा।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3 श्री मानिक चन्द। (अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किये जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री।

विधेयक का पारण

राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाय।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): सभापति महोदय, राजस्थान कृषि उपज मण्डी संशोधन विधेयक, 2015 पर मैं अपने विचार रखना चाहती हूं, आपने समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र पीलीबंगा मण्डी में डीएलसी की दरें बहुत ज्यादा लगा रखी हैं। यानी 20 फीट रोड पर 7700 प्रति वर्ग मीटर, 40 फीट रोड पर 12000 प्रति वर्गमीटर, 100 फीट रोड पर 17100 वर्गमीटर और श्रीगंगानगर जिले में जो कि श्रीगंगानगर मण्डी सुपर ए ग्रेड मण्डी है और हनुमानगढ़ जिले में सिर्फ पीलीबंगा तहसील की ही दरें ज्यादा हैं। यानी श्रीगंगानगर मण्डी से 6 गुणा ज्यादा पीलीबंगा मण्डी का रेट है। यह हमारे साथ ही अन्याय क्यों हो रहा है, जबकि 20 साल पहले यह मण्डी ग्राम पंचायत थी और अब इस मण्डी को उबारने की बजाय इसे कर्जदार बनाया जा रहा है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री

(श्रीमती द्रोपती)
जी से कहना चाहूंगी कि इसकी डीएलसी दरें अन्य मंडियों की तरह ही लगायी जाए। प्रकृति की विनाशलीला के साथ किसानों का जौ समर्थन मूल्य 1100 रुपये है, किसानों से तूड़ी के भाव जौ लिये जा रहे हैं, जो उचित नहीं है। जौ की फसल के लिये समर्थन मूल्य 1100 रुपये है तो 1100 रुपये ही दिये जाने चाहिये। जिम्मेदारी से समर्थन मूल्य पर तुरन्त खरीद चालू की जाये ताकि किसानों को लुटने से बचाया जाये और किसानों को राहत मिले।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार से अकाल राहत के लिये करोड़ों रुपया मिल रहा है उससे प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को बोनस दिया जाता है। खाद, बीज, पेस्टीसाइड पर किसानों को अनुदान दिया जाता है ताकि किसानों को कोई परेशानी नहीं हो। कल रात को हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा तूफान और बारिश हुई थी उससे मेरे क्षेत्र के गांव में बहुत भारी नुकसान हुआ है। सभापति महोदय, आपको पता ही है फसल पकाई पर है, पूरी पकी हुई है और कुछ क्षेत्र में फसलों को काट भी दिया है लेकिन अभी निकाला नहीं है जिससे बहुत भारी नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई के लिये सरकार द्वारा किसानों को भरपूर मुआवजा मिले, यह भी मैं सरकार से अनुग्रह करती हूं, धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री जोगारामजी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, सुबह से इस महत्वपूर्ण एक्ट पर बात हुई। अनेक माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी और योग्य कृषि मंत्रीजी ने एक-एक का पूरे दमखम के साथ जवाब दिया। उनकी मंशा काश्तकार के हित की सुरक्षा करना, मण्डी क्षेत्र के प्रांगण का विकास करना और काश्तकार अपनी फसल का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके, यह रही है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं 5-7 बातें आपके सामने दो मिनट में निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मंत्रीजी, आपने यह निवेदन किया फलां सैक्शन में यह प्रावधान है कि हम इतना परसंटेज मण्डी चार्ज के रूप में लेते हैं, लेकिन एक विषय जो महत्वपूर्ण है उसको एक बार कंसीडर अवश्य करें, कि जो टोटल रेवेन्यू मंडी को मिल रही है वह आप अपने पास मंगाते हैं और उसके बाद जैसा आपने बताया कि इस आइटम में इतना खर्च करते हैं, इस आइटम में इतना खर्च करते हैं, भविष्य को ध्यान में रखते हैं, लेकिन यह मंडी अपने आपमें कानून के तहत गठित एक संस्था है। सारी मेहनत करके राशि इकट्ठा करती है फिर भी उसके हाथ में यह अधिकार नहीं है कि मंडी एक्ट में दिये गये प्रावधानों के अनुसार चाहे सड़क बनानी हो, चाहे बिल्डिंग

(श्री जोगाराम पटेल)

बनानी हो, चाहे किसान के वैलफेयर के लिये खर्च करनी हो या और किसी अन्य आइटम पर खर्च करनी हो, वह खर्च करने से पहले आपकी अनुमति लेगी। यह उनकी स्वतंत्रता का हनन है, इस पर विचार करें कि बहुत बड़ा अमाउंट अपने पास आ जाता है और रोज बोर्ड की अनुमति के अभाव में सारे के सारे कार्य रुक जाते हैं, इसको आप रीकंसीडर करें। हो सकता है तो मंडी एक्ट में अमेंडमेंट करें। मंडियों को स्वतंत्र करें कि अपने परिक्षेत्र में जो रेवेन्यू वह साल भर में, दो साल में इकट्ठा कर रहे हैं उस रेवेन्यू को हम दोनों बात साथ लेंगे, किसानों के हितार्थ और मंडी के विकास के लिये वह खर्च करें। अनुमति बार-बार मुनासिब नहीं है। आपके अनुसार एक पर्टीकूलर मंडी का बहुत बड़ा रेवेन्यू आ रहा है वह कमजोर कृषि मंडी को बढाने के नाम पर दूसरी जगह ले जाकर कर दें, यह ठीक नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है इस बारे में जब भी मौका मिले इसको रीकंसीडर करें।

दूसरा मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा जो यह यूजर चार्ज लगा रहे हैं ठीक नहीं है। मण्डी शुल्क किस कार्यकाल के दौरान हटाया किसने इसको हटाया वह विषय नहीं है, विषय यह है कि इसको हटाने से मंडियों की हालत बहुत खराब हो गई। मेरे जोधपुर की जो फल सब्जी मंडी है उसको वेतन देने के लिये पिछले महीने ही 17 लाख रुपये का लोन लेना पड़ा। मंडियों को अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिये पैसे नहीं है इसलिए यह जो यूजर चार्जेज लगा रहे हैं उसके लिये आप धन्यवाद के पात्र हैं। यह यूजर चार्जेज वापस आयेगा, अगर आप लाकर जयपुर में इकट्ठा कर लोगे तो हमारे दिये हुए का कोई उद्देश्य ही नहीं रहेगा, इसलिए आप यूजर चार्जेज लगा रहे हो उसके लिये धन्यवाद है लेकिन वह हमारी मंडी के लिये खर्च हो, हमारे काश्तकार के लिये खर्च हो, मंडी प्रांगण के लिये खर्च हो, मंडी के विकास के लिये खर्च हो, यह मेरा आपसे निवेदन रहेगा।

इसके अलावा तीन बातें जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं वह यह, जहां लीकेजेज हो रहा है अनेक माननीय सदस्यों ने आपका इस ओर ध्यान दिलाया, किसी ने कहा कि कैमरा लगाओ, किसी ने कहा कि पर्ची पर नम्बर लगाओ, किसी ने कहा कि पर्ची रीचैकिंग कराओ या क्रोस चैकिंग कराओ लेकिन सबसे ज्यादा लीकेजेज हो रहे हैं कि हमारा कोई व्यापारी बंधु एक लाइसैंस मंडी प्रांगण में ले लेता है और मंडी प्रांगण के बिलकुल सामने वह अपनी दुकानें लगाकर सारा का सारा माल मंडी में बेचता है लेकिन बिल वह सामने का

(श्री जोगाराम पटेल)

काटता है। कहां का लिखता है पावटा जोधपुर, मंडी प्रांगण का एड्रेस न देकर वह पावटा जोधपुर, पावटा में मंडी नाम से साल में लाखों रुपये का रेवेन्यू जो मंडी को मिलने वाला है, वह खा जाता है। इसलिए इस पर कैसे चैक एण्ड बैलेंस हो सकता है। रेवेन्यू जो मंडी को मिलने वाला है कोई व्यापारी बंधु मंडी को नहीं देकर स्वयं ही इस मंडी की आड़ में खा रहा है उसको चैक करने की आवश्यकता है। एक एम्बीयूटी आने वाली है, इनकंसीस्टेंसी आने वाली है आपके यूजर चार्जेज से, सपोज एक किसान ने गौण मंडी में या किसी भी मंडी में यूजर चार्जेज जिस मंडी में लगने वाला है, पावटा मंडी में आपने यूजर चार्जेज दे दिया और उसके दूसरे यार्ड में अगर ले जायेगा तो यूजर चार्जेज लगेगा या नहीं लगेगा, या एक मंडी में यूजर चार्जेज दे दिया अगर वह माल वहां नहीं बिकता है और दूसरे दिन वह दूसरी मंडी में ले जाता है तो वापस यूजर चार्जेज लगेगा कि नहीं लगेगा, इस बात को क्लियर आपने नहीं किया कि कहीं डबल यूजर चार्जेज तो नहीं देना पड़ेगा या एक बार यूजर चार्जेज देने के बाद दुबारा उसको देने की आवश्यकता नहीं है। कई बार माल नहीं बिकता है, अभी कई माननीय सदस्यों ने बताया माल नहीं बिकता है, दो दिन वह माल रोके रखता है, फिर वहां नहीं बिके तो दूसरी मंडी में ले जाता है। कई मंडियों में एक से ज्यादा यार्ड भी हैं तो इस बात का भी आप खुलासा करें कि कहीं डबल यूजर चार्जेज तो नहीं लग जायेगा।

दो बातें जो विशेषकर जोधपुर से सम्बन्धित हैं वह आपके सामने निवेदन करूंगा कि आपकी मंडियों की आडिटिंग, जो स्पेसिफिक आडिटिंग पार्टी है, जिसे थर्ड पार्टी आडिटिंग कहते हैं उसका आडिटिंग नहीं हुआ है। हमको जब से आपने मैम्बर बनाया और जब हम मंडी मीटिंगों में गये तो हमको यह अनुभव हुआ कि ऐसे अनाप-शनाप खर्चे हो रहे हैं जो वास्तव में नहीं होने चाहिये और वह राशि काश्तकार के वैलफेयर के लिये खर्च होनी चाहिये। अगर आप मंडियों की आडिटिंग करायेंगे तो कई चीजें आपके भी नालेज में आयेंगी और जो लीकेजेज हो रहा है वह रुक जायेगा।

अगला मेरा निवेदन किसान भवन के सम्बन्ध में है। सारी बातें आ चुकीं मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। आपने तो अपने हाथ से किसान भवन का उद्‌घाटन किया है उसमें आपने बाहर की साइड शोरूम के रूप में दुकान बनाई और जब से आपने बनाया आज दिन तक पीडब्ल्यूडी द्वारा उसका रेवेन्यू लेना

(श्री जोगाराम पटेल)

है, जो किराया असैस करना है, वह असैस नहीं करने से आज 7 साल से ऐसे ही पड़े हैं। 7 साल में उससे लाखों करोड़ों रुपये की आमदनी हो सकती थी वह आमदनी नहीं हुई, इसका किसी ने क्रोस चैक नहीं किया। हमारे ऊपर या किसी पर आरोप जरूर लगते हैं कि किसान भवन का दुरुपयोग किया जा रहा है लेकिन वह जो आमदनी होने वाली थी वह आमदनी नहीं हुई और उस अधिकारी की नेग्लीजेंसी से नहीं हुई, उसका पीडब्ल्यूडी से प्रोपर असेसमेंट नहीं करवाया, असेसमेंट करवाकर उसको किराये पर नहीं दिया इसलिए आप देखें कि उसका असेसमेंट करावें। जोधपुर की एक अनाज मंड़ी है, सबसे कास्टली लैंड है वह जोधपुर की अनाज मंडी की है, उसकी चार बीघा जमीन पर एक व्यक्ति पिछले कितने ही वर्षों से काबिज होकर बैठा है। हाई कोर्ट तक वह गया, हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया एम-वे पेस्टीसाइड वर्क्स नाम से वह व्यापार करता है।

(18.00 बजे)

हाई कोर्ट तक वह गया, हाई कोर्ट में उसे कोई सफलता नहीं मिली। हाई कोर्ट ने कहा कि यह पब्लिक प्रोपर्टी है, एस्टेट आफिसर जो मण्डी का सैक्रेटरी है वह इसका तुरन्त डिस्पोजल करे और इसको बेदखल करे। इतने वर्षों के बावजूद भी वह मण्डी की 4 बीघा जमीन पर कब्जा करके बैठा है, उसको हटाने की कोई कार्यवाही नहीं है। एस्टेट आफिसर, आपका मण्डी का सैक्रेटरी खाना पूर्ति करता है। मैं यह भी कह सकता हूं कि अन्दर कोई गिविंग टेकिंग हो रहा है। अदर वाइज 4 बीघा जमीन, इतनी करोड़ों-अरबों रुपये की प्रोपर्टी है वह उसको खाली नहीं करा रहा है। आप देखें कि वह क्यों आपकी जमीन दबाकर बैठा है।

नैक्स्ट मेरा निवेदन है, आपका रोडवेज के साथ पिछले 7 साल से एग्रीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है। सारे प्रिंट मीडिया में बार-बार लिखकर, पता नहीं इसका क्या हो रहा है। मण्डी प्रांगण की 7 बीघा जमीन है वह आपने रोडवेज को देने का तय किया। रोडवेज का वर्क शाप भदवासिया में आपने लेना तय किया । आखिर यह एपिसोड पूरा कब होगा? या मना कब होगा, एपिसोड होगा या एपिसोड आज के बाद नहीं होगा। या तो इसको आप कम्पलीट कर लें। आपको 7 बीघा जमीन रोडवेज को देनी है वह रोडवेज को दे दें और इसके बदले आपको जो जमीन लेनी है वह ले लें। या फिर एक बार पब्लिक को यह बता दें कि हम न तो लेंगे न देंगे। काफी वर्षों

(श्री जोगाराम पटेल)

से विचाराधीन ऐसा विषय है और रोज अखबारों की सुर्खियों में बनता है, आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं। इस एपिसोड को जिस वे में भी निपटाना है कृपया आप निपटावें।

मण्डी प्रांगण की सफाई व्यवस्था को लेकर कोई भी सजग नहीं है। फल-सब्जी मण्डियों में तो हालत यह है कि नाक पकड़कर निकलना पड़ता है, ऐसी वहां की व्यवस्था है। हमारे प्रधानमंत्रीजी का नारा है, उसको ध्यान में रखते हुए आप स्पेसिफिक प्रोग्राम चलाएं। सारी मण्डियों की सफाई व्यवस्था और उसके बाद नियमित सफाई व्यवस्था। एक बार विशेष अभियान के तहत सफाई व्यवस्था और उसके बाद नियमित सफाई व्यवस्था। फल सब्जी जहां भी रहती है, थोड़ी बहुत सड़ती है, गलती भी है और उसके बाद बदबू भी देती है।

मण्डी में जो भी निर्माण कार्य हो रहा है उसकी गुणवत्ता की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमने व्यक्तिगत रूप से देखा है, करोड़ों रुपये के मण्डी प्रांगण के काम हुए उसका कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। एईएन और एक्सईएन ही बनाने वाले और वही उसके क्वालिटी कंट्रोलर है। साल भर में सभी मण्डियों का हिसाब करें तो करोड़ों रुपये के निर्माण कार्य हो रहे हैं। जहां कन्स्ट्रक्शन होता है उसका थर्ड पार्टी, क्वालिटी कंट्रोल वाला होना चाहिए ताकि पता लगा सके कि आपका कन्स्ट्रक्शन वर्क किस क्वालिटी का है। कितने टाइम में पूरा हुआ, कितनी कोस्ट लगनी चाहिए थी, कितने का टैण्डर आया, अबाव आया, लो आया, हाई आया, इन सबको देखने वाला कोई नहीं है, इसको भी आप दिखलावें।

एक निवेदन करूंगा कि मण्डी के सदस्य जो निर्वाचित होकर आ रहे हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता है। इसमें जो आप्शन दिए हुए हैं, प्रोविजन दिए हैं। अब पंचायती राज में जो संशोधन हुआ उसके परिणाम आए उससे यह अनुभव हो गया कि आपको इससे भी अधिक एजुकेशन वाले व्यक्ति मिलेंगे, इसलिए इस ओर भी आप ध्यान देवें । क्वालिफिकेशन में आप उसकी हायर एजुकेशन को जोड़े तो मण्डी के विकास में और काम होगा। वह काश्तकार आएंगे जो हाइली क्वालिफाइड हैं।

अंत में इतना निवेदन करूंगा कि मैम्बर्स की जो सुविधाएं हैं वह सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। हालांकि आपने बताया कि हमने सुविधाएं बढ़ाई हैं

(श्री जोगाराम पटेल)

लेकिन वह वास्तव में धरातल पर नहीं है, फिर भी आपके प्रयास बहुत अच्छे हैं। आपके प्रयास से मण्डियों की स्वतंत्रता बढ़ी है। उसका प्रांगण बढ़ा है, प्रांगण का विकास हुआ है और आपकी इच्छा शक्ति है इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान) पारित कराएं, बस एक मिनट, कोई विषय नहीं है। राजस्थान कृषि उपज मण्डी संशोधन विधेयक बिलकुल पारित करेंगे। विचारार्थ ले लिया है। खाली एक छोटी-सी बात, बिलकुल एक बात। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, किसान वास्तव में इस देश की आत्मा है। आज भाषणों में सब कहते हैं। एक जुएं जैसा धंधा हो गया है इसका कहीं न कहीं हम विचार करेंगे क्या ? किसान जब बुवाई करता है तो बीज महंगा, जब बेचने जाता है तो भाव सस्ता। आप मण्डी पर विचार कर रहे हैं, आपके प्रदेश के पास की मण्डियां, सुमेरपुर मण्डी एक जमाने में एशिया की दूसरे नम्बर की मण्डी थी, आज मण्डी की हालत क्या हुई है। क्यों बढ़ गई ऊंझा की मण्डी? भीनमाल की मण्डी, उससे ऊंझा की मण्डी क्यों तेज हो गई, इसका कभी माप तौल करेंगे क्या । कहीं न कहीं इन बातों पर अपने को विचार करना पड़ेगा कि हमारी मण्डी की गुणवत्ता कैसे बढ़े। अब आज यह वायदा बाजार, एम्स सी एक्स मार्केट, सेन्ट्रल गवर्नमेंट आज हमारी है, हम सेन्ट्रल गवर्नमेंट को क्यों नहीं लिखते कि कृषि उत्पादन से जो भी जिंस है उनका वायदा बाजार में एम्स सी एक्स नहीं होगा। कितना ले लिया, माननीय सभापति महोदय, 100 ट्रक ग्वार ले लिया, 500 ट्रक गेहूं ले लिया, कहां है, कोई माल नहीं, वायदा बाजार। आजकल के नये युवा और मण्डी, न तो आपको कोई टैक्स मिल रहा है। मण्डी के अन्दर एम्स सी एक्स कटकर 500 ट्रक आपने ग्वार बेच दिया, आपका टैक्स नहीं मिला। पूरा का पूरा जुआ हुआ। कृषि उत्पादित जो भी वस्तुएं हैं, किसान जिस समय आता है, उस समय तो यह एम्स सी एक्स बाजार, जुआ बाजार है, उनको बर्बाद कर देता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय और राज्य सरकार को यह निवेदन करूंगा कि एम्स सी एक्स बाजार के अन्दर कृषि उत्पादन की जो भी वस्तुएं हैं उनको वायदा बाजार से बाहर किया

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

जाए, उन पर रोक लगाई जाए। दंडित किया जाए, तो यह जुआं बाजार बंद होगा और किसान को इससे सम्बल मिलेगा।

मेरा एक निवेदन है कि मेरे 22 गांवों को कृषि मण्डी सुमेरपुर से जोड़ दीजिए। मंत्री महोदय, देखिए आपके अधिकारियों ने जांच करवा ली, 22 गांवों का पूरा का पूरा माल वहां बिकने के लिए आता है, जो जंवाई नहर से सिंचित होता है, उनका पूरा का पूरा माल आता है, मण्डी से विकसित कार्य मेरे उन गांवों में नहीं होते। मेहरबानी करके मेरे उन 22 गांवों को सुमेरपुर मण्डी से जोड़ दीजिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह तो कह रहे हैं बहुत योग्य हैं, मैं तो कह रहा हूं कि कृषि के मामले में तो आपने पूरी पीएचडी कर ली है। आप राजस्थान के कृषि विषय को निश्चित रूप से ऊंचा बढ़ाकर रहेंगे। बस एक चीज है, आप ऐसी कमेटी तैयार करो कि अपनी मण्डियां बाजू के स्टेट की मण्डियों से कमजोर क्यों हो रही हैं, उसको उनकी बराबरी में कैसे खड़ा किया जाए, इन चीजों पर विचार करके हम अपनी मण्डियों का विकास करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री राजेन्द्र सिंह भादू।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत आभार। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आपके माध्यम से एक-दो बातों की ओर माननीय कृषि मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरे सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र की अलग परिस्थिति है खास कर कृषि उपज मण्डी के लिए। हालांकि यह टैक्स से सम्बन्धित मामला था इसके अन्दर फल और सब्जी पर टैक्स है, चर्चा होनी थी। लेकिन जब पूरी कृषि उपज मण्डी पर चर्चा हो रही है तो निश्चित रूप से मैं अपनी बात माननीय कृषि महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी सूरतगढ़ कृषि उपज मण्डी समिति सूरतगढ़ के वार्ड हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। मेरी कृषि उपज मण्डी समिति दो जिलों के अन्दर बंटी हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आइंदा जब भी चुनाव हो तो इसमें पुनर्सीमाकंन की बहुत आवश्यकता है। इसका पुनर्सीमांकन करके मेरे विधान सभा क्षेत्र और तहसील सूरतगढ़ के या कृषि उपज मण्डी समिति के नीचे आने वाले जो वार्ड हैं उनमें उनको सम्मलित किया जाए। बहुत बड़ा क्षेत्र होने के कारण, पूरी सिंचित व्यवस्था

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

होने के कारण हमारे बीरवाना के अन्दर एक नई मण्डी यार्ड का निर्माण किया जाए ताकि उससे भी लोगों को राहत मिल सके। इसके साथ ही कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो शायद सारे राजस्थान के अन्दर नहीं हैं, लेकिन खास करके हमारे हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अन्दर, जिस तरह से गेहूं की खरीद चलती है, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से आप बात करके इस तरह की कोई व्यवस्था बैठाएं ताकि जिस तरह से पंजाब और हरियाणा के अन्दर किसान अपने गेहूं को बाजार के अन्दर लाकर या अपने आढतिये की दुकान पर डालकर निश्चिंत हो जाता है और उसका गेहूं आराम से तुल जाता है- पंजाब और हरियाणा के उसी पैटर्न के हिसाब से गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की मण्डियों की बात कर रहा हूं, मैं पूरे राजस्थान की बात नहीं करता, क्योंकि उसके बारे में मेरे को कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। अगर यह सम्भव हो, पंजाब और हरियाणा के पैटर्न पर गेहूं की सरकारी खरीद गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की मण्डियों में होगी तो निश्चित रूप से किसानों को राहत मिलेगी।

इसके अलावा एक निवेदन, जौ के बारे में अभी हमारे सभी सम्माननीय सदस्यों ने निवेदन किया है। मैं भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जौ की सरकारी खरीद होना नितान्त आवश्यक है। आज 8-9 सौ रुपये क्विंटल में जौ जिस तरह से बाजार के अन्दर बिक रहा है, किसान को उसमें कुछ नहीं मिल रहा है, जबकि 1100 रुपये का सरकारी रेट है। अगर सम्भव हो, सरकार से बात करके, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से बात करके सामंजस्य बैठा करके कोई भी एजेंसी के द्वारा, सरकार अगर जौ की खरीद करे तो निश्चित रूप से इससे किसानों को फायदा होगा। यही बात मुझे आपके सामने रखनी थी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हमीरसिंहजी।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद। मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सिवाना में कृषि उपज मण्डी, इसकी जो डी.एल.सी. रेट है, बाड़मेर शहर है, बाड़मेर में वर्तमान में बहुत बड़ी मण्डी है। वहां भी डी.एल.सी. रेट 1100 रुपये है। बालोतरा नगर परिषद है, बालोतरा

(श्री हमीरसिंह भायल)

में 420 रुपये रेट है। सिवाना में 2010 में 220 रुपये रेट थी और 2012 में 1690 रुपये, जितनी भी दुकानें बनी हुई पड़ी हैं, कोई भी व्यापारी लेने के लिये तैयार नहीं है। यह स्थिति बन गयी है कि मण्डी बिलकुल बंद होने के कगार पर है। मेहरबानी करके इसकी रेट कम की जाये। डी.एल.सी. रेट इतनी, 1690 रुपये होने की वजह से अपनी जो दुकानें बनी हुई हैं, वह भी व्यापारी लेने के लिये तैयार नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन और, सिवाना विधान सभा क्षेत्र में कृषि मण्डी से जो सड़कें बनी हुई हैं, पी.डब्ल्यू.डी. वापस उस पर न तो डामर करे, न पी.डब्ल्यू.डी. उस रोड को ठीक करती है। तीन रोड मेरे यहां कृषि मण्डी से बनी हुई हैं, इसको भी बनाने के लिये मैं निवेदन और प्रार्थना करूंगा। बाड़मेर का कृषि भवन जो बना हुआ है, वह वास्तव में किसानों के काम आना चाहिए। वहां किसान भाई ठहरें, पर वह भी किसानों के लिये काम नहीं आ रहा है। किस उपयोग में आ रहा है, उसकी जांच करवाकर इसको भी आप दिखवाएं। ताकि बाहर से अगर किसान आएं तो किसानों को ठहरने के लिये जगह रहे। यही मोटे तौर पर निवेदन था। मुझे बोलने के लिये अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भैराराम चौधरी।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री सभापति: आसन की बगैर इजाजत के जो भी कोई बोला है, उसका अंकित नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सभापति: जो भी, सदन में।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को मैं यह बताना चाहूंगा कि ओसियां विधान सभा क्षेत्र प्रमुख रूप से कृषि पर आधारित है। वहां पर अमूमन सारी फसलें होती हैं। वहां पर एक मण्डी स्थापित है मारवाड़ मथानिया में, और वह पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी है। मण्डी का पूरा निर्माण हो रखा है। उसके अन्दर पूरे संसाधन आपने लगा रखे हैं। वहां खरीद की, या कृषि से सम्बन्धित जितनी भी गतिविधियां होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही हैं। वहां पर व्यापारी लोग चले जाते हैं जैसे अपने-अपने फार्म हाउस पर, किसानों से ओने-पौने दामों पर उनकी फसलें खरीद लेते हैं और बाहर की बाहर भेज देते हैं। इससे एक तो किसान को सही रेट नहीं मिल पाती है और कृषि मण्डी को जो रेवेन्यू मिलना होता है वह भी नहीं मिल पाता है। आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्रीजी से मेरा नम्र निवेदन है कि मारवाड़ मथानिया की कृषि मण्डी की गतिविधियां एकदम सुचारु रूप से चलें। प्रोपर ओसियां के अन्दर, अपनी सरकार के आते ही उस मण्डी की रजिस्ट्री हो गई है और निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है, उसका भी संचालन, जैसे समझ रहा हूं कि साल भर के अन्दर-अन्दर हो जाएगा, लेकिन जैसे मारवाड़ मथानिया की मण्डी है, उसके अन्दर जिन व्यापारियों को दुकान अलाटेड है, या तो वहां पर वह गतिविधियां संचालित करें, नहीं तो उनका अलाटमेंट कैंसिल करें और किसानों को दें। आपके माध्यम से मुझे यही बताना था। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधन का विधेयक लाया गया है। मैं उसमें अपनी बात रखना चाहती हूं। कुछ समस्याएं हैं, जब किसान अपनी फसल को वहां ले जाता है तो उनको इतना परेशान होना पड़ता है कई तरह के नियम लगा करके, वे कई-कई दिनों तक वहां इंतजार करते रहते हैं और फोन करते रहते हैं कि साहब, हमारी फसल को क्यों नहीं लिया जा रहा है और उचित मूल्य उनको नहीं दिया जाता है। वे खुद ही लादते हैं, खुद ही उतारते हैं और खुद ही तुलवाते हैं। जब उनको बिल दिया जाता है तो उसमें वह सारी चीजें इन्क्लूड कर दी जाती हैं। इससे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कृपा करके किसानों के लिये इसमें सरलीकरण

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

हो, जिससे किसानों को तीन-तीन, चार-चार दिन तक इंतजार नहीं करना पड़े। उसके लिये कोई व्यवस्था की जाये। कृषि मण्डियों में जब किसानों की फसल की आवक होती है तो वहां पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। सभापति महोदय, इसलिये हर मण्डी के अन्दर, जहां व्यवस्था है तो वहां पर दो गेट बनाये जाने चाहिए, क्योंकि कई बार मण्डियों में झगड़े की भी नौबत आ जाती है।

पहले कृषि मण्डी के जो रोड के कार्य थे, वे अब नहीं होते हैं, जबकि वह उत्तम क्वालिटी थी, तो उनको भी अगर वहां रोड की स्वीकृति के लिये मण्डियों को दिया जाए तो रोड्स को बनाने में काफी समय, एक-एक साल, दो-दो साल लम्बित पड़े रहते हैं, वे सरलीकृत हो जाएंगे। जो किसान भवन हैं, प्रदेश में भी कई जगह देखा गया है कि खण्डहर स्थिति में पड़े हुए हैं, उनमें कोई भी किसान आकर रुकने के लिये तैयार नहीं होता है। जब बनाया जाता है, सारी चीजें सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, मण्डी की तरफ से तो क्यों न उनको सुव्यवस्थित, और कहना चाहिए मरम्मत वगैरह करवा करके, नियम ऐसा बनाया जाए कि वह किसानों को ही अवेलेबल हों, न कि अन्य लोगों के लिये वह मिले। जब किसान को समय पर अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है, वह परेशान होता रहता है, कृपया करके उसमें भी सरलीकरण कराएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती संजना आगरी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगी कि मैं विधान सभा क्षेत्र सोजत से आती हूं वहां विश्वस्तरीय मेहंदी का उत्पादन होता है और पूरे सोजत विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 35 से 40 हजार हैक्टेयर भूमि में किसान मेहंदी का उत्पादन करता है। मेहंदी के उत्पादन से सोजत कृषि उपज मंडी को जितनी फसलों से आय प्राप्त नहीं होती है उतनी सालाना दो से तीन करोड़ रुपये इस मेहंदी से आय प्राप्त होती है।

माननीय मंत्री महोदयजी को पहले भी हमने अवगत कराया। मैं बताना चाहती हूं कि मेहंदी एक्सपोर्ट तो होती ही है उसके साथ-साथ इसको औषधि में भी काम में लिया जाता है और दु:ख की बात है कि इसको आज भी कंटीली झाड़ियों में माना गया है। मैं माननीय मंत्री महोदयजी से निवेदन करना चाहती हूं कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की

(श्रीमती संजना आगरी)

कई तरह की योजनाएं आती हैं किसानों को लेकर और सारी फसलों के अन्दर यहां पर फसली बीमा भी दिया जाता है, ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है किसानों को और मंडी से सम्बन्धित सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं तो क्यों नहीं, इस मेहंदी को पक्की जिंस में लेकर इसके लिए कोई मैकेनिकल प्रोसेस तैयार किया जाए। मेहंदी उत्पादन करने वाला किसान साल में दो बार मेहंदी की कटाई लेते हैं और मेहंदी इतनी हार्ड होती है कि उसकी कटाई भी मशीनों के माध्यम से नहीं होती है। मेहंदी इतनी सेंसेटिव होती है कि मेहंदी का पत्ता अगर शीतलहर होती या वर्षा होती है तो वह मेहंदी भीग कर नीचे गिर जाती है, इससे किसानों को जो उनकी आय के स्रोत हैं, बिलकुल जीरो के बराबर हो जाते हैं।

माननीय मंत्री महोदय जी, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि इस मेहंदी के बारे में आपको रिसर्च करवानी चाहिए क्योंकि आजादी के बाद हमारे सोजत की मेहंदी उत्पादन करने वाले किसानों के और उनके परिवारों के हित के बारे में आज दिन तक किसी ने नहीं सोचा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि मेहंदी को आप पक्की जिंस में लेकर इसके लिए मैकेनिकल प्रोसेस तैयार करें ताकि मेहंदी उत्पादन करने वाले किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और साथ ही इन किसानों को मेहंदी का उचित मूल्य मिल सके।

क्योंकि, कई बार इसमें पत्थर, कंक्रीट वगैरह आते हैं, दलाल भी बीच में काम करते हैं, मेहंदी कृषि मंडी तक जाते-जाते इसके जो छोटे किसान होते हैं उनको निश्चित तौर पर नुकसान उठाना पड़ता है तो मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि हमारी इस सोजत की विश्व प्रसिद्ध मेहंदी की पहचान को कायम करने के लिए निश्चित तौर पर आप इस पर गहन चिंतन करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री तरुण राय कागा।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका प्रदान किया, इसके लिए शुक्रिया। हालांकि, मेरा विधान सभा क्षेत्र जो चौहटन बाड़मेर जिले के मुख्यालय पर जो मंडी है, वहां पर बसता है। बाड़मेर जिले की जो मंडी है, उसमें काफी बदइंतजामी का आलम है।

(श्री तरुण राय कागा)

वहां पर सफाई और बाकी दुकानों के आबंटन में भी हमेशा शिकायतें आती रहती हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र चौहटन मुख्यालय पर भी एक मंडी प्रांगण है, गाहेबगाहे खरीफ की फसल होती है, उस समय वहां पर खरीद-फरोख्त हुआ करती है लेकिन मेरी यह गुजारिश आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से है कि उसको ही मंडी का दर्जा देकर जो अनाज की खरीद-फरोख्त होती है, उसमें किसानों की सुविधा के लिए वहां पर कुछ हो तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं बार-बार कहता रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जीरा और ईसबग़ोल की फसल बहुत ही अच्छी किस्म की होती है। उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी है, वह एक्सपोर्ट लायक है और उसको हम हमारे पड़ोसी प्रांत गुजरात में जो ऊंझा मंडी मशहूर है, वहां ले जाया करते हैं जिसमें किसानों को बहुत बड़ी परेशानी होती है। बीच में एजेंट या जैसे 'दलाल' शब्द का इस्तेमाल किया, उस तरह के लोगों से दो-चार होना पड़ता है इसलिए मेरा आग्रह है कि मेरे चौहटन में एक मंडी प्रांगण बना हुआ है, सारे शेड वगैरह बने हुए हैं, बाउण्ड्री बहुत अच्छी है अगर, उस मंडी को संचालित किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद।

श्री सभापतिः मंत्री महोदय, आप कुछ बोलना चाहेंगे या प्रस्ताव को पारित करवाया जाए?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): दो लाइन बोल देता हूं, ज्यादा नहीं।

माननीय सभापति महोदय, पारण की स्टेज पर लूणी, सोजत, बानसूर, ओसियां, आहौर, सूरतगढ़ और सिवाना से आने वाले माननीय सदस्यगण ने निश्चित रूप से अपने-अपने सुझाव दिए लेकिन चूंकि, सारे सुझाव इस विधेयक के संशोधन से जुड़े हुए नहीं हैं फिर भी माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं उनको मैंने निश्चित रूप से नोट कर लिया है, जो भी विधि सम्मत कार्यवाही होगी, निश्चित रूप से मैं उसको करके उनको व्यक्तिगत बता दूंगा।

इसके अलावा लूणी से आने वाले माननीय विधायकजी ने 8 प्रश्न उठाए। 8 प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न उन्होंने एम.डी.एफ. के बारे में बताया कि हमारा 30 परसेंट पैसा, उसके बारे में मैंने पहले भी निवेदन किया था चूंकि मंडी व्यवस्था पर मार्केटिंग बोर्ड होता है, स्टेट लेवल पर उसका गठन होता है। किसी भी निर्माण कार्य की गुणवत्ता देखना, उसमें कंस्ट्रक्शन है, टैक्निकल अधिकारियों का एक पूरा अमलीजामा होता है।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

इसके अलावा किसान कल्याण कोष भी होता है, जिसमें किसानों की मृत्यु पर उनको पैसे देने का काम भी होता है या ऐसी कमजोर मंडियां भी होती हैं जिनके बारे में एक निधि बनी हुई है और यह निधि काम करती है तो यह मैं आपके माध्यम से जानकारी दूंगा।

दूसरा, आपने सीधी खरीद पर भी प्रश्न उठाया कि सीधी खरीद जब होगी माननीय सभापति महोदय, आज ग्लोबलाइजेशन का युग है। आलपिन से लेकर हवाई जहाज तक, कोई भी विक्रेता अपनी जिंस को, अपनी छोटी दुकान, थड़ी, माल, होस्टल कहीं पर भी बेचता है लेकिन किसान का जब प्रश्न आता है तो उसको मंडी यार्ड की बात कहते हैं हम लोग इसलिए भारत सरकार का यह मंतव्य है कि इसको खुला रहना चाहिए। इसको मार्केट, कहां पर भी जाए, कैसे भी खुले, कहां पर भी बिके इसलिए पूरे राजस्थान भर में कोई भी ट्रेडर, एंटरप्रिन्योर, प्रोसेसर एक्सपोर्ट के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए अगर एक लाइसेंस पूरे राजस्थान का भी लेगा तो उसको भी देने के प्रावधान जुड़े हुए हैं।

आडिट के बारे में आपने ध्यान दिलाया। किसान भवन, जमीन प्रकरण, चुनाव एवं योग्यता, इन तीनों विषयों को मैं दिखवा लूंगा लेकिन चौथा, चुनाव योग्यता के बारे में आपने उठाया। मैं बिलकुल सदन में घोषणा करता हूं कि जब भी आगामी चुनाव होंगे तो पंचायती राज संस्थाओं की भांति शिक्षा का भी प्रावधान इस एक्ट में करेंगे।

दूसरी, सफाई की बात आपने कही है। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि सफाई के लिए भी सभी मंडियों को डाइरेक्शन दिए जाएंगे। जहां पर भी साज-सामान और उनको उपकरणों की आवश्यकता होगी वह भी हम लोग उपलब्ध करवाकर मंडियों को स्वच्छ और सुन्दर बनाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, इसको पारित किया जाए।

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया गया। डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015

प्रभारी मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़।

विधेयक पर विचार

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, हमारे हिन्दुस्तान के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक, हमारे नेता, विद्वान और जिन्होंने हम सबको नई दिशा दी ऐसे डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से जोधपुर में इस आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और उसके सम्बन्ध में आज हमारी सरकार एक ऐतिहासिक बिल लायी है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी का।

माननीय सभापति महोदय, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पांच विश्वविद्यालय हैं। हिन्दुस्तान बहुत बड़ा है, विविधताओं से भरा है लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है ऐसा कोई परिक्षेत्र नहीं होगा या विधान सभा क्षेत्र नहीं होगा जिसमें पांच विश्वविद्यालय हों। सौभाग्य है, धरती की मांग है और खुशकिस्मती है जनता की, भाग्यशाली है हमारी वह जनता जहां पर पांच विश्वविद्यालय हैं। चाहे वह आज जिसका एक्ट लाया गया है आयुर्वेद विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हो, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हो या पुलिस से सम्बन्धित जो विश्वविद्यालय खोला कुछ वर्षों पूर्व पुलिस विश्वविद्यालय हो और जयनारायण विश्वविद्यालय का कुछ भाग हो, जिसकी चर्चा कई दिन पहले यहां हुई थी, जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, फर्जी डिग्री के मामले में ही सही, लेकिन वह भी विश्वविद्यालय वहीं है और कृषि विश्वविद्यालय भी है। इसके अलावा और भी विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, एम्स है, यह सब जोधपुर में एक एजुकेशन हब के रूप में उभर रहे हैं, इसलिये मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए यह निवेदन करूंगा कि एक्ट के जो प्रोविजन हैं, वह वास्तव में ठीक हैं, लेकिन कुछ बातें विशेष रूप से माननीय मंत्री महोदय, आपको करनी चाहिये। हमारी आयुर्वेद पद्धति बहुत पुरानी है और

(श्री जोगाराम पटेल)

ऋषि-मुनियों ने इस पर अनेक वर्षों तक रिसर्च करने के बाद इलाज की एक आयुर्वेद पद्धति निर्धारित की थी। उस आयुर्वेदिक पद्धति पर धीरे-धीरे पाश्चात्य संस्कृति हावी होने के साथ ही एलोपैथी में इलात तुरन्त होना, नहीं होना जो भी विषय रहे हों, उसके आधार पर वह कमजोर हुई। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, वह आयुर्वेद से सम्बन्धित है और विश्वविद्यालय भी इन सबकी ओर निगाह रख रहा है। इसलिये माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका आभारी भी हूं, आपसे निवेदन भी करूंगा कि हमारी आयुर्वेदिक पद्धति जो इलाज की है, उसे पुनः पुनर्जीवित किया जावे। इस इलाज की पद्धति में थोड़ी बहुत देरी हो सकती है, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसका इलाज होने के बाद यह बहुत ही सही, सटीक और पूर्ण इलाज है। वर्तमान में कैंसर की जो बीमारी है, इसमें एलोपैथी में अभी तक किसी तरह का कोई इलाज नहीं मिला है। लेकिन अगर आयुर्वेद पद्धति से उसका थोड़ा बहुत इलाज किया जावे, तो मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है कि कैंसर जैसी बीमारी के भी धीरे-धीरे लक्षण को कम करने की शक्ति है। इसलिये हमारी आयुर्वेदिक इलाज की जो विभिन्न पद्धतियां हैं, उनको पुनर्जीवित किया जाना, इस हेतु रिसर्च किया जाना और इस हेतु जरूरी फैकल्टी लगाना महत्वपूर्ण है।

मैं धन्यवाद माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी करूंगा इस बजट भाषण के उपरान्त जब अन्त में उन्होंने अपना भाषण दिया तो डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के लिये दो नयी फैकल्टी खोली और यह सब फैकल्टी अगर हो जाएंगी तो हिन्दुस्तान के जितने भी विश्वविद्यालय होंगे, मुझे संख्या में तो ध्यान नहीं है, कि कितने विश्वविद्यालय हिन्दुस्तान में आयुर्वेदिक पद्धति से सम्बन्धित हैं या आयुर्वेद विश्वविद्यालय हैं, लेकिन यह पहला विश्वविद्यालय होगा जिसमें इतने सब्जैक्ट या इतनी फैकल्टी होंगी। इसीलिये मैं इस बात के लिये भी आपका आभारी हूं कि आपने दो नये विषय विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु खोले। परन्तु जो पुराने हमारे घरेलू नुस्खे जिनके आधार पर हमारी दादी-नानी हमको इलाज देती थी और इलाज हमारा बहुत आराम से हो जाता था, घरेलू नुस्खों पर भी रिसर्च होना चाहिये। घरेलू नुस्खों पर कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई खर्चा नहीं।

मुझे आज भी याद है कि हम जब छोटे थे तो गांव में हमारे वहां

(श्री जोगाराम पटेल)

कुछ घिसकर इलाज के लिये देते थे। सभी बीमारियों का एक ही इलाज था। अब छोटे बच्चों के लिये देखते हैं पोते-दोहितों के लिये, इतनी दवाइयों का बाक्स है और उस जमाने में सिर्फ वह एक ही थी। घुट्टी होती थी, उसको घोटकर पिलाते थे, तो सभी बीमारियों का वह एक ही इलाज था इसलिये घरेलू नुस्खे वाली जो हमारी पुरानी पद्धति है, इसमें इलाज के जो आधार हैं, इसमें माननीय मंत्री महोदय, अनुसंधान करावें। इसको पुनर्जीवित करें और इसको अगर आप वापस जीवित करेंगे तो हमारा रोजगार भी बढ़ेगा। इससे रोजगार को भी साथ जोड़ें। क्योंकि हम यह चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को, हमारे जो भी इस फील्ड में काम करने वाले हैं, उनको रोजगार भी मिले। अगर रोजगार को इसके साथ जोड़ा जाएगा तो इस विषय में जो अध्ययन करने वाले हैं, वो अध्ययन करने के बाद अपने परिवार को पाल सकेंगे। अपना खुद का रोजगार कर सकेंगे। एस्टेब्लिशमेंट कर सकेंगे और आज हमारी एलोपैथी में जो डाक्टरों की कमी है, अनेक बीमारियां फैल रही हैं, उनकी पूर्ति का भी एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है। इसलिये घरेलू नुस्खों को रोजगार के साथ जोड़ना और साथ ही मेरा निवेदन यह है कि इन विश्वविद्यालयों का बजट बढ़ाने की भी आवश्यकता है। बजट की कमी की वजह से यह विश्वविद्यालय अपने आपमें जीवित रहने में बहुत संघर्ष कर रहे हैं। डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् आयुर्वेद विश्वविद्यालय को विशेष योजना के तहत अगर आप बजट उपलब्ध करवाएंगे तो जैसा मैंने अभी बताया, इन सारी पद्धतियों को पुनर्जीवित कर पाएंगे और इनके विश्वविद्यालय में विद्यार्थी एडमिशन लेने के बाद डाक्टर, वैद्य, वेदशास्त्री के रूप में निकलेंगे, वह समाज में जाकर अपना स्थान कायम करेंगे और स्थान कायम करने के उपरान्त वो इलाज भी देंगे, अपना रोजगार भी लेंगे। इस विश्वविद्यालय में अनेक पद रिक्त हैं और रिक्त पदों के होने की वजह से विश्वविद्यालय अपनी पूरी स्पीड में अभी तक नहीं आ पाया है, पूरा स्थापित नहीं हो पाया है इसलिए मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि जितने भी रिक्त पद हैं, उन रिक्त पदों की पूर्ति की जावे। परिसर की भी कमी है, बिल्डिंग की कमी है। फैकल्टी जहां बैठती है, स्टूडेंट जहां पढ़ते हैं, जगह की बहुत कमी है। इसमें भी मेरा निवेदन है कि उस पर भी आप ध्यान देवें।

साथ ही वर्तमान में हमारे आयुर्वेद अस्पताल भी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि एक आदेश के तहत उनको एलोपैथी के जो हमारे हास्पिटल हैं, उनके साथ एक छत के नीचे ले आये। वहां वैद्य साहब बैठे हैं, उनको कोई नहीं

(श्री जोगाराम पटेल)

पूछता। वह एक कुर्सी पर बैठे हैं, सुबह-शाम बैठे रहते हैं और शाम को घर चले जाते हैं, लेकिन अगर हम इस आयुर्वेद पद्धति को जीवित करेंगे, हमारे आयुर्वेदिक अस्पताल की महत्ता पुनः कायम की जाएगी तो हमें बहुत सहायता मिलेगी।

मैं यह भी निवेदन करूंगा जो आपके उद्देश्य हैं इस एक्ट को लाने के, उसको पढ़ने से ही बिलकुल स्पष्ट है कि सरकार की मंशा अन्य विश्वविद्यालयों के समान, विश्वविद्यालयों की स्वतन्त्रता ही कायम करना नहीं, बल्कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधिनियम में एकरूपता बनाये रखने और बेहतर वित्तीय अनुशासन एवं प्रशासनिक वातावरण बनाने के लिये विश्वविद्यालय का अधिनियम 2002 लाया गया है। इसकी धाराओं में संशोधन किया गया है। इसलिये मैं आभारी भी हूं माननीय मंत्री महोदय आपका, कि इस उद्देश्य से इस एक्ट को लाया गया है। इसके जो प्रावधान हैं, जिसमें इंस्पेक्शन के भी हैं, अपाइंटमेंट के भी हैं, कुलपति से सम्बन्धित भी हैं, कुलाधिपति महोदय से सम्बन्धित भी हैं लेखा और परीक्षा से सम्बन्धित हैं और इन सब प्रावधानों को देखने के बाद यह लगता है कि यह एक्ट वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार लाया गया है। इसलिये मैंने अपना जनमत जानने का जो प्रस्ताव दिया है, उसे मैं वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015, जिसको मैंने जनमत जानने के लिये परिचालित करने का आग्रह किया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह जो संशोधन लाया जा रहा है, उसके जो उद्देश्य और कारण बताये हैं, उसमें कुलपतियों की सेवानिवृत्ति आयु हैं। एक जो इसमें अमेंडमेंट लाया जा रहा है वह है राज्य सरकार का इसमें नियन्त्रण। मैं समझता हूं निश्चित रूप से किसी भी निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करने से पहले, उसको अनुमति देने से पहले, उसका विधेयक पारित करने से पहले, उस पर राज्य सरकार का पूर्णतया नियन्त्रण हो और वह सुचारु रूप से हमारे प्रदेश के विकास में भागीदार बने। वहां से जो प्रोडक्ट हमारा तैयार हो, पूरे प्रदेश में और देश में उसका नाम हो, इस प्रकार का होना चाहिये। आजकल एक प्रचलन सा है निजी विश्वविद्यालय दनादन-दनादन स्वीकृत हो रहे हैं, चाहे सरकार हमारी हो, चाहे सरकार आपकी हो, लेकिन इनका आगे

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

चलकर क्या प्रभाव, क्या दुष्प्रभाव होगा? इस बात का मंथन हमें करना चाहिये और यह एक ठीक पहल की गयी है। मैं समझता हूं कि सरकार का नियन्त्रण करने की जो बात इसमें की गयी है, इतना ही पर्याप्त नहीं है। अभी कल-परसों जब उच्च शिक्षा मंत्रीजी कह रहे थे तो बात चली थी कि विश्वविद्यालय फर्जी डिग्रियां दे रहे हैं और क्योंकि हम नियमों से बंधे हुए हैं, उन्हीं से केवल मात्र रिपोर्ट ले लेते हैं और इतिश्री करते हैं, लेकिन एक सकारात्मक पहल हुई और मंत्रीजी ने घोषणा की कि हम इसमें नियामक आयोग भी ला रहे हैं और इनके खिलाफ जांच कराएंगे। मैं समझता हूं यह केवल शुरूआत है, इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है।

एक जो हमारी सरकार के समय पहल हुई थी कि एक छत के नीचे यूनानी, आयुर्वेद, एलोपैथी, मैं समझता हूं वह एक अच्छी, सार्थक पहल थी लेकिन न तो वहां पर कोई आयुर्वेद चिकित्सक भर्ती हो पाये, न नर्स-कम्पाउंडर भर्ती हो पाये, हमारे एलोपैथी के जो डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स हैं उनमें जगह के लिए भी साल-साल, दो-दो साल लग गये। जो रुचि हमारे प्रदेश में लोगों में कम हो गयी इसका एक मुख्य कारण यह भी रहा है कि वहां पर जो दवाइयां मिलती हैं उसमें क्या मिलाया हुआ है, पुड़िया मिलती है उसके प्रति भी आजकल लोगों में एक शंका पैदा होने लग गयी क्योंकि उसमें यह तो आता नहीं है कि इसमें यह-यह है। एलोपैथी दवाई में यह चीज है, लिखा होता है। तो कई लोगों के दिमाग में यह हो गया। एक थोड़ा सा रिजल्ट देरी से आता है और आदमी तुरन्त रिलीफ चाहता है।

माननीय मंत्री महोदय, इसमें मैं समझता हूं आयुर्वेद के साथ-साथ एक्यूप्रेशर को भी हमें जोड़ना चाहिए। एक्यूप्रेशर से भी अच्छा इलाज होता है लेकिन प्रयास करके भी हम उसमें एक्यूप्रेशर वालों को मान्यता नहीं दे पाये। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके साथ-साथ एक्यूप्रेशर को भी आप मान्यता देकर जो हमारे एलोपैथी डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स हैं उसमें बैठाने का काम करें। एक्यूप्रेशर से भी काफी रिलीफ मिलता है।

तीसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी इस आयुर्वेद पद्धति को सशक्त बनाने के लिए, जनता को लाभ मिले इसके लिए हमारे पास में जो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सिस्टम है वहां बहुत रिक्त स्थान हैं, चाहे आप आयुर्वेद ग्रामीण चिकित्सकों की बात ले लीजिए, चाहे आयुष नर्स-कम्पाउंडरों की बात ले लीजिए, चाहे यूनानी के, होम्योपैथी के डाक्टर्स की बात ले लीजिए। आज हमारी स्थिति है कि आयुष नर्स और कम्पाउंडरों के 2100 पद खाली हैं, 1605 की भर्ती चल रही थी, सात-आठ साल बाद में भर्ती की प्रक्रिया चालू हुई और अब सुनने में आ रहा है कि उसमें से केवल 600 के लगभग हम आयुष नर्स और कम्पाउंडर लेंगे, 1000-1100 की भर्ती फिर पैंडिंग रह जायेगी। यह एन.आर.एच.एम. का है या क्या सिस्टम है, हमें पता नहीं लेकिन आठ साल बाद में हम भर्ती कर रहे हैं और उसके बाद में भी हम फिर 1000-1100 पद रिक्त रख देंगे तो मैं समझता हूं कि दो-तीन साल तक वो काम भी नहीं हो पायेगा। इसलिए इन 1605 पदों को, विज्ञप्ति है तो कैसे भी वित्त विभाग से स्वीकृति लेकर एक साथ रिक्त पदों को भरें।

ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सक 13 साल से दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। हाई कोर्ट के कारण से हम भी नहीं कर पाये, पांच साल तक प्रयास करते रहे, इनकी स्क्रीनिंग भी हुई, इनका रिकार्ड गायब हो गया, पता नहीं क्या-क्या हुआ, अधिकारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. भी लाज हुई लेकिन उन लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं वो बुड्ढे होने को चले हैं और 13 साल बाद में भी उनको मानदेय संविदा के ऊपर वाला मिलता है। हमारे मंत्री महोदय काफी सक्षम हैं, रुचि भी है, प्रदेश की जनता ने पूर्ण, बहुत बड़ा बहुमत भी दिया है और वायदे भी खूब लम्बे-चौड़े, 15 लाख को रोजगार देने के किये थे इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सक हैं, माननीय मंत्री महोदय, आप जैसे-तैसे भी करके उनके सारे पद भरने का काम करेंगे तो आयुर्वेद में आगे बढ़ पायेंगे।

एक ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सक केवल 16800 रुपये में काम कर रहा है। एक डाक्टर 65 हजार रुपये ले रहा है और अगर अपन उसको बाड़मेर, जैसलमेर में नियुक्त करते हैं तो उसके लिए 25 हजार शायद, आपने घोषणा कितने की की है, घोषणा भी की है तो एक डाक्टर लाख रुपये ले रहा है और एक आयुर्वेद चिकित्सक वो ही डिग्री उसी तरीके से पांच साल में करके आया है और 16800 रुपये में काम कर रहा है।

3500 में से 2300 पद रिक्त हैं, 60 दिन की आपकी कार्य योजना में

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

भी आपने कहा था कि हम इनका नियमितीकरण कर देंगे लेकिन आज तक नहीं हो पाया। सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और चाहे हम हाई कोर्ट में पैरवी करें, किस तरह से करें, एन.आर.एच.एम. की स्वीकृति केन्द्र से मिले नहीं मिले, व्यवस्था करके इन पदों को भरने का काम करना चाहिए।

2595 आयुष चिकित्सक हैं उसमें से 1945 आयुर्वेद, 358 यूनानी और और 292 होम्योपैथी के हैं, अगस्त, 2013 से पहले साक्षात्कार हो गया, आज तक इनकी भी नियुक्ति नहीं हुई। अभी सुनने में आ रहा है कि 1100 पदों के लगभग वापस इसमें भी आप कटौती करने जा रहे हैं, एन.आर.एच.एम. के या किस कारण से, पता नहीं। मैं तो आपसे केवल मात्र इतना निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपके मन में इच्छा शक्ति है, प्रदेश की जनता को आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से आप लाभ देना चाहते हैं तो माननीय मुख्य मंत्रीजी से आप अनुमति लेकर वित्त विभाग से बात करके जितने पद हैं उनको भरने का काम करेंगे। एक्यूप्रेशर के साथ-साथ इनको एक छत के नीचे बैठा करके, हमारी निःशुल्क दवा और जांच योजना है उसी तरह इनमें भी शायद निःशुल्क ही है, इनका तो कोई ज्यादा पैसा लगता नहीं है।

बाबा रामदेवजी के प्रोडक्ट भी खूब प्रचलन में हैं, उसके बारे में काफी लोगों का मानना है कि फायदेमंद हैं, कुछ लोगों को शंकाएं भी हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं जो भी प्रोडक्ट बाजार में जाएं, मंत्री महोदय, उसमें बाकायदा होना चाहिए यह चीज है, इसमें यह मिला हुआ है और यह इसकी रेट है। जो चीज हम ग्रहण कर रहे हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम ले रहे हैं उसका हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या चीज का सेवन कर रहे हैं।

इसलिए यह बिल एक अच्छी पहल है लेकिन जब तक सारे पद नहीं भरेंगे यह पर्याप्त नहीं है एवं नियामक आयोग बना करके इस तरह के विश्वविद्यालयों पर, निजी विश्वविद्यालयों पर जब तक हम अंकुश लगाने का काम नहीं करेंगे मैं समझता हूं हमारा कार्य पूर्ण नहीं होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ में क्योंकि एक बिल और है, काफी वक्ता बोलने वाले हैं, आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 पर निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

माननीय सभापति महोदय, जब विश्वविद्यालय का नाम आता है मतलब एक बहुत बड़ा नाम है लेकिन वास्तव में जैसा कहा कि खाली डिग्री वाले विषय पर रहता है या हकीकत में पढ़ाई होती है, इस पर कहीं न कहीं हमें देखभाल करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेद इस देश की भूमि के कण-कण में है। मतलब चाहे पशुधन हो, चाहे व्यक्तियों के रहन-सहन, जीवन-यापन हो, चाहे वनस्पति हो, इन सबमें है और कहीं न कहीं वातावरण को मिलाकर एक आयुर्वेद की बात आती है।

माननीय सभापति महोदय, यह हकीकत है, अभी जैसे प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय कह रहे थे कि बाजार में आयुर्वेद की जो भी दवाइयां आती हैं उसके अन्दर क्या-क्या है, वो आता नहीं है, ये लेते नहीं हैं इसलिए इनको ध्यान नहीं है लेकिन सारे प्रोडक्ट पर, इसमें क्या-क्या मिला हुआ है, कितनी मात्रा में है, सारा आता है।

माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एक तो आयुर्वेद डाक्टर की वेतन की विसंगति को मिटाना पड़ेगा। गांवों में जहां कहीं भी आयुर्वेद हास्पिटल है वहां वैद्य की व्यवस्था करो। आयुर्वेद है क्या? आपको एक सिस्टम बताता है कि खाने-पीने से लगाकर सोने तक के सारे व्यवहार में क्या लें। क्योंकि जो बीमारियों का घर होता है वो अपने पेट से होता है और आयुर्वेद में सबसे पहले दवाई दी जाती है पेट से सम्बन्धित, तो पूरा शरीर ठीक चलता है।

माननीय सभापति महोदय, अभी लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा पुराने नुस्ख़े, यह हकीकत है हमारे दादा-दादी, नाना-नानी यह नुस्ख़े कहते थे और करते थे। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन वैसी उस समय मेहनत भी होती थी। आज की तारीख में वह शारीरिक मेहनत नहीं होती है। एक कारण तो यह भी है।

माननीय सभापति महोदय, अब जैसे आयुर्वेद में गौ मूत्र आधारित अनेकों ऐसी दवाइयां हैं। गौ मूत्र अर्क कैंसर से लगाकर हर तरह के बुखार में काम आता है। पंचगव्य पेट की हर बीमारी में काम आता है। अब आयुर्वेद के ऐसे प्रोडक्ट का हम कैसे डिसप्ले करें, इसकी व्यवस्था करें। जो कम्पनी या संस्था बनाती है, वह कैसे उत्साही हो, उनको सरकार की ओर से क्या सब्सिडी

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

दी जाये, जिससे आयुर्वेद दवाई सही दाम में आपको मिल सके और जनता को लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, नीम गिलोय की बेल, आयुर्वेद में उसको अमृत बेल कहा है। उस बेल के पत्ते, उस बेल के डंठल हर बुखार में काम आते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, आप तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि सब आपको सम्बोधित करके बोल रहे हैं। आज आपको इतने नुस्ख़े मिलेंगे कि आज के बाद आपका स्वास्थ्य भी बिलकुल ठीक होगा और चाहे जिसका स्वास्थ्य भी आप ठीक कर सकोगे। इतने नुस्ख़े आपके पास आएंगे।

श्री सभापति: इन नुस्ख़ों में साइड इफेक्ट बिलकुल नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): साइड इफेक्ट नहीं है इसलिए राजेन्द्र जी सुरक्षित हैं।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, वैद्यराज आयुर्वेद दुनिया के कई देश अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम हकीकत में इसको सीरियसली लें। आयुर्वेद में यह हकीकत है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बीमारी को जड़ से नष्ट करने वाला है। आपरेशन की स्थिति आती है वह बात अलग है। लेकिन जब कोई बीमारी जन्म लेती है, उस समय अगर हमने आयुर्वेद की दवाई ले ली तो निश्चित रूप से उसका निराकरण होता है। इस बात को मानना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, बस इतनी विसंगति आप ठीक कर लो, एक तो आयुर्वेद के वैद्यराज सब जगह लग जाएं। उनके वेतन से सम्बन्धित, उसमें क्या होगा कि लोगों की जिज्ञासा बढ़ेगी। नहीं तो क्या तो वेतन मिलता है, क्या करें? सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इन दो-तीन बातों को सोचकर यह जो नियम लाये हैं, सरकार का निश्चित रूप से कहीं न कहीं तंत्र मजबूत होना चाहिए। बस, यह दो-तीन बातें कहनी थीं कि आयुर्वेद से सम्बन्धित प्रोडक्ट को ...

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): विश्वविद्यालय विधेयक में संशोधन लाये हैं।

(18.53 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): संशोधन लाये हैं। बहुत ही विद्वान हो, हम ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, शब्दों की भूल हो जाती है। कोई बात नहीं। यह जो संशोधन लाये हैं, निवेदन इतना है कि गौ मूत्र अर्क और गोबर से बनी हुई चीजों में कई संस्थाएं काम कर रही हैं, उन प्रोडक्ट को हम बाजार में कैसे सब्सिडी की रेट पर डिसप्ले कर पायें और उन संस्थाओं को कैसे संरक्षण दें, यह लोगों के जीवन में बहुत बड़ा हितकारी कदम होगा। हम इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से ऐसे वैद्यराज, चाहे पंचकर्म चिकित्सा हो या पंचगव्य पर हो, इसमें तैयार करें। इससे देश का भला होगा।

माननीय सभापति महोदय, इस संशोधन विधेयक में मैंने जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए कहा है, उसको वापिस लेने की आपकी अनुमति चाहूंगा।

श्री सभापति: डा. फूलचन्द भिण्डा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप एक घंटा बोलना।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): 25 को पार कभी नहीं करता हूं। आप भाग क्यों रहे हैं, आपको सुनाना है मुझे।

माननीय सभापति महोदय, आज डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णनजी के नाम से बना हुआ विश्वविद्यालय और उस पर संशोधन, जो नाम है, जिसने भी रखा उसको मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। राधाकृष्णन जी एक ऐसे राजनेता हुए देश में, जिन्होंने सर्वोच्च पद पर बैठे हुए फाइल लौटा दी हस्ताक्षर करने से, अंग्रेजी में यह कहा राधाकृष्णन जी ने कि What is my right. तो सम्बन्धित बड़े आदमी ने कहा nothing उसके बाद झक मारकर रह गयी कांग्रेस, लेकिन उन्होंने दुबारा राष्ट्रपति बनने के लिए हां नहीं कही। ऐसे राधाकृष्णन जी थे। उन्होंने हिन्दू दर्शन के बारे में अनेकों पुस्तकें लिखीं। वह जीवंत उदाहरण थे। साफा बांधकर सारे विश्व में जाते थे। वह तो भारत के प्रतीक थे। भारत माता के लाल थे। उनके नाम से यह विश्वविद्यालय रखा गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेद केवल पद्धति नहीं है। इसमें कई चीजें निहित हैं। जैसे इसकी फार्मेशन है, उसमें परिपूर्ण रूप से समाजवाद भरा

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

हुआ है। परिपूर्ण शब्द का उपयोग कर रहा हूं। पैसे वाला है, तो आइए, स्वर्ण भस्म लिख देते हैं उसको। अन्दर तो दवा वही है। मीडियम क्लास का है तो उसको वटी दे देते हैं। गरीब है तो काढ़ा दे देते हैं। तीनों में ही रोग का निदान है। ऐसी पद्धति कोई दुनिया में नहीं है। ऐसा सिस्टम भी कहीं नहीं है। हां, है एक इंडिया में, रेलवे, एक ही ट्रेन में जाने वालों से अलग-अलग किराया लिया जाता है। लेकिन वह एक सेवा है। यहां तो यह एक पद्धति है और उसके साथ हमारे जीवन का आदर्श भी जुड़ा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, अगर आयुर्वेद को बढ़ावा मिलता है तो इससे पिछले सत्र में जो एक्ट था, उसमें किसान की बात आई थी। निश्चित है कि अगर आयुर्वेद को बढ़ावा देंगे तो औषधि निर्माण बढ़ेगा। औषधि कौन बनायेगा? किसान। आयात करने की जरूरत ही नहीं है। यहां सब जड़ी-बूटियों का टेस्ट हमारे पूर्वजों ने किया है। एक का नहीं किया था, जैसे आपने कहा। एक अंग्रेज ने लिखा कि 1647 में अंग्रेज आये और आसाम में इस चाय के पौधे को पहचाना। ऐसा विवरण आता है। धतूरे की दवा भी बनाई हमारे पूर्वजों ने। उसको छोड़ दिया काम लेकर के। जो अन्दर से दुर्गुण आये उसका कारण यही है।

माननीय सभापति महोदय, इसकी दवा के साइड इफेक्ट नहीं होते, पूर्व सभापतिजी कह रहे थे। कहां से होंगे यहां तो सबसे पहले उस दवा में ही यह निहित है कि आदमी की आंतें साफ हों। उसके माध्यम से उसका ब्लड साफ हो। यह हर दवाई में निहित है आयुर्वेद की में। आजकल एलोपैथी लेते हैं तो अगर और चीजें नहीं करें तो उसके दूसरे दिन कब्ज हो जाता है। एलोपैथी की क्या स्थिति है, वह हम सब जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि आयुर्वेद को थर्ड सीट पर डाल दिया है।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं किया, सारी औषधि और सारा ज्ञान संस्कृत में है और कालांतर में आये ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा कि नहीं, विज्ञान है, इसमें तो साइंस के विद्यार्थी आयेंगे, संस्कृत के नहीं। पहले संस्कृत के ही आते थे। इस कारण से इन 15 साल में वैद्यों की रुचि जो इंजेक्शन की तरफ बढ़ी है, उसका कारण ही यही है। उन्होंने संस्कृत पढ़ी ही नहीं। उनको तो दवाई की शीशी पर ढूंढना पड़ता है, वर्तमान वैद्यों को जो इन 15 सालों में बने हैं। वर्ना तो संस्कृत के श्लोकों में हैं न। सब चीजें श्लोकों में

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

हैं। एक से बढ़कर एक श्लोक हैं। सारा विश्व मान रहा है अब तो, उधर बढ़ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, संस्कृत की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, जब अमेरिका के लोगों ने एंटी बायोटिक के रूप में हल्दी और नीम का पेटेंट कराया, अगर किसी ने बचाव किया हमारा इंडिया की पद्धति का या उन दोनों चीजों का, वह सारे विश्व का हो रहा था पेटेंट, 28 संस्कृत में जो किताबें थीं, उन्होंने यह प्रकट किया कि आप तो पैदा ही नहीं हुए थे, अमेरिका पैदा ही नहीं हुआ था उसके पहले से आयुर्वेद की दवाइयों की किताबें मौजूद हैं। ऐसा हुआ तो वह टर्न डाउन हो गया। पेटेंट नहीं हुआ। बच गया, हमारा नीम भी बच गया और हमारी हल्दी भी बच गयी।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पाठ्यक्रम में माननीय मंत्रीजी कोशिश करें कि भले 3 पीरियड का छोटा सब्जैक्ट ले लें, लेकिन संस्कृत जरूर पढ़ाई जाये।

(19.00 बजे)

आयुर्वेद में आजकल जापान में ज्यादा अनुसंधान क्यों हो रहे हैं, भारत में क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि वह तो संस्कृत सीखकर करते हैं, संस्कृत वहां पर है नहीं पहले से, काफी लोग गर्व से पढ़ते हैं, हमने उसकी अवहेलना की है इस कारण से यह दुर्दशा है कि आज रोग बढ़ते जा रहे हैं, निदान हो नहीं रहा। ऐलोपैथी वाला जब जुकाम की दवाई देता है, गांव का आदमी पूछ लेता है कि खाने का परहेज तो कहते हैं कि सब खाओ। शीत पित्त हुआ है शरीर में, कैप्सूल दे रहे हैं और कह रहे हैं खाओ, दही खाओ, छाछ खाओ, ज्यादा कैप्सूल खाने पड़ेंगे। वह तो उससे मिला-जुला मामला है दवाइयों के षड्यंत्र में। इस कारण से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं न कहीं इस स्थिति में पाठ्यक्रम में दो शब्द हैं, हमारी इण्डियन कल्चर की थाती है और उन दोनों शब्दों की जब अवहेलना हुई है तो सब प्रकार के अत्याचार, सब प्रकार की दुर्व्यवस्थाएं हुई हैं, उनका नाम है सदाचार और सत्संग। ठीक है टाइम नहीं, नौजवान के पढ़ने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, ये सदाचार सीखेंगे तो रोग भी कम होंगे। कई ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सोने के बाद में पानी, सूर्योदय के बाद में, सोने के पहले दूध और उठने के बाद छाछ तो फिर वैद्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा श्लोक है।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

यह तो हमारे उपलब्ध हैं सब चीजें, दवाइयां सब उपलब्ध हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरे एक बार लकड़ी फाड़ते वक्त जांघ में कुल्हाड़ी लग गई थी तो जो डाक्टर था तो वह मेरा स्वभाव जानता था कि यह आरएसएस का आदमी है। उन्होंने कहा कि टांके तो लगा देते हैं आप तो घर पधारो, दूध और हल्दी पीओ। जब वापस गया तो जिस डाक्टर ने टांके लगाए थे चार दिन बाद उसने कहा कि इतने जल्दी कैसे पक गए टांके? मैंने कहा कि मैंने हल्दी पी है, मैंने आपके कैप्सूल नहीं खाए हैं। ऐसी हमारी पद्धति है जिसको हमें विकसित करना ही चाहिए।

यह संशोधन लाने के उद्देश्य प्रकट किए गए हैं। विश्वविद्यालय सरकार का, वित्त पोषण सरकार का...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलो, शिक्षाविद् हो आप, उस पर आओ।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): जब आप वित्त उपलब्ध करवाते हैं, कानून उपलब्ध करवाते हैं, एक्ट पास करते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्य, आपने खुद ने हल्दी पी थी क्या? आपके कहीं चोट लगी, आपके भी लगी, आपने कभी दूध में पीकर अपना इलाज किया था क्या? इन्होंने किया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मेरे वाली जो चोट है न, उसका इलाज बहुत मुश्किल है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, मैं विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का हिमायती तो हूं क्योंकि विश्वविद्यालय शिक्षा से ही मैं जुड़ा रहा लेकिन ऐसी स्वायत्तता नहीं चाहिए कि पैसे तो आप दे दो, मनमानी हम कर लें। कुछ भी कर लें सरकार के स्पष्ट निर्देश का, कोई भी वैलफेयर स्टेट हो, वैलफेयर स्टेट की कोई भी चीज, हरेक निकाय को मानना है, नहीं मानते कई कुलपति, मनमानी करते हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर को मैंने कहा कि इस जिले का विद्यार्थी जिसने फीस जमा करवा दी परीक्षा की, उसका दूसरे जिले में क्यों सेंटर भेज रहे हैं एक दिन पहले? फिर मैंने उनको यह कहा कि एक गिरोह है, जो कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब दे दिया जो दे दिया। यह हालत है इसलिए मैं उतनी स्वायत्तता, खुद के साधन डवलप कर लें, स्वायत्तता पूरी दो

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

उनको। लेकिन पैसा हम दें, नियम हम दें और अवहेलना वे करें। इतना ही नहीं, इस एक्ट में स्वायत्तता पर नियंत्रण किया गया है लेकिन शिक्षा मंत्री के लिए नहीं है वह, न चिकित्सा मंत्री के लिए है। कुलाधिपति शिक्षा का सर्वोच्च संरक्षक होता है, उसमें शक्तियां अगर कोई कम हुई हैं तो उसमें निहित की गई हैं इसलिए स्वायत्तता वे क्यों कम करेंगे? महामहिम राज्यपाल महोदय क्यों करेंगे इनकी शक्तियां कम? लेकिन उसके साथ-साथ उनकी आयु भी 70 वर्ष की गई है, यह उनके लिए नहीं है। योग्यता की बात भी आनी चाहिए। पहले इस एक्ट में वाइस चांसलर कितनी छुट्टी लेगा, यह भी प्रावधान नहीं था, इसमें किया है, पहली बार किया है।

एक अंतिम बात जोड़ी गई है, अंकेक्षण तो होना ही होना चाहिए। इस सदन के माध्यम से राज्यपालजी को हम शक्तियां देते हैं पैसे खर्च करने की, तो यह पैसा किसका है? सबका है इसलिए सबको ही यह जानने का अधिकार है कि पैसा कहां गया? उसका एक ही रास्ता सबसे सीधा है अंकेक्षण। केवल अकाउण्ट्स ही नहीं परफोर्मेंस आडिट भी होनी चाहिए। आयुर्वेद के ऊपर मैं राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि, माननीय मंत्रीजी, विश्वविद्यालयों में जो चयन है पिछले पांच वर्षो में जितनी बदनामी उच्च शिक्षा की हुई, उतनी किसी की नहीं हुई। युवाओं पर इतने अत्याचार किए गए राजस्थान यूनिवर्सिटी में, मैरिट बनाई गई पहले तो, जिस उम्मीदवार के साढ़े बाइस नम्बर थे उसको पचास में से छह नम्बर दिए गए, एक में चार और दूसरे में दो, ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्य, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 पर बहस हो रही है। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): उसमें मैं उदाहरण दे रहा हूं। वहां भी हो जाती।

इसमें एक चेंज और किया गया है जो सार्थक है। पहले सारे आयुर्वेद के लगाए गए थे आयुर्वेदाचार्य, चारों जो चयन समिति, कुलपति की जो चयन समिति थी उसमें आयुर्वेद के ही व्यक्ति लिए गए थे, यह परफैक्ट नहीं है। मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, केवल पढ़ाना ही नहीं पड़ता, मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, इस कारण से सभी प्रकार के इसमें जोड़ने का प्रावधान किया गया है, यह अच्छा प्रावधान है।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

कुलपतियों को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? उनको तो ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली दफा जब मैं एग्रीकल्चर पर बोला था तो कहा था कि जोधपुर यूनिवर्सिटी जो आयुर्वेद की है, कहीं औषधि का काम करते हैं वे? लेकिन वाइस चांसलर भी हम से ही लेगा, इसलिए पिछले पांच साल से और 2012-13 में तो हद हो गई 'जीरो' । आयुर्वेदिक पौधे बोने के लिए पैसा केन्द्र ने दिया, राजस्थान सरकार ने 'जीरो' खर्च किया, रिकार्ड पर है, 'जीरो' खर्च। जबकि उसमें किसान भी जुड़ा हुआ है, गांव का गरीब आदमी भी जुड़ा हुआ है, देशी दवाई जुड़ी हुई है, हमारा देशी कल्चर जुड़ा हुआ है, जीरो खर्च किया दवाइयों के ऊपर। हण्डरेड परसेंट था उसमें, सब्सिडी हण्डरेड परसेंट थी। अब वह राज्य उधार ले-लेकर खाए, ब्याज चुकाए तो मर्जी है लेकिन जो केन्द्र का पैसा है, केन्द्र के पैसे को लिक्विड मानता हूं मैं और जो लिक्विड पैसा है उसको सोखने वाला स्याही सोख चाहिए। केवल योजना लाएंगे, जीत जाएंगे, इसके आधार पर चलने वाली पद्धतियों से ठीक नहीं होता काम। (व्यवधान)

मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैंने बीस मिनट के लिए कहा था, बीस मिनट नहीं हुए हैं अभी। सुझाव रूप में मैं चिकित्सा मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि जब बाबा रामदेव के आश्रम पर दवाई बोई जा सकती है और दवाई बो कर सारे देश में बेची जा सकती है तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय दवाई नहीं बना सकता? आसपास भी खेती और होगी, और प्रोडक्ट बहुत हैं। इसी जिले में कीरतपुरा गांव हैं, अभी बैठे हैं मंत्रीजी, एक व्यक्ति है जिसका नाम कैलाश है, बीस प्रोडक्ट आंवले के, लोग तो फेंकने लग गए, बीस प्रोडक्ट बनाता है, एक्सपोर्ट करता है। इसलिए आयुर्वेदिक दवाई जब बाबा रामदेव दे सकता है तो हम भी करें। प्रमाणिकता तय करें उसमें, लेबोरेटरी पहले की बनी हुई है। उनके बस की बात नहीं है आयुर्वेद की दवाई का, विश्वविद्यालय में ही विभाग बनाया जाए और औषधि निर्माण का विषय लिया जाए। दवाइयां तो फ्री दे रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट के स्टोर पर आए, सरकारी स्टोर पर जाए, इसमें कहां दिक्कत है? इसलिए मैंने दो-तीन निवेदन किए हैं, मंत्रीजी सुन रहे हैं? एक तो संस्कृत को भले ही आधा चैप्टर के रूप में जोड़ा जाए पर संस्कृत को भी जोड़ा जाए, बोलना सीखे वह। और जो निष्क्रियता आई है, अब वह एक छतरी के नीचे आ गए, सारे एक छतरी के नीचे आ गए तो जो डाक्टर लिखा दिखता है उसके तो कहीं न कहीं वैद्य लिखाओ, नहीं तो जाएगा नहीं मरीज। उनको एक कर दिया।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

भवन भी बेकार पड़े हैं। मैं नहीं कहता कि नजदीक नहीं होना चाहिए लेकिन सेंट्रलाइजेशन दु:खदायी होता है। वह क्या करने लग गए, एक वैद्य, एक डाक्टर, एक दिन वह आता है और एक दिन वह आता है। इस प्रकार के दुराचरण भी हो रहे हैं इसलिए मैंने जो जनमत जानने का निवेदन किया था, उसको विड्रा करने की अनुमति चाहता हूं, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 । इसमें जो संशोधन है उसके विषय में मैं बाद में बोलूंगा, पहले इस विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा-बहुत निवेदन करूंगा। यह देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें पांचों भारतीय चिकित्सा पद्धति की शिक्षा दी जा रही है। इसमें आयुर्वेद की शिक्षा दी जा रही है, यूनानी की है। (व्यवधान) भारतीय नहीं है? उस समय तो यूनान तक अपन फैले हुए थे, अफगान तक। आप कहां भूल रहे हैं? आप शायद वर्तमान पर आ गये। अखण्ड भारत की कल्पना करो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, एक राठौड़ का यह हाल है तो दूसरे राठौड़ का क्या होगा? कहां तक ले जाएंगे पता नहीं वो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, होम्योपैथी शिक्षा, योग की शिक्षा-यह तो आपको अच्छा लगेगा, योग की शिक्षा और प्राकृतिक चिकित्सा, उसकी भी शिक्षा यहां पर दी जाती है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): योग पर इनको....(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अच्छा लग रहा है इनको। आपको भोग अच्छा लगता होगा, इनको योग अच्छा लगता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने कहा, होम्योपैथी की शिक्षा यहां दी जाती है, कहां दी जाती है, वह तो बताओ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं आप पर भी आऊंगा अभी। ये जो लक्ष्मणगढ़ के माननीय सदस्य जोर-जोर से बोलते हैं, मैं सोचता हूं, वास्तव में बिलकुल सही बात बता रहा हूं कि बचपन में इनका गला खुलवाने के लिए बेलन इनके गले में डाला होगा। यह शायद आपकी माताजी को पता होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप मोदी जी वाले अगर

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

नहीं होते तो ये पार्टी वाले आपको निष्कासित कर देते, इस तरह की बातें करते हो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, एक बात मैं कहना चाहूंगा। ''जो नाचीज थी वो चीज बन गई। बेशऊर को शऊर आ गया, सलाम तेरी सीढ़ियों को हे सदन। यहां आते ही दूध का नहाया हो गया।''

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राठौड़ साहब, आपके लिए है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपके लिए है, लक्ष्मणगढ़ के माननीय सदस्य के लिए है। सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस विश्वविद्यालय में 9 आयुर्वेद महाविद्यालयों को सम्बद्धता दी है। इसमें एक संघटक महाविद्यालय भी है, स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम भी इसमें सम्मिलित है। सम्बद्धता प्राप्त 4 होम्योपैथिक महाविद्यालय हैं। स्नातक स्तरीय दो यूनानी महाविद्यालय हैं जिनमें 90 के करीब सीटें हैं। 3 योग शिक्षा के महाविद्यालय हैं। नर्स, कम्पाउंडर प्रशिक्षण केन्द्र भी हैं। विश्वविद्यालय से सम्बन्धित 28 प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं। नर्स, कम्पाउंडर प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण की अवधि तीन वर्ष की है जिसमें छह माह का इन्टर्नशिप भी है।

सभापति महोदय, यह विश्वविद्यालय वास्तव में इस देश का इन पांचों भारतीय शिक्षा पद्धतियों का, चिकित्सा पद्धतियों का पहला विश्वविद्यालय है, यह बात बिलकुल सही है जिसमें पीएचडी-आयुर्वेद, एमडी-आयुर्वेद, एमडी-होम्योपैथी, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएनवाईएस, बीएएनपी और पंचकर्म प्रमाण-पत्र भी त्रिवर्षीय, यह भी यहां से जारी किया जाता है। क्षारकर्म का भी प्रमाण-पत्र त्रैमासिक यहां से जारी कर सकते हैं। एक वर्षीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम भी यहां पर प्रारम्भ कर दिया है। एक वर्षीय पंचकर्म तकनीकी सहायक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र यहां पर चालू है। जरा-रोग का भी है और रसायन चिकित्सा का भी है। इसके भी त्रैमासिक सर्टिफिकेट यहां से जारी किये जाते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अभी पाली में भी एक चर्चा हुई थी। मेरे एक मित्र थे, उनकी किडनी फेल हो गई। जब उनका ट्रांसप्लांट हो रहा था मैं डाक्टर से मिलने के लिए गया तो डाक्टर ने बताया कि ये ठीक हैं। मैंने पूछा कि दोनों किडनियां क्यों फेल हो गईं, इसका कारण आप बताएं। उन्होंने बताया कि एंटीबायोटिक कोई ऐसी दे दी जिसके कारण से

(श्री मदन राठौड़)

इनकी दोनों किडनी फेल हो गई। दूसरी बार ट्रांसप्लांट कराया, दूसरी बार भी फेल हो गई। अब वे तीसरी बार ट्रांसप्लाट कराने के लिए श्रीलंका गये हैं और वहां से वे ट्रांसप्लांट कराकर आएंगे। यह एंटीबायोटिक इतना साइड इफैक्ट करता है, लेकिन, आयुर्वेद चिकित्सा, मंत्री महोदय, नाराज नहीं हों आप, मैं एलोपैथी विरोधी नहीं हूं, उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा का कोई साइड इफैक्ट नहीं है, यह बहुत अच्छी बात है। मैं आपको यह भी बताऊं, आपने देखा होगा, कई लोगों को स्लिप डिस्क हो जाती है। अब स्लिप डिस्क का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। केवल और केवल पलंग पर लिटाकर उसके पैरों को बांधकर लटकाना...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन की बात है? आप किसको लटका रहे हो, माननीय सदस्य?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपको भी लटकाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। सभापति महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा था कि कई बार जैसे मोच आ जाती है, मोच का इलाज एलोपैथी में नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ये राठौड़ लटकाता है ना, तो कइयों से नहीं खुलते हैं फिर। कई दिन तक लटके रहते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये राठौड़ साहब वाले राठौड़ नहीं हैं, ये मोदीजी वाले राठौड़ हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हम तो बहुत सरल हैं, सीधे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ये राउडी राठौड़ हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हम तो दया के पात्र हैं, कुछ भी समझ लो। सभापति महोदय, मैं आपको एक बात बताऊं। डोटासरा जी से तो शायद 10 वर्ष मैं बड़ा होऊंगा, लेकिन अभी तक मैंने बाल काले नहीं किये हैं, ये सब योग का प्रभाव है, आयुर्वेद चिकित्सा का प्रभाव है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बाबा रामदेव के चेले हो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप बनोगे अब। आप भी बन जाओगे, चिन्ता मत करो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): उम्र बताने का उद्देश्य क्या है?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं अमैण्डमेंट पर आऊंगा। सभापति महोदय, इसमें जो संशोधन किया गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपने कहा कि बाल काले नहीं किये हैं, लेकिन आयुर्वेद में बाल उड़ाने की तो कोई दवा है नहीं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): एलोपैथी में है। नकली विग लगाकर दिखा सकते हो आप, इसके अलावा तो कोई विकल्प नहीं है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): एलोपैथी का इस्तेमाल करते हो उसका सबूत तो बाल उड़ रहे हैं और आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं इसलिए बाल काले हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, जो वाइस चांसलर है इसके लिए पहले 2008 तक एक प्रावधान था कि इनको कोई हटा नहीं सकता। एक बार ये नियुक्त हो जाते तो फिर तब तक रहते जब तक ये रह सकते थे। इसमें उस समय था- "Vice-Chancellor once appointed can not be removed from his office even if he commits some grave irregularities." कई बड़ी-बड़ी इररैगुलरिटीज होती थीं तब भी इनको हटाया नहीं जा सकता था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, तब कालीचरणजी सराफ मंत्री थे, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा 2008 में, मैं सोचता हूं जुलाई में लाये होंगे, जो मानसून सत्र था उसमें आप यह संशोधन लेकर आये। उसमें ये लाये, "The Vice-Chancellor may be removed from his office by the Chancellor on the advice of the State Govt." राजस्थान की सरकार की सलाह पर कुलाधिपति कुलपति को हटा सकेंगे यदि कोई अनियमितता पायी जाय।

अभी कुछ दिन पहले की बात मैं आपको बताऊं। कई ऐसे प्रश्न भी अपने यहां आये, जैसे जयनारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर का एक सवाल आया था जिसमें इररैगुलरिटीज बहुत आयी थीं। लेकिन हैल्पलैस बनकर रहना तो ठीक बात नहीं है, बर्दाश्त कर लेना यह ठीक बात नहीं है। ये संशोधन लेकर आये, उस समय भी हमारी सरकार ही लेकर आयी थी और मैं मंत्रीजी को भी धन्यवाद दूंगा, इस सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि इस प्रकार का वे संशोधन लेकर आये।

अभी जो संशोधन लेकर आये हैं, मैं इसके बारे में भी कुछ निवेदन करूंगा। इसमें धारा 9 का 4(5) हटाया गया है। इसमें 10 को भी हटाया गया

(श्री मदन राठौड़)

और 20 के (घ) को हटाया, 24 को हटाया, उसमें परिवर्तन किया और 29 के (घ) को और 44 को पूरा हटाया। अब इसका कारण है। अब इसमें जो हटाया बहुत अच्छा किया क्योंकि किसी भी प्रकार की आवश्यकता यदि लगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन किया जाना चाहिए। उसमें जो मेरे ध्यान में बातें आईं वो मैं आपके माध्यम से निवेदन कर मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि आपने जो धारा 10 की (3) में 'कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, किये जाने वाले निरीक्षण या जांच करवाने के अपने आशय के बारे में विश्वविद्यालय को सूचना देगा।' अब यह कितने दिन पूर्व सूचना देगा, जरा इसका यदि इसमें हो जाता तो ठीक रहता। इसलिए आप इस पर थोड़ा-सा विचार कर लें।

आगे आपने (4) में दिया है कि 'कुलाधिपति, विश्वविद्यालय को ऐसी जांच या निरीक्षण के परिणाम के सम्बन्ध में अपने विचारों से संसूचित करेगा और, उन पर विश्वविद्यालय की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात् की जाने वाली कार्यवाही के बारे में विश्वविद्यालय को सलाह दे सकेगा।' अब यह सलाह शब्द ठीक है या आदेश, निर्देश, इसको भी आप देख लें। आगे है, 'और ऐसी कार्यवाही करने के लिए समय सीमा नियत कर सकेगा।' कितनी समय सीमा? यह भी इसमें यदि क्लियर कर देते तो ज्यादा ठीक रहता क्योंकि समय सीमा निश्चित नहीं है। जैसे पहले सूचना देगा तो कितने समय पहले देगा? अब यह समय सीमा का निर्धारण यदि करना है तो कितनी समय सीमा, यह कर सकें तो इस पर भी आप थोड़ा विचार करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज भिण्डाजी वाला काम आप क्यों कर रहे हो, हाथ जोड़ लें हम आपके।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपने कहा न कि आप विधेयक पर आओ तो आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी न। आयुर्वेद आपको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कोई बात नहीं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति महोदय, ये सभी लोग आयुर्वेद पर बोल रहे हैं और बड़ा अच्छा बोल रहे हैं पर आयुर्वेद के जो वैद्य हैं उनमें कितने वैद्य के थैले में आयुर्वेद जड़ी-बूटियों की शीशी मिलेगी? सारे एलोपैथिक गोलियों को कूटकर रखते हैं और सुई रखते हैं। तो कहां वैद्य हैं और क्यों समय खराब कर रहे हैं?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप समय का उपयोग कर लीजिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आज से 20 वर्ष पहले वैद्य खतम हो गये थे, सारा सिस्टम बन्द हो गया। एलोपैथिक गोली ली और चलते बनो, खाओ-पिओ। कुछ नहीं है। कहां हैं आयुर्वेदिक, सारा एलोपैथिक है।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, कई लोगों की आस्था है अभी भी आयुर्वेद में। कई लोगों का विश्वास है आयुर्वेद पद्धति में।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप विराजो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ये सब अख़बार में नाम लिखाना चाहते हैं और अख़बार वाले सब चले गये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपको मैं लेकर जाऊंगा, आपका भी इलाज करवाऊंगा। बार-बार आप सदन छोड़कर भाग जाते हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैंने तो कइयों का इलाज कर दिया। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं आपको एक बात बताऊं, सभापति महोदय, कि इनमें ये विकृति क्यों आई। यदि वास्तव में आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते तो यह विकृति भी नहीं आती और आप सदन में बैठते, पूरी बात सुनते। आप किसी भी विधेयक में पूरे समय बैठे नहीं हैं। कल भी हमने तीन विधेयक पारित किए और आपका कोई योगदान उनमें नहीं था। और यह जो आपको तुरन्त क्षणिक तरंग आती है न, यह क्यों आती है....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप संशोधन पर बोलें। आप उनसे क्यों उलझते हैं?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं वही बात आपसे बता रहा हूं। सभापति महोदय, मैं सही कह रहा हूं कि इनके तरंग क्यों आती है। तुरन्त ऐसा क्यों आता है उसका कारण है कि ये ज्यादा एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते तो मैं सोचता हूं कि इनकी यह दशा नहीं होती।

खैर, मैंने अभी जो शब्द प्रयोग किया कि सलाह की जगह निर्देश होता क्योंकि बाद में आपने (6) में दिया है कि 'यदि कुलाधिपति की राय में, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही समाधानप्रद नहीं है तो कुलाधिपति, विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसा निर्देश जारी कर सकेगा जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेश का पालन करेगा।' यह मेंडेटरी है। जब

(श्री मदन राठौड़)

'करेगा' शब्द है तो फिर पहले ही, इस पर आप थोड़ा-सा विचार कर लें जो मेरे ध्यान में आया वह मैं आपको बता रहा हूं।

सभापित महोदय, इसी प्रकार से इसमें वाइस चांसलर के लिये दिया गया है कि 'पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी' यह जो शब्द है इस पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए कि पूर्णकालिक तो कैसे हुआ। जब अपन इसमें आगे दे रहे हैं कि या तो 'तीन वर्ष के लिए या फिर 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो,' वो वहां से मुक्त हो जाएगा। तो एक तो मैं यह सुझाव देना चाहूंगा। इसमें आगे यह भी दिया है कि 'परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।' पात्र हो सकता है, एलिजिबल हो सकता है, नियुक्ति होना जरूरी नहीं है लेकिन वो दुबारा भी जब 70 वर्ष का हो जाए, हां, ठीक बात है कि तीन वर्ष यानी यदि किसी 25-30 वर्ष वाले को कर दो तो वह दुबारा पात्र होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, सारे सदस्य जाने लग गये, अब तो आप मेहरबानी कर दो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जैसे लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, ऐसा ही एक शब्द इसमें आया है 'कामचलाऊ', सभापति महोदय, थोड़ा-सा विचार करें कि कामचलाऊ शब्द सम्मानजनक शब्द नहीं लगता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप संशोधन पर भी साथ ही बोल लें, एक साथ ही बोल लें और एक साथ ही उत्तर हो जाएगा अगर, सभापति महोदय, आप अनुमति दे दें तो। इनके दो अलग-अलग धाराओं में संशोधन हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कामचलाऊ की जगह वैकल्पिक कर सकते थे। यह सम्भव हो तो आप थोड़ा-सा देख लें क्योंकि यह मुझे एप्रोप्रियेट नहीं लगा इसलिए मैंने इसमें संशोधन दिया था। इसमें आप छुट्टियां बहुत दे रहे हैं। इसमें आप कुलपति को हर ग्यारह दिवस में एक दिन की छुट्टी पूर्ण वेतन पर दे रहे हैं। फिर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्द्धवेतन पर और यदि चिकित्सा प्रमाण पत्र दे दे तो वो भी पूर्ण वेतन पर... इसलिए इसमें भी आप देख लें। फिर आपने धारा 44 में पूरा संशोधन किया है। यह बहुत अच्छी बात है। इसमें जो 44 की धारा (4) है 'वार्षिक

(श्री मदन राठौड़)

लेखाओं की संपरीक्षा विहित रीति से ऐसे संपरीक्षकों द्वारा की जायेगी जिनका राज्य सरकार निदेश दे और ऐसी संपरीक्षा का व्यय विश्वविद्यालय निधि पर प्रभार होगा।' फिर इसमें आपने 44-क और 44-ख – 'जिसमें राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा भी सम्मिलित है,' यह बहुत अच्छी बात है और यह आपने ठीक किया। इसी प्रकार से 44-ख का (2) जिसमें– 'यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गयी है तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि विश्वविद्यालय का वित्त राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा।' यह बहुत अच्छी बात है और आगे है कि 'विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे।' यह जो संशोधन आपने किया है बहुत अच्छी बात है। प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में वो अनदेखा कर दे, यह ठीक बात नहीं है। इसलिए मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो ये संशोधन किये हैं बहुत अच्छे संशोधन किये हैं। सभापति महोदय, जो मैंने जनमत जानने के लिए प्रस्ताव किया है उसको वापस लेने की अनुमति चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, डा. सर्वपल्ली राधकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 पर मैंने जनमत जानने के लिए परिचालित करने का निवेदन किया था। सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में आयुर्वेद इलाज के मामले में सबसे पुरानी पद्धति है और वेद-पुराणों में भी इसका जिक्र है। लेकिन आज आयुर्वेद पद्धति दम तोड़ रही है। आयुर्वेद के अस्पताल गांवों में खोल रखे हैं पर वहां डाक्टर नहीं हैं, कम्पाउण्डर नहीं हैं। आयुर्वेद, जो अन्य चिकित्सा पद्धतियां हैं यूनानी, होम्योपैथिक, इनके इलाज से भी लोगों का राजस्थान और पूरे देश में भरोसा उठता जा रहा है। सभापति महोदय, सरकार ने विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता खत्म करने का काम काफी समय पहले से ही शुरू कर दिया है। इस संशोधन विधेयक के जरिये भी जो मूल रूप से इस विधेयक में कहा गया है कि वित्तीय अधिकार, सभापति महोदय, इसके उद्देश्यों और कारणों में बताया गया है कि 'कुछ ऐसे दृष्टांत रहे हैं जब राज्य सरकार की नीतियों और निदेशों को, जबकि वे प्रशासनिक या वित्तीय मामलों तक सीमित हों, तब भी अनदेखा कर दिया

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जाता है।' आगे है कि 'विश्वविद्यालयों से राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय अनुशासन या प्रशासनिक नीतियों का अनुसरण कराया जा सके। इसके अतिरिक्त, कुलपतियों की नियुक्ति की पद्धति और सेवानिवृत्ति की आयु में अन्तर है।' इस विधेयक में कुछ संशोधन राज्य सरकार लेकर आई है। सभापति महोदय, सबसे पहले तो विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में जो सरकारी दखलंदाजी है इसको सरकार को बन्द करना चाहिए। मैं चूंकि विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूं और कालेज, विश्वविद्यालय की राजनीति से विधान सभा में आया हूं। पिछली बार तो विश्वविद्यालयों के 8 पूर्व अध्यक्ष राजस्थान की विधान सभा में थे और आज भी 3 या 4 मंत्री इस राजस्थान सरकार में होंगे जो विश्वविद्यालय की राजनीति करके विधान सभा तक पहुंचे हैं तो मेरा सरकार से एक ही आग्रह रहेगा कि किसी भी पद्धति को जिंदा रखने के लिए और आयुर्वेद तब जिंदा रहेगा, जब आयुर्वेद के जो वैद्य हैं, वे आयुर्वेद पद्धति का गांवों में जाकर प्रचार करेंगे।

आज जैसा हमारे सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि आयुर्वेद का इलाज कराने के लिए लोग जाते हैं। अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य हैं नहीं, वह भी बता देते। आयुर्वेद की बात करते हैं लेकिन आज राजस्थान के अस्पतालों में आयुर्वेदिक दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। मेरे गांव के अन्दर आयुर्वेद का चिकित्सालय है वहां तो एमएलए लैड से या इधर-उधर से पैसा देकर कुछ काम हम लोगों ने कराया लेकिन आज भी राजस्थान के 30 प्रतिशत अस्पताल ऐसे होंगे, जहां फर्नीचर की व्यवस्था भी नहीं है। वैद्यजी खुद ही दरी ले जाते हैं थैले के अन्दर, दरी बिछाकर बैठ जाते हैं और जो ऐलोपैथी की दवाइयां मुफ्त दवा के नाम से आती हैं, उनका आधा-आधा सिस्टम होता है तो वे मुफ्त दवाई बांटते हैं और आयुर्वेद चल रहा है। यह आयुर्वेद है और यह इस तरह से राजस्थान के अन्दर दम तोड़ रहा है।

सभापति महोदय, पूर्व वक्ताओं ने बताया कि यह डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के अन्दर खुला है। यह बहुत बड़ी सोच और बहुत बड़ी पहल थी। देश का पहला विश्वविद्यालय भी है जो 2003 के अन्दर खुला और आज 10-11 साल इस विश्वविद्यालय को हो गये, इस विश्वविद्यालय में कई बच्चे पढ़कर आगे बढ़े लेकिन सरकारी नौकरियां कहां मिल रही हैं?

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सभापति महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी यह बात कही। सरकार चुनाव के अन्दर गई थी। घोषणा पत्र में बात रखी। हम नौकरियां देंगे। सवा साल के अन्दर राजस्थान में एक नौकरी नहीं लगी। कितने एनआरएचएम के और आयुष चिकित्सकों के धरने-प्रदर्शन उद्योग मैदान के अन्दर चले? आपके जो पद खाली हैं, तब आप पद्धति को कैसे सक्षम बनाओगे? सबसे पहले मैं चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि आयुर्वेद चिकित्सकों के जो खाली पद राजस्थान के अन्दर हैं, लगभग 2,500-3,000 पद रिक्त हैं। मुफ्त दवा का जो सिस्टम है आपका, उसको आप सुधारें। आयुर्वेद चिकित्सकों के पद भरें और जो नर्स-कम्पाउण्डर्स के लगभग 17-18 हजार पद राजस्थान के अन्दर रिक्त हैं, कुछ पदों को आप लेने की बात भी करोगे, इस वित्तीय वर्ष में हम एडजेस्ट करेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आप वास्तव में आयुर्वेद के बारे में चिंतित हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हमेशा आयुर्वेद और गाय की बात करते थे तो निश्चित रूप से आपको आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले दो काम प्रमुखता से करने चाहिये। एक तो कई जगह ऐसे अस्पताल चल रहे हैं वहां पर भवन ही नहीं हैं। बिना भवन के आपके अस्पताल चल रहे हैं। एक टीन लगा रखा है और टीन के नीचे वैद्यजी बैठ जाते हैं दरी बिछाकर। क्यों श्रवणजी, गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो वहां वैद्यजी थैले में ही अपनी दरी ले जाते हैं, ऐलोपैथी की दवाई दे देते हैं और उनका आयुर्वेदिक इलाज हो रहा है, आयुर्वेदिक पद्धति बढ़ रही है। इससे तो जो आपकी आयुर्वेदिक पद्धति है और आयुर्वेदिक सिस्टम है, यह धीरे-धीरे खतम हो जायेगा। खाली संशोधन विधेयक लेकर इनको पास कराना है, आपके पास बहुमत है, पास तो आप करा लोगे लेकिन इससे बहुत बड़ा तीर आप राजस्थान में नहीं मार लोगे।

आपको सबसे पहले यह जो आप विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के अन्दर दखलन्दाजी कर रहे हो, इसको रोकना होगा। आज सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जो देश के जाने-माने विश्वविद्यालयों में शुमार है, मैं थोड़ा-सा राजस्थान विश्वविद्यालय के बारे में बोल दूं। मैं वहां का अध्यक्ष रहा हूं। मंत्रीजी भी बैठे हैं, वे भी अध्यक्ष रहे हैं। शिक्षा मंत्रीजी भी अध्यक्ष थे। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में आपको स्थाई कुलपति नहीं मिल रहा है। लम्बे टाइम से आप एक आरएएस अधिकारी से वहां पर काम निकलवा रहे हो। आज विश्वविद्यालयों के अन्दर क्या हो रहा है? पहले हम पढ़ते थे तो राजस्थान

(श्री हनुमान बेनीवाल)

विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा नाम था इस देश के अन्दर कि राजस्थान विश्वविद्यालय से कोई एमबीए किया हुआ लड़का या राजस्थान विश्वविद्यालय से पढ़े हुए लड़के को हर जगह नौकरी इस देश के अन्दर मिल जाती थी और बहुत बड़े सम्मान की दृष्टि से उसको देखा जाता था। लेकिन आज राजस्थान विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है। आज रैगिंग सबसे ज्यादा, पेपर लीक...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप किस पर बोल रहे हैं?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यह तो मैं विश्वविद्यालय पर ही तो बोल रहा हूं।

श्री सभापति: नहीं नहीं, संशोधन पर बोलें ना आप तो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नहीं, मेरे से पहले कौन से संशोधन पर बोले हैं सारे लोग। आप मेरे को ही टोक रहे हो।

श्री सभापति: आप उसी पर अपना ध्यान केन्द्रित करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): टोको मत, साहब, बोलने दो आप। 9 तारीख के बाद थोड़े ही बोलेंगे। एक मिनट कोई बात तो करने दो, साहब। यह कोई हमारे लिए ही कर दिया क्या कि ये ऐसे बोलेंगे, बाकी ऐसे बोलेंगे? बात तो हमारी रखने दो।

सभापति महोदय, आज विश्वविद्यालय सिर्फ पेपर लीक, रैगिंग, फर्जी नियुक्तियां, पुनर्मूल्यांकन के अन्दर चाहे जितने नम्बर बढ़ा लो, चाहे जैसे कर लो और इस राजस्थान विश्वविद्यालय में तो क्या नहीं हुआ। आरपीएमटी का घोटाला इतना बड़ा हुआ। पूरे देश के अन्दर उसकी गूंज रही लेकिन आज तक वाइस-चांसलर नहीं हटाया, जो मेडिकल विश्वविद्यालय का कुलपति था। इतना पावरफुल व्यक्ति है। यहां सदन के अन्दर भी मामला उठा है। मंत्रीजी ने कहा था कि हम कार्यवाही करेंगे लेकिन कहां कार्यवाही हुई, बताओ आप। रजिस्ट्रार को भी आपने वहां से हटाकर कोई दूसरी अच्छी जगह पर लगा दिया। तो सारा सिस्टम है। पूरा देश, पूरा प्रदेश आपकी ओर देख रहा है कि आपने क्यों नहीं कार्यवाही की।

सभापति महोदय, यह जो आपका विश्वविद्यालय है, आपके आयुर्वेद की क्या स्थिति है राजस्थान के अन्दर? बहुत जर्जर स्थिति के अन्दर आयुर्वेद आ गया है राजस्थान में।

सभापति महोदय, इस संशोधन विधेयक के अन्दर धारा-10 में, धारा

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(9) का 4 और 5 था, उसको आपने हटाया। कुलाधिपति कुलसचिव को निर्देश देते थे और वह फिर किसी मामले की जांच कराते थे। अब आपने धारा-10 के अन्दर यह कर दिया कि आप खुद ही जांच करा सकते हैं। कोई बहुत बड़ा नया इस संशोधन में आप कुछ भी नहीं लेकर आये। इसके बजाय तो आप यह करते, वित्तीय अधिकार विश्वविद्यालय के, सरकार ही अनुदान देती है, सरकार ही पैसा देती है, सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, आप विश्वविद्यालय को और तरीके से मजबूत करते। खाली पद इसके अन्दर भरते। रिसर्च की व्यवस्था आप कराते। स्वाइन फ्लू की कितनी बड़ी बीमारी, आज राजस्थान का पूरे देश के अन्दर नम्बर एक रहा होगा, स्वाइन फ्लू में रिसर्च सेन्टर वहां होता। कितनी बीमारियां यहां आ गईं। कैंसर का रिसर्च अगर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अन्दर होता तो बहुत बड़ा मैसेज जाता। सिर्फ विश्वविद्यालय की स्वायतता के अन्दर राज्य सरकार किस तरह उसको अपने कब्जे में ले ताकि बाद में आराम में फर्जी नियुक्तियां जो जोधपुर विश्वविद्यालय में और राजस्थान विश्वविद्यालय में हुई हैं और कुछ इधर आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कर लेंगे, मेडिकल में भी कर लेंगे। आपकी मंशा एक ही है कि राजस्थान के अन्दर शिक्षा को पूरा अपने कब्जे के अन्दर करना। हम कोई विश्वविद्यालय नियामक आयोग के खिलाफ नहीं हैं और हमने इसी सदन के अन्दर विश्वविद्यालय नियामक आयोग बनाने की बात हमेशा कही है। नियामक आयोग का विधेयक भी आप ले आते लेकिन आपकी पूरी तैयारी नहीं थी। सभापति महोदय, नियामक आयोग को आप लायें लेकिन सिर्फ प्राइवेट विश्वविद्यालय जिनको सैकड़ों बीघा जमीन पूर्ववर्ती सरकार ने और आपने दी और कई माफियाओं को आपने पनपा दिया राजस्थान के अन्दर। जो शिक्षा मंत्रीजी का टेलीफोन नहीं उठाते और मुख्य मंत्री कार्यालय से फोन जाता है, उसमें भी वे लोग लाइन पर नहीं आते। आपके मेडिकल का देख लें, निम्स का क्या हालचाल है। कितनी बड़ी घटनाएं घटित हो रही हैं लेकिन निम्स वाले दिल्ली में सीधी बात करते हैं। राजस्थान के मंत्रियों के हालात देखे थे। पिछली बार आपके मेडिकल के मिनिस्टर थे, उनके पास मैं भी बैठा हुआ था, वे तीन घंटे से निम्स के डाइरेक्टर से बात करना चाहते थे...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप कहां चले गये? कहां चले गये आप? आप संशोधन पर आओ ना।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं पाली चला गया, साहब। पाली, पाली।

सभापति महोदय, यह जो संशोधन विधेयक लेकर आये हैं, इस संशोधन विधेयक को लाने की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं। पहले भी कुलाधिपति कुलपति को निर्देश देता था और कुलपति अपना आदमी नियुक्त करके चाहे जो जांच करा सकता था चाहे अनियमितताओं की जांच हो, भवन निर्माण की जांच हो। अब आप सीधा नियुक्त करके कराओगे और वित्तीय अधिकार, तो राजस्थान सरकार जब चाहे तब इंटरफियर कर सकती है।

आप आरपीएससी का कौनसा संशोधन लेकर आये? आपका मन हो गया। हां, चेयरमैन लेट हटा लेकिन आपने उसका इलाज किया। हम तो हमेशा यही बात कहते थे कि 10 साल से जो भी फर्जीवाड़े आरपीएससी के अन्दर हुए, सबका आप करते, तब पूरे देश के अन्दर मैसेज जाता। अब आपकी पार्टी के नजदीक लोग हैं, वह तो कहीं बैठे हैं, उनको तो आप छोड़ दो और दूसरे कोई दिखे, उनके आप पीछे पड़ जाओ तो यह राजस्थान की जनता पूरा सिस्टम देख रही है, साहब। आपको एक दिशा के अन्दर चलना होगा। एक दिशा में चलोगे तो राजस्थान का भला होगा। आप देख लें, 164 आये थे और स्थितियां क्या हो गईं। आज चुनाव करा लो वापस, कांग्रेस वाली स्थिति आपकी हो जायेगी क्योंकि राजस्थान का जवान, किसान और यह जो विश्वविद्यालय का सड़ा सिस्टम, कालेज, स्कूल, सब जगह मनमर्जी आपने की। जब राजस्थान विश्वविद्यालय के ही ये हालात हैं तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय क्या बचता है। राजस्थान विश्वविद्यालय तो सबसे बड़ा है और यह जयपुर के अन्दर है।

अब की बार जो चुनाव हुए छात्रसंघ के, इसमें भी पूरी तरीके से सरकार ने हस्तक्षेप किया। सभापति महोदय, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि अगर राजस्थान को बचाना है, यहां की शिक्षा को बचाना है और आयुर्वेद को बचाना है तो आप संशोधन विधेयक लाये, वह तो ठीक है लेकिन एक बार मेरी राय यह है कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। सरकार चाहे जब विश्वविद्यालय के अन्दर हस्तक्षेप कर सकती है। सरकार को धारा 4 व 5 हटाने की आवश्यकता नहीं है।

इस राजस्थान विश्वविद्यालय में भी 15 साल पहले बहुत बड़ा घोटाला हुआ और सरकार ने एसीबी को रेड करने के लिए भेजा था। सरकार के पास

(श्री हनुमान बेनीवाल)

एसीबी और सीबीआई जैसी कई संस्थाएं हैं और चाहे तो सदन की कमेटी को कहीं भी भेजकर जांच करा सकती है। आप इस तरह धीरे-धीरे करके इन विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को खतम कर दोगे। पहले विश्वविद्यालय के अन्दर बहुत बड़ा सम्मान होता था। आज विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रिंसिपल को पुलिस पकड़कर ले जाती है। पहले तो पुलिस जाने से पहले 10 बार अनुमति लेती थी...

खैर! जो भी है, सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस संशोधन विधेयक को पारित किए बिना एक बार जनमत जानने के लिए जो भी हम लोगों ने बात की है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य बोलें, इनके मन में यही भाव था। लेकिन अब इनको तो विधेयक का समर्थन करना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है और हम विपक्ष में हैं तो हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हम उन निर्दलीयों में से नहीं हैं जो बीजेपी और कांग्रेस की खिलाफत करके यहां आये और बीजेपी के पक्ष में हाथ खड़ा करते हैं। हम ईमानदारी से निभा रहे हैं कि हम दोनों पार्टियों के खिलाफ वोट मांग करके आये थे और सरकार की खिलाफत पांच साल तक लगातार इस सदन के अन्दर करेंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हरिसिंह रावत (अनुपस्थित)। श्री हीरालाल नागर (अनुपस्थित)। (श्री संदीप शर्मा) (अनुपस्थित)। श्री मानसिंह (अनुपस्थित)। श्री बंशीधर (अनुपस्थित)। श्री सुखराम विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर पर संशोधन विधेयक लाये हैं और कुल सात धाराओं में संशोधन कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जो संशोधन चाहा है उस संशोधन के मार्फत केवल मात्र आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्वायत्तता खतम करना है। पूरा का पूरा वहां का अधिकार सरकार को अपने हाथ में लेना है। पहले धारा-9 में चाहा गया सिर्फ उपधारा 4 व 5 हटाई गई है। मैं पढ़कर सुनाऊं जो धारा 4 और 5 हटाई गई है, अगर नहीं हटती तो ज्यादा बेहतर रहता। यह जो सैक्शन-7 में संशोधन किया गया है, मेरे हिसाब से जिस अधिकारी ने इस अमैण्डमेंट को तैयार किया है या तो उनकी मन:स्थिति साफ नहीं थी, पूरा मतलब

(श्री सुखराम विश्नोई)

परिपक्व नहीं थे। जैसा कि धारा-4 में ''कुलाधिपति ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से जिन्हें ये नाम निर्देशित करें, विश्वविद्यालय, इसके भवनों, केन्द्रों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों आदि का निरीक्षण कर सकेगा।'' निरीक्षण करने का कालम था उपधारा-4 और सैक्शन-3 में, उसको हटाने का कोई प्रोविजन नहीं है। धारा-5 में ''कुलाधिपति विश्वविद्यालय के प्रशासन या वित्त से सम्बन्धित किसी भी मामले की जांच कर सकेगा।'' जांच करना तो सबसे बेहतर मामला है मतलब बढ़िया प्रशासन देने के लिए, परन्तु इस जांच करने के क्लाज को भी हटाया गया है। तो यह जो धारा-9 में दो क्लॉज हटाए गए हैं इन दोनों क्लाजों को हटाने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगर ये यथावत रहते हैं तो, कोई न तो, जो पुराना विधेयक चल रहा है, इसके खिलाफ कोई नहीं जा रहा था और न इसको हटाने से कोई फायदा होगा। इससे आगे बढ़ें तो सैक्शन-10 है उसमें जो संशोधन किया गया है, माननीय सभापित महोदय, इसमें केवल मात्र निरीक्षण। पहले जो सैक्शन-10 था कुलाधिपति द्वारा निरीक्षण व जांच और निर्देश, जांच व निर्देश को हटाया गया है, केवल मात्र निरीक्षण शब्द को रखा गया है। और निरीक्षण में जैसा कि पुराने विधेयक 2002 का यह सैक्शन-9 है उसमें जो धारा 4 में जो पावर दिए गए हैं, उन्हीं पावर को विस्तृत करके धारा-10 में दर्शाया गया है। जैसा कि मैं पढ़कर के आपको सुना रहा हूं ''कुलाधिपति ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का जिन्हें, यह पुराने सैक्शन में जो धारा-9 में हटाए गए हैं। धारा-10 में सिर्फ ''कुलाधिपति को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दे- विश्वविद्यालय, इसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों'' इन सभी का निरीक्षण करने का पावर दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, इससे आगे धारा-20 के अन्दर जो संशोधन किया गया है, धारा-20 के अन्दर सिर्फ दो धाराओं को हटाया गया है। 2002 का जो विधेयक है उसमें उपधारा-4 का विद्यमान खण्ड- (घ) हटाया गया है। उस (घ) के अन्दर केवल मात्र प्रबंध बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखा संपरीक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय के लेखाओं का लेखा परीक्षण करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाना, इसमें कौनसी गलत बात लिखी गई है जो इसको हटाया गया है? इसके बाद में उपधारा-6 हटाई गई है। उपधारा-6 में भी केवल मात्र विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लेखा संपरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा। हर वक्त खुला रहेगा, किसी भी वक्त जांच कर

(श्री सुखराम विश्नोई)

सकते हैं। इस सैक्शन को भी हटाया गया है। माननीय सभापति महोदय, इसके आगे सैक्शन-24 उसमें जो संशोधन किया गया है मूल अधिनियम की विद्यमान धारा-24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा- कुलपति की नियुक्ति कौन करेगा? कुलपति की नियुक्ति के लिए पहले भी चार सदस्य थे, अब भी चार रखे गए हैं, मामूली संशोधन किया गया है। उसमें एक कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति और पहले था कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित प्रख्यात आयुर्वेदिक शिक्षाविद्। पहले प्रख्यात आयुर्वेदिक शिक्षक को ही रख सकते हैं, अब उसको हटा दिया गया है। ये सुधार करने की बात कर रहे हैं, अमैण्डमेंट लाए हैं कि हम आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट में सुधार करेंगे। सुधार की जगह जो प्रख्यात आयुर्वेदिक शिक्षाविद् था उसको हटाया गया, केवल मात्र कुलाधिपति जो नाम देंगे, वही होगा। उसके बाद में राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति, एक कुलपति का, एक राज्य सरकार का और एक बोर्ड, बोर्ड द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय या उसके किसी महाविद्यालय से सम्बन्धित न हो। इसमें पहले था प्रबंध बोर्ड द्वारा, अब खाली बोर्ड शब्द लिखा है। प्रबंध शब्द हटाया है बाकी एज इट इज ही रखा है। इसमें एक भारत सरकार के भारतीय चिकित्सा पद्धति (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) विभाग द्वारा नाम निर्देशित भारतीय चिकित्सा पद्धति का विशेष ज्ञान रखने वाला कोई व्यक्ति, यह एक एज इट इज रखा है बाकी तीनों में चेंज किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा पहले जो चयन की प्रक्रिया थी। वह प्रक्रिया बढ़िया थी, इसमें मतलब रिवर्शन हुआ है। जो मापदण्ड किए हैं वे सही नहीं किए हैं। क्योंकि योग्य व्यक्ति नहीं आ सकेगा, जिसको चिकित्सा की जानकारी नहीं होगी, उसी का वहां चयन कर देंगे। क्योंकि पहले जो नियुक्ति थी वह पूर्णकालीन थी। हालांकि इसमें भी लिखा हुआ है कि "कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा" आगे फिर उसकी अवधि तीन साल कर दी। तीन साल की जब नियुक्ति होगी तो वह वापस सरकार की तरफ देखेगा कि मुझे वापस नियुक्ति मिले या नहीं मिले। तो, माननीय सभापति महोदय, यह जो धारा-24 के अन्दर अमैण्डमेंट किया गया है, वह अमैण्डमेंट उस विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है या विश्वविद्यालय का जो कुलपति है, वाइस चांसलर है, वह मतलब कोई भी आदमी का नोमिनेट कर सकता है। उलटा उस

(श्री सुखराम विश्नोई)

पढ़ाई के अन्दर, गुणवत्ता के अन्दर इससे गिरावट आएगी। इसके बाद में, माननीय सभापति महोदय, धारा-29 में अमैण्डमेंट किया गया है। धारा-29 की उपधारा-4 का विद्यमान खण्ड (घ) हटाया गया है। उस (घ) हटाने के अन्दर किसी तरह का न तो कोई सरकार को फायदा है और न ही कोई व्यवस्था सुधरने वाली है। विश्वविद्यालयों में लेखाओं को नियमित रूप से संपरीक्षित करवाना। सिर्फ (घ) में इस बात को भी दर्शाया गया है, उसको हटाने का कोई औचित्य नहीं है। मतलब विश्वविद्यालयों के लेखाओं का नियमित रूप से, कंटीनुअस में तो उसकी जांच हो, उसको हटाया गया है, उसको हटाने का कोई औचित्य नहीं है।

उसके बाद सभापति महोदय, लास्ट में धारा-44 के अन्दर दो धाराएं नई एड की गई हैं 44-क और 44-ख और मूल को लेखा परीक्षण के अन्दर बढ़ाकर के उसमें अमैण्डमेंट किए गए हैं, उसमें माननीय सभापति महोदय, वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन, इसमें जिस तरह से धारा क और ख दो जोड़ी गई हैं। इसके अलावा लेखे और संपरीक्षा के अन्दर छह सब-क्लाज और दिए गए हैं। उन सबको पढ़ लें और पुराना जो एक्ट है उनकी जो चार धाराएं हैं, उन चार धाराओं में मजबूती ज्यादा है न कि इन 44 क और 44 ख में और मूल 44 में इसका मतलब धारा 44 वास्तविक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन, इस पर मतलब मजबूती, मानीटरिंग, उसकी जांच के लिए था। जो नया अमेंडमेंट लाया गया है उससे शिथिलता ज्यादा बढ़ेगी। मैं माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत सरकार से, माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस किसी अधिकारी द्वारा यह अमेंडमेंट लाया गया है कम से कम उसकी मानसिकता को देखा जाए। किस कारण से लाया गया है इसका प्रयोजन क्या है? ये नया लाने के बाद केवल और केवलमात्र एक सरकार की अधीनता स्वीकार की है बाकी कोई फायदा नहीं है इसलिए इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाए।

श्री सभापति: श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, आज डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 पर मैंने दो माह के लिए जनमत जानने हेतु आपसे निवेदन किया। उस सन्दर्भ में आज बिल पर चर्चा हो रही है और माननीय सदस्यों ने काफी

(श्री रमेश)

सुझाव दिये, अपनी बात कही। आज विश्वविद्यालय शिक्षा का केन्द्र कम राजनीतिक अनियमितता और भ्रष्टाचार के गढ़ बन गये हैं। आज अधिकांश विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे आ गया है। दस-पन्द्रह साल पहले हमारे विश्वविद्यालयों की स्थिति, काफी अच्छी थी। आज एक भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जिसको हम कह सकें कि एक विशिष्ट श्रेणी में या शिष्ट श्रेणी में आता हो। यहां तक की इनकी शैक्षणिक और प्रशासनिक स्थिति को लेकर निरन्तर प्रश्न भी उठते रहे हैं, विवाद भी होते रहे हैं। आरोप भी लगे हैं। आज स्थिति यह है कि गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से कक्षाओं का संचालन किया जाता है जिनमें लैक्चरर्स को इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है, वो कक्षाओं में जाते ही नहीं हैं। आज राज्य में आयुर्वेद की स्थिति पिछले काफी समय से अच्छी हो रही है, एक प्रोग्रेस हो रही है। राज्य में आयुर्वेद पर लोग विश्वास कर रहे हैं और विश्वास बढ़ा है। ऐसे समय में इस क्षेत्र में निरन्तर नवीन पाठ्यक्रम और शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में आयुर्वेद विश्वविद्यालय का सुदृढ़ीकरण सबसे आवश्यक है। आज आवश्यकता है विश्वविद्यालयों को पुनः शिक्षा और शोध का केन्द्र बनाने की। वह देश जहां पर तक्षशिला और नालन्दा जैसे विश्वविद्यालय स्थापित हुए, वहां आज के विश्वविद्यालयों की स्थिति देखकर ऐसा लगता है जैसे वातावरण बदल गया हो। मन व्यथित होता है। आज समाचार पत्रों में, मीडिया में कहीं पर भी विश्वविद्यालयों के शिक्षण के नाम पर कोई समाचार नहीं आता बल्कि समाचार आता है तो अव्यवस्था, छात्र राजनीति, कुप्रबंधन, अनियमितताएं। तो इसको भी सुधारने की आवश्यकता है। राज्य सरकार इस बिल के द्वारा वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक वातावरण बनाने का दावा कर रही है, जबकि विश्वविद्यालय शिक्षण, शोध और विद्यार्थियों को समुचित रूप से योग्य बनाने के मूल काम से भटक गये हैं। जिस प्रकार हम विश्वस्तरीय सेज बनाने की बात कर रहे हैं और विश्वस्तरीय जयपुर शहर बनाने का प्रयास कर रहे हैं इसी प्रकार हमें अपने विश्वविद्यालयों को भी विश्वस्तरीय बनाने पर विचार करना होगा और इसमें आगे बढ़ना होगा। आपने कुलपति चयन करने के लिए एक समिति बनाने का प्रावधान किया है। कुलपति यानी वाइस चांसलर विश्वविद्यालय की धुरी होता है, उसको चुनने का एक मापदंड किसी समिति के माध्यम से, के स्थान पर उसकी शैक्षणिक और प्रशासनिक योग्यता होनी चाहिए। कुलपति एक अनुभवी, ऊर्जावान और नवीन सोच के युक्त होना

(श्री रमेश)

चाहिए जो कि पुराने ढर्रे को बदले और नवीन प्रयोगों से शिक्षण व्यवस्था को सुधारे। कुलपति का कार्यकाल जो आपने तीन साल किया है वो एक तरह से बहुत कम है, जिससे कि वह अपने लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर पाएगा और उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। यदि आप पुनर्नियुक्ति का प्रावधान कर रहे हैं तो फिर क्यों न कार्यकाल को पांच वर्ष कर दिया जाए जिससे वो अपने लक्ष्य को पूरा कर सके और कुलपति की आयु जो आपने अधिकतम सत्तर वर्ष रखी है वो फिजीकली फिट नहीं होगा। और यह ज्यादा है। जहां तक अनुभव की बात है तो उसके लिए आप अनुभवी लोगों को सहायतार्थ नियुक्त कर सकते हैं। यदि कुलपति रिजाइन देता है तो साठ दिन पहले सूचना देनी होगी और जबकि उसका कार्यकाल भी तीन साल है। छुट्टियां भी आप उसको ज्यादा दे रहे हैं। तो राज्य सरकार कुलपति को बिल द्वारा अनेक सुविधाएं देने जा रही है किन्तु उसके बदले राज्य सरकार को क्या मिलेगा, उसका भी निर्धारण तय हो। यदि कुलपति विश्वविद्यालय का विकास और सुदृढ़ीकरण में असफल रहे तो उसको तीन साल से पूर्व हटाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। आपने विश्वविद्यालय की आर्थिक और वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण रखने हेतु प्रावधान किये हैं लेकिन साथ ही आपको विश्वविद्यालय के मूल कार्य शिक्षण व्यवस्था पर भी जोर देना होगा। वित्तीय अनियमितताओं को रोकने की, एडमिशन फीस जमा कराना, सामान की खरीद, अन्य मदों के अधिकांश खरीद-बिक्री को पारदर्शी बनाया जाए। सिफारिश और विशेष अधिकार सम्बन्धी प्रावधानों को हटाया जाये जो वित्तीय अनियमितता के सबसे बड़े कारण हैं। इस तरह काफी लोगों ने काफी सुझाव दिये हैं, मेरा तो यही निवेदन है कि डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 को दो माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, सदन के सम्मुख डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 विचारार्थ लिया गया है। सभापति महोदय, आठ माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के माध्यम से हमारी सबसे प्राचीनतम पद्धति आयुर्वेद के बारे में अपने-अपने दृष्टिकोण को परिलक्षित करने का काम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किया है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आठ के आठ माननीय सदस्यों ने आयुर्वेद पद्धति और आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना और प्रस्तावित संशोधन के बारे में सकारात्मक दृष्टि से अपने विचार व्यक्त किये हैं। अभी आहौर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आयुर्वेद पद्धति हमारा जीवन विज्ञान है। यह सही है, सभापति महोदय, आज अगर किसी पद्धति के पास पांच हजार वर्ष से ज्यादा पुराने दस्तावेजी प्रमाण के साथ प्रामाणिकता है तो इस आयुर्वेद पद्धति पर है और यह जनमानस से जुड़ी हुई पद्धति है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस आयुर्वेद पद्धति के इलाज को लेकर एक लाख श्लोक लिखे। प्रजापति और अश्विनी कुमार, इन्द्र और धन्वंतरि इनको उन्होंने सुना और धन्वंतरिजी ने, सुश्रुत मुनि ने इस आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की इसीलिए यह कहा गया कि विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद पद्धति है। इसमें शक नहीं, सभापति महोदय, कि समय के साथ-साथ विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों ने कई सोपान चढ़ने का काम किया है। आधुनिक इस व्यवस्था में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति भी आगे बढ़ती चली गई। इलाज के नित नये अनुसंधान बीमारियों पर होते चले गये। पर इसमें भी कोई शक नहीं, जिस प्रकार सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आधुनिक पद्धति में जो अनुसंधान हुए हैं एलोपैथी के अन्दर उनके साइड इफैक्ट्स भी हमारे सामने आये हैं। यह एक ऐसी पद्धति है जिस पर आज तक साइड इफैक्ट्स कोई सामने नहीं आये और सभापति महोदय, आयुर्वेद और योग इन दोनों को यह माना जाता है कि हिन्दुस्तान इनकी जननी रही है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारे प्रधान मंत्रीजी श्री नरेन्द्र मोदी के आग्रह पर 170 राष्ट्र देशों ने सहमति व्यक्त की है और 21 जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला किया है। सभापति महोदय, इस बार भारत सरकार ने भी हमारी चिकित्सा पद्धति जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, जिसको हम वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति भी कह सकते हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए राज्य स्वास्थ्य मिशन की तर्ज पर नेशनल आयुष मिशन का गठन करने का काम किया है।

(20.00 बजे)

2015-16 में राज्य सरकारों से प्रस्ताव मांगे हैं कि इन सारी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चिकित्सा पद्धतियों के उन्नयन के लिये, सुदृढ़ीकरण के लिये, जिस प्रकार खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कई आयुर्वेद चिकित्सालय बिना भवन के संचालित हैं, कई भवनों में फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है; लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में राज्यों में जो दवाइयों का वितरण हो रहा है उसके बारे में बात की; इन सबके सुदृढ़ीकरण के लिये राजस्थान की सरकार ने 180 करोड़ के प्रस्ताव भेजे हैं और जिस प्रकार की मुझे सूचना है राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार आयुष मिशन का गठन हुआ है। हमसे प्रस्ताव मांगे, निश्चित तौर पर हमें इसमें मदद मिलेगी। सभापति महोदय, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पूरे देश में अगर हम आधारभूत संरचनाओं की बात करें जो आयुर्वेद पद्धति के साथ जुडी हुई है, सर्वाधिक किसी के पास है तो राजस्थान के पास है। समय-समय पर जिनके हाथ में सरकार या विभाग आया उन्होंने अपने-अपने स्तर पर इस बात का प्रयास किया कि हमारी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, यूनानी, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, पल्लवित हों, विकसित हों। आज राजस्थान में 5137 चिकित्सा केन्द्र इन पद्धतियों के संचालित हो रहे हैं और इन क्षेत्र में 19 महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं जो देश में कहीं नहीं है।

सभापति महोदय, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 इसी सदन ने 28 सितम्बर, 2002 को पारित किया था और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि देश में यह दूसरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, राजस्थान में पहला है। जिस प्रकार अभी सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि निश्चित तौर पर आज इस विश्वविद्यालय के अधीन 26 शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, 18 हजार से ज्यादा विद्यार्थी इसमें पंजीकृत हैं और बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएनवाईएस, एमडी, पीएचडी, इन सब के साथ कई प्रकार के डिप्लोमा कोर्स भी चल रहे हैं।

आहौर से आने वाले माननीय सदस्य ने गौ मूत्र की बात कही, पंचगव्य की बात भी इन्होंने कही। सभापति महोदय, हमने तय किया है कि पंचगव्य जो कालांतर में बहुत समय पहले ग्रामीण अंचलों में हमारी चिकित्सा का एक आधार हुआ करता था आज के युग में इसकी वैज्ञानिकता क्या है, इसमें कौन-कौन से ऐसे अव्य हैं, कौन-कौन से इंटीग्रेट्स हैं इसके लिये हमने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय और पशुधन महाविद्यालय, बीकानेर के मध्य एक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एमओयू किया है। इसका पूरा अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के बाद इसका कोडिफिकेशन भी करेंगे।

सभापति महोदय, ऊंट के दूध को डायबिटिज के साथ जोड़ कर इसकी उपादेयता देखी जा रही है। कई प्रकार के लेख भी आये इसलिए यह आवश्यकता महसूस की गई कि ऊंट का दूध, ऊंट अनुसंधान केन्द्र बीकानेर के साथ मिलकर यह विश्वविद्यालय ...(व्यवधान) ऊंटनी...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ): आप शेखावाटी वालों को क्यों बदनाम करते हो? ऊंट भी कोई दूध देता है क्या? हमें तो शर्म आती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, ऊंटनी, मैं इसको संशोधन करता हूं। ऊंटनी का दूध, ऊंट अनुसंधान केन्द्र बीकानेर के साथ मिलकर आयुर्वेद विश्वविद्यालय एक अनुसंधान करेगा, इस प्रकार का एमओयू भी हम करने जा रहे हैं।

अभी यहां इस बात का जिक्र किया गया कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय को अनुदान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इस बात का जिक्र किया। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा 2014-15 में आयुर्वेद विश्वविद्यालय को सिर्फ 11 करोड़ का अनुदान दिया गया था राज्य सरकार के द्वारा और इस बार 2015-16 में 21 करोड़ रुपये का अनुदान आयुर्वेद विश्वविद्यालय को दिया जा रहा है।

यहां यह भी बात चली कि आयुर्वेद में बजटीय प्रावधान कम होता जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा 2012-13 में 420 करोड़ 87 लाख प्लान और नोन प्लान में बजट में प्रावधान किया गया। 2013-14 में 450 करोड़, 2014-15 में 532 करोड़ और इस बार 536 करोड़ 53 लाख रुपये। यानी, राज्य सरकार कितनी गम्भीर है, लगातार हम इसका बजटीय प्रावधान भी बढ़ाते जा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो हमारे विश्वविद्यालय के माध्यम से हम कुछ नये पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ कर रहे हैं। अभी खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपने वायदा किया था 15 लाख नौजवानों को 5 साल में रोजगार के साथ जोड़ने के लिये। हां, निश्चित तौर पर किया था और हम लक्ष्य को पूरा भी करेंगे। सभापति महोदय, आजकल हम जब देखते हैं आप किसी भी पांच सितारा होटल में चले

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जाएं वहां पर्यटकों में पंचकर्म के लिये विशेष लोकप्रियता मिलेगी। अलग-अलग पंचकर्म की पद्धति से कोई मसाज कराना चाहेगा। सभापति महोदय, अनस्किल्ड लोगों के हाथ में यह सारा काम है इसलिए इस बार हम आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 12वीं उत्तीर्ण नौजवानों के लिये तीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर रहे हैं। एक वर्षीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा ...(व्यवधान) मसाज का बता रहा हूं। सभापति महोदय, एक वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर रहे हैं हम योग और चिकित्सा पद्धति पर। एक वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर रहे हैं इसी आयुर्वेद विश्वविद्यालय के माध्यम से पंचकर्म और तकनीकी सहायक का और चार वर्षीय पाठ्यक्रम बीएससी नर्सिंग आयुर्वेद का प्रारम्भ कर रहे हैं। इनमें प्रत्येक में 100-100 विद्यार्थियों का प्रवेश करेंगे।

सभापति महोदय, इसके अलावा अभी यहां आयुर्वेद की औषधियों की गुणवत्ता के बारे में भी बात चली। आयुर्वेद की औषधियां जो बाजार में उपलब्ध हैं इनकी जांच की बात भी चली। इसलिए पहली बार राजस्थान में आयुर्वेद क्षेत्र में बीफार्मा इसी आयुर्वेद विश्वविद्यालय के माध्यम से चार वर्ष का कोर्स इसी जुलाई सत्र से प्रारम्भ करेंगे। डीफार्मा दो वर्ष का कोर्स हम प्रारम्भ करेंगे। ओस्ट्योपैथी मर्म चिकित्सा, जो हड्डियों से जुडी हुई है, उसका एक वर्ष का पाठ्यक्रम प्रारम्भ करेंगे। सभापति महोदय, एमडी में पहली बार पंचकर्म और स्त्री रोग में एमडी प्रारम्भ होगी। एमडी में जो विद्यार्थी अध्ययन करते हैं उनको अब तक जो स्टाइपंड मिलता था, वह एलौपैथी में जो काम कर रहे हैं उनके अनुसार नहीं मिलता था, लगभग 35 हजार रुपये। इस बार इस विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी स्त्री रोग और पंचकर्म में एमडी करेंगे, उनको हम एलौपैथी में जो स्टाइपंड एमडी करने वाले विद्यार्थी को मिलता है उतना ही स्टाइपंड देने का प्रावधान भी करेंगे।

सभापति महोदय, यहां घरेलू नुस्खों की बात चली। निश्चित तौर से हम जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जब कभी भी गांव में कोई छोटी-मोटी बीमारी होती थी, मुझे तो याद आता है, जब कभी कान दुखता था तो मां का हुक्म हो जाता था कि सरसों का तेल गर्म करो, उसमें एक लहसुन छील कर डालो और ठंडा करके कान में डाल दो। कई बार लोंग इलायची के साथ जोड़ कर कई प्रकार के नुस्खे। सभापति महोदय, आज इस बात पर लोग शोध कर रहे हैं कि इन नुस्खों के साथ चिकित्सा विज्ञान का आधार क्या है। इसलिए

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हमने भी इस बार घरेलू नुस्खों पर व्यापक अनुसंधान के लिये एक योजना बनाई है और योजना बनने के बाद, नुस्खों के अनुसंधान के बाद इनका कोडिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे।

सभापति महोदय, राजस्थान में पहली बार हम आयुष नीति बनाने जा रहे हैं। मैं सदन में यह घोषणा कर रहा हूं कि इस आयुष नीति जिसके लिये हमने आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति की सदारत में एक कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ गई है, हम इस महीने की आखिरी तारीख तक इस आयुष नीति को आनलाइन करेंगे, लोगों के सुझाव लेंगे और जल्दी ही इसको हम निश्चित तौर पर लागू करेंगे।

यह दूसरा संशोधन है, इससे पहले इसी आयुर्वेद विश्वविद्यालय में संशोधन आया था 2011 में, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम 2002 में। उस समय कई माननीय सदस्यों ने कहा कि ऐसे महान व्यक्तित्व का, ऐसे युग पुरुष, शिक्षक के रूप में देश और दुनिया के अन्दर आज भी लोग जिनका सम्मान से नाम लेते हैं, सादा जीवन उच्च विचार जिनके साथ जुड़ा हुआ था, डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम इस राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के साथ जोड़ने का काम हुआ।

सभापति महोदय, संशोधनों की बात यहां कही गई, अभी सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी बात कही, राज्य सरकार विश्वविद्यालय की स्वायत्ता का हनन नहीं करना चाहती। हम स्वायत्ता के पक्षधर हैं। विश्वविद्यालय और सरकार के मध्य अच्छा सामंजस्य रहे, विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा मिले, विश्वविद्यालय में राज्य सरकार के सामान्य वित्त नियम है, अनुशासन है, प्रशासनिक नीतियां हैं, इसकी पालना हो, इनके प्रभावी नियमन के लिए इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता पड़ी। कुलपति की नियुक्ति किस पद्धति से हो, सेवानिवृत्ति की आयु क्या हो, इन सारी चीजों को लेकर, राज्य के अन्दर संचालित अन्य वह विश्वविद्यालय जो राज्य सरकार से वित्त पोषित हैं, इनमें समान प्रावधान हो, चाहे वह कुलपति की नियुक्ति के सम्बन्ध में हो, सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में हो, अन्य अधिनियमों में एकरूपता हो, इसके लिए इन संशोधनों को हम लेकर आए हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि संविधान के आर्टिकल 246 (3) में यह शक्तियां हैं, कोई भी विश्वविद्यालय चाहे वह निजी क्षेत्र में हो, चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो, सरकार से वित्त पोषित हो या नहीं हो, हरेक का अलग-अलग विधेयक राजस्थान की विधान सभा में, सम्बन्धित विधान सभा में आता है, उसको विचारार्थ लिया जाता है, उस पर विचार व्यक्त होते हैं, उस पर पारण होता है। आज राजस्थान के अन्दर 40 निजी विश्वविद्यालय और 26 सरकारी विश्वविद्यालय हैं। भारत सरकार ने एक माडल एक्ट भी दिया था। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उस माडल एक्ट के माध्यम से राज्य सरकारों को यह लिखा था कि आपके राज्य के अन्दर संचालित विश्वविद्यालय हैं इनके अधिनियमों में एकरूपता रहे इसके लिए इस माडल एक्ट के अनुसार आप अपने विश्वविद्यालय के नियम, अधिनियम बनाएं। इसलिए जो विसंगतियां आ गई थीं अलग-अलग विश्वविद्यालयों के अन्दर, उनको दूर करने के लिए यह संशोधन आज सदन में विचारार्थ है।

सभापति महोदय, डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय 2002 की मूल धाराओं में धारा 9 की उप धारा 4 और 5 जिसका जिक्र सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे, धारा 10, धारा 20 की उप धारा 4 और 6, धारा 24 की उप धारा 1 से 9, धारा 29 की उप धारा 4 घ और धारा 44 की उप धारा 1 से 4, इनको आज विलोपित करने का प्रस्ताव सरकार लेकर आई है। उसके साथ ही कई प्रकरणों के अन्दर, कई विषयों के अन्दर पारदर्शिता रहे, स्पष्टता रहे, इसके लिए विधेयक में धारा 10, धारा 24, धारा 44 क और ख को जोड़ने का प्रस्ताव भी सदन में विचारार्थ है।

सभापति महोदय, जिक्र हो रहा था, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य और सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मूल विधेयक के अन्दर कुलाधिपति को धारा 9 (4) और 9 (5) के अन्दर विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय प्रावधानों की जांच कराए जाने का प्रावधान, अब मूल में है। सभापति महोदय, इसके साथ धारा 10 (1) के अनुसार जांच करने का अधिकार तो कुलाधिपति को है, वाइस चासंलर महोदय को है, महामहिम राज्यपाल को है। जांच और निरीक्षण के लिए कुलपति अपने अधिकारी को नियुक्त करेगा। अब विश्वविद्यालय की जांच हो और जांच कुलाधिपति किसी शिकायत के आधार पर करे और जांच अधिकारी की नियुक्ति वही कुलपति कर दे जिसकी शिकायत हो तो पारदर्शिता कैसे आएगी। इसलिए

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

धारा 10, 1, 2, 3 और 4 में कुलाधिपति को धारा 4 और 5 के अन्दर प्रदत्त निरीक्षणों, प्रशासनिक मामलों की जांच का अधिकार विश्वविद्यालय ने दिया है। अब संशोधन के माध्यम से कुलाधिपति को यह अधिकार दे रहे हैं कि वह जिस किसी से भी चाहे इसकी जांच कराए।

सभापति महोदय, धारा 10 के अन्दर 9 के 4 और 5 को विलोपित करने के बाद जो धारा 10 को प्रतिस्थापित कर रहे हैं।

सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूंगा कि इसमें स्पष्टता आ जाए। जांच और निरीक्षण का अधिकार जो कुलपति को दिया है मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा।

धारा 10 (1) में कुलाधिपति को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दें विश्वविद्यालय संधारित, किसी विश्वविद्यालय के अधीन संधारित किसी महाविद्यालय संस्था छात्रावास के अध्यापन कार्य परीक्षा के निरीक्षण का अधिकार होगा। 10 (2) के अन्दर कुलाधिपति को विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी भी मामले में जांच करने का अधिकार होगा। वह किसी को भी जांच अधिकारी नियुक्त कर सकता है। धारा 10 (3) में कुलाधिपति प्रत्येक मामलों में किये जाने वाले निरीक्षण या जांच में अपने निर्णय के बारे में विश्वविद्यालय को सूचना देगा। जांच के परिणाम की सूचना निश्चित तौर पर कुलाधिपति महोदय समझें, इस जांच के अन्दर यह बातें आईं, यह सूचना देंगे कि विश्वविद्यालय प्रशासन उसमें इस प्रकार की कार्यवाही करे। धारा 10 (4) के अन्दर कुलाधिपति विश्वविद्यालय की जांच या परिणाम के सम्बन्ध में नियत समय सीमा के लिए विश्वविद्यालय को सलाह दे सकेगा। 10 (5) के अन्दर विश्वविद्यालय कुलाधिपति द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपनी रिपोर्ट देगा। जांच के परिणाम पर क्या कार्यवाही विश्वविद्यालय ने दी, इस प्रकार के प्रावधान हैं। सभापति महोदय, इसी तरह धारा 10 (6) में यदि विश्वविद्यालय नियम, समय, सीमा के भीतर-भीतर कार्यवाही नहीं करता तो जैसा वह उचित समझे उसे निर्देश देगा। यानी चासंलर साहब के पास कोई शिकायत आई, महामहिम राज्यपाल के पास शिकायत आई, उन्होंने जांच के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत किया, जांच के आधार पर जो कार्यवाही होनी थी उसके लिए विश्वविद्यालय ने कोई कार्यवाही नहीं की, तो उस कार्यवाही को सम्पादित करने का अधिकार कुलाधिपति को देने का काम इस संशोधन के माध्यम से राज्य

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सरकार लेकर आई है। धारा 10 (7) के अन्दर, जिस धारा का मैंने उल्लेख किया 10 (6) में, यदि विश्वविद्यालय उक्त 10 (6) के अनुसार जारी किए गए निर्देश का नियम, समय सीमा के भीतर पालना नहीं करता, यानी कुलाधिपति ने जो उनको निर्णय दिया जांच के बाद में, उसकी पालना नहीं करता तो कुलाधिपति, कुलाधिपति का मतलब महामहिम राज्यपाल स्वविवेक अनुसार अपने निर्देशों का क्रियान्वयन करवाने के लिए किसी व्यक्ति या निकाय को नियुक्त कर सकेगा।

इसी प्रकार, जैसा अभी सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि धारा 20 की उप धारा 4 घ और उप धारा 6 के अन्तर्गत लेखा और परीक्षण का प्रावधान तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों को पहले से ही था, तो आप यह संशोधन क्यों लेकर आए। इस संशोधन के माध्यम से हम लेखा परीक्षण और उसके व्यापक प्रावधान लेकर आए हैं, और स्पष्टता हो जाए, इसके लिए धारा 44 (1) के अन्दर संशोधन लेकर आए हैं। धारा 44 में 1 से लेकर 6 तक, 44 (1) के अन्दर विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों तथा बेलेन्स शीट एवं वार्षिक फाइनेंशियल एस्टीमेट कुलपति के निर्देश के अधीन वित्त और लेखाधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा। यह मेंडेटरी हो गया। 44 (2) में वित्त और लेखाधिकारी निर्धारित तिथि पर आगामी वर्ष के लिए वित्तीय स्टेटमेंट तैयार करेंगे। जिसको नियुक्त करेंगे वह वार्षिक स्टेटमेंट तैयार करेगा। 44 (3) में वित्त और लेखाधिकारी द्वारा तैयार वार्षिक लेखे और एस्टीमेट प्रबंध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। वर्ना प्रबंध बोर्ड के सामने प्रस्तुत नहीं होते। 44 (4) में वार्षिक लेखों की आडिट ऐसे आडिटर द्वारा की जाएगी जिन्हें राज्य सरकार निर्देश दे। आडिट कौन करें, आडिट अपनी मर्जी से किसी आडिटर को बुलाकर कर ली, वित्तीय अनियमितता पर ठप्पा लगा लिया, इसके लिए इस प्रकार का, और इसका खर्चा भी विश्वविद्यालय वहन करेगा। 44 (5) में आडिट होने के पश्चात मुद्रित प्रतियां आडिट रिपोर्ट सहित कुलपति प्रबंध बोर्ड को प्रस्तुत करेगा तत्पश्चात रिपोर्ट को राज्य सरकार को रिसिट किया जाएगा। और 44 (6) में आडिट के लिये आक्षेपों का समाधान करेगा। आडिट रिपोर्ट पर राज्य सरकार को जारी करेंगे। मतलब इन प्रावधानों के पश्चात वित्तीय अनियमितता पर एक अनुशासन की लक्ष्मण रेखा खींचने का काम करने का हमने प्रयास किया है।

धारा 24 (1) से (9), सभापति महोदय, यह जो संशोधन है, पूर्व में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

भी धारा (1) से (9) में कुलपति के चयन प्रक्रिया और पद धारण करने के प्रावधान थे। यह अलग-अलग विश्वविद्यालय में अलग-अलग थे। इनमें समानता लाने के लिये धारा 24 (1) से लेकर (11) तक उन प्रावधानों को इसमें सुनिश्चित किया गया है। सभापति महोदय, पहले इस धारा 24 (2) के अन्दर, जो कुलपति है, इसके पद ग्रहण करने से, या तो पद ग्रहण करेगा तो 3 वर्ष तक काम करेगा या 70 वर्ष की आयु, पहले यह नहीं था और यह पुनर्नियुक्ति का पात्र भी हमने किया है। अगर कोई योग्य व्यक्ति मिल जाए, पूर्व में जो इस एक्ट के अन्दर प्रावधान थे, उसमें पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं था। पूर्व में जो धारा 24 (6) थी, जिसमें आयु सीमा निर्धारित की गई थी, वह 65 वर्ष थी, उसको बढ़ाकर 70 वर्ष किया है। पुनर्नियुक्ति का प्रावधान भी किया है।

इसलिये, सभापति महोदय, इन सारे को अगर मैं पढ़ूंगा तो समय लगेगा, पर कुलपति चयन, कुलपति की पदावधि, कुलपति के वेतन भत्ते से लेकर, कुलपति की रिक्ति होने पर या मृत्यु होने पर किस प्रकार कामचलाऊ कुलपति को नियुक्त करें, त्यागपत्र दें तो 60 दिन पहले त्यागपत्र देना पड़े, इन सारी चीजों का प्रावधान, कितनी उसको छुट्टियां मिलेंगी, किस प्रकार भविष्य निधि में अंशदान, बीमा और पेंशन का प्रावधान उसकी सैलेरी में होगा, इन सब चीजों का व्यापक, स्पष्ट प्रावधान करने के लिये धारा 24 के अन्दर यह संशोधन सरकार लेकर आई है।

सभापति महोदय, नई धारा हमने जोड़ी है, धारा 44 (क) और (ख)। इसको इसलिये जोड़ा कि आज विश्वविद्यालय के अन्दर चाहे वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों या नहीं हों, जिस प्रकार अभी मैंने कहा कि राज्य सरकार 21 करोड़ का इस बार अनुदान देगी, परन्तु कई बार देखने में आया है कि अनुदान देते समय जो प्रस्ताव सरकार के पास आते हैं और जब विश्वविद्यालय के पास अनुदान आ जाता है तो अपने सिंडिकेट की मीटिंग करके जो प्रस्ताव उन्होंने सरकार को भेजा, उसके इतर, दूसरी गतिविधियों में उस पैसे को खर्च कर लेते हैं। इसलिये इस धारा 44 (क) के मामले में, ऐसे मामले, यथा नवीन पदों का सृजन, कर्मचारियों के वेतन भत्तों का निर्धारण या परिसम्पत्तियों का विक्रय और परिसम्पत्तियों का निर्माण, इसके लिये राज्य सरकार से जो अनुदान लिया है, इसलिये राज्य सरकार से पूर्व स्वीकृति ले और 44 (ख) के अन्दर राज्य सरकार को वित के सम्बन्ध में, हम स्वायत्ता से किसी तरह से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

छेड़छाड़ करने के पक्षधर नहीं हैं, पर अगर विश्वविद्यालय में कुप्रशासन और वित्तीय कुप्रबन्धन हो जाए तो राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इसमें जांच करवा पाएं।

सभापति महोदय, मैंने पहले कहा कि सरकार लगातार आयुर्वेद चिकित्सा और हमारी जो वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था है, इसके लिये बजट की बढ़ोतरी कर रही है।

यहां इस बात का जिक्र भी चला कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के साथ लोगों का जुड़ाव ग्रामीण क्षेत्र में किसी न किसी कारण से कम हो रहा है। मैं 2013-14 का अगर ओ.पी.डी. बताऊं, 1 करोड़ 61 लाख लोग, जिन्होंने हमारे विभिन्न राजकीय सेवा में कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सालयों में आकर अपना इलाज लिया, और आई.पी.डी. और इन सबको जोड़ें तो यह संख्या 4 करोड़ 12 लाख हो जाती है, यह कम नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां बात चली कि चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। सभापति महोदय, 2013 में तत्कालीन राज्य सरकार ने फरवरी के अन्दर विज्ञप्ति जारी की थी। उसके बाद यह सारा मामला उच्च न्यायालय में आया। क्योंकि उस समय जो पूर्व में कार्यरत लोग थे, उनकी प्रति वर्ष सेवाकाल से 10 नम्बर एक वर्ष के, 20 नम्बर दो वर्ष के और 30 नम्बर तीन वर्ष के बोनस अंक, इसको लेकर मामला चलता गया। इसी जनवरी के अन्दर जब यह मामला एस.एल.पी. के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में गया, हमने सोचा कि कब तक इस एक जगह पर खड़े हम कदमताल करते रहेंगे, राज्य सरकार ने नीतिगत फैसला करके एस.एल.पी. वापस की और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ हुई है। मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि एक महीने के अन्दर-अन्दर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के माध्यम से हम भर्ती कर रहे हैं। कुल रिक्त पद हमारे आयुर्वेद चिकित्सकों के हैं, विभिन्न जिसमें यूनानी भी हैं, होम्योपैथ भी हैं, वह 2292 हैं। हम इसी एक महीने के अन्दर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के 1185 पदों पर, यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के 178 पदों पर, होम्योपैथी के 132 पदों पर नर्स और कम्पाउण्डर की 606 पदों की भर्ती पूरी करेंगे। परन्तु मैं सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि आज जो काम कर रहे हैं, चाहे वह एन.आर.एच.एम. के माध्यम से काम कर रहे हों, या संविदा के आधार पर काम कर रहे हों, इस आयुर्वेद चिकित्सा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पद्धति के अन्दर, जो भी चिकित्सक काम कर रहे हों, कम्पाउण्डर काम कर रहे हों, यूनानी में काम कर रहे हों, होम्योपैथी में काम कर रहे हों, उन एक को भी हम हटाएंगे नहीं। अभी भारत सरकार से हमें, जो मिशन बना है, आयुष मिशन, उसके अन्दर हमारी पी.आई.पी. गई हुई है, अभी हमें इंडिकेशन नहीं मिला कि कितने पद हमें इसमें मिल रहे हैं। इसलिये प्रथम चरण के अन्दर, और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस भर्ती के अन्दर जो भी पात्र लोग होंगे, हम निश्चित तौर पर उनकी पात्रता का पूरा परीक्षण करके उनको भर्ती करेंगे और एक को भी इसमें नहीं हटाएंगे। यह मैं निवेदन करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, अभी बात यह चली कि आयुर्वेद चिकित्सकों और एलोपैथिक चिकित्सकों के वेतन में बड़ा फर्क है। आयुर्वेद चिकित्सकों और एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों में प्रारम्भिक वेतनमान जो है, वह 15600-39100, ग्रेड-पे 5400, एक समान है। आगे कुछ विसंगतियां हैं, इनको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। इस बात को आहौर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा।

आहौर से आने वाले माननीय सदस्य ने पंचद्रव्य की बात कही, अनुसंधान करने की बात, वह मैं पहले निवेदन कर चुका हूं।

लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात की चिंता की कि आयुर्वेद की जो दवाइयां बेची जा रही हैं, इन दवाइयों में क्या-क्या द्रव्य हैं, क्या-क्या कण्टेण्ट्स हैं, वह नहीं लिखे जाते हैं। इसलिये उनकी गुणवत्ता पर भी इन्होंने सवाल किया। सभापति महोदय, ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक एक्ट 1945 का बना हुआ है। इसका लाइसेंस लेने के बाद ही यह दवाइयां बेची जाती हैं। प्रत्येक दवा पर कण्टेण्ट और दवाई का नाम लिखा जाता है।

अभी आपने एक्यूप्रेशर की बात भी कही। एक्यूप्रेशर निश्चित तौर पर आज काफी लोकप्रिय पद्धति है। परन्तु सरकार द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त नहीं है।

आपने ग्रामीण आयुर्वेदिक चिकित्सकों का मसला भी उठाया। यह मामला अभी कोर्ट के अन्दर विचाराधीन है। निश्चित तौर पर इस पर हम काम करेंगे।

सभापति महोदय, अभी हमारे यहां बहुत बड़ी संख्या के अन्दर डोडा-

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पोस्त और नशीली चीजों को सेवन करने वाले लोग हैं। एक ट्रीटी हुई थी यू.एन.ओ. के तत्वावधान में, जिसमें तय यह हुआ था कि 31 मार्च, 2015 के बाद, पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर डोडा-पोस्त का सेवन भी बंद होगा। उनका संग्रहण और विक्रय भी बंद होगा। परन्तु जिस प्रकार जितनी बड़ी संख्या में लोग हैं, मैं समझता हूं सभापति महोदय, कि बहुत बड़ी संख्या में इस चीज से जुड़े हुए लोग हैं। अब इसके अन्दर एक 'नया सवेरा' कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय ने उस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत से लोगों को इस बीमारी से मुक्त करने का, इस नशे से मुक्त करने का प्रयास किया है। राजस्थान की सरकार इस चीज को और आगे बढ़ाएगी।

सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आज सदन के समक्ष जो संशोधन विधेयक विचारार्थ है, इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि हम पूरे देश के अन्दर दूसरा जो हमारा आयुर्वेद विश्वविद्यालय है जो डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के नाम से है, इसके माध्यम से इस पद्धति को कैसे और पल्लवित करें, पुष्पित करें और आयुर्वेद पद्धति जो हमारे जीवन का विज्ञान हम कह सकते हैं, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई पद्धति है, जिस पर आज प्रगतिशील देश अनुसंधान कर रहे हैं, इसके माध्यम से लोगों की सेवा कैसे हो, उसको ठीक करने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस संशोधन विधेयक को पारित किया जाए।

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि श्री जोगाराम पटेल, श्री शंकरसिंह राजपुरोहित, डा. फूलचन्द भिण्डा, श्री मदन राठौड़ सदस्य ने डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक पर जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने के संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रश्न यह है कि डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(श्री सभापति)

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खंडशः विचार।

खंड-2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड-2 स्वीकार किया गया।

खंड-3 ।

प्रश्न यह है कि खंड-3 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड-3 स्वीकार किया गया।

खंड-4 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड-4 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड-4 । स्वीकार किया गया।

खंड-5 ।

प्रश्न यह है कि खंड-5 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड-5 स्वीकार किया गया।

खंड-6 से 8 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड-6 से 8 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खंड-6 से 8 स्वीकार किये गये।

(श्री सभापति)

खंड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खंड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

श्री सभापति: वह मांग ली, अनुमति मांग ली उन्होंने। अनुमति मांग ली उन्होंने।

प्रश्न यह है कि डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया गया।

श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापतिः श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): शार्ट में ही।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): हां, शार्ट में ही बोलेंगे।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015 विचार के लिए लाया गया है। मैं सदन के माननीय सदस्यों की भावना का सम्मान करते हुए संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक जो आज विचारार्थ लिया गया है, यह बहु-प्रतीक्षित, राजस्थान में बहुत उम्मीद के साथ लोग देख रहे थे कि कब इस प्रकार का एक अपार्टमेंट बिल आएगा। बहुत तेजी से राजस्थान के बड़े शहर, उनका विस्तार ऊपर की ओर होने लगा है और मैं समझता हूं कि यह जो विधेयक लाया गया है यह जन भावनाओं की कद्र करके हालात और परिस्थिति को समझते हुए, महानगरों के पेटर्न पर जो राजस्थान के कुछ शहरों का विकास होने लगा है अगर, मैं यह कहूं कि यह सरकार का एक प्रगतिशील कदम है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और जितना मैंने इस विधेयक को पढ़ा है, मैं इतना जरूर कहूंगा कि कल जब न्यायिक संशोधन विधेयक पर चर्चा चल रही थी तो संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कहा कि हम जब दिल्ली में विधि मंत्रियों की सेमिनार में थे तो यहां पर बताया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्य मंत्री भी थे कि एक न्यायिक शब्दावली अलग से होती है और मैं यह समझता हूं कि जिस किसी भी व्यक्ति ने इस विधेयक को ड्राफ्ट किया और इसकी शब्दावली को अगर पढ़ेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसको ड्राफ्ट करने वाला व्यक्ति इस राजस्थान की न्यायिक शब्दावली का अनुभवी और एक्सपर्ट घोषित किया जा सकता है। जिस प्रकार से पांडुलिपि और शिलालेखों को पढ़ने का कोई एक्सपर्ट व्यक्ति होता है, मैं समझता हूं कि अगर इसकी शब्दावली को, परिभाषाओं को, इसके शब्दों को...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सदस्य, यह 'भाटक' शब्द कहा से आया? 'भाटक' शब्द हिन्दी डिक्शनेरी में है ही नहीं कहीं। 'भाटक' कहां है? आपने कहां पढ़ा 'भाटक'?

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): 'भाटक' कहां है इसमें?

मैंने आपकी बात को पहले ही कह दिया कि यह विधिक शब्दावली है और इसलिए मैं बहुत लम्बा-चौड़ा वक्तव्य इस पर करने के बजाय, अध्याय-1

(श्री प्रहलाद गुंजल)

में माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ''अपार्टमेंट''- से अभिप्रेत है निवास या कार्यालय के लिए या कोई व्यवसाय करने के लिए, या कोई उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के लिए' , इसको पूरा पढ़ लें। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिसमें व्यापार, कारोबार, उपजीविका और व्यवसाय, निवास और कार्यालय, यह सारी चीजें समाहित कर दीं पर इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आवासीय और व्यवसाय की या अन्य उपयोग के लिए पृथक-पृथक अपार्टमेंट मानने होंगे अथवा एक अपार्टमेंट भवन में ही आवासीय, व्यावसायिक और अन्य उपयोग में आ रही इकाइयों के लिए पृथक-पृथक अपार्टमेंट नम्बर होंगे। आपने तय कर दिया, सारा उल्लेख कर दिया, व्यवसाय, दुकान, रेजिडेंस, सब कुछ। अपार्टमेंट की परिभाषा में आपने उसको दे दिया लेकिन यह उल्लेख नहीं किया।

इस अधिनियम की धारा-4 में अपार्टमेंट के स्वामित्व को आपने परिभाषित कर दिया। इस अधिनियम की धारा-4 में अपार्टमेंट के स्वामित्व को परिभाषित किया है। सामान्यत: यह देखने को आता है कि विकासकर्ता, बिल्डर्स स्वीकृतशुदा नक्शों से ज्यादा मंजिल बना लेते हैं।

आज आप बिल ला रहे हैं और बिल में आपने कहा है कि इसके भूतलक्षी प्रभाव होंगे और बिल्डर्स पर इसके भूतलक्षी प्रभाव कायम करना चाहते हैं। आपके जे डी ए, नगर निगम और यू.आई.टी. के स्वीकृत नक्शों के विपरीत जो उन लोगों ने भवनों का निर्माण कर रखा है, आपकी मंशा इस एक्ट को लाने के पीछे, आज एक बिल्डर आवासीय काम्पलेक्स बनाता है, फ्लेट बेच देता है, रजिस्ट्री करा देता है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार उस पर उसका मालिकाना हक बना रहता है, मालिकाना हक सुविधा और अन्य बातों के नाम पर वह लगातार सोसायटी में रहने वाले लोगों से धन वसूलता रहता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप उसके मालिकाना हक को समाप्त करके, सोसायटी के एक-एक व्यक्ति को मालिक बनाकर, वहां पार्किंग, भ्रमण, गार्डन, तमाम प्रकार की सुविधाओं पर समान प्रकार का अधिकार कायम करने के लिये एक्ट लेकर आये हैं और इसके लिये आपने संगम, जो परिभाषा में दिया गया है सोसायटी का, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके एक्ट लाने से पहले जो जे.डी.ए. के अप्रूवल नक्शों के विपरीत, जिन्होंने निर्माण कर दिया और निर्माण नहीं किया, बेच भी दिया, उनके बारे में आप भूतलक्षी प्रभाव कायम करते समय किस प्रकार का नजरिया रखेंगे? मैं समझता हूं जब तक

(श्री प्रहलाद गुंजल)

इस बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं हो, या तो आप तय करिये कि इस एक्ट के लाने के बाद जो अपार्टमेंट्स बनेंगे, जो बिल्डर्स तैयार करेंगे, उन पर तो यथाशक्ति जो रूल-रेगुलेशन कायम होंगे, पट्टा सैंक्शन के, उसके नक्शे निर्माण के, वह सब लागू होंगे और जो इसके भूतलक्षी प्रभावों के अधिकार क्षेत्र में जो आएंगे, यथास्थिति उनको रेगुलराइज कर दिया जाएगा, उनको मान्यता दे दी जाएगी। जब तक इस प्रकार का स्पष्ट प्रोविजन इस एक्ट में नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि अगर भूतलक्षी प्रभावों के आधार पर हम जाएंगे और पुराने अपार्टमेंट्स को भी इसमें कवर करेंगे तो माननीय सभापति महोदय, इसके दुष्परिणाम होंगे और जिन बिल्डर्स ने जो अवैध निर्माण करा लिया, इसमें धारा 4 की उपधारा और आवासीय, गैर-आवासीय उपयोगिता के आधार पर जो स्पष्टीकरण दिया गया है, उपरोक्त स्पष्टीकरण से असमंजसता की स्थिति पैदा होती है।'

एक और उपधारा (2) और (3) में 'प्रतिशत की संगणना अपार्टमेंट के निर्मित क्षेत्र के आधार पर', आप कह रहे हैं, जिसका बड़ा अपार्टमेंट होगा, सुविधाओं पर उसका उतना हक होगा, जिसका छोटा होगा, उसका उतना होगा और नीचे आप लिख रहे हैं कि 'अपार्टमेंट के निर्मित क्षेत्र के आधार पर मानकर की गयी' दूसरी ओर स्पष्टीकरण में संप्रवर्तक और आबंटिती के बीच में करार को हिसाब में नहीं ले जाने वाली बात कही गयी है। यह जो विसंगति है कि आबंटी और संप्रवर्तक के बीच में जो करार हुआ है, दोनों चीजों पर माननीय मंत्री महोदय, मैं समझता हूं कि जवाब देते समय अगर अपनी बात कहेंगे तो हो सकता है कि इसकी क्लिष्ट भाषा को पढ़ने और समझने में जो कहीं कमी रह गयी है, वह हमारी दूर हो जाएगी।

अधिनियम की धारा-5- दाययोग्य अहस्तान्तरणीय बाबत, अपार्टमेंट का। आपने लिख दिया कि अपार्टमेंट संगम से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की शर्त रखी है। इस शर्त का विकासकर्ता दुरुपयोग कर सकता है। धारा-5 में ही, धारा-5 अपार्टमेंट का दाययोग्य और अन्तर-हस्तान्तरणीय धारा-6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक अपार्टमेंट और ऐसे अपार्टमेंट के अनुलग्न सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभक्त तत्समय प्रवृत, यह आपने लिखा है। यह सब कुछ लिखते हुए भी आपने लिखा है, परन्तु यह और कि कोई भी अपार्टमेंट संगम से अदेयता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किये बिना अंतरित नहीं किया जाएगा। आप लिख रहे हैं, अंतरित नहीं किया जाएगा। क्या संगम में

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जाकर कोई व्यक्ति फ्लेट खरीदेगा या संगम की एन.ओ.सी. नहीं होगी तो क्या जो बिल्डर है, उसकी रजिस्ट्री नहीं करा पाएगा? या विक्रेता, क्रेता के नाम रजिस्ट्री नहीं करा पाएगा? कई सारे रूल-रेगुलेशन बनाते समय छोटी-छोटी बारीकियों को हमें अध्ययन करना पड़ेगा।

आगे लिखा है आपने अपार्टमेंट के स्वामित्व की शर्तों के अध्यधीन होना। जहां किसी अपार्टमेंट का कोई आबंटन, विक्रय या अन्यथा अन्तरण इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व और पश्चात्, उस प्रतिफल के संदाय या आंशिक संदाय के किसी वचन के अनुसरण में किया गया है, वहां आबंटी या यथास्थिति अंतरिती उस अपार्टमेंट के स्वामित्व और कब्जे के लिये ऐसे अपार्टमेंट से अनुलग्न सामान्य क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभक्त हित की प्रतिशतता तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक सामान्य व्ययों के बाबत देय किसी रकम के साथ उसके प्रतिफल का और संगम के बनाये जाने के पूर्व संप्रवर्तक द्वारा उपगत राज्य सरकार और नगरपालिका के करों का संदाय उस पर देय किसी ब्याज का, यदि कोई हो, पूर्ण संदाय नहीं कर दिया जाता है।

अब मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से, मैंने वही कहा, भूतलक्षी प्रभाव, बेच दिया बिल्डर ने। आपका कानून आज बना है। उस पर निगम का टैक्स बकाया है, जे.डी.ए. का कोई डवलपमेंट शुल्क बकाया है और आज अगर कोई व्यक्ति किसी से रजिस्ट्री कराकर अपने नाम उसको हस्तानान्तरित कराना चाहता है तो आपका एक्ट कहता है, यह एक्ट हम ला रहे हैं लोगों को प्रिविलेज देने के लिये। मालिक बने लोग अपार्टमेंट में। यह कल्चर डवलप होनी चाहिये। जमीन सीमित है, आबादी बढ़ रही है। शहरों का विस्तार आस-पास के, राजस्थान ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में चले जाएं तो बेशकीमती और उपजाऊ जमीनों पर आज आबादियां बसती चली जा रही हैं। यह जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं कि हमें कृषि की जमीन को बचाने के लिये, महानगरीय कल्चर को डवलप करना और महानगरीय कल्चर में फ्लेट में रहने वाला व्यक्ति न केवल फ्लेट का, बल्कि उस अपार्टमेंट के उस कैम्पस के भीतर सम्पूर्ण प्रकार की सुविधाओं का मालिक बने। बराबर का हकदार बने और कानून-सम्मत तरीके से बने।

मैं समझता हूं इस एक्ट में आपने कहीं कोई उसके सुखाधिकार में खलल डालने का एक भी प्रोविजन नहीं किया। मैं समझता हूं इतना बड़ा

(श्री प्रहलाद गुंजल)

उदारवादी एक्ट कोई दूसरा नहीं हो सकता। माननीय मंत्री महोदय, मैंने इसको पढ़ा है, इसको पढ़ने की कोशिश की है। मैं तो यह समझ रहा था कि बहुत छोटा-सा बिल होगा। सवेरे पढ़ा लेकिन इसकी क्लिष्टता को समझकर मैं तो दुविधा में पड़ गया। आपने कहीं कोई ऐसी भ्रांति और उसके सुखाधिकार में खलल डालने की कोशिश नहीं की। लेकिन उस बिल्डर पर कोई लायबिलिटीज हैं, जो 15 साल पहले अपार्टमेंट बना गया और उस अपार्टमेंट में से कोई एक व्यक्ति अपना हिस्सा किसी दूसरे को बेच रहा है और आप कह रहे हो कि जब तक वह लायबिलिटीज तय नहीं होगी, आपके रिकार्ड में बोल रही है और उस अपार्टमेंट में कोई व्यक्ति प्रहलाद गुंजल से फ्लेट खरीदकर माननीय राजस्व मंत्रीजी जब जाएंगे जे.डी.ए. के पास, वह लायबिलिटी बोलेगी और जो बिल्डर बेचकर चला गया है वह आपकी लायबिलिटीज को चुका देगा, इस बात की कोई गारण्टी नहीं है और अगर चुकाएगा भी, तो वह अपार्टमेंट की आपने क्या परिभाषा दी है? अपार्टमेंट के स्वामी के साथ ब्लैकमेलिंग करेगा। उसका प्रभाव सारा का सारा जो इस एक्ट में प्रदर्शित हो रहा है, वह सारा का सारा प्रभाव उस अपार्टमेंट के स्वामी के ऊपर निश्चित रूप से पड़ेगा। बिल्डर हाथ खड़े कर देगा कि मैं बेच चुका हूं। मैंने बना दिया। एक्ट तो चार दिन पहले आया है। मैं तो पांच साल पहले बनाकर बेच चुका हूं। यू आई टी, जे डी ए का हिसाब है तो जो रह रहे हैं, उन लोगों से वसूले, ऐसी स्थिति में हमको निश्चित रूप से सोचना है। पश्चातवर्ती अपेक्षाओं के बारे में मैंने आपको बताया है। जो आपने स्वामित्व दिया है, वह स्वामित्व निश्चित रूप से अपार्टमेंट की सीमाओं के अनुसार किया है।

धारा-7 में जो प्रावधान आपने किये हैं, मैं समझता हूं एकदम युक्तियुक्त हैं और अधिनियम की धारा-8 उप-पट्टे, माननीय सभापति महोदय, अधिनियम की धारा-8 में उप-पट्टे का निष्पादन और निबन्धन की शर्तों के बारे में बताया है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि स्थानीय निकाय जिन व्यक्तियों को सीधे अपार्टमेंट आबंटित किये जाते हैं, उनके तो आप पट्टे दे रहे हैं। आपने भूखण्ड आबंटित कर दिया। जे.डी.ए. के आक्शन में खरीदा बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिये, उनको एज पर नोर्म्स आज भी प्रोविजन है। इस एक्ट के आधार पर नहीं, आज भी उसका प्रोविजन है और प्रोविजन तो यह भी है कि आज आपसे खरीदेगा, बनाएगा, बेचेगा, पट्टा आप देंगे, लेकिन जो सहकारी समितियां या एग्रीकल्चर लैण्ड होल्डर इस प्रकार का कोई भवन, बिल्डिंग बना

(श्री प्रहलाद गुंजल)

रहा है, उनके नाम लीज-डीड आप जारी नहीं करेंगे, रजिस्ट्री कर देंगे। आप लीज-डीड जारी नहीं करेंगे, टैक्स भी लेंगे। फिर आप उस पर दोहरा नियन्त्रण किस प्रकार से स्थापित कर पाएंगे? आप इसमें गम्भीरता से विचार करें। जे.डी.ए. ने प्लाट आक्शन कर दिया, उस पर मल्टीस्टोरी बन रही है, उसके तो हर फ्लैट को आप भूखण्ड आबंटित कर रहे हैं। एक को-आपरेटिव सोसायटी एग्रीकल्चर जमीन खरीदकर निजी खातेदार अपनी जमीन में अगर कोई मल्टीस्टोरी डवलप कर रहा है, आप उसमें फ्लैट खरीदने वाले व्यक्ति को रजिस्ट्री हो जाने के बाद उसके सुखाधिकार को कानून-सम्मत करने की बात तय कर रहे हैं।

मैं समझता हूं यह आपका एक्ट तो इससे आगे नहीं है। उसका सुखाधिकार, उसका हक कानून सम्मत, पार्किंग पर, उसकी सुविधा पर, उसकी गार्डनिंग पर, जो कुछ भी उसकी टैरिफ है उसमें जो कुछ उसका निर्मित एरिया है उस अपार्टमेंट में, उस भू-खण्ड में जितने अपार्टमेंट बने हुए हैं, जितने-जितने क्षेत्रफल का बना हुआ है उसके अनुसार खाली एरिये का जो स्वतंत्र एरिया है उसका बराबर का हकदार वो होगा और कानून सम्मत तरीके से यह एक्ट पारित होने के बाद उसके सुखाधिकार को, उसके हक को कोई छीनने की स्थिति में नहीं बनेगा।

मंशा आपकी पवित्र है। लोग जायेंगे वहां, रहेंगे, कहेंगे मैं इसका सारी सुविधाओं का, सबका मालिक हूं, मेरा लीगल राइट है, गवर्नमेंट ने मुझे राइट दे दिया लेकिन आप उसको लीज और पट्टा नहीं दे सकते। तो कभी कोई विषम प्रकार की परिस्थितियां, वाद दायर करने के बाद तो वो न्यायालय में आयेगा और न्यायालय में भी आपने जुडिशियल न्यायालय नहीं रखा। न्यायालय, अपनी किसी अथोरिटी को ही आप न्यायिक मजिस्ट्रेट बनायेंगे, आप डाइरेक्टर को बनायेंगे, जे.डी.ए. कमिश्नर को बनायेंगे, डिप्टी कमिश्नर को बनायेंगे। वाद अगर किसी प्रकार का आयेगा तो ऐसी स्थिति में जब उस पर आप लीज नहीं दे रहे हैं, नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से आप कायम नहीं करना चाहते, कानून केवल उसको सुखाधिकार और अधिकार देने के लिए है तो फिर आप उसको न्यायालय में अपने विवाद को लेकर जाने के बजाय अपने अधिकारियों को न्यायिक शक्तियां देते हुए उनके सामने ला रहे हैं। यह दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था है। मैं समझता हूं मंशा ठीक है लेकिन बनाने वाले इस अधिकारी ने, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की परिस्थितियों का अनुभव,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अध्ययन करने के बजाय कोई गुड़गांव जैसे पड़ौस के स्टेट का भूमि अपार्टमेंट का यह कानून उठाया और उसकी नकल कर डाली और वो नकल अब हम राजस्थान में पास कर देंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसको पढ़ने के बाद, इसकी क्लिष्टता को, शब्दों को कि इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है जहां कहीं भी नकल की हो, यह अक्ल जरूर है कि इसकी मंशा निश्चित रूप से ठीक है।

धारा 9 में उल्लेख किया है, आपने राइडर लगाया है। सोसाइटी और संगम के बीच में कोई व्यक्ति जो वहां का कोड आफ कंडक्ट बनेगा, उसकी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा। कानूनी भाषा में आपने मजबूती, सुरक्षा और उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव मजबूती, सुरक्षा पर तो क्या होगा लेकिन जो संगम और सोसाइटी का कोड आफ कंडक्ट है, जो रूल एण्ड रेगुलेशंस हैं उनको फालो करेंगे और फालो करेंगे तो समाज, जीवन में अनुशासन आयेगा और सोसाइटी का अनुशासन लोगों को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करे, ऐसा एटमोस्फीयर होना चाहिए और डिसिप्लिन कायम करने के लिए जो आपका कानून है, मैं समझता हूं सराहनीय है।

अवैध निर्माण का मैं जिक्र कर चुका हूं, लागू है। धारा 10 में जो प्रावधान है राहतकारी हैं, स्वागत योग्य हैं।

अधिनियम की धारा 11 की उप धारा (1) में बिल्डर की बाध्यता के बारे में बताया गया है, क्या-क्या उसके लिए टर्म्स कंडीशन है, किसके लिए वो बाउंड है परन्तु जो परन्तुक इस धारा के साथ जोड़ा गया है, जिसके द्वारा संप्रवर्तक को अपार्टमेंट की बुकिंग से पहले सक्षम अधिकारी की संशोधित घोषणा प्रस्तुत करनी पड़ेगी। घोषणा तो प्रस्तुत करते ही हैं। आज भी कोई बिल्डर बनाता है, जे.डी.ए. में नक्शा पेश करता है, वो उसकी टर्म्स एण्ड कंडीशन सब्मिट करता है। इसमें आगे कहीं दिया है, बुकिंग से पहले सक्षम अधिकारी को 'संशोधित घोषणा', मैं समझता हूं 'संशोधित घोषणा' क्या? क्या वो अपार्टमेंट को बेचने की जो रेट तय होगी या उसके नक्शों की, या क्या संशोधित सूचना होगी? मैं समझता हूं संशोधित सूचना देने का जो प्रावधान किया गया है बुकिंग से पहले, अच्छा होता हम इस घोषणा में बिल्डर को समुचित रूप से संशोधित सूचना किसी अधिकारी को देने के बजाय कहते कि अगर कोई उसके पास संशोधित सूचना है जो अपेक्षा करता है जे.डी.ए. या

(श्री प्रहलाद गुंजल)

स्वायत्तशासी निकाय, उसके अधिकारी को देने के साथ लार्जर रूप से एक विज्ञापन देकर उसका प्रचार-प्रसार करते तो उस अपार्टमेंट के साथ जुड़ने वाले लोग हैं, अगर उससे कोई किसी प्रकार की भ्रांति या कानूनी उनकी निगाह में लीगल काम्प्लिकेसी अगर पैदा होती या व्यावहारिक परेशानी उनके सामने इस कानून के उस संशोधित सूचना के बाद होती, ऐसा एक प्रोविजन डालते कि आपको देने के साथ-साथ इसका एक व्यापक नोटिफिकेशन अख़बार में करते कि मैं स्वयं बिल्डर इस अपार्टमेंट, इस काम्प्लैक्स का निर्माण कर रहा हूं और मैं यह संशोधित सूचना सब्मिट कर रहा हूं। इन सूचनाओं को मद्देनजर रखते हुए ही आपको क्या दे दिया, खरीदने वाले को उसकी जानकारी नहीं है। अपार्टमेंट का स्वामी जिसको कहा है, आपको संशोधित सूचना क्या दी है, क्या गारंटी है कि वो बिल्डर उस संशोधित सूचना और वो कानूनी पहलू से निश्चित रूप से बच जायेगा। अगर संशोधित सूचना को जो आपको दे दी, उसको छिपा कर भी अपार्टमेंट स्वामी के साथ कोई डीलिंग कर लेगा तो निश्चित रूप से वो कानूनी पेचीदगियों से बच जायेगा। इसलिए वो आपको सूचना तो दे और उस सूचना का सार्वजनिक प्रकाशन करे, ऐसी व्यवस्था निश्चित रूप से इस एक्ट में होनी चाहिए तो निश्चित रूप से उसको फायदा मिलेगा।

उप धारा (2) में, बुकिंग के समय जो वायदे किये अगर उससे मुकर जाता है तो 11 के सब-सैक्शन (2) में यह समावेश किया जाना चाहिए कि अगर तयशुदा अपार्टमेंट का कब्जा आबंटी नहीं सौंपता है तो शास्ति और पैनल्टी के अलावा उस पर ब्याज होना चाहिए। आपने दोनों चीजों का उल्लेख तो किया है इसमें, मैंने पढ़ा है, पूरा तो मैं इसको नहीं पढ़ पाया हूं। 11 के सब-सैक्शन (2) के 4 और 5 में, 'अपार्टमेंट के पूर्ण होने या कब्जा दिये जाने में हुए विलम्ब के लिए शास्ति को करार में विनिर्दिष्ट करेगा।' यह तो बिल्डर के ऊपर हो गया लेकिन 'संदाय अनुसूची और क्रेता द्वारा किस्त के असंदाय या विलम्ब से संदाय की दशा में शास्ति को करार में विनिर्दिष्ट करेगा।' अब इसका निर्धारण कैसे होगा? मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं, मैं अगर करार में विलम्ब कर गया तो मेरे ऊपर जुर्माना, जिम्मेदारी, दायित्व, शास्ति, पैनल्टी मैं चाहूंगा कम हो और अगर मैं किसी को बेच रहा हूं, अपार्टमेंट स्वामी को, उसको करार में कर रहा हूं और मैंने ज्यादा कर दिया, निश्चित रूप से इसके लिए जब रूल एण्ड रेगुलेशंस इस एक्ट की लाइट में बने तो यह तय होना चाहिए कि उसका निश्चित प्रतिशत ब्याज, जितनी राशि बकाया देनी रह गयी, संदाय

(श्री प्रहलाद गुंजल)

करनी रह गयी, चाहे वो बिल्डर की तरफ से कमी रही हो, चाहे वो अपार्टमेंट स्वामी की तरफ से कमी रही हो, दोनों के ऊपर जो शास्ति हो, रूल एण्ड रेगुलेशंस में समान रूप से इस बात का जब तक उल्लेख नहीं होगा, मैं समझता हूं आपकी भावना पवित्र होते हुए भी कई सारे नये-नये विवाद जो रोज पैदा होंगे, जो उलझनें पैदा होंगी, हमारा एक्ट उसका समाधान नहीं कर पायेगा।

इसीलिए धारा 12 में अपार्टमेंट विलेख की विषय-वस्तु के बारे में अंकन किया गया है, यह अच्छा कदम है। ऐसी व्यवस्था निश्चित रूप से की जानी चाहिए।

धारा 14 अपार्टमेंट स्वामियों का संगम और उससे सम्बन्धित उप-विधियों के बारे में, यह मेरे समझ में नहीं आयी। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, धारा 14 (2) प्रत्येक संप्रवर्तक:- (क) उस दशा में जहां किसी भवन से, अपार्टमेंटों में से दस', यह दस का क्राइटेरिया क्या है? अपार्टमेंट अगर हजार बना दिये, पांच-पांच सौ भी बन रहे हैं, चार-चार सौ बन रहे हैं। 'दस या दो-तिहाई से अधिक, इनमें से जो भी अधिक हो।' अगर हजार है तो एक तरफ दो-तिहाई कह रहे हैं और एक तरफ दस कह रहे हैं। यह दोनों के बीच का जो अन्तर है, मैंने बहुत बड़ा काम्प्लैक्स बनाया है, उसमें 500 फ्लैट हैं अगर उसमें दस की बात करेंगे और दो-तिहाई करेंगे तो उसकी गणना 350 के पास पहुंचेगी और दस को अगर हम गणना करेंगे तो वो दस ही रह जायेंगे। मैं समझता हूं कि इस पर भी बिल्डिंग में बनने वाले टोटल अपार्टमेंट की सीमा निर्धारित करते हुए दो-तिहाई या दस उल्लेख किया जाना चाहिए और उस सीमा के बाहर अगर कोई ज्यादा अपार्टमेंट बनाता है तो उसका भी इसमें स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

मैं समझता हूं यह एक्ट बहुत अच्छा है। धारा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, आपने प्रिविलेज दिया है, सुविधाएं दी हैं, निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। आपने धारा 23 में कहा है, जो तथ्य उल्लेखित हैं, थोड़ी शिथिलता प्रदान की जाए। संगम अगर कोई वायलेशन करता है तो उसकी सुविधाएं काट देगा। आजकल मकान मालिक किरायेदार की पानी-बिजली नहीं काट सकता, न्यायालय उसको प्रोटैक्ट करता है। संगम उसकी सुविधाएं काट देगा। उसके सुखाधिकार को छीनने का अधिकार किसी भी संगम को नहीं है। मानवीय

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जरूरतें, जो जरूरी सुविधाएं हैं उन्हें कोई भी व्यक्ति किसी भी सूरत में नहीं काट सकता।

मैं फिर वहीं आ गया कि सक्षम अधिकारी के सामने आपने प्रकरणों का न्यायपूर्ण निस्तारण का जो प्रिविलेज किया है 25 में, यह सक्षम अधिकारी कौन है? हम अपना लीज होल्डर नहीं मान रहे उसको निजी बिल्डर को जो एग्रीकल्चर पर, हाउसिंग सोसाइटी पर बना रहा है और वहां का जो विवाद है उसके न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए जो सक्षम अधिकारी तय कर रहे हैं, यह कौन है सक्षम अधिकारी? हम तो उसको लीज दे नहीं रहे। हम उसको अपना रजिस्ट्री पट्टा नहीं दे रहे हैं।

(21.00 बजे)

रजिस्ट्री वह मालिक के नाते सोसायटी होल्डर या निजी खातेदार है, उसकी रजिस्ट्री करा रहा है। फिर अगर उसका विवाद होगा तो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहां जाने दीजिये न। आप तय कर दीजिये कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसके क्षेत्राधिकार में आयेगा, वह न्यायालय सुनेगा। मैं समझता हूं कि इसमें आप यह प्रोविजन करेंगे तो ज्यादा न्यायसंगत होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस भावना से यह बिल लाया गया है, इस बिल के क्लाज में मामूली सी विसंगतियां हो सकती हैं। कुछ सुधार की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन आज जो महानगरीय कल्चर बढ़ रही है आबादी के साथ-साथ, महानगरीय कल्चर में, फ्लैट सिस्टम में न केवल सुविधाएं हैं बल्कि सुरक्षा भी है। सोसायटी बनाकर के रहना, आदमी जो एकाकी जीवन जीने लगा है, जिस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति बन गयी है। अब 'वसुधैव कुटुम्बकम्' संयुक्त परिवार प्रथा खतम हो गयी कि दो आदमी काम करने के लिए चले जायेंगे तो पीछे घर पर पांच आदमी बैठे हैं। वह प्रथाएं, प्रचलित परम्पराएं समाप्त हो गईं।

आज पति-पत्नी दोनों नौकरी जाते हैं और घर पर ताला लगाकर जाते हैं। जब कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, चोरियां और लूट, डकैतियां बढ़ रही हैं, ऐसे समय में एकाकी परिवारों की सुरक्षा भी है इसलिए मैं समझता हूं कि यह अपार्टमेंट बिल समय की मांग है, जरूरत है। सरकार का प्रगतिशील कदम है। मैं इसका समर्थन करता हूं। माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं। लेकिन इसमें जो आवश्यक संशोधन हैं, निश्चित रूप से उस पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मानानीय सभापति महोदय, मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है, मैं आपकी अनुमति से सदन से उसे वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): टू दी पाइंट बोलूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्यों की भावना का आप थोड़ा ध्यान रखना।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं और आसन की भावनाओं की कद्र करते हुए बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखने का प्रयास करुंगा। जो तथ्य आ चुके हैं, उन्हें रिपीट नहीं करूंगा। बिन्दुवार, सिर्फ तीन बिन्दु रखूंगा। माननीय मंत्री महोदय जब अपना जवाब देवें तो वह आ जायें।

माननीय सभापति महोदय, मैं कोई भूमिका भी नहीं बांधूंगा आज। किसलिए यह एक्ट लाया गया है? इससे क्या फायदा होगा? क्यों जरूरी हो गया? यह सारे विषय बहुत लम्बे थे। लेकिन माननीय मंत्री महोदय अपने रिप्लाई में सब बता देंगे कि हमारे शहर बढ़ रहे हैं। जमीन कम पड़ रही है। अब बिल्डिंगों की ऊपर जाने की आवश्यकता रह गयी है। फैलने की आवश्यकता कम हो गयी है। इन सारे विषयों को मैं संक्षिप्त में करता हूं।

माननीय मंत्री महोदय, पहला जो मैं आपके सामने पाइंट रख रहा हूं, वह यह है कि यह एक्ट एप्लाई किस पर होगा? आपका सैक्शन 2 यह कहता है कि यह एक्ट किन-किन प्रोविजंस या बिल्डिगों पर एप्लाई होगा "The provisions of this Act shall apply to every apartment in any building constructed or converted into apartments by a promoter before or after the commencement of this Act on a free hold land or on a lease hold land, if the lease for such land is for a period of thirty years or more." कैसी भी बिल्डिंग हो, फ्री होल्ड पर बननी चाहिए या थर्टी ईयर और मोर के पीरियड की लीज होल्ड प्रोपर्टी पर बननी चाहिए। एक सबसे बड़ी भूल जो यहां हुई है वह यह हुई है कि बिल्डिंग इल्लीगल भी बनी है, तो भी क्या आप इसको लीगल बिल्डिंग मानते हुए आगे आपने इसमें जो प्रोविजन बनाये हैं, उसका कर सकेंगे? जिस बिल्डिंग के बारे में कोर्ट में विवाद चल रहा है लीगलिटी के बारे में। सैटबैक नहीं छोड़ा, हाइट ज्यादा कर दी, जितना एरिया था उससे कम कर दिया। जो प्रोविजंस रखने चाहिए पार्किंग के वह प्रोविजन नहीं रखे। उन सबको भूल गये हैं आप।

(श्री जोगाराम पटेल)

बाकी सारे जितने भी एक्ट हैं इंडिया के, उन सारे एक्टों में, मैं उदाहरण के लिए दो-तीन एक्ट लाया हूं, जैसे यह कर्नाटक का एक्ट है "The Karnataka Apartment Ownership Act, 1972" इस एक्ट में या किसी भी एक्ट में लें तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है "Lawfully constructed buildings" अपने को इसमें लिखना पड़ेगा "Lawfully constructed buildings" जैसे "Haryana Apartment Ownership Act, 1983" का, इसमें "…. that the provisions of this Act shall apply to every apartment 'lawfully constructed'." मेरा आपसे निवेदन है आप इसमें यह नहीं मानें कि मेरा सुझाव गलत है, आप इसको थोड़ा कंसीडर करें। उस बिल्डिंग के, उस अपार्टमेंट के लिए एप्लाई करें जो ''Lawfully constructed" है, वर्ड इसमें डालें "Lawfully" इसको डालने के बाद में सारे जो आपकी शंकाएं हैं वह खतम हो जायेंगी। एक तो मेरा पहला पाइंट यह है कि इल्लीगल बिल्डिंग जो है, जो बिल्डिंग बाई लाज के अगेंस्ट में है, कोई भी बिल्डिंग बिना बाई लाज फालो के नहीं बन सकती है। बाई लाज को बिना फोलो किये अगर बिल्डिंग बन गयी है और उसमें जो प्रमोटर है, डवलपर है, प्रमोटर कहेगा कि मैंने बेच दी है। जब लीज डीड रजिस्टर्ड हो जायेगी, वह कहेगा कि मुझे ओनरशिप का राइट है, तो ओनरशिप राइट हो ही नहीं सकता। क्योंकि वह बिल्डिंग ही इल्लीगल है। एक तो यह मेरा पहला पाइंट है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा जो पाइंट है वह यह है कि आपने इसमें वर्ड यूज किया प्रमोटर, प्रमोटर द्वारा की हुई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर ही यह पूरा एक्ट लागू होगा और किसी पर लागू नहीं होगा। लेकिन सभी अच्छी तरह से जानते हैं, सबको पता है कि खाली प्रमोटर ही नहीं है, प्रमोटर को आपने डिफाइन कर दिया। वह डिफाइन किया आपने सैक्शन 2 के 'यू' में और उसमें प्रमोटर जो है "Promoter" means a person, who constructs, or causes to be constructed, the building or converts, or causes to be converted, a building into apartments and where the person who constructs or converts is different from the person who owns the property, the term includes both of them" इसमें इनक्लूड है "Promoter" means person अब Who is a person? वह आपने डिफाइन कर दिया सैक्शन 2 के 'एस' में "Person" includes a company, a firm and a joint family." यहां जोइंट फैमिली का जो कनसेप्ट दिया है, जिसने भी जोइंट फैमिली का कनसेप्ट दिया है वह हिन्दू ला से अवेयर नहीं है। उसको डिफाइन किया है आगे 'क्यू' में, जोइंट फैमिली "Joint family" means a Hindu undivided family" यहां तक तो हिन्दू ला का कनसेप्ट है!

(श्री जोगाराम पटेल)

अगला आते ही हिन्दू ला का कनसेप्ट खतम हो जायेगा "..and in a case of the other persons, a group or unit, the members of which they are custom, joint in possession or residence" तो यहां आते ही हिन्दू ला का कनसेप्ट खतम हो जाता है। हिन्दू ला का जो "Joint undivided family" means a group of person either may be resided or may not be resided. वह हिन्दू ला का कनसेप्ट खतम करता है। इसलिए आपने पर्सन में इनक्लूड किया "company, a firm and a joint family and also any association of persons, whether incorporated or not." But forget all these things; (1) an autonomous body. It may be a Corporation, it may be a Municipal Corporation, it may be a Municipality, it may be a Panchayat. तो बाडी कारपोरेटेड जितनी भी हैं, अगर उन्होंने अपनी बिल्डिंग बनाई तो वह इससे कवर नहीं होंगे। वह बना सकते हैं। उनका राइट है। कई जगह बना भी रही हैं। उसको इन्क्लूड नहीं किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन यह है कि इसमें आपने सिर्फ पर्सन को डिफाइन किया है। आपने प्रमोटर और प्रमोटर की डेफिनेशन दे दी, पर्सन और पर्सन में इन्क्लूड जो नहीं किये हैं वह रजिस्टर्ड सोसायटी। मैक्सिमम बिल्डिंग वह सोसायटियों द्वारा बनाई जाती हैं। लेकिन सोसायटी को इन्क्लूड नहीं किया है। आटोनोमस बाडी जो है, या बाडी कारपोरेटेड जिसको हम कहते हैं, उसको इन्क्लूड नहीं किया है। गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट को इन्क्लूड नहीं किया है। उनके द्वारा जो बिल्डिंगें बनेंगी वह इनसे कवर नहीं होंगी।

उसके बाद में आपने इसमें फ्री होल्ड की प्रोपर्टी होनी चाहिए। साथ ही यह लिख दिया "On lease hold land.'' "…if the lease for a…." फलां, फलां। अगर कोई प्रोपर्टी मेरे खुद की आन प्रोपर्टी है और वह फ्री होल्ड जिस सेंस में आपने किया है, वह है फ्री होल्ड राइट डिक्लियर करने का। अगर खुद की ओनरशिप की प्रोपर्टी है, उसमें यह प्रोपर्टी नहीं है। तीसरा मेरा निवेदन यह है कि आपने फ्री होल्ड लीज तो कर दी है, लेकिन इसमें करना चाहिए प्रोपर्टी बेस आन टाइटल और बेस आन टाइटल नहीं है तो यह एक्ट उन प्रोपर्टीज पर एप्लाई नहीं होगा जो मेरी ओनरशिप की प्रोपर्टीज हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा निवेदन है वह यह है कि इल्लीगल कंसट्रक्टेड बिल्डिंग जो हैं, उनके बारे में आपको कोई न कोई खुलासा करना पड़ेगा। उन बिल्डिंगों के बारे में खुलासा करना पड़ेगा जो डिसप्यूटेड हैं। उन बिल्डिंग के बारे में खुलासा करना पड़ेगा जिसका प्रोपर्टी

(श्री जोगाराम पटेल)

राइट डिसप्यूटेड है। उन बिल्डिंगों के बारे में आपको खुलासा करना पड़ेगा जिन बिल्डिंगों के बारे में किसी न किसी आनरेबल कोर्ट में, It may be a High Court or it may be a Supreme Court में ऐसा लिटिगेशन चल रहा है। Specially for example जोधपुर में इल्लीगल बिल्डिंग को तोड़ने के लिए केस चला। जिसके खिलाफ था उसने लाकर के 52 बिल्डिंगों की लिस्ट दी कि यह 52 की 52 बिल्डिंग इल्लीगल हैं। हाई कोर्ट ने उन सबको भी नोटिस दे दिया कि उनको भी तोड़ो। वह 52 वाले आये उन्होंने एक-एक ने किसी ने 2, किसी ने 5 दे दी कि इतनी इल्लीगल बिल्डिंग हैं। तो आपके इसको सब एस्केप करते हुए, उस बात को छिपाते हुए सब लोग लाकर लीज ले लेंगे तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा तो इस बात का खुलासा करना है। यह तो मेरा पहला था।

सैकण्ड मेरा था, आपने जो बिल्डिंग अलोटेड और अदरवाइज लिखा है सैक्शन-2 में बिल्डिंग और फ्री होल्ड लिखा है, उसके सम्बन्ध में मेरा यह है कि ऐसी कोई बिल्डिंग है जो ओल्ड, पहले जो आलरेडी बन गई है न तो वह लीज पर है और न वह फ्री होल्ड है और चूंकि आपने सैक्शन 2 में एप्लीकेबल बिफोर और आफ्टर दोनों किया है, जैसा कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य अभी बता रहे थे इसलिए इस एम्बीग्यूटी को भी क्लीयर करना पड़ेगा क्योंकि यह एक्ट लाने के बाद तो वह लीगली कवर होगी वह सब इसमें आता है लेकिन चूंकि आपने इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई ला बनाया जाता है तो उसका रीजन भी देना पड़ता है और आपका जो रीजन है, एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स हैं उसमें आपने एक वर्ड नहीं लिखा है। जनरल ला यह है कि Every law be enacted for prospective use. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के लिए बहुत कम केसेज बन बनते हैं, बहुत रेयर, रेयर एग्जाम्पल केसेज होते हैं। अब आपका एम एण्ड आब्जेक्ट क्या है? एम एण्ड ओब्जेक्ट का देखें, "With a view to securing that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as to subserve the common good, it is expedient to provide for the ownership of an individual apartment in a building and of an undivided interest in the common areas and facilities appurtenant to such apartment and to make such apartment and interest heritable and transferable and provide for matters connected therewith or incidental thereto." तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का एक लाइन का एम एण्ड आब्जेक्ट में नहीं है। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ला कैसे बना सकते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ला बनाएंगे तो उसका रीजन देना पड़ेगा जबकि जो

(श्री जोगाराम पटेल)

मेन एम एण्ड आब्जेक्ट है, जिसके लिए ला बनना चाहिए वह एम एण्ड आब्जेक्ट होने चाहिए, वास्तव में है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जो इनकारपोरेट होना चाहिए एम एण्ड आब्जेक्ट में, "Consequent upon the shortage of lands in urban areas, the majority of the citizens of urban areas of the State can not think in terms of owning houses on individual basis. Though there is a tendency to construct multi-storied flats, apartments, and the like on ownership basis, intending persons can not purchase flats, tenements, or apartments in multi-storied building as they will not have a marketable title thereto and can not obtain any loan by mortgaging such flats, tenements, etc. Consequently tenements constructed by the Housing Board..."...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इतना लम्बा क्या पढ़ना है, टेबल कर दो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप अपना काम किया करें माननीय सदस्य, आपको उचक-उचक कर बोलने की आदत है, यह अच्छी नहीं लगती है और आपको शोभा भी नहीं देता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या पढ़ रहे हो?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): Who are you to ask me? What object you have?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या पढ़ रहे हो? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपके समझ में भी नहीं आएगा, कभी पढ़ा नहीं, पता ही नहीं है कौनसी भाषा है यह।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फिर भी वापस लेंगे आप। 15-20 मिनट करके फिर वापस ले लेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): वह क्या करता हूं यह मेरा जूरिस्डिक्शन है।

"... for example can not be sold to the tenants who can not raise any loan on the security of such tenements with the result that an enormous amount of capital will be locked up, which can be utilized for new constructions to meet the increasing demands for housing. यह मेन आब्जेक्ट है कि आज की तारीख में भूमि की कमी है, हर व्यक्ति मकान बना नहीं सकता, हर व्यक्ति बिना आनरशिप के अपना कोई लोन ले नहीं सकता, मोर्गेज कर नहीं सकता

(श्री जोगाराम पटेल)

तो इस एम एण्ड आब्जेक्ट के साथ रखना चाहिए था, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से करने के लिए आपको रीजन बताने चाहिए थे इसलिए आपका जो एम एण्ड आब्जेक्ट है वह भी सही नहीं है।

तीसरा मैं निवेदन कर रहा था माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान) सैक्शन 4 में जो राइट दिए है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से रहेगा। उसमें मेनली रहेगा क्योंकि इस प्रमोटर की जगह आपको डवलपर, रजिस्टर्ड सोसायटी, आटोनोमस बाडी, इन्क्लूड करना पड़ेगा। लास्ट जो मेन आपने सैक्शन बनाए हैं सैक्शन 25 और सैक्शन 26 जिसमें आपने काम्पीटेंट अथोरिटी उसके फंक्शन्स और अपीलैट अथोरिटी बनाई है। इसमें आपने पर्टीकूलर टाइम भी दिया है कि डिस्प्यूट को पर्टीकूलर टाइम में डिसाइड किया जाए। आज दिन तक जितने भी एक्ट बने हैं...(व्यवधान) उसमें डिसाइड करने के कोई भी प्रोविजन नहीं बने हैं और उसकी कोई पालना भी नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मंत्रीजी अपना काम कर रहे हैं कोई बात नहीं सुन रहे हैं इनकी, बेकार समय खराब कर रहे हैं, इन्होंने तय कर रखा है कि क्या करना है, आप चाहे एक घण्टे तक बोलते रहो। पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं, कागज तैयार करके लेकर आए हैं वही बोलेंगे जो कागज लेकर आएंगे और आप तो एक घण्टे तक बोलते रहो चाहे, क्यों समय खराब कर रहे हो?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इनके समझ में आएगा भी नहीं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि यह जो काम्पीटेंट अथोरिटी हमने बनाई है सैक्शन 25 में और आपने फाइनेंशल मेमोरेण्डम जो दिया है और फाइनेंशल मेमोरेण्डम में आपने कहा है, "Clauses 25 and 27 of the Bill involve expenditure from the Consolidated Fund of the State. However, presently the officers posted at Development Authorities, Housing Board, UITs and Local bodies will be authorized by the State Govt. as Competent Authority and Collectors and Additional Collectors etc." आप मेरे तीन निवेदन सुन लें।

पहला, जो गवर्नमेंट के आफिसर्स हैं He may be Administrative Officer, Collector or Additional Collector और जो भी हैं उनके पास पहले से ही

(श्री जोगाराम पटेल)

इतना ज्यादा वर्क है कि इतना बड़ा प्रोपर्टी डिस्प्यूट इसके द्वारा आएगा उस प्रोपर्टी डिस्प्यूट को वह सोल्व नहीं कर सकते और आपने इसमें टाइम लिमिट बांध दी, 180 दिन शायद और उसके अन्दर किसी भी रूप में पोसीबल ही नहीं है कि वह इस टाइटल के डिस्प्यूट को 180 दिन में कर सके।

दूसरा यह कि टाइटल डिस्प्यूट करने से गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है, स्टाम्प ड्यूटी मिलती है अगर कोर्ट में जाए, सिविल कोर्ट में जाएं या आप किसी को पावर दें तो जो रेवेन्यू मिलने वाला है टाइटल डिस्प्यूट डिसाइड करने से, वह रेवेन्यू इससे मारा जा रहा है। आज 1 करोड़ के फ्लैट का फैसला करेगा तो 1 करोड़ पर कोर्ट फीस के रूप में जो रेवेन्यू स्टेट को मिलने वाला था वह नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की तरह का आपने पावर, सिविल कोर्ट का पावर इनको दे दिया। कभी कलक्टर साहब बैठे, कभी एडीएम साहब बैठे, कभी एसीएम साहब बैठे, कभी नहीं बैठे, कभी पोस्टिंग हुई, कभी पोस्टिंग नहीं हुई तो जो मेन आब्जेक्ट है कि इसका तुरन्त निर्णय हो जाए, कम से कम खर्च में हो जाए, कम से कम डिस्प्यूट रहे, पूरा नहीं हो पाएगा। हमारा अनुभव कहता है कि ऐसे जितने भी एक्ट में पर्टीकूलर टाइम पीरियड जो बांधा गया उसमें कोई फैसले नहीं होते हैं या कोई आर्डर नहीं होते हैं। इसीलिए इसका जो राइट है, प्रोपर्टी डिस्प्यूट डिसाइड करने का वह सिविल कोर्ट को ही दिया जाए ताकि वह डिसाइड करे और जो अथोरिटी आपने दी है उसकी कोई क्वालीफिकेशन, उसकी टर्म एण्ड सर्विस नहीं दिया है सिर्फ आपने फाइनेंशल मेमोरेण्डम दे दिया कि हमारे आफिसर्स हैं इसलिए अलग से इस पर कोई खर्च नहीं आएगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि इस पर स्पेशली जो प्राइवेट डिस्प्यूट है प्रोपर्टी का उसको डिसाइड करने के लिए अपने आफिसर्स को आप अंगेज कर रहे हैं और उसका ले कुछ भी नहीं रहे हैं जबकि इसकी जगह आप सिविल कोर्ट को फ्री करेंगे या किसी और कोर्ट को फ्री करेंगे तो वह अपने प्रोपर्टी राइट डिस्प्यूट का तय कराएंगे रेवेन्यू भी मिलेगी और आपके जो आफिसर्स हैं वह अननेसेसरिली इसमें अंगेज भी नहीं होंगे। इस बारे में भी आप विचार करें।

लास्ट में मेरा निवेदन है कि स्पेशली अपीलेंट अथोरिटी भी जो आपने बनाई है उन दोनों की, अथोरिटी और अपीलेंट अथोरिटी की कोई क्वालीफिकेशन नहीं है, It may be a one tenure Officer or it may be a 20 years

(श्री जोगाराम पटेल)

of any Officer. आप किसको रखेंगे, आज पोस्टिंग हुई है, आपने सीधे वहां राइट दे दिए, 20 साल का एक्सपीरिएन्स है उसको दे दिया तो भी हो गया, अगर आपने आरएएस आफिसर को अथोरिटी बना दी, आईएएस को अपीलेंट अथोरिटी बना दी तो वह कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इसीलिए इस बारे में भी कोई न कोई आइदर तो रूल फ्रेम के तहत राइट दें या क्वालीफिकेशन या ऐसा कोई गाइड लाइन दें जिसके तहत अथोरिटी और अपीलेंट अथोरिटी कौन होगा, उसका टेन्योर क्या होगा उसमें वह उसके साथ ही रहेंगे या अलग से रहेंगे, यह सारी बात इसमें एम्बीग्यूटी है। मेरा माननीय मंत्रीजी, आपसे निवेदन है कि इन सबका खुलासा नहीं करने से जो पब्लिक को राइट देने की कोशिश कर रहे हैं उससे उल्टा होने की सम्भावना है इसलिए इस बारे में भी पढ़कर इसे आप विशेष रूप से देखें। अपील अथोरिटी के जो पावर्स दिये हैं समथिंग दी विटनेस, प्रोडक्शन आफ डाकूमेंट, आर्डर्स, पर इसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा, एक्जीक्युशन कैसे होगा, वह इसमें है ही नहीं। बाकी सिविल कोर्ट के सब राइट दे दिये, गवाह को बुला दिया, कागज बुला दिये, डाकूमेंट बुला दिये, लेकिन आर्डर होने के बाद उसका एक्जीक्युशन कैसे होगा। एक्जीक्युशन के लिए वापस सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा या इनको आर्डर है? इसके एक्जीक्युशन के प्रोविजन होने चाहिए। मोटे तौर पर कुछ बातें जो समय को देखते हुए मेरे ध्यान में थीं वे मैंने आपसे निवेदन कीं।

मैं पुनः आपसे इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि यह समय की आवश्यकता है। जैसा महाराष्ट्र अपार्टमेंट एक्ट 1970 का है, हरियाणा का 1983 का है, कर्नाटक का 1972 का है, सारे एक्ट को एक बार देख लेंगे तो इन सभी एक्ट में बिलकुल स्पष्ट है, कोई एम्बीग्यूटी नहीं है, पर राजस्थान एक्ट में इतनी एम्बीग्यूटी है, इसको क्लीयर करें। मेरा इतना ही निवेदन है।

माननीय मंत्री महोदय, आपको पुनः धन्यवाद दूंगा कि प्रोस्पेक्टिव बिल आप लेकर आए, जनता के हित के लिए लेकर आए, लेकिन जिस भावना से आप लाए उसकी कद्र की जा रही है, उसका स्वागत किया जा रहा है। साथ ही इसको क्लीयर भी करें।

अंत में एक लाइन का मेरा निवेदन यह रहेगा कि इन मल्टीस्टोरी बिल्डिंग के सम्बन्ध में रेजिडेंशियल प्रिमिसेस हैं उन्हीं को काम में लेंगे या कामर्शियल को भी काम में लेंगे, यहां यह क्लीयर नहीं किया गया है क्योंकि

(श्री जोगाराम पटेल)

मल्टीस्टोरी बिल्डिंग सिर्फ रेजिडेंशियल काम आती है उसके लिए एक्ट होना चाहिए। यह कोई पैसे कमाने वाले के लिए नहीं है। किसी व्यक्ति ने यदि कुछ भी नहीं किया मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बना दी और वहां जाकर बहुत बड़े शोरूम खोल दिये। आजकल तो बड़े-बड़े माल बनते हैं और माल में अगर यह एक्ट अप्लाई हो गया तो भी बहुत रेवेन्यू का नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसको भी क्लीयर करें कि यह रेजिडेंशियल परपज के लिए रहेगी या और किसी परपज के लिए रहेगी। आपने समय दिया माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापतिः आपका संशोधन कायम है?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैंने जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है उसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापतिः श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि दिमाग का खजाना लगाया है इस नियम को बनाने में और यह बहुत ही अच्छा साबित होगा।

नियम पढ़कर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आनरशिप में एक तो होता डवलपर, एक होता है लैण्डलार्ड और एक होता है जिसके नाम आनरशिप होगी, इन तीनों का क्या-क्या दायित्व रहेगा वह इन नियमों में कहीं न कहीं थोड़ी सी कमी है।

किसी बिल्डिंग को डवलपर ने डवलप किया। आपने एक चीज तय कर दी, लीगल व इल्लीगल का पाइंट आया, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, अब आप उस बिल्डिंग को बिल्डिंग कम्प्लीशेसन सर्टिफिकेट देने से पहले जो सुविधाएं हैं बिजली और पानी की, अगर वे सुविधाएं नहीं दीं तो जो बोनाफाइड परचेजर होगा वह कहीं इल्लीगल के कारण दुविधा में नहीं आएगा। यह कम्प्लीशेसन सर्टिफिकेट उसमें इश्यू करेंगे जिससे आनरशिप या स्वामित्व वाला है वह कहीं न कहीं दोषी नहीं होगा।

पार्किंग वाला विषय बीच में आया। पार्किंग कम्प्लसरी होनी चाहिए। अब होता यह है जैसे आपने बीच में एक शेड दिया। अब शेड का कामर्शियल यूज भी कर सकेगा। आप यह बताओ कि लैण्डलार्ड ने अपार्टमेंट दे दिया, उसने जो पार्किंग के लिए शेड रखे हैं उसे उन्होंने कामर्शियल यूज के लिए दूसरे

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

किसी को बेच दिया तो इसका क्या होगा? जो पार्किंग के लिए शेड हैं और दूसरा जो डवलपर है वह बनाएगा। जितने भी फ्लेट बनेंगे उस फ्लेट के हिसाब से वे पार्किंग पैसेज आप तय करिये कि इतने एरिये में इतना पार्किंग पैसेज होना ही चाहिए तभी उस बिल्डिंग का प्लान पास होगा। वह सारा होने के बाद उसका बिल्डिंग कम्प्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, अभी जैसे एक माननीय सदस्य ने बताया कि इल्लीगल व लीगल, आपने कोर्ट का अधिकार अपने अधिकारियों को दिया। मैं मानता हूं यह ठीक है। इसका कारण है कि प्लान पास करने वाले अधिकारी इस बात को जस्टीफाई कर लेंगे कि इसमें लीगल कौन है, इल्लीगल कौन है। आखिर कोर्ट भी अधिकारियों को बाद में कहेगा। जो भी आनरशिप अधिकारी हैं, परचेजर है वह परचेजर कोर्ट में जाए और कोर्ट अधिकारियों को कहे कि इसको तोड़ो। इससे अच्छा है अभी जो इस नियम में लाये हैं। वकील लोग हैं, सिविल कोर्ट में मैटर जाएंगे तो वकीलों की सारी वकालत चलेगी इसलिए आपने तो अपने पेशे के हिसाब से ठीक रखा होगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं आपने अधिकारियों को जो सुनवाई का मौका दिया है यह अच्छा दिया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह एक बहुत लम्बी सोच है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र पैटर्न, महानगरों के हिसाब से इस नियम को लाये हैं, मैं तो यह मानता हूं कि यह नियम बहुत पहले आ जाना चाहिए था, अभी आया है। बहुत अच्छा लाये हैं। ये दो-तीन बातें हैं। एक तो लीज के मामले में। फ्री होल्ड लैण्ड और लीज, इन दो के बारे में थोड़ा-सा और इन नियमों में क्लीयर करना पड़ेगा। दूसरी बात, जैसे कोई गवर्नमेंट लैण्ड है या गवर्नमेंट प्रोपर्टी है उसमें कोई डवलपर डवलप करेगा तो कितना पार्ट गवर्नमेंट को देगा, कितना आगे लेने वाले परचेजर को देगा, यह थोड़ी सी दुविधा है इन नियमों में। बाकी सारी बातें आपने डाल दी हैं। मैं इस नियम का बहुत स्वागत करता हूं और मैंने जो जनमत जानने के लिए दिया है उसको वापस लेने की आपसे इजाजत चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015 को मैंने जनमत जानने के लिए परिचालित करने का निवेदन किया है। लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत शानदार तरीके से इस एक्ट में जो कमियां थीं उनकी ओर पूरे सदन का

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

ध्यान केन्द्रित किया, मैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने हिम्मत जुटायी और जो सरकार ने एक्ट में कमियां छोड़ीं उनका विस्तार से खुलासा किया। लेकिन मैं यह समझ नहीं पाया कि इतना बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी ये डर किससे गये कि जनमत जानने का वापस ले लिया।

माननीय सभापति महोदय, किसी भी विधेयक के ऊपर हम हाउस में चर्चा करते हैं और हम जाकर फील्ड में कहते हैं इस विधेयक को हम पारित कराकर आये। मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया कि विधेयक तो गैलेरी में बैठने वाले अफसर बनाते हैं और वही पारित कराते हैं। हम तो हां पक्ष जीता, ना पक्ष हारा, इतना सा काम करते हैं। (व्यवधान) अभी भी यही होगा, अभी देखना आपकी हालत। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब इतनी कमियां हैं, इतना बड़ा बहुमत आपके पास में है और सबसे ज्यादा सरकार की पैरवी करने वाले लूणी से आने वाले माननीय सदस्य जब इतनी कमियां बता रहे हैं तो क्यों नहीं मंत्री महोदय को निर्देश दें कि इसमें ये संशोधन कर दें, जनमत जानने के लिए परिचालित कर दें। हम तो केवल अपनी बात कहेंगे, इसमें जो कमियां कह सकते हैं संख्या बल में कम होने के कारण से इस एक्ट में परिवर्तन नहीं करा सकते, लेकिन सत्ता पक्ष की इतनी बड़ी कमियों वाला बिल पास कराने की मजबूरी क्या हो गई, यह मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्यों इनकी इतनी सही बातों को दरकिनार करते हुए आज तय करके आये हैं कि मुझे तो यह बिल पारित कराना है, इस बात का थोड़ा संक्षेप में मुझे खुलासा करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, जो नया अपार्टमेंट एक्ट आया है, यह हम जब सुन रहे थे कि आ रहा है, आ रहा है, मैडम के पास गया है, अभी मंत्रीजी ने भेजा है। तो हम समझ रहे थे कि इसमें रहने वाले लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और जो बिल्डर मनमानी और गड़बड़ियां करता है उस पर किसी प्रकार की लगाम लगाने का इसमें कोई प्रावधान आयेगा। लेकिन अफसोस है कि यह एक्ट आने के बाद में हमने पढ़ा, हमारे साथी माननीय जोगाराम जी को सुना तो मेरी समझ में भी आया कि इतनी बड़ी गड़बड़ियों वाला एक्ट मंत्री महोदय क्यों लेकर आये हैं।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): गोविन्द सिंहजी, आपने तो अपना दिमाग लगाया ही नहीं कि क्या करना चाहिए। डवलपमेंट का कुछ सोचा हो तो दिमाग लगेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमारा दिमाग लगाया हुआ चलता कहां हैं हम तो संख्या में थोड़े से जो रह गये हैं इसलिए आप जो दिमाग लगा रहे हो, इतनी बड़ी संख्या है और फिर भी फेल हो रहे हो, यह दु:ख का विषय है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस अपार्टमेंट एक्ट में केवल मैनेजमेंट का दिया हुआ है कि आप चुनाव कैसे कराओगे, आप सोसाइटी कैसे बनाओगे, संचालन कैसे करोगे, मैंटिनेंस कैसे करोगे लेकिन इसके तहत बिल्डर को नियमित और नियंत्रित कैसे करोगे इसकी एक बात भी इस बिल में नहीं आयी है। मैं समझता हूं कि आज जो आवश्यकता थी, जो बड़े-बड़े बिल्डर हैं, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि ये लोगों के साथ उनकी मजबूरी को देखते हुए चीटिंग करते हैं। ये पार्किंग, डाकूमेंटेशन, मैंटिनेंस, विद्युत बैक-अप के नाम का पैसा लेते हैं, पता नहीं कितने-कितने प्रकार के पैसे लेते हैं और प्रचार-प्रसार ऐसे करते हैं जे.डी.ए. द्वारा एप्रूव्ड, मतलब सब कुछ हो गया। क्या कर दिया जे.डी.ए. ने एप्रूव? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जे.डी.ए. नक्शा पास करता है लेकिन उस बिल्डर ने उस नक्शे के मुताबिक वो बिल्डिंग बनाई या नहीं बनाई, यह उस प्रचार-प्रसार में नहीं आता है। उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसने किस प्रकार का निर्माण कराया है उसकी कोई जांच नहीं होती है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस एक्ट में कहीं भी यह प्रोविजन नहीं है कि यह बिल्डर किस प्रकार से कितने दिन में इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा और अगर नहीं करेगा तो क्या होगा। एडवांस बुकिंग कर लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, लांचिंग, प्री-लांचिंग, पता नहीं क्या-क्या फण्डा रखते हैं और लोग, जिनको मकानों की जरूरत है वो उनके शोषण का शिकार हो जाते हैं। यह पूरा का पूरा जो सिस्टम है, प्रोजेक्ट को कितने दिन में पूरा करेगा बिल्डर, इसके लिए इस एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है। तो फिर मंत्री महोदय, बताने का कष्ट करें कि यह एक्ट किसके लिए बनाया है। कोई जो इस बिल्डिंग में रहता है, उसको अच्छा मकान मिले, उसको सुविधाएं मिलें इसके लिए बनाया है या बिल्डरों को प्रमोट करने के लिए बनाया है। जिस तरह से पी.पी.पी. मोड पर यह सरकार डेढ़ साल से चल रही है उसी तरह से प्राइवेट लोगों को कोई फायदा देने के लिए कहीं यह प्रोजेक्ट तो नहीं बनाया है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि जो गलियों में अपार्टमेंट बना देते हैं और भगवान नहीं करे लेकिन मान लीजिये कहीं आगजनी हो गई,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

और कोई दुर्घटना हो गई तो उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इनमें आज पानी की क्या स्थिति है। मैं निवेदन करूं कि जयपुर में 10 हजार से ज्यादा मल्टीस्टोरी बिल्डिंग हैं, डेढ़ लाख के लगभग फ्लैट्स हैं, 2000 वर्ग किलोमीटर आबादी क्षेत्र में शहर है और डेढ़ लाख में से 15 हजार फ्लैट ही ऐसे हैं जिनको इनकी सरकार का पी.एच.ई.डी. पानी देने की स्थिति कर सकता है। न तो उस बिल्डर की पानी देने की गारंटी है, न उसकी कनेक्शन देने की गारंटी है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर में जो ये अपार्टमेंट बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही हैं ये डार्क जोन एरिया में बन रही हैं, डार्क जोन में आप ट्यूबवैल खोद नहीं सकते, सरकार आपको परमीशन देगी नहीं और आपका पी.एच.ई.डी. कह रहा है कि हम इन बिल्डिंग को पानी नहीं दे सकते। केवल 15 हजार फ्लैट्स को ये दे सकते हैं जबकि डेढ़ लाख के लगभग बिल्डिंग आपकी बनी हुई है। आप कहां इसको ले जाना चाहते हैं, 2011 में मल्टीस्टोरी के लिए पानी देने की बात हुई थी, पालिसी भी बनी लेकिन आज स्थिति यह है सभापति महोदय, कि लोग डार्क जोन में अवैध ट्यूबवैल खोदकर अपना काम चला रहे हैं और इनकी व्यवस्था इसमें किसी प्रकार की नहीं दी गई है।

(21.36 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

कोई अनुमति नहीं लेता है और जे.डी.ए. एप्रूव कर देगा। वाटर वर्क्स से कोई अनुमति नहीं, पानी कहां से आयेगा, किस योजना से आयेगा, आप कहां से पानी पियेंगे, इस तरह की कोई योजना करने का काम नहीं किया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो बिल लाये जा रहे हैं, एक सोची-समझी साजिश के तहत लाये जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, सरकार पर आरोप लगाना चाहूंगा आपकी अनुमति से कि केवल बिल्डर्स को फायदा देने के लिए, लोगों का शोषण किस प्रकार से ये बिल्डर कर सके उसके लिए इस प्रकार के बिल, एक्ट लाये जा रहे हैं। जनता को फायदा देने वाला हमने तो इन चार सत्रों में एक भी ऐसा एक्ट नहीं देखा। हवेलियों का संरक्षण कर लो, झीलों का कर लो, बिल्डर्स को फायदा दे दो, रोडवेज की सम्पत्तियों को प्राइवेट में दे दो, अब कहां से ला रहे हैं और कौन इनको शिक्षा दे रहा है, कुछ पता नहीं।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

माननीय सभापति महोदय, जो बजट पेश किया गया उसमें झलक दिख गई थी कि यह सरकार क्या करने वाली है। बजट में केवल बिल्डर्स को रिलीफ दी गई है, आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं दी गई है। स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है। कम्पनी, फर्म या संस्था भूमि खरीदती तो पहले ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी थी और आजकल कृषि भूमि के भाव से ही उसको जमीन खरीदने की छूट दे दी। अगर रीको के 5 किलोमीटर के एरिया में आ गया तो पहले रीको के हिसाब से डी.एल.सी. रेट होती थी पर आजकल उसमें भी छूट दे दी। जो एक हजार वर्ग मीटर से बड़े आकार के कोई आवासीय या वाणिज्यिक खरीदता था तो उसकी रजिस्ट्री की स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट दे दी। पता नहीं यह सरकार क्या करना चाहती है। यह सरकार केवल मात्र भूमाफियाओं को, बिल्डिंग माफियाओं को, प्राइवेट धन्ना सेठों को पनपाने के लिए इस प्रकार प्रकार के बिल ला रही है। इसलिए मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अगर बिल लेकर आयें तो उन लोगों को सुविधा दीजिये जो अपनी गाढ़ी कमाई से पूरे जीवन में पैसा संचित करते हैं और उस पूंजी को उस बिल्डर के हवाले कर देते हैं और वो बिल्डर किस प्रकार की बिल्डिंग बनायेगा यह उसको पता नहीं है। कितने दिन में वो बिल्डिंग खराब होने वाली है, गिरने वाली है या कोई बड़ा हादसा होने वाला है तो उसका पता नहीं इसलिए इन लोगों की व्यवस्था करने की आपको आवश्यकता थी। ये जो बिल्डर हैं इन पर अंकुश लगाने के लिए एक्ट आना चाहिए था जबकि यहां तो बिलकुल ही उल्टा हो रहा है और हमारे जो सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हैं वो कह रहे हैं कि मंत्रीजी, यह बिल गलत आ गया, इसमें यह प्रोविजन होना चाहिए था फिर भी उसको अनसुना करके अभी आधा घंटे में, एक घंटे में सभापति महोदय, आपकी अनुमति से हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता कर देंगे तो फिर फायदा क्या हुआ? लूणी से आने वाले माननीय सदस्य कितनी तैयारी करके आये थे, मेरा दावा है कि अगर हाई कोर्ट में कहीं इनको पैरवी करनी पड़ती तो दो लाख रुपये से कम फीस नहीं मिलती, इतनी बहस के कारण, पर यहां एक पैसा भी नहीं मिलेगा और गला ठीक करने के लिए बार-बार पानी पीना पड़ रहा है। इसलिए फिर इस बहस का फायदा क्या हुआ? इसका रिजल्ट आना चाहिए। माननीय सदस्यों के सामने जब बिल आता है, हाउस में आता है, उसको पारित कराया जाता है तो मैं समझता हूं कि गुंजल साहब ने कितने शानदार सुझाव दिये वो आप देखिये। विराज रहे हैं सदन में, कितने शानदार

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सुझाव दिये, मैंने भी मेरी समझ से, अक्ल से, जितने दे सकता हूं, दिये लेकिन मंत्रीजी घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। अफसरों से पर्ची लायेंगे और अभी ये घंटे भर में बिल पास कराकर छुट्टी करके घर चले जायेंगे। तो कम से कम इस बात का तो खयाल रखो कि हम किसलिए सदन में बिल पेश कर रहे हैं, किसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। धूम-धड़ाके से तैयारी करते हैं। रात को करते हैं, दिन को करते हैं और उसका रिजल्ट ले-देकर यह होता है कि सरकार में बैठे ब्यूरोक्रेट्स जो ए बी सी डी लिख देते हैं एक्ट में, उसमें से न कोमा हटाना, न फुलस्टाप हटाना, न लगाना। ये जो व्यवस्था है माननीय सभापति महोदय, आप काफी विद्वान हैं। काफी नहीं, बहुत विद्वान हैं इस सदन में। मैं निवेदन करना चाहूंगा...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सुझाव तो दिये नहीं, राजनीतिक भाषण कर रहे हैं। सुझाव तो कुछ दिया ही नहीं आपने। खाली यह ले लो, यह ले लो... वापस लेओ ना आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यहां तो सारे ही राजनीति करते हैं। बच्चों की सगाई करने थोड़े ही आते हैं, यहां तो सारे ही राजनीति की बात करते हैं। सभापति महोदय,...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ना ना, ये कह रहे हैं, वह कैसेट घिस गई है। बार-बार वही शब्द आ रहे हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): इस बिल में कोई कमी नजर आ ही नहीं रही है उनको, क्या सुझाव देंगे वे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिल में तो सारी कमियां हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप एक ही बात को रिपीट करते जा रहे हैं बार-बार।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके तो कुछ समझ में ही नहीं आता। आपको तो सदन का समय बढ़ाने के लिए हमें निवेदन करना पड़ता है। जग जाइये महाराज, अब तो समय बढ़ा दीजिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): यह तो बिल पढ़ा नहीं साहब आपने, पकड़ी गई कमजोरी आपकी।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): हमारा काम तो हम कर लेंगे, लेकिन आपका काम आपको नहीं आ रहा है। आपका काम आपको याद ही

(श्री कालू लाल गुर्जर)

नहीं रहा। आपको कुछ आता ही नहीं, इसलिए आप आपका काम नहीं कर रहे हैं। आप तो अपना काम करिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको संसदीय सचिव होना चाहिए था, गलती से यहां आ गये और जोगारामजी को आपकी जगह होना चाहिए था। यह मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा। मेरी भी थोड़ी बहुत चलती है। मैं निवेदन करूंगा कि यह थोड़ा उलटफेर कर लें तो और ज्यादा ठीक लगेगा। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय,...

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपकी कुछ चलने वाली नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, आप जितना ज्यादा लम्बा करोगे...

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): आपको आगे बैठना चाहिए था।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अगर आपकी चलती तो आप नेता प्रतिपक्ष होते। आप बार-बार कोशिश करते हो कि आप नेता प्रतिपक्ष बनें, बनें लेकिन आपकी जन्मपत्री में योग ही नहीं है। आपकी जन्मपत्री में योग ही नहीं है बनने का।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमारा नेता प्रतिपक्ष परफेक्ट है। हमारा नेता प्रतिपक्ष बिलकुल परफेक्ट हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): वैसे सभापतिजी, माननीय सदस्य को मैं कहूं कि यदि आप चाहें तो सचिन पायलट मेरे मकान के पड़ौस में ही रहते हैं। मैं आपकी सिफारिश कर सकता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप मेरे पड़ौस में रहते हैं। आपको पता है ना, मेरे पड़ौस में रहते हैं आप।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सभापतिजी, माननीय सदस्य संशोधन लाये और वोटिंग की मांग करें। संशोधन करो और वोटिंग की मांग करो। आप तो वोटिंग की मांग करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): भिण्डाजी वाली बात आपके समझ में ज्यादा आयेगी सभापति महोदय, मुझे बता देना कल तक, जो समझ में आ जाये। इसलिए मैं निवेदन करूं, आप बुद्धिमान हैं, काफी समझते हैं, आपको अनुभव है, सदन का भी अनुभव है, कानून का भी अनुभव है। इसमें

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

हमें यह तो बताइये कि यह बिल जो अधिकारी ला रहे हैं, इन पर हम बहस कर-कराकर हमारा गला थकाकर और फिर ताली बजाकर कि हां पक्ष जीता, ना पक्ष जीता, इतना ही करना है या वास्तव में जनता के हित के लिए हम आये हैं, जनता की बात करने के लिए हम आये हैं। जो लोग आज दु:खी हैं इन बिल्डर्स से, उनको सुविधा देने के लिए अगर हम आये हैं तो ये जो सुझाव सदन में आ रहे हैं चाहे सत्ता पक्ष से आये चाहे प्रतिपक्ष से आये, आप निर्देश दें सरकार को कि इसको मानकर, संशोधन करके फिर पारित करें। सारे एक-डेढ़ घंटे भाषण ठोक-ठाक कर फिर कहते हैं कि मैं मेरा जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव वापस लेता हूं। भई, क्यों जबरदस्ती समय खराब किया। इसलिए जो... आप कहते हो, हम नहीं कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि इस एक्ट में जनता के हित में कुछ भी नहीं है। इस एक्ट में केवल बिल्डर्स, भू-माफियाओं को पनपाने का काम किया जा रहा है, इसलिए इसको पारित नहीं करके जनमत जानने के लिए भेजना चाहिए। समय काफी हो गया है वर्ना तो बात और भी कई थीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को सोचना चाहिए कि इस प्रकार का एक्ट में संशोधन किया जाये जिससे जो लोग आज भ्रमित होकर लुटे जा रहे हैं इन बिल्डर्स के नाम पर। पांच साल में, दो साल में मकान खराब हो जाता है। मकान लिया जाता है, उसके बाद में पार्किंग का अलग से चार्जेज लिया जाता है। अलग से डाक्यूमेंटेशन के नाम से लिये जा रहे हैं। आपका अगर एमओयू हो गया, आपका एग्रीमेंट हो गया, अगर उसको चेंज करना चाह रहे हो तो उसका पैसा अलग से लिया जा रहा है। इनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए इनको इस एक्ट में प्रोविजन करना चाहिए। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: डाक्टर फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापतिजी, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, पांच साल तक आपकी सरकार ने शासन किया, उस समय चिंता नहीं थी, लेश मात्र भी चिंता नहीं थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो नये परिवर्तन हुए हैं, उसका एक विषय अपार्टमेंट वाला भी है। मैं एक ही बात कहूंगा जो पहले बन चुके, उनके लिए कोई समीक्षा की प्रक्रिया करके उनको भी व्यवस्थित किया जाये। सामान्य तौर पर जो दोहरापन रहता है, पहले वाले छूट जाते हैं, बाद वालों को मिल जाता है, उसके बारे में निवेदन

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

करते हुए जो मैंने जनमत जानने के लिए परिचालित करने का सुझाव दिया था, उसको विदड्रा करने की अनुमति दें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री केसारामजी चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापतिजी, राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015 आज इस सदन में लाया गया है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इससे पहले जो अपार्टमेंट बने हैं, उन अपार्टमेंटों का स्वामित्व किस तरह से था और अब इस नये बिल से अपन इनको स्वामित्व का अधिकार देने जा रहे हैं तो पहले वालों को किस तरह से इस बिल के दायरे में लायेंगे, उनका स्वामित्व है या नहीं है, इतने दिन यह बिल नहीं था तो क्या वह मालिक नहीं है। कानूनों में ठीक करके थोड़ा सा कोई अमेंडमेंट किया जाता तो सही हो सकता था मगर यह बिल लाकर और इतनी क्लिष्ट भाषा में कोई भी कानून बनाते हैं, कानून किसी के लिए सुविधा के लिए होता है। सरल भाषा में गरीब से गरीब व्यक्ति खुद समझे कि इस कानून के तहत मेरा यह मालिकाना हक होगा, मगर आप तो इतनी क्लिष्ट भाषा ला रहे हैं कि यह तो समझने में भी बड़ी कठिन होती है। इसलिए मैंने जो अमेंडमेंट दिया है, मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मैं मेरे प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री सभापति: श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज या तो कमी बताओगे नहीं, वापस नहीं लोगे अपना प्रस्ताव जनमत जानने का। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, कमी नहीं बता रहा हूं। मैं तो राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015 की प्रशंसा कर रहा हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपको सुनने के लिए ही बैठे हैं हम लोग।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मंत्रीजी ने बहुत दिमाग लगाया है, यह बात बिलकुल सही है। मुझे तो दो-तीन जानकारियां चाहिए। एक तो...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप दबाव में मत आओ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ना, दबाव में नहीं आऊंगा। मैं इनके दबाव में नहीं हूं, इधर के दबाव में हूं। (व्यवधान) और इधर का दबाव...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): हम बैठे हैं पास में, चिंता मत करो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): और विशेष रूप से काका के दबाव में हूं। (व्यवधान) काका ने कहा था। मैं केवल काका के दबाव में हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप यहां से कैसे बोल सकते हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आज आपका गुस्सा कहां गया सभापति महोदय। अगर वो राठौड़ हंस रहा है और आप...

श्री सभापतिः आज ऐसा नहीं महसूस हो रहा, जैसे आसन भी किसी के दबाव में हो।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): ×××

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मैं तो इसमें एक-दो बिन्दु रखकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। (व्यवधान) एक तो यह है...

श्री सभापतिः आपके इस प्रकार के किसी सुझाव का असर आसन पर नहीं होगा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मैं दो-तीन बातें जानना चाहूंगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं मंत्रीजी से दो तीन जानकारियां चाहूंगा। एक तो जो अपार्टमेंट शब्द आया है।

श्री सभापतिः आसन की बगैर अनुमति से जो कुछ भी सुझाव आये हैं, वो अंकित नहीं हो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ठीक बात है, सभापति महोदय.....×××

श्री सभापतिः अच्छा सदन में भी ?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, नहीं, डोटासरा जी जो बोल रहे थे...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, यह शब्द जो बोला यह असंसदीय है इसको तो निकलवाओ, बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री सभापतिः ये अभिव्यक्ति जो माननीय सदस्य ने की है वह अंकित नहीं होगी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ठीक है।

श्री सभापतिः सम्माननीय सदस्य की, मैंने यह नहीं कहा कि सम्माननीय संसदीय कार्य मंत्री की, आप अति विशिष्ट परिस्थिति में हो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मैं तो यह जानना चाहता था कि अपार्टमेंट शब्द आया कहां से? I want to know that what is the difference between the apartment and flat. तो मंत्रीजी यह थोड़ा सा क्लियर कर दें। अपार्टमेंट तो आप लाये, फ्लैट और अपार्टमेंट में क्या अन्तर है और दूसरा डूप्लैक्स का क्या होगा और रा-हाउसेज हैं, उनका भी इसमें क्या रहेगा? एक तो यह थोड़ा स्पष्ट कर दें। दूसरा, किसी एक अपार्टमेंट में आपने फ्लैट दिया है, पार्किग दूसरी बिल्डिंग में दी है और वह एक एग्रीमेंट में शामिल है।

श्री सभापतिः आप यह भी तो पूछिए कि अपार्टमेंट का हिन्दी शब्द क्या है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह बात तो सही है, अपार्टमेंट का हिन्दी शब्द तो मुझे भी नहीं मालूम है। यह मंत्रीजी ही बताएंगे। सभापति महोदय, इसमें एक चैप्टर-8 में 32 जो आर्टिकल है उसमें आया है Bar of jurisdiction of courts etc. इसमें जो दिया है "No court or other authority shall have, or be entitled to exercise, any jurisdiction, power or authority in relation to the matters for which Competent Authority or the Appellate Authority has, or is entitled to exercise, jurisdiction, power or authority under this Act." यानी किसी भी न्यायालय को यह अधिकार नहीं होगा। यह मेरे समझ में नहीं आई, क्यों नहीं होगा? ठीक है, यह मानते हैं कि आपने सक्षम प्राधिकारी को बहुत पावरफुल बना दिया। सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति आप करेंगे और सारा कुछ सुनने का, करने का अधिकार उसी को है या अपीलांट आथोरिटी वह रहेगा। लेकिन यदि इससे भी कोई आगे विवाद बढ़ जाए तो मैं सोचता हूं कि इसका न्याय तो कोर्ट में ही मिलेगा।

(श्री मदन राठौड़)

अब संक्षेप में मैं दो-तीन निवेदन करूंगा सभापति महोदय, इसमें परिभाषाएं जो दी गई हैं (झ) उसमें वाणिज्यिक सुविधाएं, यह जो लिखा हुआ है पेज नम्बर-4 पर तो वाणिज्यिक सुविधाएं का मतलब क्या जिम होगा? ये जिम वगैरह वाणिज्यिक सुविधा में आते हैं या क्या है? फिर इसी प्रकार से एक संयुक्त कुटुम्ब का जो इन्होंने दिया है। उसमें दिया है इकाई जिसके सदस्यों का रूढ़ि के आधार पर संयुक्त कब्जा। रूढ़ि के आधार पर संयुक्त कब्जा, अब रूढ़िवाद को तो सब समाप्त करने पर तुले हुए हैं और ये रूढ़ि के हैं। यह शब्द इसमें बीच में जोड़ा है थोड़ा सा मन में संदेह पैदा करता है। ठीक इसी प्रकार से इसमें आर्टिकल-8 का (2) है उसमें वहां वह स्वयं उस भूमि का निरीक्षण कर सकेगा, तो बिना नोटिस के निरीक्षण कर सकेगा। पहले नोटिस तो देगा, सूचना तो देगा, ''ऐसा भवन सन्निर्मित किया गया है जिसमें कि सम्बन्धित अपार्टमेंट है, या एक या अधिक व्यक्तियों को ऐसी भूमि का निरीक्षण करने के लिए और यह रिपोर्ट करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा कि क्या ऐसी भूमि के सम्बन्ध में किसी उप-पट्टे के निबंधनों और शर्तों का कोई भंग किया गया है और, यदि ऐसा किया गया है तो ऐसे भंग की प्रकृति और विस्तार क्या है'' एक तो यह थोड़ा सा क्लियर कर दें कि बिना नोटिस कैसे जाएगा। सभापति महोदय, इन्होंने आर्टिकल-12 का (4) दिया है...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं यह निवेदन कर रहा था कि आर्टिकल-12 के (4) में दिया है कि सक्षम प्राधिकारी ऐसी शास्ति जो पांच हजार रुपये तक या अपार्टमेंट की कीमत के एक प्रतिशत तक और फिर प्रत्येक दिन एक सौ रुपया, अब यह तो प्रतिदिन एक सौ रुपया मैं सोचता हूं कि किसी अपार्टमेंट के लिए तो बहुत बड़ी हो सकती है और किसी के लिए बहुत छोटी हो सकती है। अलग-अलग अपार्टमेंट पर यह थोड़ा समझ के बाहर है। सभापति महोदय, एक दो बातें और हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जैसे कोई पुराने भवन बने हुए हैं, कई वर्षों पहले, पांच वर्ष, बीस पच्चीस वर्ष पहले उन भवनों की रजिस्ट्री भी हुई है और वहां बिजली, पानी, टेलीफोन के सारे कनेक्शंस भी हुए हैं। इसमें किसी की भी गलती रही हो, अब उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? निर्माण की मानिटरिंग भले ही जेडीए ने की हो, नहीं की हो या बिल्डर ने अपने आर्थिक हित पूरे करने के लिए निर्माण कर लिया है तो मैं सोचता हूं कि उनको नियमित करके या पैनल्टी लगा सकें तो पैनल्टी

(श्री मदन राठौड़)

लगायें। क्योंकि वो भवन तो आप समाप्त करने से रहे, भवन खतम नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, अब उनमें रहने वाले लोग भी बड़े दुःखी हैं, चिंतित हैं कि इन अपार्टमेंट एक्ट के अन्दर वो कहां रहेंगे। यह थोड़ा सा उनको भी सुरक्षित करने, क्लियर करें। ताकि वो अपनी चैन की नींद सो सकें, आराम से जीवन जी सकें। इसलिए मैं सोचता हूं कि नियमित करने का प्रावधान यदि आप कर सकें तो निश्चित रूप से उनके साथ भी न्याय हो सकेगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, अब सदन का यही आग्रह है। नहीं, मैं मेरे लोगों के दबाव में आकर के जनमत जानने का जो प्रस्ताव मैंने दिया था, मैं उसको वापिस लेने के लिए आपसे निवेदन करूंगा।

श्री सभापतिः आप एक बार फिर सोच लें। क्योंकि आसन इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि आपने दबाव में आकर वापस लिया है। इसलिए आप इसको संशोधित रूप में पेश करें। आप अपने वक्तव्य को संशोधित रूप में पेश करें कि आप अपने स्व-विवेक से इस प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आसन की आज्ञा तो माननी ही पड़ेगी, आसन का आदेश तो मानना ही पड़ेगा। जो मैंने कुछ निवेदन किए हैं मंत्रीजी निश्चित रूप से उनका जवाब देंगे, सक्षम हैं और जो बिल लाया है यह वास्तव में बहुत जनोपयोगी है और मैंने जो जनमत जानने का प्रस्ताव किया था। आसन के आदेश के अनुसार अपनी स्वेच्छा से मंशा वाचा कर्मणा से मैं प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं। इसके लिए आप अनुमति प्रदान करें, धन्यवाद।

(22.00 बजे)

श्री सभापतिः श्री सुरेश सिंह रावत। (अनुपस्थित) श्री हरिसिंह रावत। (अनुपस्थित) श्री हीरा लालजी नागर। (अनुपस्थित) श्री संदीप शर्मा। (अनुपस्थित) श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015 को दो माह के जनमत जानने के लिए जो अनुरोध किया है, उस विषय पर मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं। इस बिल में बिजली और पानी का कोई प्रावधान नहीं किया है और पहले ही पूरे राजस्थान में एक परसेंट पानी है तो इस बारे में भी इस बिल में विचार किया जाना चाहिए कि

(श्री रमेश)

विद्युत की कैसे व्यवस्था होगी, पानी की कैसे व्यवस्था होगी? कुछ शहरों में जी प्लस टू, जी प्लस 3, बिल्डर्स जगह-जगह कालोनीज में बिल्डिंग बनाते हैं, फ्लैट्स को बेचते हैं, इनकी जो एक सीमा तय कर रखी है पांच सौ वर्गमीटर से कम, तो ये जगह-जगह फंगस की तरह पूरे शहरों में फैल गये हैं और इनसे जो कालोनी वाले लोगों के मूलभूत यूटिलिटी के संसाधन कम पड़ने लगे हैं। बिजली है, पानी है, सड़क है, टेलीफोन लाइन है, अदर्स कैबल्स हैं तो एक तरह से प्राब्लम क्रियेट हो गयी है, इस पर भी इस बिल में कोई ऐसा प्रावधान करें कि इन पर भी अंकुश लगे। ये टाउनशिप पालिसी के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी तरह काफी शहरों में यूआइटीज हैं, जहां पर नगर निगम है या जे डी ए है, काफी जगह पहले कालोनाइजर कालोनी में प्लाट्स काटता है या यू आई टी प्लाट्स काटती है वहां पर कालोनी डवलप होती है, लोग मकान बना लेते हैं फिर वहां पर जो डवलपर्स हैं वो कुछ रिकोग्नाइज्ड प्लाटों का एकीकरण करके सरकार से परमीशन ले लेता है तो परमीशन लेने के बाद वहां मल्टी स्टोरी खड़ी हो जाती है, लोग वहां पर जो सरकार रेट तय करती है आक्शन में प्लाट खरीदते हैं, मकान बनाते हैं और एक आम आदमी का जो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आम आदमी हो, उसका यह सपना होता है पूरे जीवन का कि एक मकान बनाऊंगा, अच्छा मकान बनाऊंगा और उसमें रहूंगा, लेकिन जहां उसके घर के पास में मल्टीस्टोरी खड़ी हो जाती है तो उसका जो वेन्टीलेशन है, वहां उसकी यूटिलिटी के जो संसाधन हैं वो कम पड़ जाते हैं क्योंकि जो मास्टरप्लान तय किया गया है उस कालोनी के लिए तो वहां पर जो टार्गेट तय किया कि इतने लोग रहेंगे, इतने प्लाट्स कटेंगे, वहां पर इतने पानी की मात्रा होगी, इतनी बिजली की व्यवस्था होगी, इतने ट्रांसफार्मर लगेंगे, टेलीफोन की या अदर्स जो भी संसाधन हैं उस मात्रा में जब मल्टीस्टोरी बन जाती है तो वहां पर पोल्यूशन का वातावरण, सड़कें कम पड़ जाती हैं। बिजली के ट्रांसफार्मर कम पड़ जाते हैं। पानी की प्राब्लम्स क्रियेट हो जाती है तो इस प्रकार व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाती है। ये जो अपार्टमेंट बिल लाये हैं, उसमें भी इस तरह का नियंत्रण और फिक्स जगह जहां पानी, बिजली, सड़क अन्य यूटिलिटी के संसाधन तय हैं कि यहां पर फ्लैट्स बनेंगे या मल्टीस्टोरी बनेगी वहीं पर मल्टीस्टोरी बने। ऐसी जगहों पर मल्टीस्टोरी नहीं बने जहां पर लोगों को आपने आक्शन के द्वारा, लाटरी के द्वारा कालोनी के प्लाट बेचे और

(श्री रमेश)

वहां पर मल्टीस्टोरी बन जाती है तो आम लोगों को बड़ी परेशानी का विषय हो जाता है, इस प्रकार की दुविधा होती है तो इस अपार्टमेंट बिल में इस पर भी विचार किया जाए।

तीसरे मुद्दे की मेरी बात है कि सरकारी हमारे डिपार्टमेंट चाहे आवास विकास हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, चाहे यूआईटीज हो, चाहे जे डी ए हो, तो ये जो अपार्टमेंट बिल लाये हैं इन पर भी लागू होगा क्या? क्योंकि आज हाउसिंग बोर्ड मल्टीस्टोरी बना रहा है, जेडीए मल्टीस्टोरी बना रहा है और अपार्टमेंट बिल जो रूल है कि समय पर देगा और सारा ओपन उसका सिस्टम होगा, लीज डीड होगी, सारी वचनबद्धता होगी, तो ऐसा जो अपार्टमेंट्स का नियम लाये हैं उन पर भी लागू करेंगे क्या? मंत्रीजी जब जवाब दें तो इसका भी डिस्कस करें कि सरकारी डिपार्टमेंट्स हाउसिंग बोर्ड है, आवास विकास है, जे डी ए है, यू आई टी है, ये भी मल्टीस्टोरी बनायें तो इन नियमों का पालन करेंगे या नहीं करेंगे।

तीसरा मेरा सुझाव है कि अपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन जब होता है तो ड्रिंकिंग वाटर के वेस्टेज वाटर को उस लायक रिट्रीट करके यूज किया जाए और जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उस पर रोक लगायी जाए क्योंकि अपार्टमेंट वाले बिना परमीशन के अवैध बोरिंग कराते हैं, पानी का दोहन करते हैं। जयपुर जैसे शहर में वैसे ही पानी की कमी है। आप अपार्टमेंट्स को स्वीकृति देते जाओगे तो ये समस्या बढ़ती जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि अपार्टमेंट बने रहेंगे लेकिन लोग रहने नहीं जाएंगे तो जो अपार्टमेंट के आनर्स हैं या समितियां हैं वह सोलर एनर्जी, वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्रावधान रखें और बोरिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। एक प्राब्लम और आती है कि कोई अपार्टमेंट निजी विकासकर्ता डवलप्ड करता है खसरा नम्बर-1 मान लो और दूसरे में उसकी नियरेस्ट जगह खसरा नम्बर में दूसरा विकासकर्ता वहां पर बहुमंजिला इमारत बनाता है तो अलग-अलग हो जाते हैं दोनों, वहां पर नियम तो यह होना चाहिए कि दोनों के बीच में कोई दीवार नहीं हो, वहां पर आने-जाने की सुविधा, यूटिलिटी के साधन, उसमें रोड रहे, लेकिन जब उसको बैक वापस जाना पड़ता है तो इस बिल में ऐसे भी प्रावधान हों, कि उसको घूम कर नहीं जाना पड़े। नक्शे में तो बताता है कि मैं जमीन दूंगा, लेकिन सिंगल पट्टे के आधार पर एंक्रोचमेंट कर लेता है, उसके बाद रास्ता बंद हो जाता है और आनर अपार्टमेंट को बेच देता है उस जमीन को, तो इसमें भी सरकार ऐसा

(श्री रमेश)

प्रावधान करे कि एंक्रोचमेंट नहीं हो, सिंगल पट्टे की व्यवस्था नहीं हो और कुछ चीजें अभी संशोधित सूचना फ्लैट खरीदने से पहले जो बात हुई हमारे कुछ हमारे विधायक हैं, कोटा उत्तर से आने वालों ने भी बताया और भी कई ऐसी चीजें हैं कि बारह सौ वर्गमीटर से ऊपर जो अपार्टमेंट बनाता है उसमें निजी विकासकर्ता ट्रांसफार्मर बाजार से खरीद कर ले सकता है, ऐसा नियमों में प्रावधान है, तो मैं कहना चाहूंगा इस मौके पर कि हमारा किसान है, हम गांव से आते हैं तो ऐसा नियम किसान के लिए भी हो जाए कि उस रेट पर जो पूर्ण पैसा दे सके वो भी ट्रांसफार्मर खरीद सके, पोल खरीद सके, लाइन खरीद सके, तो ऐसी व्यवस्था जो बिल्डर के लिए नियम बनाये हैं, किसान के लिए भी हों और जो सक्षम अधिकारी की शक्तियां हैं कहीं उनका दुरुपयोग नहीं हो। राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015 का विरोध, इसके नियमों में थोड़ा बदलाव हो, दो माह का जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मान सिंह।

श्री मान सिंह (गंगापुर): सभापति महोदय, अपार्टमेंट्स को लेकर इतना अच्छा बिल आया है उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को कहूंगा कि शहरों की बढ़ती आबादी को देखते हुए जिस प्रकार आज आवासीय भूमि की कीमतें आसमान छू रही हैं, ऐसे में निश्चित रूप से मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए ये अपार्टमेंट बिल एक बहुत ही अच्छा कदम है और जिस प्रकार का अमलीजामा पहनाने का कदम कहा है उसमें मैं एक सुझाव दूंगा। इसका चैप्टर-4 जिसमें "Deed of Apartment and its Registration" का है उसमें चैप्टर-12 (बी) धारा है उसको अगर अपन थोड़ा सा और डिफाइन करें कि अगर उसके रजिस्ट्रेशन में पूरे डाक्यूमेंट्स तैयार हों और कल को बिल्डर उसकी रजिस्ट्री नहीं कराता है तो उस कंडीशन में उसमें क्या हम डिफाइन करेंगे, किस प्रकार से करेंगे कि मैंने पूरा पेमेंट भी कर दिया और मेरे पेमेंट करने के बाद में कल को कोई पोजिशन आ जाती है तो इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि उसके लिए मैं, केवल उस सक्षम अधिकारी के चक्कर काटता रहूंगा, क्योंकि अपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के हमारे डिपार्टमेंट भी बना सकते हैं। उसमें हमारा जेडीए भी हो सकता है।

यू आई टी और भी संस्था हो सकती है लेकिन उनके लिये भी कहीं डिफाइन नहीं है कि अगर वह बनाते हैं तो उन पर कौन लागू होगा और क्या

(श्री मान सिंह)

वही लोग उसको सुनेंगे। क्या क्रेता उन्हीं के चक्कर काटता रहेगा कि उनकी सुविधाएं उनको नहीं मिलेगी। मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों को भी आगे अगर हम क्लियर करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। मैंने जनमत जानने के लिये जो प्रस्ताव दिया था उसको आपके माध्यम से वापस लेने की अनुमति चाहता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (अनुपस्थित) श्री सुखराम विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, यह जो एक्ट लाया गया है इसमें जो बातें आ गयीं उस पर मैं नहीं बोलूंगा। सैक्शन 27 और सैक्शन 25 इन दोनों में एक सक्षम अधिकारी और अपीलीय अधिकारी, दोनों में जो प्रोसीजर बताया गया है कि सक्षम अधिकारी भी सीपीसी के तहत सुनवाई करेंगे और साक्ष्य लेंगे। गवाह ट्रायल कोर्ट में होती है, अपील कोर्ट में नहीं होती है। फिर अपीलीय अधिकारी को लिख दिया साक्ष्य प्राप्त करना। दोनों उसी गवाह को वापस तलब करेंगे? सक्षम अधिकारी भी गवाह तलब करेगा और फिर अपीलीय अधिकारी, वहां तो केवल मात्र जो एवीडेंस आ गयी है उसी के आधार पर निर्णय होगा। यह जो त्रुटि है उसको हटाया जाय, सिर्फ सक्षम अधिकारी ही ट्रायल कोर्ट है, वहीं गवाहों की सुनवाई कलमबद्ध हो और अपीलीय अधिकारी में कोई गवाह नहीं हो।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि सीपीसी से इसको गवर्न किया गया है और इसकी मियाद दी गई है सिर्फ 180 दिन। सीपीसी में एक दरख्वास्त पर दरख्वास्त आती जायेगी और 180 दिन में कोई फैसला होने वाला नहीं है, कभी फैसला नहीं होगा क्योंकि अपीलीय अधिकारी को अंतिम माना है। अपीलीय अधिकारी के बाद में अंतिम फैसला है उसके बाद में कोई अपील नहीं, एक ही अपील का प्रावधान आपने रखा है, सैकिण्ड अपील का प्रावधान इन्होंने नहीं रखा है। जब आप सीपीसी से गवर्न इस एक्ट को करते हो तो कम से कम अपील का प्रोविजन सैकिण्ड, थर्ड अपील तक का होना चाहिये ताकि सही स्थिति सामने आकर निपटारा हो जाय।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि अपार्टमेंट में जो विवाद पैदा होगा उस विवाद में 15 दिन में सक्षम अधिकारी अपील का निस्तारण करेंगे, 15 दिनों में न तो अपील का निस्तारण होगा। सक्षम अधिकारी की

(श्री सुखराम विश्नोई)

जगह आप कोई समझौते के तहत लोक अदालत की भावना से ऐसी कोई कमेटी बैठा कर सभी लोगों को इकट्ठा करके मौके पर जाकर कार्यवाही करें, तब तो 15 दिन में हो जायेगी, बाकी आप यह समझो कि सक्षम अधिकारी अपील का निस्तारण 15 दिन में कर देगा, लागू होगा, कतई लागू नहीं होगा। इसमें सक्षम अधिकारी की जगह संघ स्तर पर जाकर समझौता अधिकारी या लोक अदालत के मार्फत मौके पर जाकर निस्तारण होगा तभी जाकर आमने सामने बैठकर कार्यवाही की जायेगी, स्पष्ट होगा।

सभापति महोदय, सैक्शन 17 में कार्यवाही अपार्टमेंट स्वामी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड या प्रबंधक, बोर्ड या प्रबंधक की आपने परिभाषा कहीं पर नहीं दी है। बोर्ड किसे कहेंगे, प्रबंधक किसे कहेंगे, यह परिभाषा आपने इसमें नहीं दी इसलिए इसको स्पष्ट परिभाषित किया जाय। सैक्शन 19 के सब क्लाज 3 में सामान्य खर्चे, अपार्टमेंट स्वामी या यथास्थिति अपार्टमेंट के कब्जाधारी, यह कब्जाधारी और ट्रेसपासर में फर्क क्या है। मान लो किसी ने आकर कब्जा कर लिया वह तो ट्रेसपासर ही हो गया। ट्रेसपासर और अपार्टमेंट का मालिक पट्टेधारी दोनों को एक ही परिभाषा में आप कैसे करोगे, इसलिए कब्जाधारी शब्द इसमें नहीं होना चाहिये। या तो इसमें ट्रेसपासर होना चाहिये, कब्जाधारी शब्द इसमें होना ही नहीं चाहिये। अपार्टमेंट में फ्लैट में जाकर रहेगा और उसको आप कब्जाधारी कहोगे, कब्जाधारी तो अतिक्रमी कब्जाधारी होगा, इसलिए इसको बदला जाय।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि पट्टेदार, उप पट्टेदार यह जो आपने इसमें परिभाषा की है, पट्टेदार कौन है, उप पट्टेदार कौन है। जैसे आपने लिखा कि पट्टेदार, उप पट्टेदार रजिस्ट्री करायेगा उसके पूरे अधिकार उसमें चले जायेंगे, आगे लाइन में आया कि पट्टेदार, उप पट्टेदार के अधिकार दोनों के बराबर रहेंगे। जब वह उसको फ्लैट बेच देगा तो फिर उसके अधिकार कैसे रहेंगे, यह सब बातें इसमें स्पष्ट नहीं है। मेरी यह मंशा है जैसे लूणी से आने वाले सदस्य और प्रहलादजी ने भी कहा है कि इस एक्ट को बनाने में दिमाग कम लगाया गया है बनिस्पत नकल में ज्यादा लगाया गया है। चाहे हरियाणा से लाया हो, चाहे तेलंगाना से लाया हो, यहां की परिस्थितियों को देखते हुए अगर यह बिल बनाया जाता तो इसमें अपार्टमेंट शब्द आता ही नहीं। हिन्दी भाषा में जैसे बहुमंजिला आवास स्थल इस तरह का शब्द आता ताकि लोगों के बात समझ में आती। शब्दों की बात कर रहे हैं,

(श्री सुखराम विश्नोई)

मैंने पहले ही आपको निवेदन किया एक शब्द भूमि भाटक है, मतलब हिन्दी में आपको कोई शब्द ही नहीं मिला भूमि भाटक, इस तरह के कई शब्द हैं। जब इस तरह के विधेयक लाये जायें तो जो यह पुरानी परिपाटी चली आ रही है अंग्रेजों के जमाने की, परन्तुक, यह इस तरह के क्लिष्ट शब्द डाले हैं इसमें जो समझ में कम आते हैं। अंग्रेजी में आराम से समझ में आयेगा, हिन्दी में समझ में नहीं आयेगा। हिन्दी में लोग समझेंगे नहीं, अंग्रेजी में आराम से समझेंगे। कम से कम उन पुरानी बातों को भूल कर आज की व्यवहारिक स्थिति में किस तरह से एक्ट को बनाया जाये, आम आदमी पढ़े और उसको समझ में आ जाये इस तरह की व्यवहारिक भाषाओं में किया जाये। कई ऐसे शब्द हैं जैसे असंदत्त, इसका हिन्दी शब्द दूसरा हो सकता है, इस तरह के शब्द इन्होंने डाले हैं कि किसी के समझ में आये नहीं। मेरे हिसाब से बनाने वाले के समझ में ही नहीं आये, हमारे समझ में कैसे आयेंगे। एक सामान्य आदमी समझे इस तरह के शब्द आ जायें। अभी तो यह पास नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मंत्री महोदय के दिमाग में एक शंका है कि यह जो उपबंध बनेंगे, उप नियम बनेंगे इसमें लिखा है सैक्शन 35 में कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति, यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार अवसर की अपेक्षानुसार, आदेश द्वारा, ऐसी कोई भी बात कर सकेगी, मतलब वापस उसको असेम्बली में पेश करना पड़ेगा तो क्यों नहीं उपबंध बनाने के साथ-साथ इस अधिनियम को जनमत जानने के लिये प्रेषित किया जाये।

श्री सभापति: श्री भंवर सिंह (अनुपस्थित), मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, दरअसल अभी कुछ शब्दों के लिये चर्चा की गई और कहा गया कि कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिनको समझने में तकलीफ हो सकती है। (व्यवधान) मैं शार्ट में ही कर रहा हूं। विश्नोई साहब ने कहा भाटक शब्द, रेंट को कहते हैं और यह कानूनी हिन्दी डिक्शनरी जो हमने बनाई उसी में इस शब्द का इस्तेमाल किया है। असंदत्त शब्द तो मैं समझता हूं कि इतना क्लिष्ट नहीं है, हमारे सभापति महोदय भी बहुत बार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूं शब्दों में हेराफेरी की जाने के बजाय आपने यह भी कहा कि अपार्टमेंट शब्द के बजाय कोई बेहतर

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

शब्द हो सकता, कोई ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, यह आपने सही कहा। हमने एक गलती कर दी, आपकी बात मान ली और आपकी बात मानते ही गलती हो गई। आपने उस त्रुटि को ठीक नहीं किया। सभापति महोदय, आप जानते हैं 2008 से लगातार अरबनाइजेशन हो रहा है। अरबनाइजेशन की गति बड़ी तेज है। 25 प्रतिशत रफ्तार है हर दस साल में अरबनाइजेशन होने की। लगातार शहरों का एक्सटेंशन हो रहा है। खेती की जमीन सिकुड़ती जा रही है। बहुत सालों से चर्चा कर रहे हैं कि वर्टिकल ग्रोथ होनी चाहिए। होरिजेंटल ग्रोथ किस प्रकार से कम हो, वर्टिकल ग्रोथ को कैसे प्रमोशन मिले जिससे राजस्थान जैसे प्रदेश के अन्दर जहां संसाधनों का उपयोग हमें कई और ऐसे इलाकों में करना है जहां से समाज में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ सके। अगर शहर का एक्सटेंशन होगा, जैसा कि आप चर्चा कर रहे थे पानी देने के लिए हमें बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, बिजली की लाइन के लिए हमें बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, सड़कों का विस्तार भी उतना ही करना पड़ेगा, सीवरेज का विस्तार भी उतना ही करना पड़ेगा। इसलिए राजस्थान के अन्दर इन शहरों का जो शहरीकरण हुआ है उनके अन्दर वर्टिकल ग्रोथ को किस प्रकार से प्रमोट किया जाए, इसकी चिंता हम सब लोग कई सालों से कर रहे हैं। इसीलिए 2008 में जब पुरानी सरकार आई थी तब हमने राजस्थान अपार्टमेंट आनरशिप अध्यादेश 2008 का ड्राफ्ट बनाया था, उस ड्राफ्ट को हमने केन्द्र सरकार को भेजा । इसके अन्दर कई ऐसे प्रावधान हैं जिन प्रावधानों के कारण इस कानून पर राष्ट्रपति महोदय से असेंट होना बहुत जरूरी है। 2008 में हमने भेजा तो केन्द्र से हमें लैटर मिला 22.12.2008 को, लैटर में कहा "I am directed to refer to the Govt. of Rajasthan letter No…dt. 23.1.2008 on the subject mentioned above and to request that in view of the change of the Govt. of Rajasthan, the Bill may be put up to the new Govt. and its decisions, recommendations in this regard be intimated to the Ministry urgently." माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के लोगों ने लिखा राजस्थान की सरकार को "…that the matter should be dealt with urgently." यह लिखा 22 दिसम्बर, 2008 को।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बार-बार अध्यक्ष कह रहे हो, अध्यक्ष बना दो तो हमारे लिए भी ठीक है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): चिंता

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

मत करो एक दिन बन जाएंगे। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिसके लिए दिल्ली में आपकी सरकार ने कहा कि अरजेंटली अपने सजेशन के साथ अपने रिकमण्डशन के साथ इस अपार्टमेंट आनरशिप बिल को आप भिजवाएं। पूरे पांच साल ले लिए लेकिन आपने नहीं भिजवाया। आपने 2013 में जाकर मंत्रिमण्डल को एडवाइज किया, 20.8.2013, लेकिन दिल्ली नहीं भेज पाये। इसलिए जो काम 2008 में करना चाहते थे, 2013-14 में, 2014-15 के माननीय मुख्य मंत्री ने भाषण में कहा कि हम राजस्थान आनरशिप अपार्टमेंट बिल लाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, पांच साल की देरी के लिए कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है, एक प्रोगेसिव ला है। अरबनाइजेशन के साथ-साथ जिस तेजी से मल्टीस्टोरी बिल्डिंग्स पनप रही हैं, उन मल्टीस्टोरी बिल्डिंग्स में, जैसा कि लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि प्री लांचिग प्राइस कुछ और है, लांचिग प्राइस कुछ और है। बड़े-बड़े स्टार लिए जाते हैं और नीचे छोटा-सा लिख दिया जाता है कि इमेजिनरी डायग्राम है, इमेजिनरी फोटोग्राफ है। यानि एक डिस्कशन का माहौल। जहां पर लगातार फोटो दिखाई कुछ और जाती है, अपार्टमेंट कुछ और दिया जाता है। जहां अपार्टमेंट के नाम पर आपको लिमिटेड आनरशिप मिलती है। तीन तरह के शब्द बड़े प्रचलित हैं, कारपोरेट एरिया, बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया। दसवें माले पर किसी ने फ्लैट खरीदा, 1400 स्क्वायर फुट बिल्टअप एरिया था। उसका मालिकाना हक वहीं तक सीमित है। जबकि पूरी बिल्डिंग को बेच दिया गया तो उस बिल्डिंग के सैट बैक, उस बिल्डिंग के अन्दर पार्किंग, उसका एलीवेटर, उसका कोरिडोर, उसके पैसेज, उसकी जितनी भी एमेनिटीज है जिसको बताया था बिल्डर ने, प्रमोटर ने, डवलपर ने, उस पर उसका कोई हक, उस अनडिवाइडेड प्रोपर्टी पर उसका हक कौनसा होगा। जिसका पैसा उससे ले लिया गया है, उस पर उसका स्वामित्व नहीं था। इस कानून के माध्यम से न केवल उस बिल्ट अप एरिया का मालिक होगा बल्कि उस फ्लैट के साथ जो अन डिवाइडेड प्रोपर्टी बची हुई है, अन डिवाइडेड एरिया बचा हुआ है उस अन डिवाइडेड एरिया के अन्दर उसका बिल्टअप एरिया प्रपोर्शनेट शेयर, अपार्टमेंट के मालिकाना हक का इनबिल्ट करेक्टर बन जाएगा। उसका जहां-जहां भी हित है उस हित को किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर सकें, किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकें, किस प्रकार से उसको

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

उत्तराधिकार योग्य बना सकें, किस प्रकार से उसको ट्रान्सफरेबल बना पाएं, इन सबकी चिंता इस बिल के अन्दर समाहित की गई है।

मानीय सभापति महोदय, जिस बिल की आप चर्चा कर रहे हैं, आपने कहा यह नहीं है, वह नहीं है, हमने तो आपका बिल हुजूर यूं का यूं ले लिया। कुछ जोड़ा है, घटाया नहीं है। एक भी सैक्शन जिसको 2013 में आपने पास किया था, आपकी कैबिनेट ने पास किया था, हटाया नहीं है, हमने एडिशन किया है इसलिए मैं समझता हूं कि मंत्रिमण्डल में जिन सब चीजों का अनुमोदन आपने पहले किया था उन धाराओं में तो कोई आपत्ति नहीं है। उन धाराओं में हम इस अपार्टमेंट आनर को किस प्रकार से मजबूत और सक्षम करें, उसके हितों की किस प्रकार से रक्षा कर सकें, उसके हितों में संवर्धन कैसे करें।

माननीय सभापति महोदय, इस पूरी चर्चा के दौरान दो-तीन कन्फ्यूजन नजर आए। एक तो बिल्डिंग बायलाज और अपार्टमेंट आनरशिप बिल को एक मान लिया। बिल्डिंग बायलाज बिलकुल अलग चीज है। लीगल कंस्ट्रक्शन, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन, कितने मंजिल की बिल्डिंग बने, ग्राउण्ड प्लस टू बने, ग्राउण्ड प्लस फोर, यह सब तो बिल्डिंग बायलाज का हिस्सा है। यह तो नाम बताता है अपार्टमेंट आनरशिप। अपार्टमेंट आनरशिप का बिल है। आपकी आनरशिप के राइट का बिल है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं यहां लीगल और इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में चर्चा की गई, उससे इसका कोई मोटा सम्बन्ध नहीं है।

लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने एप्लीकेशन के बारे में उठाया। कहा कि "The provisions of this Act shall apply to every apartment in any building constructed or converted into apartments by a promoter before or after the commencement of this Act on a free hold land or on a lease hold land, if the lease for such land is for a period of thirty years or more." उनका कहना था कि इन सब पर एप्लीकेशन का इलाका हमने बहुत सीमित किया है। हम डीड आफ अपार्टमेंट की जब बात करते हैं, डीड आफ अपार्टमेंट के अन्दर उनका यह लीगल है या इल्लीगल है इसमें कोई बताया नहीं, कौनसा। उन्होंने कहा कि "…shall apply to every apartment" whether legal apartment or illegal apartment. उन्होंने कहा इसमें लीगल अपार्टमेंट वर्ड यूज किया जाना चाहिए। लीगल वर्ड इन्सर्ट किया जाना चाहिए।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

माननीय सभापति महोदय, इसके अन्दर साफ तौर पर, अगर हमने इस बिल को ढंग से कम्प्लीटली पढ़ा होता, एक साथ कन्सोनेंस में जुड़ा होता, तो "Contents of Deed of Apartments" जो हमने कम्प्लसरी किया है, मेंडेटरी किया है कि हर डीड आफ अपार्टमेंट मेंडेटरी है। इस एक्ट के आने से पहले जो अपार्टमेंट है और इस एक्ट के बनने के बाद जो अपार्टमेंट उन सबके लिए डीड आफ अपार्टमेंट कन्टेक्ट के अन्दर साफ तौर पर यह लिखा हुआ है सैक्शन 12 में "execute a Deed of Apartment containing the following particulars,'' मैं लम्बा नहीं बोलूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यह इनग्रेडीएंट्स है उसके डीड आफ अपार्टमेंट, ''Containing the following particulars" उसमें साफ तौर पर है। यह केवल लीगल अपार्टमेंट्स की बात करता है। जो एप्रूव्ड नक्शे है उनकी बात करता है। इसलिए इस एप्लीकेशन के अन्दर यह बताया जाना, कि हमने कहा आल अपार्टमेंट्स का मतलब इल्लीगल अपार्टमेंट्स भी हो सकता है, इसकी सम्भावना नहीं है। माननीय सभापति महोदय, यह पहला कानून है जिसके अन्दर आपने कहा कि बिल्डर ऐसा कर देता है, प्रमोटर ऐसा कर देता है। भू-माफियाओं के लिए बनाया गया है, इसके लिए बनाया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं सैक्शन 11 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं,"Obligation of promoters." बिल्डिंग बनाने से पहले, बुकिंग करने से बहुत पहले, बिल्डिंग बनाने के इंटेंशन के साथ ही "Every promoter shall submit a declaration to the Competent Authority in respect of every building constructed after the commencement of this Act in such form, within such period and in such manner as may be prescribed specifying the following particulars, namely (a); description of the land on which the building and improvements are, or are to be located, and whether the land is free hold or lease gold;" उसको यह डिक्लेरेशन देना पड़ेगा बिल्डिंग बनाने से पहले (b) description of building stating the number of stories and basements, the number of apartment and principal materials of which it is or is to be constructed; (c) the number of each apartment and a statement of its location, approximate area, number of rooms and the immediate common area to which it has access and any other data necessary for its proper identification; (d) description of the common areas and facilities; (e) description of the common areas and facilities, if any, stating to which apartments their use is reserved; (f) value of the property" मैं इन सारी चीजों की चर्चा इसलिये करना चाहता हूं कि इन चीजों का तो उसको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा बिल्डिंग को शुरू करने से पहले, और कोटा से आने

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

वाले माननीय सदस्य ने जो कहा था कि यह बाद में चेंज कर सकता है। "provided that the promoter may, at any time, before the booking of apartments in the building submit an amended declaration to the Competent Authority." उन्होंने कहा कि वह तो चलते रास्ते कभी भी अमेंडमेंट दे देगा। अमेंडमेंट दे देगा, बुकिंग वाले को पता ही नहीं लगेगा। इसलिये उसकी सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि यह सारा काम तो बुकिंग होने से पहले का है। जहां कोई बायर आया ही नहीं है। न ही आपका कोई सेलर है, न कोई बायर है। एक प्रमोटर, एक डवलपर या एक फोरम कहीं कोई इंटेंशन रखता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का, अपार्टमेंट्स बनाने का, उससे पहले उस काम्पीटेंट अथोरिटी को इन सब चीजों के बारे में डिक्लेरेशन देना है। इसके बाद में, बुकिंग से पहले (2) "At the time of booking every promoter shall; (i) attach with the agreement a self certified photocopy of the title deed of the land on which apartment is proposed to be constructed, approved building plans, details of common areas and limited common areas;'

(ii) specify in the agreement details of built up area of the apartment on the basis of which price of the apartment shall be calculated and shall also enclose the floor plan of the concerned apartment;''

इसके साथ और भी है ''(iii) specify in the agreement the date by which construction of the apartment is to be completed and the date by which possession will be handed over to the purchaser, subject to force majeure clause and intimation sent to such purchaser;

(iv) specify in the agreement the penalty for delay in completion or handing over the possession of the apartment;

(v) specify in the agreement the payment schedule and penalty in the event of non-payment or late payment of installment by the purchaser; (vi) specify in the agreement the condition of cancellation or withdrawal of allotment and the extent of refund;

(vii) specify in the agreement the compensation either way in the event of violation of any of the conditions of allotment;

(3) where the building is constructed on the lease hold land, the promoter shall before executing a Deed of Apartment under Section 12, get the land converted from lease hold basis to free hold basis, if the law applicable to such land permits so."

माननीय सभापति महोदय, इसमें चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। यह पहला ऐसा प्रोग्रेसिव कानून है, जिसने बिल्डर को पाबन्द किया है, मकान बनाने की शुरुआत से पहले कि इन सब चीजों का डिक्लेरेशन करे। उसके बाद बुकिंग

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

करने से पहले बुकिंग करने वाले को ये सब चीजें स्पेसिफाई करके दे। मैं समझता हूं, इससे पहले राजस्थान में तो बहुत लोग इस बात की कल्पना ही नहीं करते थे। हमने कहा कि यह डीड आफ अपार्टमेंट बहुत जरूरी है। डीड आफ अपार्टमेंट के इनग्रेडिएंट्स की चर्चा मैंने अभी की है। वह इनग्रेडिएंट्स जब तक वहां नहीं होंगे, तब तक वह सारा मालिकाना हक, कामन एरियाज के अन्दर, अनडिवाइडेड एरियाज के अन्दर उस अपार्टमेंट आनर्स को जो मिलना चाहिए, वह अपार्टमेंट आनर्स को नहीं मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, यह बड़ी समस्याएं हैं कई अपार्टमेंट्स में, मल्टीस्टोरी बिल्डिंग्स के अन्दर। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 60 अपार्टमेंट हैं। 40 आक्यूपाइड हैं, 20 आक्यूपाइड नहीं हैं। आक्यूपाइड नहीं हैं, वह चूंकि नार्मल सर्विसेज के पैसे देता नहीं है। बिल्डिंग का रंग-रोगन करना है, वह रंग-रोगन नहीं कर सकता है। उसकी मेंटिनेंस करनी है, वह मेंटिनेंस नहीं हो पाती। किस प्रकार से इस बिल्डिंग को मेन्टेनेबल रखा जाए, मैनेजेबल रखा जाए, जिससे बाकी सब लोग जो उस बिल्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके हकों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिये इसमें प्रोविजंस किये जाएं। कानून किनके हाथ में दिये गये हैं, उन्हीं सभी के जो मालिक हैं, अपार्टमेंट होल्डर्स हैं, उन अपार्टमेंट होल्डर्स की एसोसिएशन न केवल उन्हें अपार्ट सिंगल, कम्प्लीट ओनरशिप का राइट मिलेगा, बल्कि उसके बाद उसको मैनेज करने के लिये, उसको मेन्टेन करने के लिये और जिस प्रकार के अधिकार दिये गये हैं, माननीय सभापति महोदय, वह सारे के सारे काम्प्रिहेंसिव इसके अन्दर हैं। आप सबने देखा होगा, अगर आप सब लोगों ने उसको पूरा पढ़ा है तो मैं समझता हूं कि कोई कंफ्यूजन, किसी भी प्रकार का अगर आपको लगता है कि किसी सैक्शन में कोई चीज मिसिंग है तो वह आपको इनकारपोरेट करती हुई दूसरे सैक्शन में मिल जाएगी। ऐसा एक भी जो आपने संदेह पैदा किया है, उस संदेह का निराकरण इसी बिल में नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मैं समझता हूं, काम्पीटेंट अथोरिटी के लिये कहा गया कि काम्पीटेंट अथोरिटी किसी अफसर को बना दिया गया है। कलक्टर को बना देंगे, कमिश्नर को बना देंगे, समय नहीं है। यहां एक काम्पीटेंट अथोरिटी नहीं है। यहां जोनवाइज कई काम्पीटेंट अथोरिटी हो सकते हैं। जयपुर के जे.डी.ए. में 18-19 जोन हैं। 18-19 जोन के अन्दर 18-19 अगर काम्पीटेंट अथोरिटी बन जाती हैं तो 15 दिन में जिस डिस्पोजल पर

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

चिंता हो रही थी, 15 दिन में डिस्पोजल नहीं हो सकता, वह डिस्पोजल 15 दिन में हो जाएगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपके ऊपर कहीं शंका नहीं है। यह संसदीय मंत्रीजी की ड्यूटी बनती थी कि 10 बजे के बाद में जब भी विधान सभा चली है तो खाने की व्यवस्था हुई है। आज पहली बार इस तरह से ढाई सौ आदमी भूखे मर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य: कल भी हुआ।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कल भी ऐसा ही हुआ है। यह क्या है। इनकी बात में कहीं भी डाउट नहीं है। ये कर देंगे, जब पास हो जाएगा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): और उसके बाद में केवल मकान बनाने के पहले की डिक्लेरेशन और मकान बुकिंग करने के बाद में भी प्रमोटर के काम खतम नहीं हो जाते हैं। उसके बाद ही प्रमोटर को पजेशन देने के बाद, एक स्पेसिफिक पीरियड के अन्दर डीड आफ अपार्टमेंट एक्जीक्यूट कराना पड़ेगा। यह डीड आफ अपार्टमेंट उसको भी एक्जीक्यूट कराना पड़ेगा, जिसका निर्माण, जिसका पजेशन, जिसकी सेल इस एक्ट से पहले हो गई है। उसके लिये रजिस्ट्रार के आफिस के अन्दर एक इंडेक्स रजिस्टर तैयार होगा। उस इंडेक्स रजिस्टर के अन्दर उस अपार्टमेंट ओनर की अपार्टमेंट डीड की रजिस्ट्री होगी और समय-समय पर जब भी उसका बेचान किया जाएगा तो उसी रजिस्टर के अन्दर उसकी एंट्री कर दी जाएगी, उसका एंडोर्समेंट कर लिया जाएगा। मैं समझता हूं, पहली बार राजस्थान के अन्दर, और एक कंफ्यूजन यह हुआ है, अपार्टमेंट का मतलब कइयों ने माना है कि केवल रहने वाला है, रेजीडेंशियल अपार्टमेंट। अपार्टमेंट की डेफिनेशन बड़ी क्लीयर है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। सामान्य बोलचाल की भाषा में अपार्टमेंट पूरी बिल्डिंग को, मल्टी-स्टोरी को बोलते हैं। यहां जो अपार्टमेंट परिभाषित किया है, वह सिंगल फ्लैट मालिक को अपार्टमेंट स्वामी परिभाषित किया गया है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां आम, कामन इम्प्रेशन, जैसा कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, अपार्टमेंट का मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को अपार्टमेंट मान लेते हैं। कई बार अपार्टमेंट का मतलब केवल

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

रेजीडेंशियल यूनिट को हम अपार्टमेंट मानते हैं। इसका हमें लगता है कि अपार्टमेंट जब रेजीडेंशियल है तो कामर्शियल एक्टिविटी कैसे हो जाएगी। अपार्टमेंट जब रेजीडेंशियल है तो वहां आफिस कैसे खुल जाएगा। मैं समझता हूं, इस डेफिनेशन में "Apartment" means a part of any property intended for any type of independent use, including one or more rooms or enclosed spaces located on one or more floors." जो आप कह रहे थे, डूप्लैक्स की चिंता कर रहे थे आप "...or any part or parts thereof, in a building, intended to be used for residence or office or for the practice of any profession, or for carrying on of any occupation, trade or business or for such other type of independent use, etc. etc." इसलिये अपार्टमेंट का मतलब यहां पर फ्लैट मान लेना, फ्लैट का तो कोई शब्द ही इस्तेमाल नहीं किया गया है। पूरे बिल के अन्दर फ्लैट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। फ्लैट, एक कामन शब्द को यूज करते हैं। जे.डी.ए. के हमारे बिल्डिंग बाय-लाज के अन्दर जरूर फ्लैट का मतलब है। जहां कहा गया है कि 12 मीटर से ऊपर की बिल्डिंग ही फ्लैट होगी। उसी में फ्लैट बन सकते हैं। 12 मीटर से नीचे की बिल्डिंग में फ्लैट होता ही नहीं है। इसीलिये यहां फ्लैट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। यहां अपार्टमेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ है और अपार्टमेंट को वैल-डिफाइन कर दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं लम्बा समय नहीं लेते हुए कहना चाहता हूं कि अपार्टमेंट के इस बिल को हमने नैट पर जारी किया था। आपके राज में महीने भर रहा। हमारे राज में हमने महीने भर जारी किया। एक आपत्ति नहीं आई, माननीय सभापति महोदय, एक सुझाव नहीं आया। इस एक सुझाव का नहीं आना, एक आपत्ति का, ...(व्यवधान) आपका भी नहीं आया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कोई समझा ही नहीं होगा, अपार्टमेंट का मतलब।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब इसका तो क्या इलाज करें। आपके तो अभी भी समझ में नहीं आया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमने तो आपत्ति इसीलिये नहीं की कि यहां चर्चा करनी है और आम आदमी समझा नहीं, जो बिल्डिंग लेने वाला है, जो फ्लैट लेने वाला है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इसलिये माननीय सभापति महोदय, जनमत जानने के लिये इसको पहले ही दे

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

दिया गया है। एक बार कांग्रेस के राज में दे दिया गया। हमने कानून में कुछ वृद्धि की है। कुछ सैक्शंस जोड़े हैं। इन सैक्शंस के बाद में हमने दुबारा इसको साया किया है। इसमें एक भी सुझाव नहीं आया, एक भी आपत्ति नहीं आई। इसलिये और स्ट्रेंथन करते हुए उस कानून को पहली बार इसके स्वामित्व को डिफाइन करने के लिये, इसके स्वामित्व के ओरबिट को एक्सप्लेन करते हुए जिस प्रकार का कानून हम लाये हैं, मैं समझता हूं उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति का कारण नहीं होना चाहिए। इतना ही मुझे निवेदन करना था। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि श्री प्रहलाद गुंजल, श्री जोगाराम पेटल, श्री शंकरसिंह राजपुरोहित, डा. फूलचन्द भिण्डा, श्री केसाराम चौधरी, श्री मदन राठौड़, श्री मानसिंह, सदस्य ने राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक पर जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खंडश: विचार

खंड-2 से 35, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड-2 से 35 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

खंड-2 से 35 स्वीकार किये गये।

खंड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजपाल सिंह शेखावत।

विधेयक का पारण

राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अभी मंत्रीजी ने सभापति महोदय कहा न वह स्वीकार कर लीजिए। इन्होंने बार-बार अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय कहा।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015 पारित किया गया।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 8 अप्रैल, 2015 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.43 बजे, बुधवार, दिनांक 8 अप्रैल, 2015 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोतर

जोधपुर जिले की दांतीवाड़ा-माणकलाव पेयजल योजना

438. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जोधपुर की मेहती पेयजल योजना दांतीवाड़ा-माणकलाव की पेयजल पाइप लाइनें बिछाने के लिए किसानों की कृषि भूमि अवाप्त की गई थी? यदि हां, तो कब व कुल कितनी भूमि अवाप्त की गई?

(2) उक्त अवाप्त शुदा भूमि वर्तमान में पेयजल की पाइप लाइनें बिछाने के लिए उपयोग में आ रही है अथवा इस पर पूर्व खातेदारों द्वारा अतिक्रमण कर खेती की जा रही है?

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर की उक्त मेहती पेयजल योजना का कार्य वर्ष 2007-08 में स्वीकृत हुआ था? यदि हां, तो योजना कितनी राशि की कितने गांवों व ढाणियों के लिए बनाई गई थी और इसे कब तक पूर्ण किया जाना था?

(4) क्या उक्त योजना अपनी निर्धारित अवधि में पूर्ण हो गयी है? यदि नहीं, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना माणकलाव-दांतीवाड़ा-पीपाड़-बिलाड़ा की स्वीकृत पेयजल योजना अन्तर्गत मुख्य ट्रंक मेन लाइन बिछाने के कार्य तथा जल भण्डारण, फिल्टर प्लान्ट, डिग्गी, पम्प रूम, जलाशय, आवास एवं कार्यालय भवन इत्यादि निर्माण कार्यों के लिये क्रमश: 299.10 बीघा एवं 207.07 बीघा निजी खातेदारी भूमि अवाप्ति प्रकरण में भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), जोधपुर द्वारा अन्तिम अवार्ड दिनांक 18.12.2009 एवं दिनांक 29.05.2013 को जारी किया गया।

(2) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना माणकलाव-दांतीवाड़ा-पीपाड़-बिलाड़ा के प्रथम चरण हेतु अवार्ड की गई 299.10 बीघा भूमि में से 251.13 बीघा भूमि मुख्य ट्रंक मेन लाइन, डिग्गी, फिल्टर प्लान्ट, स्वच्छ जलाशय, पम्प हाउस, कार्यालय भवन इत्यादि के निर्माण हेतु वर्तमान में उपयोग में आ रही है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

गैर मुमकिन आगोर श्रेणी की भूमि का नियमानुसार आबंटन सम्भव नहीं होने से अवार्ड की गई भूमि दो भागों में विभाजित होने के कारण 47.17 बीघा भूमि परियोजना हेतु उपयोगी नहीं रही एवं इसे अवाप्ति से मुक्त कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

द्वितीय अवार्ड अन्तर्गत 207.07 बीघा भूमि में से 61.15 बीघा भूमि हेतु मुआवजे की दर में विवाद के कारण काश्तकारों द्वारा जिला न्यायालय, जोधपुर में रेफरेन्स दायर किया गया है जो विचाराधीन है। काश्तकारों द्वारा मुआवजा राशि स्वीकार नहीं की गई है एवं अतिक्रमण की बार-बार चेष्टा की जाती है जिसे विभाग द्वारा प्रशासन की सहायता से रोकने की कार्यवाही की जाती है।

(3) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना माणकलाव-दांतीवाड़ा-पीपाड़-बिलाड़ा के द्वितीय चरण की योजना अन्तर्गत माणकलाव से आगे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के 112 एवं भोपालगढ़ के 7, इस प्रकार कुल 119 ग्रामों एवं 2 शहरों (बिलाड़ा व पीपाड़सिटी) को स्वच्छ जलापूर्ति से लाभान्वित करने हेतु विभागीय नीति निर्धारण समिति की बैठक संख्या 172 दिनांक 17 अगस्त, 2006 द्वारा राशि रुपये 308.00 करोड़ की योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। उक्त परियोजना की क्रियान्विति हेतु विभागीय तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 के द्वारा स्वीकृत योजना के कार्यों को 7 पैकेजों में विभक्त किया गया । पैकेजवार योजना में सम्मिलित कार्य, इनकी वर्तमान प्रगति एवं पूर्ण करने की निर्धारित अवधि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। उक्त योजना के 5 पैकेजों के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु दिये गये कार्यादेश अनुरूप इनका कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हुआ है। अनुबंधित फर्मों द्वारा विभिन्न पैकेजों के कार्य धीमी गति से करने के कारण अनुबंध के क्लाज-2 के अन्तर्गत सम्बन्धित फर्मों से अब तक कुल रुपये 653.21 लाख की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में रोक ली गई है। सम्पूर्ण परियोजना माह मार्च, 2016 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मनोहरथाना के सड़क से वंचित गांव

439. **श्री कंवर लाल** (मनोहरथाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कंवर लाल)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में कई ग्राम सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे ग्रामों को सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र में अब तक कहां-कहां किस लागत से सड़कों का निर्माण करवाया गया है, उक्त में से कितनी सड़कें पूर्ण हो चुकी हैं तथा कितनी सड़कें अपूर्ण हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र के 100 से 249 की आबादी वाले ग्रामों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो पूर्व में स्वीकृत उक्त क्षेत्र में अब तक उक्त आबादी वाले ग्राम सड़कों से नहीं जोड़ने के क्या कारण रहे? क्या सरकार उक्त गांवों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार छीपाबड़ौद से अकलेरा मार्ग में परवन नदी पर (उनी ग्राम के समीप) तथा हरनावदा से मनोहरथाना के मध्य नदी पर उच्च स्तरीय पुल बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में जनगणना वर्ष 2001 के आधार पर कुल 451 गांव हैं। तत्पश्चात 6 नये राजस्व गांव और घोषित किये गये। इस प्रकार इस विधान सभा क्षेत्र में कुल 457 राजस्व गांव हैं। इनमें से 356 गांवों को डामर सड़क से जोड़ दिया गया है एवं 101 गांवों को डामर सड़क से जोड़ा जाना शेष है। उक्त 101 गांवों में से 27 गांव डामर सड़क से जोड़ने हेतु विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

शेष 74 गांव वर्तमान में किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। इनको डामर सड़क से जोड़ना राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में वर्ष 2012-13 से अब तक तीन वर्षों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन स्वीकृत 150 सड़क निर्माण कार्यों में से 98 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 46 कार्य प्रगति पर हैं, 3 कार्यों की

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

स्वीकृति निरस्त करने योग्य है एवं 3 कार्य निविदा प्रक्रियाधीन हैं। विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में 100 से 249 की आबादी वाले कुल 86 गांव हैं। वर्तमान में इनमें से 30 गांव डामर सड़क से जुड़ चुके हैं तथा 4 गांवों को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। बचे हुए 52 गांवों को सड़क से जोड़ा जाना शेष है, जिनका विवरण परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है।

पूर्व में राज्य सरकार के पत्रांक एफ.7(1875)यूसीवी(100-249)/13-14/से.-2/डी-437 दिनांक 08.08.2013 द्वारा 59 गांवों को जोड़ने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। जिसके अन्तर्गत 11 गांवों को जोड़ने का कार्य प्रारम्भ कर 7 गांवों को जोड़ा जा चुका है एवं उपरोक्तानुसार 4 गांवों को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है।

शेष 48 गांवों की स्वीकृति बजट समीक्षा पश्चात् निरस्त कर दी गई। लसूडियाशाह रोड से बलदेवपुरा चारखेड़ा रोड कि.मी. 0/0 से 1/400 की स्वीकृति के तहत सड़क निर्माण हुआ तो इसके कि.मी. 0/400 पर होने के कारण एक गांव श्रीपुरा ढाबली (206) स्वत: जुड़ गया। दो गांव जनगणना 2001 के पश्चात् राजस्व गांव घोषित हुए। इसके अतिरिक्त पंचायत समिति झालरापाटन के बिना जुड़े तीन गांव क्रमश: सेमली गोकुल (237), सेमली नाबाद (223) एवं मालाटोटा (167) भी इसी विधान सभा क्षेत्र के हैं।

इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में 100 से 249 की आबादी के कुल 52 गांवों को सड़क से जोड़ा जाना शेष है, जो वर्तमान में किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं हैं। इनको जोड़ने की स्वीकृति राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

(4) छीपाबड़ौद से अकलेरा मार्ग (एन.एच.-90) पर परवन नदी पर उनी ग्राम के समीप उच्चस्तरीय पुल बनाने हेतु परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक आर.डब्ल्यू./एन.एच./12014/राजस्थान (9)/2013/एसएण्डआरबी दिनांक 07.01.2014 द्वारा भूमि अवाप्ति हेतु राशि रु. 296.99 लाख की स्वीकृति जारी की गई। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही माह दिसम्बर 2015 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

बारां-अटरू-छीपाबड़ौद-अकलेरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-90 के कि.मी. 88/500 से 91/200 (एप्रोच रोड सहित) के मध्य परवन नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली की वार्षिक कार्य योजना 2015-16 में राशि रु. 90.00 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित है। उच्चस्तरीय पुल की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही निर्माण कार्य करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

हरनावदा से मनोहरथाना सड़क वर्तमान में अन्य जिला सड़क (ओ.डी.आर.) संख्या-13 है। इस सड़क के मध्य कालीखाड़ नदी पर उच्चस्तरीय पुल बनाने हेतु सी.आर.एफ. योजना में राशि रु. 971.97 लाख की स्वीकृति दिनांक 31.03.2015 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी हो चुकी है। प्रति परिशिष्ट-5 पर प्रस्तुत है। उक्त स्वीकृति के अनुसार निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भरतपुर जिले में मनरेगा योजना में पोखर/तालाबों पर व्यय राशि

440. **श्रीमती अनीता** (नगर) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत पोखर/तालाब बनाये जाने के क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में मनरेगा योजना के अन्तर्गत जिला भरतपुर में किस-किस पंचायत में पोखर/तालाब बनाये गये एवं उन पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से ऐसे कितने पोखर/तालाब हैं, जिनमें पानी का भराव नहीं है? पानी का भराव नहीं होने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मनरेगा योजनान्तर्गत पोखर/तालाब निर्माण किये जाने हेतु ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। ग्राम सभा के प्रस्ताव के अनुरूप वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कर इसे पंचायत समिति एवं जिला परिषद

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री)

स्तर से अनुमोदित कराया जाता है एवं प्राप्त प्रस्ताव के अनुरूप कार्य का मौका निरीक्षण कर कार्य की तकनीकी उपयोगिता का आंकलन किया जाता है। मुख्य तकनीकी मापदण्ड विभाग द्वारा जारी तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 में "जलाशय" के शीर्षक से वर्णित है। सम्बन्धित प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। योजनान्तर्गत अधिकतर कार्य पूर्व में निर्मित पोखर/तालाब के जीर्णोद्धार/ मरम्मत से सम्बन्धित कराये गये हैं।

(2) गत पांच वर्षों में जिला भरतपुर में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत बनाए गए अथवा जीर्णोद्वार/मरम्मत कराए गए पोखर/तालाब तथा उन पर व्यय की गयी राशि का पंचायतवार एवं पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) पोखर/तालाब में पानी का भराव बरसात की निरन्तरता, तालाब की मिटटी तथा पानी के उपयोग पर निर्भर करता है। मानसून उपरान्त पानी लगभग 3-4 माह तक पोखर/तालाबों में रहता है।

पिछले वर्षों में मानसून के दौरान कम वर्षा होने से भराव कम रहा है एवं भरे हुए पानी के लगातार उपयोग तथा गर्मी से वाष्पीकृत हो जाने के कारण से वर्तमान में अधिकांश पोखर/तालाब खाली हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नेफेड द्वारा जिन्स खरीदने के निर्धारित मानदण्ड

441. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष पाली जिले की विभिन्न कृषि मंडियों में चना खरीद में समस्याएं उत्पन्न हुई थीं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नेफेड द्वारा प्रत्येक जिन्स की खरीद के लिए कोई 'गुणवत्ता मानदंड' निर्धारित है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि किसानों द्वारा उत्पादित चना 'नेफेड' की निर्धारित गुणवत्ता में सही पाये जाने के बावजूद केवल चने के भूरा व काला रंग मिला होने के कारण ही किसानों का चना नहीं खरीदा गया? यदि हां, तो क्यों?

(श्री मदन राठौड़)

(4) क्या यह सही है कि गत वर्ष जिन्स खरीद का भुगतान किसानों को विलम्ब से किया गया? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि गत वर्ष पाली जिले की विभिन्न कृषि मंडियों में चना खरीद में समस्याएं उत्पन्न हुई थीं। गत वर्ष में पाली जिले में स्थापित चना खरीद केन्द्रों पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं का केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद के निर्धारित गुणवत्ता मापदण्ड का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। नेफेड/राजफैड द्वारा पाली जिले की विभिन्न सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर चना भारत सरकार के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार खरीदा गया था। निर्धारित मापदण्डों से अधिक मात्रा में (5% से अधिक) अन्य किस्म का चना मिला होने पर ही नियमानुसार ऐसा माल नहीं खरीदा गया।

(4) जी हां। नेफेड द्वारा राशि के भुगतान में विलम्ब के कारण किसानों को समय से भुगतान नहीं किया जा सका।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मीसा बन्दियों को पेंशन देने की योजना

442. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों के लिये सरकार ने पेंशन योजना स्वीकृत की है तथा इस हेतु आवेदनकर्ताओं का रिकार्ड जेल तथा पुलिस थानों से गायब होने के कारण आवेदकों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है एवं आवेदन बड़ी संख्या में जिला कलक्टरों के पास लम्बित हैं?

(2) उक्त रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के क्या कारण हैं? पुलिस अधीक्षक एवं जेल अधीक्षक कार्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रिकार्ड की अनुपलब्धता के लिए वैकल्पिक व्यवस्था व नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 28.02.2014 द्वारा मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों के लिए पेंशन नियम जारी किए हैं। यह सही है कि कुछ जिलों में इस सम्बन्ध में रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जिला कलक्टरवार सूचना संलग्न है। (परिशिष्ट-अ)

(2) रिकार्ड उपलब्ध होने के सम्बन्ध में जिला कलक्टर कार्यालयों से प्राप्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं जेल अधीक्षक कार्यालयवार ब्यौरा संलग्न है। (परिशिष्ट ब)

(3) जी हां। इस सम्बन्ध में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु कानून संशोधन करने पर उच्च स्तर पर प्रकरण विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर जिले में नवीन राशन कार्डों में त्रुटियों के सुधार हेतु कैम्पों का आयोजन

443. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में नवीन डिजीटल राशन कार्ड बनाने के लिए अनुबंधित एजेन्सी द्वारा सम्पूर्ण राशन कार्ड बना दिये गये हैं? यदि नहीं, तो अब कब तक बना दिये जायेंगे? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि नवीन डिजीटल राशन कार्डों में नाम, फोटो, जाति, उम्र, लिंग व पते आदि की त्रुटियां पाई गई हैं, जिससे राशन कार्ड उपयोग योग्य नहीं हैं? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार नवीन डिजीटल राशन कार्डों में त्रुटियों में सुधार के लिए पुन: कैम्प लगाकर शुद्धिकरण करने अथवा नये राशन कार्ड बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार, कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। जोधपुर जिले में अनुबन्धित एजेन्सी द्वारा सम्पूर्ण कार्डों की पूर्ति नहीं की गई है। सम्बन्धित फर्म द्वारा दिनांक 30.09.2014 तक पूर्ति करनी थी, जो उनके द्वारा नहीं की गई है। इसके पश्चात उसकी कार्य अवधि नहीं बढ़ाई गई है। पंचायत समितिवार विवरण निम्न प्रकार है :-

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति/ क्षेत्र	फर्म को उपलब्ध कराये गये फार्मों की संख्या	फर्म से प्राप्त राशनकार्डों की संख्या
1	पंचायत समिति, बाप	43756	37307
2	पंचायत समिति, बाबड़ी	39123	39019
3	पंचायत समिति, बालेसर	49259	45620
4	पंचायत समिति, भोपालगढ़	63730	57059
5	पंचायत समिति, बिलाड़ा	63149	47174
6	बिलाडा (शहर)	11224	11139
7	जोधपुर शहर	254652	178969
8	पंचायत समिति, लूणी	78729	56853
9	पंचायत समिति, मण्डोर	45763	22482
10	पंचायत समिति, औसियां	83136	61909
11	पंचायत समिति, फलौदी	56217	56217
12	फलौदी (शहर)	13876	10582
13	पीपाड़ शहर	11370	4135
14	पंचायत समिति, शेरगढ़	46927	35268
	योग	**860911**	**663733**

(2) जी हां। प्रदेश में उक्त तैयार राशनकार्डों में मुख्य रूप से नाम, आयु, सम्बन्ध एवं श्रेणी आदि कुछ त्रुटियां पाई गई हैं। इन त्रुटियों को जिले की फर्म से संशोधित कराकर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में दिनांक 17.09.2013, 13.01.2014 एवं 27.03.2014 को निर्देश जारी किये गये थे, जो परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। जिन फर्मों द्वारा निर्धारित अवधि में त्रुटियुक्त राशनकार्डों को सुधार कर उपलब्ध नहीं कराया गया है, उनके विरुद्ध निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी नहीं। त्रुटि सुधार हेतु पृथक से कैम्प नहीं लगाये जा रहे हैं। इस हेतु विभाग द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार तैयारशुदा राशनकार्डों में शुद्धिकरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर संशोधन का कार्य सम्बन्धित विभागीय प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है तथा 01 अप्रैल, 2015 से नवीन/ डुप्लीकेट राशनकार्ड बनाने, राशनकार्ड में नाम जोड़ने, घटाने, परिवर्तन तथा

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

शुद्धिकरण का कार्य ई-मित्र/सीएससी के माध्यम से सशुल्क किया जाना प्रारम्भ कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में जारी परिपत्र दिनांक 02.02.2015 एवं 28.03.2015 की प्रति परिशिष्ट-2 एवं परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निवाई में अवैध खनन की रोकथाम

444. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार अवैध खनन पर रोकथाम हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार?

(2) विधान सभा क्षेत्र निवाई में गत 5 वर्षों में अवैध खनन के कितने प्रकरण कहां-कहां व किस-किस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किये गये? दर्ज प्रकरणों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांव नोहटा बस्सी घाटा के समीप किवाड़ा स्थित पहाड़ी पर अवैध खनन हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस अवैध खनन पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि नोहटा, बारेडा, किवाड़ा व खिडगी वन क्षेत्र में रोक के बावजूद अवैध खनन हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस अवैध खनन को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा अवैध खनन पर रोकथाम हेतु सतत् रूप से निरीक्षण किया जाकर अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है । अवैध खनन की मानिटरिंग हेतु राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर टास्क-फोर्स गठित की हुई है जिसमें समय-समय पर बैठक की जाकर अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु योजना बनायी जाती है। संवेदनशील स्थानों पर बार्डर होमगार्ड की तैनातगी की गई है एवं निकट भविष्य में विभाग द्वारा अन्य विभागों पुलिस, राजस्व, वन, इत्यादि के साथ संयुक्त अभियान शीघ्र

(खान राज्य मंत्री)

चलाया जायेगा । नयी खनिज नीति 2015 में अवैध खनन पर जुर्माना राशि को बढ़ाते हुए कड़े प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। वन क्षेत्रों में अवैध खनन की रोकथाम बाबत मुख्यत: वन विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है।

(2) विधान सभा क्षेत्र निवाई में गत 5 वर्षों में अवैध खनन के दर्ज किये गए प्रकरण एवं उनमें की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र निवाई के गांव नोहटा, बस्सी घाटा के समीप किवाड़ा स्थित पहाड़ी वन सीमा क्षेत्र में आती है । उप वन संरक्षक, टोंक के अनुसार वन खण्ड सिरस में स्थित गांव नोहटा, बस्सी, घाटा एवं किवाडा में स्थित पहाड़ियों पर अवैध खननकर्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से लामबद्ध होकर असामाजिक तत्वों का सहारा लेकर विकट टेढ़े-मेढ़े रास्तों का एवं रात के समय का लाभ उठाकर अवैध खनन लगाने हेतु निरन्तर गस्त की जा रही है। अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध राजस्थान वन अधिनियम संशोधित 2012 के तहत कान्फस्कैशन की कार्यवाही भी की जा रही है तथा बीट नोहटा में वन क्षेत्र की सीमा पर अवैध खनन के रास्तों को रोकने हेतु 800 रनिंग मीटर पक्की दीवार का निर्माण वर्ष 2014-15 में करवाया गया है। वर्ष 2014-15 में माह फरवरी, 2015 तक 14 प्रकरण दर्ज कर अवैध खननकर्ताओं से 4,36,400/- रुपये जुर्माना राशि वसूल की गई है।

(4) विधान सभा क्षेत्र निवाई के वन खण्ड सिरस के अधीन ग्राम नोहटा, बारेडा, किवाड़ा, खिडगी में स्थित वन क्षेत्र की पहाड़ियों पर अवैध खननकर्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से रात के समय चोरी-छिपे चेजा पत्थर खोद कर ले जाते हैं। वन विभाग द्वारा पकड़े जाने पर अवैध साधनों को जब्त कर राज तहवील में लेकर उचित कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 माह फरवरी, 2015 तक 70 प्रकरण दर्ज कर अवैध खननकर्ताओं से रुपये 11,54,200/- जुर्माना राशि वसूल की गई है। साथ ही मुलजिम श्री कन्हैयालाल पुत्र लादूराम गुर्जर निवासी गोरधनपुरा, पंचायत समिति बरौनी के विरुद्ध माननीय न्यायालय एम.जे.एम. प्रथम, निवाई में चालान पेश किया जा चुका है, जिसका निर्णय माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। वन विभाग इस अति संवेदनशील वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को रोकने हेतु समय-समय पर उचित कार्यवाही कर अवैध खननकर्ताओं को आर्थिक दण्ड से दण्डित किया

(खान राज्य मंत्री)

गया है तथा इनके विरुद्ध सम्बन्धित थानों में एफ.आई.आर. भी दर्ज करवाई जाती है साथ ही वन सीमा पर हो रहे अवैध खनन के परिवहन को रोकने वास्ते बीट नोहटा में 800 रनिंग मीटर पक्की दीवार का निर्माण वर्ष 2014-15 में करवाया गया है तथा सम्भावित अवैध खनन क्षेत्रों में रास्तों को अवरूद्ध करने हेतु जे.सी.बी. से खाइयां भी खुदवाई गई हैं। उक्त क्षेत्रों में नियमित गस्त जारी है तथा इसके अतिरिक्त वन मण्डल, टोंक स्तर पर गठित गस्ती दल भी समय-समय पर औचक एवं छापामार कार्यवाही कर अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में संनिर्माण श्रमिकों के लम्बित प्रकरण

445. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा संनिर्माण श्रमिकों के लाभ के लिये योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या-क्या? योजना के नाम सहित विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) अलवर जिले में उक्त योजनाओं के द्वारा गत पांच वर्षों में किन-किन संनिर्माण श्रमिकों को क्या-क्या लाभ दिया गया? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) उक्त योजनाओं में अलवर जिले के कितने प्रकरण संनिर्माण श्रमिकों के लम्बित हैं? नामवार सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(4) क्या उक्त लम्बित प्रकरणों के लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? यदि हां, तो कौन-कौन व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(5) उक्त लम्बित प्रकरणों का अब कब तक निस्तारण कर श्रमिकों को लाभ दे दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान द्वारा मण्डल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए बनाई गयी योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

(2) लाभान्वित श्रमिकों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण संधारित नहीं किया जाता है। अलवर जिले में गत 5 वर्षों में मण्डल की योजनाओं में लाभान्वित संनिर्माण श्रमिकों को दिए गए लाभ का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-"2" पर संलग्न है।

(3) अलवर जिले में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 1610 प्रकरण निम्नानुसार लम्बित हैं नामवार सूची परिशिष्ट-"3" पर संलग्न है।

योजना	**लम्बित प्रकरण**
विवाह सहायता योजना	1076
साइकिल सहायता योजना	506
प्रसूति सहायता योजना	3
दुर्घटना/मृत्यु	8
छात्रवृत्ति योजना	17
कुल	**1610**

(4) जी नहीं। अलवर जिले में स्थित विभाग के कार्यालय में स्टाफ सीमित होने तथा प्रकरणों की जांच कार्यवाही के कारण प्रकरण लम्बित हैं।

(5) उक्त लम्बित प्रकरणों का निस्तारण 3 माह में कर दिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डूंगरगढ़ में विधायक कोष से नलकूपों की अनुशंसा

446. श्री किशनाराम (डूंगरगढ़) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2009 से 2014 तक पेयजल हेतु विधायक कोष से विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ द्वारा ग्राम पंचायतों में नलकूप बनाये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी पंचायतों में कब-कब बनाये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त स्वीकृत नलकूपों में से कौन-कौन से पूर्ण होकर चालू हैं व कौन-कौन से आज तक अपूर्ण व बंद हैं व बंद होने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री किशनाराम)

(3) उक्त अवधि में खुदाये गये नलकूपों का कितना-कितना, कब-कब एवं किन-किन को कैसे-कैसे भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त भुगतान नियमानुसार किया गया है? यदि नहीं, तो अनियमितताओं के लिये किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2009 से 2014 तक पेयजल हेतु विधायक कोष से विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ द्वारा 25 ट्यूबवैल बनाये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त स्वीकृत नलकूपों में 21 ट्यूबवैल पूर्ण होकर चालू हैं तथा 3 ट्यूबवैल विद्युत कनेक्शन नहीं होने एवं 1 डीटीएच के अभाव में अपूर्ण होने के कारण बन्द है। सूची संलग्न परिशिष्ट-2 पर अवलोकनीय है।

(3) उक्त अवधि में खुदाये गये सभी ट्यूबवैलों का कार्य के मूल्यांकन के अनुसार भुगतान कर दिया गया है। भुगतान का विवरण संलग्न परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। विधायक कोष से स्वीकृत ट्यूबवैल निर्माण कार्य (जिसकी कार्यकारी एजेन्सी पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ को बनाया गया था) निविदा के माध्यम से कार्य करवाया गया था। कार्य पूर्ण होने पर कार्य के मूल्यांकन के अनुसार ठेकेदार को नियमानुसार भुगतान किया गया है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रधानमंत्री सड़क योजना में जुड़ने से वंचित राजस्व गांव

447. श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में अनेक राजस्व गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से वंचित हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2001 के बाद बनने वाले सम्पूर्ण राजस्व गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना द्वारा सड़क मार्ग से नहीं जोड़ा गया है? यदि हां, तो क्या सरकार वंचित राजस्व गांवों को उक्त सड़क

(श्री कैलाश चौधरी)

योजना से जोड़ने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आज भी कई राजस्व गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वंचित हैं। लेकिन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गांव को जोड़ने का आधार राजस्व गांव नहीं है बल्कि इसका आधार बसावटों (हैबीटेशन) को रखा गया है तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशानुसार जनगणना 2001 के अनुसार पात्रता रखने वाली बसावटों को डामर सड़क से जोड़े जाने का प्रावधान है। चूंकि योजना के प्रारम्भ वर्ष 2000 में बसावटों की सूचना उपलब्ध नहीं थी। अत: राजस्व गांवों को इकाई मानकर पात्रता वाले सामान्य क्षेत्र में 500 व उससे अधिक एवं मरु व जनजाति क्षेत्र में 250 व उससे अधिक जनसंख्या वाले 10863 राजस्व गांवों को चिन्हित किया गया तथा वर्ष 2009 तक विभिन्न चरणों में सभी 10863 राजस्व गांवों की ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर 10724 राजस्व गांवों को डामर की सड़क से जोड़ा जा चुका है तथा शेष 139 राजस्व गांवों का कार्य वन क्षेत्र, भूमि विवाद एवं न्यायिक प्रकरण के कारण पूर्ण होना शेष है।

(2) जी हां। वर्ष 2001 के बाद बनने वाले सम्पूर्ण राजस्व गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना द्वारा सड़क मार्ग से नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशानुसार (जनगणना 2001 के अनुसार) पात्रता रखने वाली बसावटों/ढाणियों को जोड़ा जाने का प्रावधान है। उपरोक्त राजस्व गांवों को जोड़ा जाना केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के उपलब्ध संसाधन व नीतिगत निर्णय पर निर्भर करता है।

धौलपुर जिले में नवीन पंचायतों के लिए भवन निर्माण

448. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

धौलपुर जिले में कितनी नवीन पंचायतें सृजित की गई हैं? क्या सरकार उक्त पंचायत मुख्यालयों पर पंचायत भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

धौलपुर जिले में 18 नवीन पंचायत सृजित हुई हैं।

जी हां। इन नवीन सृजित पंचायतों के भवन बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालित मदरसे

449. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के मदरसों में संचालित गतिविधियां संदिग्ध हैं?

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालित मदरसों में निर्धारित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त बच्चों को देश विरोधी एवं धर्मविरोधी बातें सिखायी जा रही हैं?

(3) क्या सरकार उक्त मदरसों में पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम, मिलने वाले फंड और इनमें अध्ययन कराने वाले शिक्षकों की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अधिकांश मदरसे गैर पंजीकृत हैं? यदि हां, तो पंजीकृत न होने के बावजूद भी सरकार द्वारा इन पर कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) प्रदेश में संचालित कितने मदरसे सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हैं? उक्त मदरसों का पाठ्यक्रम क्या है एवं पाठ्यक्रम कौन तय करता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि मदरसों द्वारा धर्म के आधार पर शिक्षा को बांटा जा रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इनके संचालन की अनुमति प्रदान करने के क्या कारण हैं?

(7) क्या सरकार प्रदेश में संचालित मदरसों में अन्य विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रमों को ही पढ़ाये जाने की बाध्यता करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। इस तरह की कोई लिखित सूचना/शिकायत राजस्थान मदरसा बोर्ड को प्राप्त नहीं हुई है।

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

(2) जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत मदरसा बोर्ड को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी नहीं।

(4) राजस्थान मदरसा बोर्ड केवल उन्हीं मदरसों को पंजीकृत करता है, जो कि नियमान्तर्गत आवेदन करते हैं एवं मदरसा बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करते हैं। ऐसे पंजीकृत मदरसों को केवल आधुनिक शिक्षा हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

(5) प्रदेश में प्राथमिक स्तर के 3523 एवं उच्च प्राथमिक स्तर के 319 मदरसे पंजीकृत हैं। इस तरह कुल 3842 मदरसे पंजीकृत हैं। जिनमें दीनी तालीम का दायित्व स्थानीय मदरसा प्रबन्धन कमेटी/मौलवी का होता है, एवं पाठ्यक्रम भी उन्हीं के द्वारा निर्धारित किया जाता है और आधुनिक विषयों जैसे हिन्दी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक ज्ञान, कम्प्यूटर शिक्षा, आदि का पाठ्यक्रम राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार ही होता है। इन विषयों की पाठ्यपुस्तकें भी राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल के स्तर से प्रकाशित एवं शिक्षा विभाग राजस्थान के स्तर से नि:शुल्क भिजवाई जाती हैं।

(6) जी नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 29 व 30 के अनुरूप नागरिकों को धर्म की स्वतन्त्रता, अल्पसंख्यक वर्गों को अपने हितो के संरक्षण एवं शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। राजस्थान मदरसा बोर्ड का उद्देश्य केवल दीनी तालीम देने वाले मदरसों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए सहायतार्थ पंजीकृत करना है इस हेतु सलाह देना एवं सरकारी कार्यक्रम व निर्देशों की क्रियान्विति करने का कार्य राजस्थान मदरसा बोर्ड करता है। मदरसों का संचालन मुस्लिम समाज की गठित प्रबंधन समितियों द्वारा किया जाता है। मदरसा संचालन की कोई अनुमति राजस्थान मदरसा बोर्ड के स्तर से नहीं दी जाती है। अपितु पहले से ही संचालित मदरसों का आधुनिक शिक्षा हेतु सहायतार्थ पंजीयन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 29 व 30 की प्रति परिशिष्ट 'ए' एवं मदरसा बोर्ड गठन के उद्देश्यों के आदेश क्रमांक प.16(1)/2002 दिनांक 27.01.2003 और क्रमांक प.16(1)शिक्षा-1/प्राशि/2002 दिनांक 11.08.2003 परिशिष्ट 'बी' पर संलग्न है।

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

(7) जहां तक मदरसों में दीनी तालीम देने की बात है इसकी विषयवस्तु एवं पाठ्यक्रम स्थानीय मदरसा प्रबन्धन कमेटी/मौलवी ही अपने स्तर से तय करते हैं इसमें राजस्थान मदरसा बोर्ड का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, जहां तक आधुनिक शिक्षा की बात है, प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का ही मदरसों में अध्ययन करवाया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खाद्य सुरक्षा गारण्टी योजना में नवीन पात्र व्यक्तियों का चयन

450. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में खाद्य सुरक्षा गारण्टी योजनान्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 तक चयनित पात्र व्यक्तियों एवं लाभान्वित व्यक्तियों का जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) प्रदेश में खाद्य सुरक्षा गारण्टी योजनान्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2015 तक नये चयन किये गये व्यक्तियों का जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पूर्व में चयन किये गये पात्र व्यक्तियों का पुन: सर्वे व वेरीफिकेशन कराया गया है? यदि हां, तो ऐसे कितने लाभार्थी हैं, जिन्हें पात्रता की श्रेणी से अपात्रता की श्रेणी में मानते हुए पात्रता सूची से वंचित किया गया है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में ऐसे कितने लाभार्थियों का पुन: सर्वे व वेरीफिकेशन कर लाभान्वित होने की पात्रता से वंचित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) प्रदेश में उक्त योजनान्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2015 तक कितने नये पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) प्रदेश में खाद्य सुरक्षा गारन्टी योजनान्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 तक चयनित/लाभान्वित पात्र व्यक्तियों का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2015 तक नये लाभार्थियों का चयन नहीं किया गया है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की सूचियों की समीक्षा/सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। सूचियों के शुद्धिकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में लाभार्थियों का पुन: सर्वे व वेरीफिकेशन कर लाभान्वित होने की पात्रता से वंचित किये गये लाभार्थियों की संख्या शून्य है।

(5) प्रदेश में उक्त योजनान्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2015 तक नये पात्र व्यक्तियों का चयन नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में क्रूड आयल चोरी से राजस्व का नुकसान

451. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षो में बाड़मेर में कैयर्न इण्डिया द्वारा निकाले जा रहे क्रूड आयल के चोरी होने का प्रकरण दर्ज हुआ है? यदि हां, तो उक्त प्रकरण किसके द्वारा, किसके विरुद्ध दर्ज करवाया गया तथा किस थाने में कब दर्ज हुआ? पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है पुलिस द्वारा अत्यन्त राष्ट्रीय महत्व के इस प्रकरण को हल्के में लिया गया, जिसके कारण सरकार को करोड़ों रुपयों का राजस्व नुकसान हुआ है?

(3) क्या सरकार उक्त महत्वपूर्ण मुद्दे पर गम्भीरता से विचार कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि गत तीन वर्षों में जिला बाड़मेर में कैयर्न इण्डिया द्वारा निकाले जा रहे क्रूड आयल की चोरी के सम्बन्ध में चार मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हुए हैं। जिला बाड़मेर में क्रूड आयल चोरी के कैयर्न

(खान राज्य मंत्री)

इण्डिया द्वारा दर्ज करवाये गए मुकदमों एवं की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है। पुलिस द्वारा अत्यन्त राष्ट्रीय महत्व के इन प्रकरणों को तत्परता से अनुसंधान कर मुल्जिमों को गिरफ्तार कर दो मुकदमों में चालान पेश अदालत किया जा चुका है तथा दो मुकदमों में चालान न्यायालय में पेश करना शेष है। विवरण परिशिष्ट 'अ' के क्र.स. 5, 6, 10, 12 व 13 पर अंकित हैं।

(3) उक्त महत्वपूर्ण मुददे पर गम्भीरता से अनुसंधान एवं प्रयास कर मुलजिम गिरफ्तार किये गए हैं। दो प्रकरणों में चालान पेश किया जा चुका है एवं दो प्रकरणों में चालान पेश करना शेष है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

टोल प्लाजा कम्पनी (राजाधोक) द्वारा अनुबन्ध की शर्तों की पालना

669. श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आगरा रोड पर स्थित टोल प्लाजा कम्पनी राजाधोक और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बीच अनुबंध हुआ था? यदि हां, तो कब व कितनी अवधि के लिए? अनुबंध की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सर्विस लेन का नियमानुसार निर्माण नहीं होने के कारण प्रतिदिन दुर्घटना होती है? यदि हां, तो क्या सरकार नियमानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि अनुबंधों के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग से जुडने वाले ग्रामों की 100 मीटर तक सड़क निर्माण करने की जिम्मेदारी टोल वसूलने वाली कम्पनी की है? यदि हां, तो जनवरी, 2009 से अब तक टोल प्लाजा कम्पनी द्वारा किस-किस गांव की कितनी-कितनी सड़कों का निर्माण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि टोल प्लाजा कम्पनी से किये गये अनुबन्ध में राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना घटित होने पर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाता है? यदि हां, तो अब तक कितने लोगो को कितना-कितना मुआवजा दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आगरा रोड स्थित टोल प्लाजा राजाधोक का संधारण भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.) द्वारा करवाया जा रहा है। तद्नुसार माननीय विधायक द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर भा.रा.रा.प्रा. के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर से उनके पत्र क्रमांक भा.रा.रा.प्रा./21011/2/2014-क्षे.का.ज./वि.स./04007 दिनांक 30.03.2015 द्वारा प्राप्त किया गया है (परिशिष्ट-1 के अनुसार) भा.रा.रा.प्रा. द्वारा भिजवाये गये उत्तर के अनुसार बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्नानुसार है:-

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

'जी हां। यह सही है कि आगरा रोड पर स्थित टोल प्लाजा कम्पनी राजाधोक और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बीच अनुबन्ध हुआ था। यह अनुबन्ध दिनांक 23 सितम्बर, 2005 से दिनांक 19 मार्च, 2031 तक है।' अनुबन्ध की प्रति परिशिष्ट-1 पर समाविष्ट है।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनायें होती हैं लेकिन यह सही नहीं है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सर्विस लेन का निर्माण नियमानुसार नहीं होने के कारण प्रतिदिन दुर्घटना होती है।

(3) जी नहीं। बल्कि अनुबन्ध में लिखित शर्तों के अनुसार ग्रामों को जोड़ने का कार्य किया जाता है। शर्तों का विवरण परिशिष्ट-1 में संलग्न है।

(4) जी नहीं। यह सही नहीं है कि टोल प्लाजा कम्पनी से अनुबन्ध में राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना घटित होने पर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालौर में नियम विरुद्ध बनाई गई सड़कें

670. **श्रीमती अमृता मेघवाल** (जालौर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जालौर के ऐसे कितने गांव व ढाणियां हैं, जो प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एवं अन्य योजना के अन्तर्गत सड़कें बनाने के लिये प्रस्तावित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के 500 एवं 250 से अधिक आबादी वाले कौन-कौन से गांव सड़कों से जोड़े जाने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2015 तक कितने गांव प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एवं अन्य योजना से जोड़े गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जनवरी 2009 से अब तक जिन सड़कों का निर्माण किया गया वो सड़कें किसी भी योजना में नहीं आतीं तथा वहां की आबादी 250 से कम है व केवल किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नियमों की अनदेखी की गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अमृता मेघवाल)

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितनी क्षतिग्रस्त सडकें हैं? क्या सरकार उनकी मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जालौर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 250-299 आबादी की ढाणियों के 14 सड़कों के निर्माण हेतु प्रस्ताव एसटीए करवाकर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार में स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। मुख्यमंत्री सड़क योजना जैसी कोई योजना वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग में नहीं है। अन्य किसी योजना में गांवों को जोड़ने हेतु कोई नया सड़क निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जालौर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशानुसार वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 250 से अधिक आबादी वाले सभी गांव डामर सड़क से जोड़े जा चुके हैं।

(3) जनवरी 2009 से 31 जनवरी, 2015 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जोड़ी गई/स्वीकृत ढाणियों की सूचना परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एवं अन्य योजना में कोई गांव नहीं जोड़ा गया है।

(4) जी नहीं। जनवरी 2009 से 2015 तक जिन सड़कों का निर्माण किया गया है उनमें से सभी सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत हैं तथा योजना के दिशा-निर्देशानुसार जिला परिषद के अनुमोदन पश्चात् ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति जारी करवाकर ही कार्य शुरू किये गये हैं। राज्य सरकार की अन्य किसी योजना में कोई कार्य स्वीकृत/प्रगतिरत नहीं है। अतः किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिये नियमों की अनदेखी नहीं की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत/प्रगतिरत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों में दस सड़कें क्षतिग्रस्त श्रेणी में हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है। इन सड़कों में से पांच सड़कें 24.50 कि.मी. लम्बाई की, लागत राशि रु. 361.50 लाख की आर.आई.डी.एफ.-20 योजना में नवीनीकरण हेतु स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में निविदा प्रक्रियाधीन है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

शेष 19.20 कि.मी. लम्बाई की पांच क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण के लिये राशि रु. 246.00 लाख की स्वीकृति की आवश्यकता होगी, जो राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उम्मेद रेलवे क्रासिंग (जोधपुर) पर पुलिया निर्माण

671. **श्रीमती कमसा** (भोपालगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार ग्राम रतकुड़िया रेलवे क्रासिंग सामीन एवं उम्मेद रेलवे क्रासिंग, भोपालगढ़ (जोधपुर) पर पुलिया बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

ग्राम रतकुड़िया रेलवे क्रासिंग भावी खींवसर सड़क (मुख्य जिला सड़क संख्या-90) के कि.मी. 39/0 से 40/0 के मध्य स्थित है, जिसकी रेलवे क्रासिंग संख्या सी-128 है। इस पर टी.वी.यू. 37557 है।

उम्मेद रेलवे क्रासिंग रतकुड़िया से खांगटा सड़क (अन्य जिला सड़क संख्या-54) के कि.मी. 3/0 से 4/0 के मध्य स्थित है, जिसकी रेलवे क्रासिंग संख्या सी-127 है। इस पर टी.वी.यू. 29083 है।

उक्त दोनों रेलवे क्रासिंग की टी.वी.यू. एक लाख से कम होने के कारण, नियमानुसार इन क्रासिंग पर पुलिया निर्माण में रेलवे विभाग हिस्सेदारी नहीं देगा। प्रत्येक पुलिया के निर्माण पर अनुमानित राशि रु. 35.00 करोड़ की स्वीकृति की आवश्यकता होगी, जो राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

सिकराय में संचालित ग्रामीण बसें

672. **श्रीमती गीता वर्मा** (सिकराय) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में कितनी ग्रामीण बसें किस-किस मार्ग पर संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती गीता वर्मा)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कौन-कौन से ग्राम हैं, जो ग्रामीण बस सेवा से जुडे हुये नहीं हैं? क्या सरकार उक्त गांवों के लिये बस चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में 22 ग्रामीण बसें संचालित हैं। उनके मार्गों की सूचना परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में ग्रामीण बस सेवा से वंचित ग्राम पंचायत निम्न हैं :-

1. उदयपुरा	2. हिंगवा
3. नामनेर	4. कुण्डेरा डूंगर
5. नांदरी	6. मरियाडा
7. बावनपाडा	8. टोरडा

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण ग्रामीण बस सेवा से वंचित ग्राम पंचायतों को जोड़े जाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यावर शहर की सड़कों को चौड़ी करने की योजना

673. **श्री शंकर सिंह** (ब्यावर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर शहर एन. एच 8 पर स्थित होने के कारण यहां पर वाहनों का आवागमन अधिक रहता है?

(2) क्या यह भी सही है कि ब्यावर शहर की सड़कें कम चौड़ी होने के कारण आने जाने वाले वाहनों एवं राहगीरों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

(3) क्या यह भी सही है कि ब्यावर शहर में वाहनों की संख्या को देखते हुये इस शहर की सड़कों का चौड़ा किया जाना आवश्यक है?

(4) क्या सरकार ब्यावर शहर की विभिन्न सड़कों को चौड़ा करने हेतु जन सहभागिता योजना अथवा अन्य किसी योजना में राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ब्यावर शहर एन.एच.-8 पर स्थित है। हालांकि भारी वाहनों एवं लम्बी दूरी के यातायात (थ्रू-ट्रैफिक) के गुजरने हेतु ब्यावर शहर का छह लेन बाइपास बना हुआ है, तथापि, कई महत्वपूर्ण सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ होने के कारण एवं स्थानीय यातायात के कारण ब्यावर शहर में वाहनों का आवागमन अधिक रहता है।

(2) ब्यावर शहर की, सार्वजनिक निर्माण के अधीन मुख्य सड़कों का चौड़ाई सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। इन सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने से ब्यावर शहर से गुजरने वाले एवं स्थानीय यातायात को सुगमता होगी।

(3) यह सही है कि इन सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने से ब्यावर शहर से गुजरने वाले एवं स्थानीय यातायात को सुगमता होगी।

(4) ब्यावर शहर की उक्त सड़कों के चौड़ाईकरण की अनुमानित लागत परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। इन सड़कों का चौड़ाईकरण वर्तमान में किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है। इनका चौड़ाईकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग में जन-सहभागिता से सम्बन्धित कोई योजना नहीं है।

परिशिष्ट-1

ब्यावर शहर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन मुख्य सड़कों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	सड़क की श्रेणी	लम्बाई (किमी)	वर्तमान चौड़ाई (मीटर)	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर)	चौड़ाईकरण की अनुमानित लागत (रु. लाख)	विशेष विवरण
1	अजमेर रोड बाइपास से उदयपुर रोड चुंगी नाका तक	ओडीआर-35	9.1				
			(अ) 1.00	14.00	-	-	श्री सीमेन्ट ब्यावर द्वारा वर्ष 2014 में चौड़ा किया गया
			(ब) 8.10	7.00	14.00	2000.00	पुराना नेशनल हाइवे होने से मिश्रित यातायात
2	चांग गेट से पाली रोड जंक्शन तक	ओडीआर-36	2.20				
			(अ) 1.50	7.00	14.00	500.00	यातायात को चार लेन से दो लेन में प्रवेश करने पर असुविधा होती है।
			(ब) 0.70	14.00	-	-	
3	भगत चौराहे से पीसांगन रोड रास-बाबरा जंक्शन तक	एस.एच.-39	2.00	7.00	10.00	150.00	श्री सीमेंट प्लांट, रास एवं अम्बुजा सीमेंट प्लांट, रास के कारण यातायात का दबाव अधिक है।

नावां में नवीन सड़कों का निर्माण

674. **श्री विजय सिंह** (नावां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या वित्तीय वर्ष 2015-16 में नागौर जिले के विधान सभा क्षेत्र नावां में नयी सड़कों का निर्माण व सुदृढ़ीकरण किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़कों का व कितने किलोमीटर?

(2) क्या सरकार नावां, मकराना को वाया नुसरीया ग्राम से होकर जोड़ने वाले सीधे मार्ग पर सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय वर्ष 2015-16 में नागौर जिले के नावां विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान स्थिति अनुसार, नई सड़कों व सुदृढ़ीकरण के 24.50 कि.मी. लम्बाई के कुल 9 सड़क निर्माण कार्य किये जाना प्रस्तावित हैं, जो वर्तमान में स्वीकृत हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

इनके अतिरिक्त 27.00 कि.मी. लम्बाई के 12 नई सड़कों के प्रस्ताव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को स्वीकृति हेतु भिजवाये हुए हैं, जिनकी स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त होना सम्भावित है। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त प्रश्न के संदर्भ में माननीय विधायक महोदय ने अवगत कराया है कि उनका अभिप्राय कुचामन से मकराना (वाया जूसरी) को जोड़ने वाले सीधे मार्ग से है।

कुचामन से मकराना वाया जूसरी मार्ग की लम्बाई 18.00 कि.मी. है, जिसमें से 6 कि.मी. डामर व 12 कि.मी. कच्चा सड़क मार्ग है। इस सीधे सड़क मार्ग के निर्माण की अनुमानित लागत राशि रुपये 400.00 लाख आयेगी, जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गुढागौड़जी व टोड़ी (झुन्झुनूं) मार्ग पर बाइपास का निर्माण

675. **श्री शुभकरण चौधरी** (उदयपुरवाटी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री शुभकरण चौधरी)

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के गुढागौड़जी व टोड़ी से होकर झुंझुनूं से जयपुर जाने वाले राजमार्ग पर गुढागौड़जी में अत्यधिक ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने हेतु उक्त गांवों में बाइपास बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

उदयपुरवाटी-गुढागौड़जी-टोड़ी-झुंझुनूं सड़क राज्य राजमार्ग संख्या-37 है। बी.ओ.टी. योजना के तहत 7 मीटर चौड़ाई में इसका पुनर्निर्माण वर्ष 2013-14 में हुआ है। यह सड़क विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के शहर गुढा के आबादी क्षेत्र से होकर गुजरती है। खनिज सामग्री से भरे हुए ट्रकों का आवागमन भी इस सड़क पर गुढा के आबादी क्षेत्र से होता है। इसके मध्यनजर गुढा का बाइपास बनाने से गुजरने वाले यातायात को सुगमता होगी।

गुढागौड़जी का यह बाइपास पोषाणा के पास से शुरू कर भौड़की सड़क को पार करते हुए लीला की ढाणी तक बनाया जा सकता है, जिसकी 7 कि.मी. लम्बाई की अनुमानित लागत भूमि अवाप्ति सहित राशि रुपये 9.00 करोड़ आयेगी, जो वर्तमान में किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है। इसकी स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

हनुमानगढ़ व चूरू जिलों में संचालित एकीकृत जलग्रहण योजनाएं

676. **श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) हनुमानगढ़ व चूरू जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर कुल कितनी एकीकृत जलग्रहण योजनायें स्वीकृत है? उक्त योजनायें किस वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा शुरू की गईं व इन्हें पूर्ण कब किया गया? प्रत्येक एकीकृत जलग्रहण योजना का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त सभी एकीकृत योजनाओं की स्वीकृति में कुण्ड (टांका) निर्माण, डिग्गी, पक्का जोहड़ निर्माण, वृक्षारोपण, चरागाह विकास, पशुपालन

(श्री अभिषेक मटोरिया)

एवं प्रशिक्षण पर वर्षवार/पंचायत समितिवार व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त जल ग्रहण योजनाओं में जिला परिषद व पंचायत समितियों की क्या भूमिका रहती है? उक्त के सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जिला हनुमानगढ़ व चूरू में सभी पंचायत समितियों को मिलाकर एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (IWMP) अन्तर्गत कुल 44 जलग्रहण परियोजनायें स्वीकृत हैं। सरकार द्वारा जिला हनुमानगढ़ एवं चूरू में पंचायत समितिवार परियोजनाओं को प्रारम्भ करने का वर्ष एवं परियोजनाओं का पूर्ण होने का वर्ष क्रमश परिशिष्ट-1 व परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (IWMP) अन्तर्गत स्वीकृत उक्त सभी जलग्रहण परियोजनाओं में कुण्ड (टांका) निर्माण, डिग्गी, पक्का जोहड़ निर्माण, वृक्षारोपण, चरागाह विकास, पशुपालन एवं प्रशिक्षण में जिला हनुमानगढ़ एवं चूरू में वर्षवार एवं पंचायत समितिवार व्यय की गई राशि का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-3 व परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(3) एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (IWMP) में जिला परिषद एवं पंचायत समितियों की भूमिका के सम्बन्ध में पंचायत समिति स्तर पर गठित उत्पादन कार्यक्रम की स्थाई समिति तथा जिला परिषद स्तर पर गठित विकास एवं उत्पादन कार्यक्रम की स्थाई समिति की मासिक बैठक में जलग्रहण परियोजनाओं में सम्बन्धित अद्यतन जानकारी प्रगति एवं आगामी माह में किये जाने वाले कार्यकलापों की सूचना उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जलग्रहण परियोजनाओं से सम्बन्धित स्थायी एजेण्डा निर्धारित किये जाने के निर्देश हैं।

इस सम्बन्ध में निदेशालय के पत्रांक एफ.18 (आई 66) आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2010-11/2428 दिनांक 13.02.2012 एवं पत्रांक एफ.18(17)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2013/4343-4457 दिनांक 12.03.2013 की प्रति क्रमश: परिशिष्ट 5 व परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में सचिवों के रिक्त पद

677. **सुश्री कीर्तिकुमारी** (माण्डलगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश की पंचायतो में कितनें सचिवों के पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) माण्डलगढ़, बिजौलिया व कोटड़ी पंचायत समितियों में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं?

(3) उक्त पंचायतों में कितने पद सचिवों के स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) प्रदेश की पंचायतों में ग्राम सेवक पदेन सचिवों के 2533 पद रिक्त हैं।

जी हां। ग्राम सेवक पदेन सचिवों को पंचायत प्रसार अधिकारी के पदों पर पदोन्नत किया गया है। पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने पर रिक्त होने वाले ग्राम सेवक के पदों को भी रिक्त पदों में शामिल करने के पश्चात कुल रिक्त पदों पर ग्राम सेवक पदेन सचिवों की भर्ती की कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) माण्डलगढ़, बिजौलिया, कोटड़ी पंचायत समितियों में निम्न ग्राम पंचायतें हैं :-

क्र. सं.	पंचायत समिति	कुल ग्राम पंचायतें
1	माण्डलगढ़	32
2	बिजौलिया	21
3	कोटड़ी	33
	योग कुल ग्राम पंचायतें	**86**

(3) उक्त पंचायतों में ग्राम सेवक पदेन सचिवों के 86 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 37 पद रिक्त हैं।

ग्राम सेवक पदेन सचिवों को पंचायत प्रसार अधिकारी के पदों पर पदोन्नत किया गया है। पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने पर रिक्त होने वाले ग्राम सेवक के पदों को भी रिक्त पदों में शामिल करने के पश्चात कुल रिक्त पदों पर ग्राम सेवक पदेन सचिवों की भर्ती की कार्यवाही की जा सकेगी।

धोद में बी.पी.एल. सूची से वंचित परिवार

678. श्री गोरधन (धोद) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र धोद में अनेक परिवार बी. पी. एल. की सूची में सम्मिलित होने से वंचित रह गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार अब पुन: अभियान चलाकर वंचित गरीब परिवारों को बी. पी. एल. सूची में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र धोद में बी.पी.एल. सेन्सस-2002 में पात्र पाये गये समस्त परिवारों को बी.पी.एल. सूची-2002 (ग्रामीण) में सम्मिलित किया गया है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार बी.पी.एल. सेन्सस-2002 (ग्रामीण) में पात्र परिवारों को शामिल करने एवं अपात्र परिवारों को सूची से हटाने हेतु द्विस्तरीय अपील का प्रावधान है जिसके अनुसार प्रथम अपील सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं द्वितीय अपील जिला कलक्टर को की जा सकती है। अपील प्रक्रिया द्वारा ही बी.पी.एल. सूची 2002 (ग्रामीण) में पात्र परिवारों को जोड़ा जा सकता है।

प्रत्येक 5 वर्ष में भारत सरकार द्वारा बी.पी.एल. सर्वे करवाया जाता है। इसी क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में वर्तमान में सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के ड्राफ्ट पब्लिकेशन की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

दौसा में स्वीकृत इन्दिरा आवास

679. श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र दौसा में कितने इंदिरा आवास स्वीकृत किये गये? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत इंदिरा आवास योजना में भुगतान दो किश्तों में किया जाता है? यदि हां, तो कितने लोगों को दूसरी किश्त का भुगतान किया जाना शेष है? क्या सरकार बकाया किस्त का भुगतान करने

(श्री शंकर लाल शर्मा)

का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र दौसा में 1107 इंदिरा आवास स्वीकृत किये गये हैं। जिसमें वर्गवार एसटी 451, एससी 356, अल्पसंख्यक 1 एवं सामान्य वर्ग को 299 आवास स्वीकृत किये गये हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। इंदिरा आवास योजना का भुगतान लाभार्थियों को तीन किश्तों में किया जाता है। योजनान्तर्गत 92 किश्तों का भुगतान किया जाना बकाया है।

जिनके आवेदन उपरान्त भुगतान प्रक्रियाधीन है। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

महानरेगा योजनान्तर्गत निर्मित ग्रेवल सड़कों के मानदण्ड

680. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि महानरेगा योजना के अन्तर्गत निर्मित ग्रेवल सड़क मार्ग के निर्माण हेतु कोई नियम/दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या महानरेगा योजना अन्तर्गत निर्मित ग्रेवल सड़क को सुधार करने की कोई समय अवधि निर्धारित है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त सड़क को डामरीकृत में बदलने हेतु कोई नियम बना हुआ है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा जारी महात्मा गांधी नरेगा तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 में ग्रेवल सड़क निर्माण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं। सम्बन्धित प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सागवाड़ा में स्वीकृत हैंडपम्प व नलकूप

681. श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत 5 वर्षो मे विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में कितने हैण्डपम्प एवं नलकूप कहां-कहां स्वीकृत किये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत किये गये हैण्डपम्प एवं नलकूप में कौन-कौन से हैण्डपम्प एवं नलकूप स्थापित किये जाकर चालू किये जा चुके है और कौन-कौन से हैण्डपम्प एवं नलकूप के निर्माण का कार्य अपूर्ण है? स्वीकृति के पश्चात हैण्डपम्प एवं नलकूप के निर्माण अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं और अब कब तक स्वीकृत किये गये सभी हैण्डपम्प एवं नलकूपों के निर्माण कार्य को पूर्ण कर उन्हें चालू कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में चलाये जा रहे हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के बावजूद उक्त क्षेत्र में अनेक हैण्डपम्प खराब हैं या नाकारा घोषित होने योग्य हैं? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां कितने हैण्डपम्प खराब हैं और उन्हें अब कब तक ठीक कराया जाकर चालू कर दिया जायेगा या नाकारा घोषित होने योग्य हैण्डपम्पों को नकारा घोषित कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में आगामी वित्तीय वर्ष में हैण्डपम्प/नलकूप स्वीकृत करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कहां-कहां व कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सामान्य एवं सुचारु बनाये रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में कुल 202 हैण्डपम्प एवं 5 नलकूपों के निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गई थीं। वर्षवार एवं स्थानवार स्वीकृति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) कुल 202 हैण्डपम्पों की स्वीकृति के विरुद्ध वेधित 179 हैण्डपम्पों में से 17 हैण्डपम्प वेधन के दौरान असफल रहे व 162 हैण्डपम्प वर्तमान में क्रियाशील हैं। शेष 23 हैण्डपम्पों में से 19 हैण्डपम्पों का निर्माण कार्य विभिन्न कारणों (यथा स्वीकृत स्थान के समीप पूर्व से ही हैण्डपम्प स्थापित होना, आंगनबाड़ी/विद्यालयों हेतु राजकीय भवन का नहीं होना, रिग मशीन की पहुंच

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

सम्भव नहीं होना, स्थल चयन में स्थानीय ग्रामवासियों का परस्पर विवाद होना इत्यादि) से सम्भव नहीं हो सका है तथा 4 हैण्डपम्पों का निर्माण कार्य आगामी एक माह में पूर्ण कर लिया जायेगा।

स्वीकृत 5 नलकूपों में से 4 नलकूप वर्तमान में क्रियाशील हैं तथा अन्य एक नलकूप वेधन के दौरान असफल रहा है ।

हैण्डपम्प एवं नलकूपों सम्बन्धी वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में (दिनांक 28.03.2015 की स्थिति अनुसार) कुल स्थापित 4929 हैण्डपम्पों में से वर्तमान में 4362 हैण्डपम्प क्रियाशील, 35 हैण्डपम्प मरम्मत योग्य, 43 हैण्डपम्प नाकारा एवं 489 हैण्डपम्प मौसमी हैं। विभाग द्वारा प्रदेश में दिनांक 01.04.2014 से चल रहे 38वें विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के दौरान उक्त क्षेत्र में मरम्मत योग्य खराब पाये गये कुल 2337 हैण्डपम्पों की शिकायतों में से अब तक 2302 प्रकरणों में हैण्डपम्पों की मरम्मत कर सुधारा गया है। शेष रहे 35 मामलों में एवं समय-समय पर खराब होने वाले अन्य हैण्डपम्पों का मरम्मत कार्य अभियान में सतत प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। मरम्मत योग्य खराब एवं नाकारा हैण्डपम्पों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-ब व स पर संलग्न है।

(4) पेयजल की आवश्यकता, भू-जल उपलब्धता, तकनीकी संभाव्यता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार उक्त क्षेत्र की जल योजनाओं के संवर्धन/पुनर्गठन के समय जल स्रोतों का निर्माण कार्य सतत प्रक्रिया के तहत कराया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पेयजल योजनाओं के लिये स्वीकृत राशि का भुगतान

682. **श्री अमृतलाल** (सलूम्बर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में स्वीकृत पेयजल योजनाओं पर सामग्री सहित कराये जाने वाली निविदाओं में योजना पर प्रस्तावित पाइप लाइन का भुगतान पाइप क्रय कर पाइप लाइन डालने, कमीशनिंग करने के साथ टेस्टिंग कार्य पूर्ण करने के बाद 90 प्रतिशत भुगतान किया जाता है, जो

(श्री अमृतलाल)

न्याय संगत नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इसमें छोटे-छोटे संवेदकों हेतु पूर्व की भांति पाइप क्रय करने के उपरांत 60 प्रतिशत भुगतान करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि डी. आई. पाइपों की लागत लाखों रुपयों में होती है, जिन्हें संवेदक द्वारा क्रय करने के उपरान्त कार्य क्षेत्र में पाइप डालते समय कई समस्याएं आ जाती हैं, जिसके कारण संवेदकों को कार्य पूर्ण करने के पश्चात भुगतान प्राप्त करने की प्रक्रिया में दिक्कतें आती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नीति में संशोधन करने का विचार रखती हैं? हां, तो क्या व कब तक?

उत्तर

(1) पेयजल योजनाओं में भुगतान निविदा की शर्तों एवं विभाग के निर्देशों के अनुरूप किया जाता है। इसमें वर्तमान में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

(2) उपरोक्तानुसार।

आगरा रोड की कालोनियों को बीसलपुर परियोजना से पेयजल आपूर्ति

683. **श्री अशोक परनामी** (आदर्श नगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार आगरा रोड के बांई ओर बसी हुई कालोनियों में भी बीसलपुर परियोजना से पेयजल आपूर्ति कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त क्षेत्र को बीसलपुर परियोजना से पेयजल आपूर्ति कराने में कितनी राशि का अनुमानित व्यय होगा?

(3) क्या उक्त क्षेत्र के निवासियों के लिए पेयजल हेतु अन्य कोई परियोजना विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर के जामडोली, आगरा रोड और पृथ्वीराज नगर (दक्षिण) क्षेत्रों में बीसलपुर से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सर्वेक्षण व

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

अनुसंधान करने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट व निविदा प्रपत्र बनाने के कार्य हेतु राशि रुपये 222.22 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह अगस्त, 2014 में जारी की गई है।

इसका क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु निविदा सम्बन्धी कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। कार्यादेश उपरान्त रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त जल उपलब्धता, तकनीकी संभाव्यता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार परियोजना की स्वीकृति जारी करने पर विचार किया जायेगा।

(2) उपरोक्तानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनने के उपरान्त ही वास्तविक राशि का आंकलन सम्भव हो सकेगा।

(3) जी नहीं। उक्त क्षेत्र में विभिन्न जल योजनाओं से वर्तमान में की जा रही पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चम्बल लिफ्ट योजना से सैंपऊ तहसील के गांवों को पेयजल आपूर्ति

684. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार धौलपुर से भरतपुर के लिये चम्बल लिफ्ट योजना के अन्तर्गत डाली गई पाइप लाइन से धौलपुर जिले की सैंपऊ तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गांव हरलाल का नगला, सिंघोरा, नन्दपुरा, सायपुर, जागीरपुरा कला, इन्दौली, खरगपुर, हवेली का नगला, छोटी नगरीया, बड़ी नगरीया, रंजीतपुरा, कुरेधा, भदियाना व भूरापुरा आदि में पेयजल आपूर्ति कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना के अन्तर्गत धौलपुर से भरतपुर के लिये जाने वाली मुख्य ट्रांसमिशन लाइन के सैंपऊ आफ-टेक से, सैंपऊ क्षेत्र के प्रश्न में वर्णित ग्राम नन्दपुरा सहित 44 ग्रामों की वर्ष 2029 तक की अभिकल्पित पेयजल मांग के अनुरूप रा-वाटर रिजरवायर, जलशोधन संयंत्र, पम्प हाउस एवं पम्प मशीनरी, स्वच्छ व उच्च जलाशय,

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

राइजिंग/वितरण पाइप लाइनों के कार्य हेतु मैसर्स श्री राम ई.पी.सी. लिमिटेड, चैन्नई को एकल बिन्दु दायित्व के आधार पर 10 वर्ष के संचालन एवं संधारण सहित दिनांक 17.07.2013 को राशि रुपये 34.65 करोड़ का कार्यादेश जारी किया जाकर परियोजना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

उक्त परियोजना में सम्मिलित ग्राम नन्दपुरा के अतिरिक्त प्रश्न में वर्णित शेष ग्राम/ढाणियों को वर्तमान परिपेक्ष्य में उक्त प्रगतिरत परियोजना से जोड़ा जाना तकनीकी रूप से फिजिबल नहीं है। हैण्डपम्प योजनाओं से लाभान्वित इन ग्राम/मजरों में पर्याप्त रूप से स्थापित व क्रियाशील हैण्डपम्पों से वर्तमान में पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

बहुमंजिला इमारतों में पेयजल कनेक्शन दिये जाने के मानदण्ड

685. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बहुमंजिला इमारतों में पेयजल व्यवस्था हेतु कोई नीति बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त नीति के तहत बहुमंजिला इमारतों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्या व्यवस्था की गई है? विधान सभा क्षेत्र विद्याधर नगर में किन-किन बहुमंजिला इमारतों/अपार्टमेंट्स में कितने पेयजल कनेक्शन जारी किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी में बेचे गये भूखण्ड सैन्ट्रल स्पाइन योजना में बहुमंजिला इमारतों में बीसलपुर का पानी उपलब्ध कराने हेतु विभागीय नियमों में शिथिलता प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त क्षेत्र में जिन सोसायटी एवं बिल्डरों द्वारा बहुमंजिला इमारतों में अण्डर ग्राउण्ड वाटर स्टोरेज एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनाये गये हैं, उन्हें नियमानुसार पेयजल कनेक्शन किस प्रकार दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा दिनांक 23.03.2012 को जारी परिपत्र में उल्लेखित दिशा-निर्देशों के अनुसार बहुमंजिला इमारतों में जल सम्बन्ध जारी किये जाने का प्रावधान है। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

विधान सभा क्षेत्र विद्याधर नगर के सैक्टर 2 में स्थित एल.आई.सी. एवं ए.डब्ल्यू.एच.ओ. अपार्टमेन्ट तथा सैक्टर 6 में स्थित सहयोग अपार्टमेन्ट हेतु जल सम्बन्ध जारी किये गये हैं।

(2) जी नहीं। विभाग के पास आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने एवं मूलभूत संरचना तंत्र के पूर्ण रूपेण विकसित होने पर तकनीकी संभाव्यता अनुसार बहुमंजिला इमारतों में जल सम्बन्ध जारी करने का प्रावधान दिशा-निर्देशों में अंतर्निहित है।

(3) परिपत्र में उल्लेखित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही बहुमंजिला इमारतों में जल सम्बन्ध जारी किये जाने का प्रावधान है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बाड़मेर जिले में विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत हैण्डपम्प

686. श्री मानवेन्द्र सिंह (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में बाड़मेर जिले में विभिन्न मदों व योजनाओं में कितने हैण्डपम्प स्वीकृत किए गए? विधान सभा वार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत हैण्डपम्पों में से कितनों के कार्य पूर्ण किए गए व कितने कार्य प्रारम्भ नहीं हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत पांच वर्षों में बाड़मेर जिले में कन्टींजेन्सी योजना के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में कजेन्सी योजना में जिन पेयजल योजनाओं को शामिल किया गया है, उनकी क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में बाड़मेर जिले में विभिन्न पेयजल योजनाओं अन्तर्गत विभिन्न मदों में कुल 3213 नवीन हैण्डपम्पों के निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गई। विधान सभा क्षेत्रवार वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) उक्त स्वीकृत हैण्डपम्पों के विरुद्ध 2804 हैण्डपम्पों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 208 हैण्डपम्पों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। लिये गये निर्णय अनुसार शेष रहे 201 हैण्डपम्पों की स्वीकृति निरस्त कर दी गई है। विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(3) उक्त वर्णित अवधि में पेयजल सम्बन्धी कार्यों हेतु कन्टींजेन्सी मद में कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई।

(4) उपरोक्तानुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रोहट जिला पाली में संचालित पन्नाधाय जीवन अमृत योजना

687. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रोहट में वर्ष 2013 एवं 2014 में पन्नाधाय जीवन अमृत योजना में कौन-कौनसा दावा कब-कब पेश हुआ एवं इनमें से किस-किस दावे का निस्तारण कितनी-कितनी अवधि में किया एवं कौन-कौन से दावे किन-किन कारणों से अस्वीकार किये गये?

(2) वर्तमान में कौन-कौनसा दावा किस-किस स्तर पर, कितने-कितने समय से, किन-किन कारणों से लम्बित है एवं इसका निस्तारण कितनी अवधि में कर दिया जायेगा?

(3) क्या सरकार उक्त दावों के निस्तारण की समय सीमा निश्चित करने का प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी अवधि? व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पाली जिले के पंचायत समिति रोहट में वर्ष 2013 एवं 2014 में पन्नाधाय जीवन अमृत योजनान्तर्गत मृत्यु दावों के प्राप्त, स्वीकृत अस्वीकृत एवं लम्बित दावों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) पंचायत समिति रोहट में पन्नाधाय जीवन अमृत योजनान्तर्गत मृत्यु दावों के बैंक बचत खातों के विवरण के अभाव में 2 प्रकरण लम्बित हैं, का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। लम्बित दावों का आक्षेप पूर्ति पश्चात् शीघ्र निस्तारण कर दिया जायेगा।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(3) जो प्रकरण लम्बित है की आक्षेप पूर्ति पश्चात् शीघ्र निस्तारण कर दिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चाकसू में संचालित छात्रावास

688. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र चाकसू में सरकार द्वारा संचालित छात्रावासों में उपलब्ध करवाये जा रहे भोजन एवं अन्य सामग्री व इनमें रह रहे छात्रों का पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र चाकसू में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 2 राजकीय छात्रावास क्रमशः चाकसू एवं कोटखावदा में संचालित किये जा रहे हैं जिसमें आवासरत छात्रों को देय भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन आदि अन्य सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है। उक्त दोनों छात्रावासों में आवासरत छात्रों की माह अक्टूबर, 2014 से माह फरवरी, 2015 तक की उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चौरासी में बकाया पेंशन का भुगतान

689. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र चौरासी में वर्ष 2013 में कितने लोगों को वृद्धावस्था/विधवा/विकलांग पेंशन स्वीकृत की गई? पंचायतवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सितम्बर, 2013 से जनवरी, 2015 तक ग्राम बडगामा, गुन्दलारा, अम्बाडा, झरनी, महूडी, डूगरे, डूंगस्सारण, सामोदरा कोचरी, धनगांव, माला खोलडा, जोरावरपुरा, दरिपाटी, नई बस्ती बडगामा रास्ता, गन्धवा, चारवाडा, बासिया, मेवडा, चाडौली, बोडामली डुका, सेण्डोला, बावड़ी, विकासनगर, रेटा, भीण्डा, गडापटया पीठ के पेंशनरों को राशि का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र चौरासी में वर्ष 2013 में वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजन पेंशन के स्वीकृत किये गये आवेदनों की पंचायतवार सूची विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र चौरासी के ग्राम बडगामा, गुन्दलारा, अम्बाडा, झरनी, मह्डी, डूंगरे, डूंगर सारण, सामोदरा, कोचरी, धनगांव, माला, खोलडा, जोरावरपुरा, दरिपाटी, नई बस्ती बडगामा रास्ता, गंधवा, चारवाडा बासिया, मेवडा, चाडौला, बोडामली, डूका, सेण्डोला, बावड़ी, विकासनगर, रेंटा, भीण्डा, गडापट्‌टा, पीठ के पेंशनरों को माह फरवरी, 2015 (देय भुगतान मार्च, 2015) तक की पेंशन राशि का भुगतान मनीआर्डर एवं बैंक बचत खातों के माध्यम से कर दिया गया है। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पेंशनरों को सामान्यत: नियमित रूप से पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-690

(स्थगित)

सहाड़ा में स्वीकृत राशन डीलर

691. श्री बालू राम चौधरी (सहाड़ा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में कितने स्थानों पर राशन डीलर हैं उनमें से कितने राशन डीलरों के लाइसेंस निरस्त कर दिये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा में कुल 124 स्थानों पर राशन डीलर सक्रिय है, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

पिछले एक वर्ष में तीन उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र निरस्त किये गये हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

1. ग्राम सेवा सहकारी समिति, नान्दशा
2. भजेराम भील, उचित मूल्य दुकान, चारोट, रायपुर
3. महेन्द्र कुमार श्रोत्रिय, उचित मूल्य दुकान, गुरलां

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लूणी में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन

692. **श्री जोगाराम पटेल** (लूणी) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लूणी की पंचायत समिति लूणी व मण्डोर में किसानों को उचित मूल्य पर राशन, फसली ऋण बीज व खाद उपलब्ध करवाने हेतु वर्तमान में 33 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यो?

(2) नई ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र लूणी की पंचायत समिति लूणी में 39 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें 26 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं तथा 13 ग्राम पंचायतें ग्राम सेवा सहकारी समितियों से वंचित है।

इसी तरह पंचायत समिति मण्डोर में 20 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें 8 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं तथा 12 ग्राम पंचायतें ग्राम सेवा सहकारी समितियों से वंचित है।

इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र लूणी में कुल (लूणी + मण्डोर) 39 + 20 = 59 ग्राम पंचायतों में 26+ 8=34 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं तथा कुल 13+12=25 ग्राम पंचायतें ग्राम सेवा सहकारी समितियों से वंचित हैं। (परिशिष्ट-1)

ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। गठन के मानदण्ड परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।

(2) ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर

(सहकारिता राज्य मंत्री)

नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। गठन के मानदण्ड परिशिष्ट-2 के अनुसार हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झुंझुनूं जिले में स्क्रीनिंग के तहत व्यवस्थापकों का चयन

693. **श्री पूरणमल सैनी** (खेतड़ी) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग में स्क्रीनिंग की व्यवस्था लागू है? यदि हां, तो कब से? व्यवस्थापक लगाने के लिए निर्धारित योग्यता सम्बन्धी नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला झुंझुनूं में स्क्रीनिंग कब-कब की गई व किन-किन व्यवस्थापकों का चयन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में स्क्रीनिंग की व्यवस्था पैक्स/लैम्पस कर्मचारियों की चयन, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, 2008 जो दिनांक 23.08.2008 से जारी हुए से लागू है। निर्धारित योग्यता सम्बन्धी नियमों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिला झुंझुनूं में स्क्रीनिंग की दिनांक एवं चयनित व्यवस्थापकों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिवाना में सहकारी समितियों द्वारा संचालित राशन की दुकानें

694. **श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहकारी समिति स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन मानदण्डों के अन्तर्गत व कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार नव गठित पंचायतों में सहकारी समिति स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री हमीरसिंह भायल)

(3) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सहकारी समितियों के तहत कितनी उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत हैं व कितनी संचालित हैं? क्या सरकार नवीन राशन की दुकानें सहकारी समिति के माध्यम से ही संचालित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) बाड़मेर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समिति में कितने अस्थाई व्यवस्थापक कार्यरत हैं? समितिवार व्यवस्थापकों की स्थायी एवं अस्थायी की पृथक-पृथक सूची सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार अस्थाई व्यवस्थापकों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। गठन के मानदण्ड परिशिष्ट -1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। गठन के मानदण्ड परिशिष्ट-1 के अनुसार है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सहकारी समितियों के तहत 35 उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत हैं एवं सभी 35 दुकानें संचालित हैं। राशन वितरण हेतु लाइसेन्स एवं आबंटन कार्य खाद्य विभाग द्वारा किया जाता है। यदि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा सहकारी समितियों को लाइसेन्स दिया जाता है तो लाभकारी होने पर समितियों द्वारा राशन वितरण का कार्य किया जा सकता है। (सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न)

(4) बाड़मेर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 65 अस्थाई व्यवस्थापक लगे हुए हैं। समितिवार स्थाई व अस्थाई व्यवस्थापकों की सूची परिशिष्ट 3-4 पर संलग्न है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के स्तर पर समितियों के प्रस्ताव से नियुक्त सहायक व्यवस्थापकों के नियमितिकरण हेतु व्यवस्थापकीय सेवा नियम 2008 में स्क्रिनिंग के माध्यम से नियमितिकरण का प्रावधान है। वर्तमान में व्यवस्थापकों की सेवा शर्तों में सुधार हेतु विभाग

(सहकारिता राज्य मंत्री)

स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। परीक्षणोपरान्त इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

केन्द्रीय सहकारी बैंकों में कार्यवाहक अधिकारियों की नियुक्तियां

695. **श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा** (नागौर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) केन्द्रीय सहकारी बैंक में गत पांच वर्षों में सहकारिता विभाग के किस-किस अधिकारी/कर्मचारी को प्रबन्ध निदेशक/अधिशासी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में प्रबन्ध निदेशक/अधिशासी अधिकारी के पद पर नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति हेतु क्या योग्यता निर्धारित है तथा प्रबन्ध निदेशक/अधिशासी अधिकारी के पद पर सहकारिता विभाग के किस स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या किसी जिले में निर्धारित श्रेणी/योग्यता के बिना अथवा निर्धारित स्तर/श्रेणी से निचले स्तर के कार्मिक प्रतिनियुक्ति/कार्यवाहक कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो कब से व कौन-कौन? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश के किन-किन सहकारी बैंकों में उच्च पद पर कार्य करने वाले निर्धारित स्तर से निम्न श्रेणी के कार्मिकों को पूर्व में सेवानियमों के अन्तर्गत दण्डित किया गया है? उक्त दण्डित कार्मिकों को किस आधार पर उच्च पद पर किस नियम के तहत कार्यवाहक नियुक्त किया गया है? नियमों की प्रति सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त कार्यवाहक नियुक्तियों को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत 5 वर्षों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों प्रबन्ध निदेशक/अधिशासी अधिकारी के पद पर नियुक्त अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(सहकारिता राज्य मंत्री)

(2) केन्द्रीय सहकारी बैंकों में प्रबन्ध निदेशक/अधिशासी अधिकारी के पद पर नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति हेतु राज्य सहकारिता सेवा के अधिकारी पात्र हैं। इन पदों पर विभाग के संयुक्त/उप सहायक रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। वर्तमान में प्रदेश के सहकारी बैंको में उच्च पद पर (प्रबन्ध निदेशक/अधिशाषी अधिकारी) राज्य सहकारिता सेवा के अधिकारी ही कार्य कर रहे है।

(5) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-696

(स्थगित)

सोजत में क्वारी लाइसेंसों का नवीनीकरण

697. **श्रीमती संजना आगरी** (सोजत) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सोजत नगरपालिका क्षेत्र के डांग क्षेत्र में मेसेनरी स्टोन के क्वारी लाइसेन्स आबंटित किये गये हैं? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कुल कितने क्वारी लाइसेन्स किस-किस व्यक्ति के नाम से आबंटित किये गये हैं? नाम, क्षेत्र, लाइसेन्स क्रमांक, वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में कितने क्वारी लाइसेन्स का किराया बकाया होने के कारण लाइसेन्स रद्द किये गये? नाम, क्षेत्रफल, तिथि व स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त रद्द किये गये क्वारी लाइसेन्स का नये नाम से नवीनीकरण किया गया है? यदि हां, तो इस हेतु क्या मानदण्ड अपनाये गये? सरकारी प्रक्रिया के तहत नवीनीकरण किये गये क्वारी लाइसेन्स किस-किस व्यक्ति के नाम से, पुराने व नये क्रमांकवार, तिथि, क्षेत्रफल व स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती संजना आगरी)

(4) क्या यह सही है कि वर्तमान मे खनिज नियमावली के तहत क्वारी लाइसेन्स जारी नहीं किये जाते हैं? यदि हां, तो यह नियम कब से लागू हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि सोजत में नियम विरुद्ध क्वारी लाइसेन्सों का नवीनीकरण जिन अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किया गया उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सोजत नगरपालिका क्षेत्र में मैसनरी स्टोन (खण्डा) के 55 क्वारी लाइसेन्स चल रहे हैं जिनकी सूची परिशिष्ट-ए पर उपलब्ध है।

(2) गत पांच वर्षों में कुल 26 क्वारी लाइसेन्सधारियों द्वारा किराया जमा नहीं कराया गया है, जो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1986 के अनुसार स्वतः निरस्त माने जाते हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-बी पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। वर्तमान में भी क्वारी लाइसेन्स जारी किये जाते हैं।

(5) खनि अभियन्ता, सोजत के क्षेत्राधिकार में क्वारी लाइसेन्स का नियम विरुद्ध नवीनीकरण नहीं किया गया है। क्वारी लाइसेन्स का नवीनीकरण लाइसेन्सी द्वारा एमएमसीआर 1986 के तहत आवेदन करने पर मूल लाइसेन्सी के नाम पर ही किया गया है। अतः अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-698

(स्थगित)

प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण

699. **श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी कितनी-कितनी किस-किस श्रेणी के लिए निर्धारित की गई है? श्रेणीवार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(2) उक्त मजदूरी कब एवं किस प्रकार की समीक्षा को आधार मानकर निर्धारित की गई?

(3) क्या सरकार बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में प्रदेश में चार श्रेणियों (संवर्ग) के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की हुई है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	श्रेणी	निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (रुपये प्रतिदिन)	रुपये मासिक
1.	अकुशल	189	4914
2.	अर्द्धकुशल	199	5174
3.	कुशल	209	5434
4.	उच्च कुशल	259	6734

(2) उक्त मजदूरी 28 जनवरी, 2015 को निर्धारित की गई है। श्रम ब्यूरो शिमला, भारत सरकार द्वारा अजमेर एवं जयपुर केन्द्रों के लिये औद्योगिक श्रमिकों के लिये तैयार किये गये उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के आधार पर जुलाई, 2012 से जुलाई, 2013 की अवधि में बढ़े हुए सूचकांकों को आधार मानकर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है।

(3) बढ़ती हुई मंहगाई को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की अधिसूचना दिनांक 29 जनवरी, 2015 को ही राजपत्र में प्रकाशित करवाई जाकर प्रदेश में उक्त न्यूनतम मजदूरी की दरें लागू की जा चुकी हैं। इस प्रकार जनवरी, 2015 में ही न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई है।